खण्ड-333, अंक-4
शुक्रवार, 22 वैशाख, शक संवत् 1900
(12 मई, 1978 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 333 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	413–417
अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर सम्बद्ध मन्त्री द्वारा न दिये जाने पर आपत्ति	417–418
प्रश्नोत्तर	418–464
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था	464
यमुना नदी के कटाव से कालपी नगर, किला घाट तथा उसके ऊपर बने हुए विशाल ऐतिहासिक दुर्ग तथा गुम्बद को भारी खतरे के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना . ..	464–465
देवरिया जनपद में भयंकर तूफान एवं आंधी से क्षति एवं मृत्यें के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	465–466
लखनऊ शहर में कुछ मार्गों पर बसें चलना बन्द हो जाने से कठिनाई के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	466
मिर्जापुर के दुद्धी एवं राबर्ट्सगंज तहसील में पेयजल संकट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	467
गोरखपुर जनपद के बांसगांव व सदर तहसील के ग्रामों में कटाव होने से भूमि विवाद उत्पन्न होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	467
अतर्रा, जिला बांदा स्थित बुन्देलखण्ड साल्वेन्ट एक्सट्रेशन एण्ड सन्स राइस मिल के मजदूरों द्वारा अनशन के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	468
फैजाबाद जनपद के कतिपय ग्रामों में अग्निकाण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	469
प्रदेश में खोया बनाने पर पाबन्दी लगाने से उत्पन्न समस्या के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. .	469–470
बांगरमऊ, जिला उन्नाव में जल संकट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	470
नगीना, जिला बिजनौर की हरिजन बस्ती सराय खुर्रम अली में अग्निकाण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	471
डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर के गिरफ्तार छात्रों को छोड़ने की मांग ..	471–472
कतिपय विषय	472
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (नवां संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	472

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (दसवां संशोधन) नियमावली, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी)	473
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखे 1976–77, भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1976–77 (सिविल) (राजस्व प्राप्तियों) एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, 1976–77 (वाणिज्क) (सदन के पटल पर रखा गया)	473
उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल इम्पलायमेंट (स्टैंडिंग आर्डर्स) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी)	473
दैनिक अंग्रजी समाचार-पत्र पायनियर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	473–474
सहकारिता मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	474–475
मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	475–479
दैनिक जागरण, कानपुर के सम्पादक एवं प्रेस ट्रस्ट के लखनऊ स्थित सम्वाद-दाता के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	479
सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	480
राज्य सम्पत्ति अधिकारी व जूनियर इंजीनियर, रायल होटल के विरुद्ध विशेषा-धिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	480
विद्युत् मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	481
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा सदन के समय के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	481–482
विभिन्न स्थानीय निकायों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना	482–483
दीवानी न्यायालय, इलाहाबाद के रिकार्ड रूम में अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में वक्तव्य	483–484
इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा हिण्डालको को बिजली देने के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय से उत्पन्न विषम परिस्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	484–485
मेरठ में हिन्दू महासभा के प्रादेशिक अधिवेशन में नाथूराम गोडसे के भाई श्री गोपाल गोडसे के अभिनन्दन आदि के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	485–486
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	486–487
1978–79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी तथा अनुदान संख्या 38—श्रम एवं सेवायोजन (स्वीकृत)	487–529
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	529

विषय	पृष्ठ-संख्या
मेडिकल कालेज, कानपुर के छात्रों द्वारा दैनिक जागरण कार्यालय, कानपुर में तोड़फोड़ तथा आगजनी के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	529–535
प्रदेश की सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए 15 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ..	535–560
नत्थियां	561–580

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 12 मई, 1978

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—313

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अशफाक अहमद खां, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रभणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भैया जी)
कदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री

कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगासहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्रपाल, श्री

चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल निर्भय, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवाम, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभूदयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बरफिया लाल जुआंठा 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री

बाबू बदरे, श्री
बाबू रामप्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भामी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
भयुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री

राजबहादुर यादव, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम जनम, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
रामनरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लखी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री

विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह 'निर्भय', श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम देव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री

सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहनवीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट--हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

शुक्रवार, 12 मई, 1978

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर सम्बद्ध मन्त्री द्वारा न दिए जाने पर आपत्ति

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, मैं नियम 32 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरा जो प्रश्न है उसके भारसाधक मन्त्री हैं, माननीय वित्त मन्त्री मधुकर दिघे और उत्तर देने के लिए खड़े हुए हैं संस्थागत वित्त मन्त्री। मान्यवर, नियम 32 में कहा गया कि प्रश्नों के उत्तर के लिए जो दिन नियत किया गया हो, उस दिन का उस उपवेशन आरम्भ होने के एक दिन पूर्व प्रश्नों के लिखित उत्तरों की प्रति सम्बद्ध सदस्य को उपलब्ध कर दी जायेगी, तो प्रतिलिपि तो मुझको मिल गयी। आगे है कि उत्तर सम्बद्ध मन्त्री द्वारा पढ़कर सुनाया जायगा तो उत्तर माननीय मधुकर दिघे को देना चाहिए और उत्तर दिया जा रहा है संस्थागत वित्त मन्त्री, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी द्वारा। मान्यवर, इसी सन्दर्भ में नियम 35 भी आप पढ़ लें, सहायता हो जायगी। नियम 35 कहता है, "विशेष अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण सम्बद्ध मंत्री की अनुपस्थिति की दशा में तो तद्विषयक प्रार्थना किए जाने पर अध्यक्ष प्रश्न को किसी आगामी दिन के लिये स्थगित कर सकेंगे" तो प्रश्न स्थगित नहीं हुआ है। उत्तर दूसरे मन्त्री दे रहे हैं, इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

देखिए, प्रथम बात तो यह है कि आप मन्त्री की परिभाषा देखें। मन्त्री का तात्पर्य मन्त्रि परिषद् के किसी सदस्य से है और इसमें राज्य मन्त्री उपमन्त्री आदि शामिल हैं। तो संयुक्त उत्तरदायित्व है और जो आपने नियम 35 का जिक्र किया है, उसमें कहा गया है कि सम्बद्ध मन्त्री की अनुपस्थिति की दशा में तद्विषयक प्रार्थना किए जाने पर तो मन्त्री जी ने कोई प्रार्थना नहीं की है। इसलिए चूंकि माननीय त्रिपाठी जी स्वयं मन्त्रि-परिषद् के सदस्य हैं, उनको नियमानुसार उत्तर देने का अधिकार है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक बात सुन लें। आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। लेकिन इसमें लिखा है कि, नियम 32 में देखें "उत्तर सम्बद्ध मन्त्री द्वारा पढ़कर सुनाया जायगा"। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि उत्तर सम्बद्ध मन्त्री देंगे।

श्री अध्यक्ष--

सम्बद्ध, जब उत्तर देते हैं तब सम्बद्ध हो जाते हैं। संयुक्त जिम्मेदारी है इसलिए कोई भी मन्त्री दे सकता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, संयुक्त दायित्व है वह तो सही है, लेकिन इस सन्दर्भ में श्रीमन्, नियम 32 को मत घसीटिए।

श्री अध्यक्ष--

आप देखें। गृह मन्त्री चौधरी चरण सिंह बीमार हैं। वहां उनका कार्य आज दूसरे मन्त्री देखते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)--

इसमें वैसे भी कोई कठिनाई नहीं है। संविधान में प्राविधान है। अनुच्छेद 164 में दिया गया है कि सामूहिक उत्तरदायित्व है।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य लाटरी की धनराशि को अनधिकृत व्यक्ति द्वारा भुगतान लेने का प्रयास

****1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--**

क्या वित्त मन्त्री को जानकारी है कि लाटरी निदेशालय के अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश लाटरी के 70वें ड्रा के प्रथम पुरस्कार का 17 लाख रुपया एक अनधिकृत व्यक्ति को गत सप्ताह दे दिया गया है? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)--

लाटरी निदेशालय के अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी के 70वें ड्रा के बम्पर पुरस्कार की 17 लाख रुपये की धनराशि किसी भी व्यक्ति को नहीं दी गई है। एक अनधिकृत व्यक्ति ने भुगतान पाने का प्रयास किया लेकिन जो सामान्य जांच पड़ताल भुगतान के पहले की जाती है उसमें जालसाजी पकड़ ली गई और मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस व्यक्ति ने इतनी भारी धनराशि का भुगतान लेने का प्रयास किया था उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है? पुलिस की पकड़ में आ गया है?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी गई है और पुलिस इसकी तफतीश कर रही है। सीनियर सुपरिन्टेडेंट आफ पुलिस, लखनऊ को इस आशय का पत्र भेज दिया गया है कि इसकी तफतीश तत्परता से और शीघ्र करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी ने इस सन्दर्भ में इस आशय को भी जांच कराने की कृपा की है कि जो अनधिकृत व्यक्ति को भुगतान होने जा रहा था, इसमें किसी विभगीय अधिकारी या कर्मचारी को साठगांठ तो नहीं है? यदि हां, तो उसमें क्या तथ्य प्रकाश में आए ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, दो बातें हैं, एक तो भुगतान होने नहीं जा रहा था, दूसरा सामान्य प्रक्रिया यह है कि यदि कोई टिकट प्रस्तुत किया गया है, तो उसकी जांच-पड़ताल की गयी तो यह तो जांच-पड़ताल के समय ही पता चल गया। इसमें किसी सांठ-गांठ का न तो पता चला है और न कोई शिकायत ही आई है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, वह सही व्यक्ति कौन है, जिसको इनाम निकला था, उसको अब तक न देने का क्या कारण है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, जिस नम्बर का इनाम निकला है, केवल इसी नम्बर का प्रस्तुत हुआ है, किसी अन्य व्यक्ति ने प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन इसमें जालसाजी हुई है, तो दूसरे व्यक्ति को देने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, वह अनधिकृत व्यक्ति कौन है जो प्रयास कर रहा था भुगतान लेने का ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, जिसने इस टिकट को बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया था, उसका नाम सुन्दर राजन सेलम तामिलनाडु है।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, जिसके पास टिकट था वह जाली था या सही था, इसका कैसे पता लगायेंगे और यह जो जाली टिकट छप रहे हैं, यह कहां पर छप रहे हैं ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, इस नम्बर का टिकट तो बिका, तो फिर उस नम्बर का असली रिकार्ड ह, नाम नहीं है, नम्बर है, एक व्यक्ति उसको दे रहा है, तो उसमें दूसरा यह कैसे यह कह रहे हैं कि एकही नम्बर है, जो जालसाजी वाला नम्बर कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना है कि जो व्यक्ति बैंक के मार्फत गया, उसको जाली पाया गया और असली आदमी अभी आया नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र—

यह नहीं कहा कि अभी दूसरा आया नहीं।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, नहीं, कहा गया है कमला प्रसाद जी ने प्रश्न किया था, असल आदमी को आने नहीं दिया, तो आपने उत्तर दे दिया है कि दूसरा आदमी आया ही नहीं।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, जिस व्यक्ति ने टिकट खरीदा था, उसको भुगतान किया गया कि नहीं ? यदि नहीं, तो उतने दिन का ब्याज माननीय मन्त्री जी उसको देंगे ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, इनाम तो दिया जायगा, जो सही टिकट रखने वाला व्यक्ति हो। मान्यवर, उनका प्रश्न मैंने समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना है कि जिनका इनाम निकला है, और उसको भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, तो क्या उनको इस अवधि का ब्याज मिलेगा ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, ब्याज की कोई व्यवस्था नहीं ह ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, जाली टिकट किस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया है, क्या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, क्या यह पता लगायेंगे कि जाली टिकट कहां छप रहे हैं और कैसे छप रहे हैं ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, यह बात स्वीकार नहीं की जा रही है कि जाली टिकट छपा है जो पता चला है, उसमें यह है कि पहले अंक को छोड़ कर शेष अंकों में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है। हो सकता है कि उसी विशिष्ट टिकट में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया हो।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले ड्रा में कितने ऐसे टिकट थे, जिनके नम्बर बदलने की कोशिश की गयी है और वह किसके द्वारा की गयी ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, अभी तक यही एक मामला प्रकाश में आया है ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह मद्रास के व्यक्ति जिसने यह टिकट सबमिट किया बैंक के द्वारा, मेरी जानकारी है कि वह रुपया उस बैंक को आपके मन्त्रालय द्वारा दे दिया गया और उसके पश्चात् एक व्यक्ति ने यह क्लेम किया था कि इस नम्बर का टिकट मेरे पास है, तब वह रुपया भुगतान के लिए रोक लिया गया, क्या यह सत्य है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

यह माननीय सदस्य का कहना नितान्त असत्य है और यह केवल शासन को बदनाम करने का प्रयास है ।

गैर सरकारी महाविद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्राविडेन्ट फण्ड की सुविधा

**2--श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि [illegible]ग्री कालेजों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्राविडेन्ट फन्ड की सुविधा देने के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं लिया गया है, तो कब तक निर्णय लिया जाएगा, इन कर्मचारियों को पेन्शन देने की व्यवस्था कब से की जाएगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरण)--

सहायता प्राप्त गैर सरकारी महा विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्राविडेन्ट फन्ड की सुविधा देने के प्रश्न पर शासन विचार कर रहा है ।

इन कर्मचारियों को पेन्शन देने का सम्प्रति कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

उप अधीक्षक पुलिस के स्थायीकरण की मांग

**3--श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

क्या सरकार बताएगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लगभग 500 उप अधीक्षक आठ-दस वर्षों से एडहाक बेसिस पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो उन्हें स्थाई करने की दिशा में सरकार क्या कर रही है ?

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)--

इस समय एडहाक बेसिस पर केवल 22 पुलिस उपाधीक्षक आठ वर्ष पूर्व से कार्यरत हैं। इन अधिकारियों को अन्य पात्र अधिकारियों के साथ पुलिस उपाधीक्षक के पदों पर नियमित रूप में प्रोन्नत किए जाने हेतु लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियमित चयन समिति के गठन पर विचार किया जा रहा है । उसकी संस्तुति पर इन अधिकारियों को स्थायी किए जाने के लिए शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि लोक सेवा आयोग की राय से चयन समिति गठित की जायगी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह चयन समिति कब तक गठित कर दी जायगी ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गयी है और चयन समिति शीघ्र ही गठित हो जायगी।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, जो तीन वर्ष की अपनी सेवा पूरी कर चुके हैं और कार्यरत हैं और अब भी अस्थायी ही हैं, तो उन्हें स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, शासन की नीति तो ऐसी अवश्य है, लेकिन उसकी सेवाकाल, उसकी चरित्र पंजिका और उसनें जो काम किया है, अपने सेवा काल में, उन सब को देखते हुए उनको नियमित किया जाता है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष पुलिस अफसरों की नियुक्ति करता है, प्रोन्नति करता है, तो क्या कारण है कि एडहाक नियुक्तियां फिर भी की जा रही हैं और बताया गया कि 22 अभी भी मौजूद हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, 1970 के बाद कोई चयन समिति बैठी ही नहीं है, इसलिए यह अधिकारी जो चल रहे हैं एडहाक बेसिस पर चल रहे हैं । हमने निश्चित किया है कि तीन वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को नियमित कर दिया जायगा, उसके अनुरूप हमें कार्यवाही शुरू की है और शीघ्र ही यह हो जायगा।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मान्यवर, जो पुलिस उप अधीक्षक एडहाक बेसिस पर रखे गये उनमें से कुछ को नियमित कर दिया गया, तो उनको नियमित करने का क्या आधार है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, 69 में संस्तुति हुई थी, परन्तु 70 के बाद कोई समिति नही बैठी और न उसमें कोई निर्णय लिया गया।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

जब शासन की यह नीति थी कि 3 वर्ष की अवधि पूरी कर लेने के बाद स्थायी कर दिया जायगा, तो फिर उनको क्यों नहीं स्थायी किया गया और इसकी संख्या 500 कैसे हो गयी और चयन समिति ने अगर किसी को नहीं चुना, तो क्या शासन उनको सेवा में रखने पर विचार करेगा ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, शासन की नीति बहुत स्पष्ट है, जो दिनांक 1 अप्रैल, 1978 को प्रकाशित पत्र में कहा गया है तीन वर्ष की सर्विस पूरी हो जाने के पश्चात् यदि सब सर्विस रिकार्ड ठीक हो, नियमित किया जाय। उस पहले की जो स्थितियां हैं, उससे माननीय सदस्य परिचित हैं।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं क जो 69 में समिति गठित की गयी थी, उसी आधार पर क्या इसको भी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उसका उत्तर वह दे चुके हैं कि लोक सेवा आयोग की परामर्श से किया गया था।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 1969 में जो समिति गठित की गयी, वह भी क्या लोक सेवा आयोग के परामर्श से बनी थी ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री ऊदल—

क्या शासन ने पहले भी और अब भी इस प्रकार का निर्णय ले लिया है कि जिनकी सेवायें 3 वर्ष से ज्यादा हो जायं, उनको लोक सेवा आयोग में न भेजा जाय और शासन अपने स्तर से ही उनको नियमित कर दें ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, यह तो मैं कहा है कि शासन ने निर्णय ले लिया है कि जिनकी 3 वर्ष से अधिक सेवा की अवधि होगी, उनको नियमित करने की कार्यवाही की जायेगी, चाहे वह लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हों या नहीं। कुछ सेवायें ऐसी हैं, जिनमें लोक सेवा आयोग के परामर्श से करना पड़ेगा और कुछ में यह आवश्यक नहीं होगा, तो उनमें सरकार अपने निर्णय से करेगी।

बाराबंकी जिले की तहसील रामसनेहीघाट के कार्यालय में अग्निकाण्ड

**4—श्री राम सागर (जिला बाराबंकी) तथा श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद की तहसील रामसनेही घाट के कार्यालय में दिनांक 2 मई, 1978 को अग्निकांड हो गया है ? यदि हां, तो उस अग्निकांड का क्या कारण है और उसमें कौन-कौन से रेकार्ड जल गए ?

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

बाराबंकी जनपद की तहसील रामसनेही घाट के कार्यालय में 2 मई, 1978 को नही बल्कि 1 मई, 1978 को अग्निकांड हुआ था । अग्निकांड का कारण अभी ज्ञात नहीं है। इसकी जांच हो रही है। तहसील रामसनेही घाट के रिकार्ड रूम में रखे हुए अभिलेख जिनमें 1359 फसली तथा 1368 से 1383 फसली तक के खसरा,

एक त्रैवार्षिक खतौनी, जिल्द बन्दोवस्त, 1659 फसली का खेवट, मौजा रजिस्टर, परगना बुक तथा रजिस्ट्रार कानूनगो के अभिलेख जलकर नष्ट हो गए हैं।

श्री राम सागर—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस तहसील में कई गरीब काश्तकारों के नाम फर्जी लोगों को खड़ा कर, उनकी जायदाद का बयनामा प्रभावशाली लोगों ने करा लिया है ? ग्राम समाज की भूमि पर लेखपालों से बस्ते छीनकर अपने नाम जमीन का पट्टा करा लिया है ? इस प्रकार भूमि के पट्टे और तकाबी के अनेक घपले यहां हैं जिनकी जांच चल रही है। कर्मचारियों के फंसने की आशंका है, जिसके फलस्वरूप ऐसी घटना घटी है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, अभी जांच चल रही है।

श्री अशर्फी लाल यादव—

मान्यवर मैं जानना चाहता हूं कि इस अग्निकांड में समय क्या था जब आग लगी और जिस कार्यालय में अग्निकांड हुआ है उसमें क्या ताला बन्द था ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अग्निकांड में जो जरूरी अभिलेख जल गए हैं, उनको तैयार कराने का क्या आधार होगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में आदेश दे दिए गए हैं कि जो भी उपलब्ध सामग्री है, उस पर पुनः यह अभिलेख तैयार किए जायं।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न है कि रिकार्ड किस आधार पर तैयार करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जैसे खतौनी नहीं है तो कुछ लेखपालों के पास है, वह बच गए हैं। कुछ नकल में रह गए हैं। इन्हीं के आधार पर अभिलेख तैयार होंगे।

श्री अशर्फी लाल यादव—

मैं जानना चाहता हूं कि जिस कार्यालय में अग्निकांड हुआ है या उसकी देखरेख के लिए कोई पहरेदार या पुलिस वहां मौजूद था ? यदि हां, तो क्या उसने इत्तिला किया ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, पहरेदार तो रहता ही है। इत्तिला पाने पर जिलाधिकारी परगनाधिकारी....

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना यह है कि पहरेदार ने अग्निकाण्ड की कोई सूचना किसी अधिकारी को दी या नहीं ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, जिस वक्त आग लगी है उसी समय अधिकारी पहुंच गए मौके पर आग बुझाने।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, 56-59 जो खतौनियां हैं, उनका महत्व होता है क्योंकि सेटेलमेंट की खतौनियां हैं और वे जल गयी हैं और जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि आरोप यह है कि खतौनियों में जालसाजी की गयी है तथा माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जो खतौनियां लेखपालों के पास हैं, उनके आधार पर वे दस्तावेज बनवायेंगे यदि उस आधार पर दस्तावेज तैयार किए गए, तो जो आरोप हैं उनके निराकरण के लिए सरकार क्या कर रही है इसके बारे में कोई जानकारी देंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, अगर कोई आरोप है, तो वह मुझे लिख कर दे दें, उसकी जांच करा ली जायगी।

श्री राम सागर--

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि जिस समय अग्नि काण्ड हुआ, वहां सुरक्षा कर्मचारी तनात थे और जब रिकार्ड रूप बिलकुल जल कर खाक हो गया तब उन्होंने गुहार लगायी, तो उन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही हो रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जब तक यह निश्चित न हो जाय कि आग बाहर से लगायी गयी तब तक...

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना है कि वहां पहरेदार मौजूद था, उसने आग लगने के बाद गुहार लगायी, तो क्या उस पहरेदार के खिलाफ कोई सन्देह की सूचना आप को मिली है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, वहां एक गम्भीर घटना घटी और यह पता नहीं चल पा रहा है, माननीय मन्त्री जी नहीं बता पा रहे हैं कि आग किस समय लगी, रिपोर्ट हुई या नहीं, इन सब बातों को देखते हुए क्या इसकी इंक्वयारी सिविल पुलिस करेगी तो सी० आई० डी० के जरिए इसकी इंक्वायरी करायेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, इस मामले की जांच सी० आई० डी० द्वारा करने की संस्तुति की गयी है और अब स्थानीय जांच की जा रही है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

पर्वतीय जिलों में मोटर मार्गों के निर्माण से हुई खेतों को क्षति एवं भू-राजस्व से छूट देने की मांग

*1—श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला गढ़वाल)—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मोटर मार्गों के निर्माण के फलस्वरूप उनके निचले भाग में पड़ने वाले किसानों के खेत जो नष्ट हो जाते हैं या मल्बे से दब जाते हैं अथवा किसी प्रकार से बरबाद हो जाते हैं क्या उन खेतों का भू-राजस्व वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस प्रकार के खेतों का भू-राजस्व मुआफ करने पर विचार करेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां ।

मोटर मार्गों के निर्माण के फलस्वरूप खेतों को हुई क्षति कृषि आपदा की श्रेणी में नहीं आती अत : भू-राजस्व में छूट देने का प्रश्न नहीं उठता।

सरकार का इस प्रकार के खेतों के भू-राजस्व को माफ करने का कोई इरादा नहीं है।

वर्तमान विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत केवल कृषि आपदा के फलस्वरूप हुई क्षति के सम्बन्ध में ही भू-राजस्व की छूट प्राविधान है जिसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

श्री भगवती चरण निर्मोही —

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं आ पाया। शायद माननीय मन्त्री जी ने गम्भीरता से उसको देखा नहीं। छूट उन खेतों को दी जाती है भू-राजस्व में जहां फसल को क्षति होती है और मेरा प्रश्न स्पष्ट कि मोटर सड़क बनाने से जो खेत नष्ट हो जाते हैं या मलवे से दब जाते हैं, उनको भू-राजस्व से छूट दी जाय और अगर अभी तक नही दी गयी है, तो क्यों नहीं दी गयी है, तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ऐसे खेत जो सदा के लिए नष्ट हो गए, उन किसानों के ऊपर कृपा कर के आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे कि उन्हें खेत का भू-राजस्व न देना पड़े ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, सड़क के मलवे के गिर जाने से जो खेत प्रभावित होते हैं उनकी सूचना सार्वजनिक निर्माण विभाग को दी जाती है और उनके द्वारा क्षतिपूर्ति की जा सकती है। जहां तक लगान का सवाल है सवा तीन एकड़ पहले ही लगान माफ है। मैदानी क्षेत्र में तो 70 फीसदी है लेकिन वहां अधिकतर ऐसे लगान की छूट है। इसलिए एक आध केस हो सकता है उसके लिए कानून बनाना आवश्यक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सड़क बनाने से जो खेत बिलकुल नष्ट हो गए यह ठीक ह कि आपने सवा तीन एकड़ तक का माफ कर दिया। लेकिन वहाँ अगर कुछ किसानों की भूमि सवा तीन एकड़ से अधिक है और सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों द्वारा उस पर खेती नहीं हो सकती, तो क्या उस पर छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

थोड़े दिन के लिए मलवा पड़ जाता है । उसके बाद वह खेती योग्य हो जाती है। अगर कोई ऐसा खेत है, जो बेकार हो गए हैं और खेती नहीं हो सकती, तो उसकी जांच करा लेंगे।

श्री भगवती चरण निर्मोही—

मान्यवर, शायद मन्त्री जी पहाड़ की ओर गए नहीं हैं । वह खेत जहां बड़े-बड़े पत्थर पड़ गए, बड़ी-बड़ी चट्टानें पड़ गयीं वे खेत अब जब तक पृथ्वी है बेकार हो गए हैं और वहां खेती नहीं हो सकती । आपने कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा क्षति पूर्ति की जाती है, तो यह तो भू-राजस्व की बात है । चाहे तो आप जायं या रिपोर्ट मंगा लें वह खेत बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि अगर ऐसे खेत हैं तो उनका विवरण प्राप्त करने पर अवश्य विचार करेंगे।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य—

श्रीमन्, यह शासन की नीति रही है कि अगर किसी दरिया के किनारे कोई खेत है और दरिया से कट जाता है तो उसका राजस्व माफ कर दिया जाता है। इसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में जहां सड़क बनाने से खेत दब गए हैं और भविष्य में उनमें खेती नहीं हो सकती तो क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी वहां भू-राजस्व को माफ करने के लिए विचार करेंगे?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, धारा 268 के अनुसार जब भूमि की उर्वरा शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ जाता है या कम हो जाती है, तो लगान कम कर दिया जाता है । अब अगर खेत बिल्कुल ही नष्ट हो गए हैं, तो वहां भू-राजस्व का सवाल ही नहीं है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के सरकारी नौकरियों में आरक्षण में कमी

*2—श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या यह सही है कि सरकार ने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का आरक्षण सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत से घटाकर तीन प्रतिशत कर दिया है ? अगर हां, तो किन कारणों से ?

श्री राम सिंह—

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है । परन्तु उनके आश्रितों के लिए जो आरक्षण था उसे श्रेणी-1 व 2में 5 प्रतिशत तथा श्रेणी–3 व 4 में 3 प्रतिशत किया गया है।

कुछ अन्य वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के कारण ऐसा करना पड़ा।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को कब से आरक्षण दिया गया और कितने प्रतिशत दिया गया ?

श्री राम सिंह—

1972 में आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी। श्रेणी 1 में 10 प्रतिशत, श्रेणी 2 में 10 प्रतिशत, श्रेणी 3 में 10 प्रतिशत, श्रेणी 4 में 5 प्रतिशत था।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह आरक्षण किस कानून के अन्तर्गत किया गया था ?

श्री राम सिंह—

जिस कानून के अन्तर्गत सब को दिया गया है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, उन्होंने कहा 1972 में आरक्षण किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि किस दिन यह निर्णय लिया गया कि यह हटा दिया जाय और उसके कारण क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह उन्होंने बतला दिया क्योंकि अन्य कुछ वर्गों को आरक्षण दिया है और आरक्षण का प्रतिशत 50 से अधिक नहीं होता इसलिए उसको कम किया गया।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की अन्य सुविधाओं को समाप्त करने का विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न उससे नहीं पैदा होता—अन्य सुविधाओं के बारे में।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की परिभाषा में जो लोग आपातकालीन स्थिति में 'मीसा' बन्दी रहे। उनको भी शामिल करेंगे ?

श्री राम सिंह

मान्यवर, आपातकालीन स्थिति में जो 6 महीने की अवधि तक जेल में रहे हैं, उनको इस परिभाषा में शामिल कर लिया गया है।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 'मीसा' से जो पीड़ित हुए हैं, उनको कितना दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो बता दिया है कि वे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की परिभाषा में आ गए। जितना स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों का है, वह उसमें भी शामिल है। तो यह तो उत्तर दे चुके हैं।

श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि फला-फला श्रेणियों में इतना-इतना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह श्रेणिएं कौन-कौन सी हैं 'मीसा' और डी० आई० आर० के बन्दी किस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, मैंने कहा कि जो व्यक्ति 6 महीने से अधिक अवधि तक जेल में रहा है, चाहे मीसा में या डी० आई० आर० में, वह इसी में शामिल कर लिया गया है।

पड़रौना तहसील के ग्राम जिगना में अग्निकाण्ड एवं दी गयी सहायता

*3—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 5 अप्रैल, 1978 को प्रात: 8 बजे पडरौना तहसील के कसया थाना क्षेत्र में जिगना गांव में भीषण अग्निकांड में गरीबों के डेढ़ सौ घर जल कर खाक हो गये? यदि हां, तो शासन ने क्या कार्यवाही की?

श्री शारदा भक्त सिंह—

दिनांक 5 अप्रैल, 1978 को प्रात: 8 बजे नहीं वरन् दिन के लगभग 11 बजे तहसील पडरौना के ग्राम जिगना में घटित अग्निकांड में 105 घर जल गए जिसके फलस्वरूप लगभग 2,16,245 रुपए की क्षति हुई? उक्त अग्निकांड से प्रभावित 105 परिवारों में से 103 परिवारों, जो एक एकड़ से कम के काश्तकार हैं, को 25 रुपए प्रति परिवार की दर से अहेतुक सहायता वितरित की गई। शेष दो परिवारों जो एक एकड़ से अधिक के काश्तकार हैं, को तकावी लेने को कह दिया गया है।

*4—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी तथा श्री वंश गोपाल चौबे—

[8वें मंगलवार में 29 (4) के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

बस्ती जिले के टेस्ट वर्क के विरुद्ध शिकायत

*1—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में टेस्ट वर्क चालू न करने की कोई शिकायत प्रश्नकर्ता से जिलाधिकारी, बस्ती को अक्तूबर, 1977 में प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां, प्रश्नकर्ता की शिकायत जिलाधिकारी, बस्ती को अक्तूबर, 1977 में प्राप्त हुई थी।

बस्ती जिले में नवम्बर, 1977 से टेस्ट वर्क सभी तहसीलों में प्रारम्भ कर दिए गए।

[12 मई, 1978 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

भूमि विकास कर की समाप्ति

*1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विकास कर समाप्त करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब से समाप्त कर दिया जायगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3/78) के द्वारा भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 दिनांक 1 जुलाई, 1977 से निरस्त कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, 1 जुलाई, 1977 से 1385 फसली का भूमि विकास कर माफ कर दिया गया है, लेकिन इसके पहले जो बहुत सा भूमि विकास कर आरोपित हो चुका था, उसको सरकार द्वारा अभी तक वसूल किया जा रहा है, तो उसके सम्बन्ध में शासन की क्या नीति है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, उसमें जो अधिनियम है, वह रिट्रास्पेक्टिव नहीं है। दूसरे कुछ तो छूट गए थे और काफी लोगों से यह वसूल किया जा चुका था। इसलिए शासन ने यह नीति बनायी कि पिछला वसूल किया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री इस भूमि विकास कर को रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से समाप्त करने के बारे में विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

अभी इसका कोई इरादा नहीं है।

आचार्य धर्मदत्त वंद्य--

जिन्होंने पिछले वर्ष कर जमा कर दिया था, उसको क्या अगले लगान में काट दिया जायेगा और जिन पर बकाया है, उसको भविष्य में वसूल नहीं किया जायगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

1385 फसली से माफ किया है। उससे पहले का वसूल किया जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या यह विकास कर भूमि पतियों जिनको कुलक कहते हैं, उनको खुश करने के लिए माफ किया गया है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

यह बिलकुल गलत है।

लेखपाल संघ की मांगे एवं अनशन

*2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लेखपालों द्वारा अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर 1 नवम्बर, 1977 से लखनऊ में क्रमिक अनशन प्रारम्भ किया गया? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा प्रस्तुत 21 सूत्री मांग तथा कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 561–564 पर।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मांग-पत्र में जो मांग संख्या 5 है "आपातकालीन स्थिति में सेवा मुक्त तथा अनिवार्य सेवा निवृत्त लेखपालों की बहाली" इसके सम्बन्ध में शासन ने यह कार्यवाही की है "लेखपाल संघ ने 58 से लेखपालों की सूची प्रस्तुत की थी। इनके मामलों में आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश भेज दिये गये हैं।" इस संदर्भ में माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 58 लेखपालों को पुन: लेने के आदेश दिए गए हैं या जांच पड़ताल करने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश दिए गए हैं?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जो इस प्रकार से अनियमित रूप से निकाले गए थे उनको वापस लेने के आदेश दिए गए हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मांग संख्या 4 है, लेखपालों के दैनिक भत्ते में वृद्धि "और मांग संख्या 8 है" तहसील मुख्यालयों पर उपस्थित होने पर देय यात्रा भत्ते की दर में वृद्धि" इनका उत्तर माननीय मन्त्री ने दिया है – इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है", तो यह देखते हुए कि ये मांगें बड़ी न्यायसंगत हैं क्या सरकार बताएगी कि इन पर विचार की कार्यवाही कब तक पूरी हो जायगी और उनका भत्ता बढ़ा दिया जायगा?

श्री शारदा भक्त सिंह—

दर में कमी है, कितना किया जाय यह विचार हो रहा है। वित्त विभाग में गया है जैसे ही स्वीकृति आ जायगी तुरन्त दे दिया जायगा।

श्री रियासत हुसैन—

इमरजेन्सी के दौरान लेखपालों से नसबन्दी का ही काम लिया जाता था और उस दौरान उनके करेक्टर रोल में एडवर्स एन्टरीज इस सिलसिले में की गयी थी, तो उसे ध्यान में रखकर क्या उनको एक्सपंज करने की कृपा की जायगी?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, जो प्रविष्टि की गई हैं उनका आधार देखकर यदि नसबन्दी के सिलसिले में . . .

श्री अध्यक्ष--

उनका मतलब यह है कि आपातकाल में जिन लोगों ने नसबन्दी कार्यक्रम को पूरा नहीं किया, तो उस वक्त के बड़े अधिकारियों ने उनको विपरीत प्रविष्टि दी, जो द्वेषपूर्ण हैं, तो क्या आप उनको एक्सपंज करने पर विचार करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, जिस समय यह आशंका होगी कि इस तरह से प्रविष्टियां की गई हैं, तो उनको जरूर निरस्त किया जाएगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मांग संख्या 15 देखने की कृपा करें जिसमें मौलिक नियुक्ति के 3 साल बाद स्थायीकरण के बारे में कहा गया है। इसका उत्तर यह दिया गया है कि लेखपाल नियमावली के नियम 16 के अन्तर्गत केवल 2 वर्ष का परिवीक्षाकाल निर्धारित है, इसे आवश्यकतानुसार 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि 3 वर्ष में उन्हें स्थायी होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी जिलों से यह जानकरी करायेंगे कि कितने ऐसे लेखपाल मौजूद हैं जो तीन साल की सेवा कर चुके हैं और फिर भी स्थायी नहीं हुए ? क्या उनको तत्काल स्थायी करने के आदेश निर्गत करने की कृपा करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, जिनकी सेवा तीन साल से अधिक है और संतोषजनक कार्य रहा है उनको स्थायी करने की कार्यवाही की जाएगी।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, मांग संख्या 14 मैं पढ़ रहा हूं। अधिकारियों तथा मन्त्रियों के दौरे के समय अनधिकृत धन की वसूली की प्रथा का रोका जाना। इस सम्बन्ध में मन्त्री जी स्वयं जानते हैं, गैर सरकारी व्यक्ति रह चुके हैं। यह धन जो इकट्ठा होता है, उस सम्बन्ध में क्या हो रहा है ?

श्री शारदा भक्त सिंह --

मान्यवर, पिछली परम्परा ऐसी अवश्य रही है लेकिन जब से जनता सरकार ने शासन अपने हाथ में लिया है कड़ाई से आदेश दिए जा चके हैं कि इस परम्परा को खत्म किया जाय।

*3--4--श्री हरिकेवल प्रसाद--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

गोन्डा जिले के ग्राम लोनपुर डेहरास, बनकसिया के हरिजनों का कथित प्रदर्शन

*5--श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दिनाँक 10 सितम्बर, 1977 को गोन्डा जिले के अन्तर्गत ग्राम लोनपुर डेहरास, बनकसिया त्योरासी इत्यादि के भूमि हीन हरिजनों ने गोन्डा नगर की सड़कों पर प्रदर्शन किया और

जिलाधिकारी महोदय को उसी दिन एक ज्ञापन दिया। यदि हाँ, तो उस ज्ञापन की मुख्य-मुख्य माँगे क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ग्राम लोनपुर, डेहरास, बनकसिया, त्योरासी इत्यादि जिला गोन्डा के भूमिहीन हरिजनों ने गोन्डा नगर की सड़कों पर दिनाँक 10 सितम्बर, 1977 को कोई प्रदर्शन नहीं किया और न ही जिलाधिकारी, गोन्डा को उस दिन कोई ज्ञापन दिया।

प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि दिनांक 10 सितम्बर, 1977 को कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, तो क्या वे यह बतायेंगे कि यह प्रदर्शन किस दिन हुआ और किस दिन ज्ञापन दिया गया ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है। जो प्रश्न पूछा गया था, उसका जवाब दिया गया है।

वाराणसी जिले के ग्राम विजयपुर बिजौरा व चकचुइयां की भूमि का भेड़ पालन योजना द्वारा अधिग्रहण एवं मुआवजा और विस्थापितों को भूमि का आवंटन

*6—श्री ऊदल—

क्या माल मन्त्री बतान की कृपा करेंगे कि गाँव विजयपुर बिजौरा, चकचइयाँ जलजलवा तथा जरहर, तालुका नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी की कृषि भूमि आबादी पेड़ तथा कुयें, बंधिया आदि को वृहत भेड़ पालन योजना (पशुपालन विभाग) के अन्तर्गत ले लिया गया है और पशुपालन विभाग ने मुआवजे की पूरी रकम करीब पांच लाख रुपए माल विभाग, वाराणसी को सन् 1975-76 में ही जमा कर दिया है ? यदि हां, तो किसानों को मुआवजे की रकम को अब तक न बांटने का कारण क्या है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ग्राज विजयपुर विजौरा चकचुइयां, जलजलवा तथा जरहर तालु का नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी की समस्त कृषि भूमि, आबादी, पेड़ तथा कुयें, बंधिया आदि को वृहत भेड़ पालन योजना (पशुपालन विभाग) के अन्तर्गत ले लेने का प्रस्ताव था। पशुपालन विभाग ने वर्ष 1975-76 में मुआवजे की कोई रकम जमा नहीं की बल्कि दिनांक 31 मार्च, 1977 को 3.42 लाख रुपया पशुपालन विभाग से प्राप्त हुआ है। ग्राम विजयपुर बिजौरा व चकचुइयां की भूमि का कब्जा वर्ष 1977 के अन्त में मिला तथा मुआवजे की रकम कब्जा लेने के तीन माह के अन्दर फरवरी तथा मार्च, 1978 में भुगतान कर दी गयी। ग्राम जलजलवा तथा जरहीर की भूमि आबादी, पेड़ आदि पर अभी तक कब्जा नहीं लिया गया है तथा प्रतिकर के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

*7—श्री ऊदल—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 में गाँव विजयपुर, बिजौरा के किसानों को रबी की फसल बोने से रोक दिया गया है और जमीन के

बदले जो जमीन वन विभाग द्वारा दी गयी है उसका भी आवंटन टाइम पर किसानों को नहीं किया गया ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों और क्या यह सत्य है कि वन विभाग ने सन् 1976-77 में ही भूमि के बदले भूमि का ट्रान्सफर करने हेतु माल विभाग को जमीन दे दिया था ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

यह सही नहीं है। 20 अक्तूबर, 1977 को ही ग्राम विजयपुर बिजौरा के किसानों को उनकी सहमति के उनकी अर्जित भूमि के बराबर वन विभाग की भूमि ग्राम मझगवाँ में आवंटित कर दी गई थी जबकि उनकी भूमि पर कब्जा विभाग द्वारा वर्ष 1977 के अन्त में लिया गया। अधिकाँश विस्थापितों ने स्वत: अपनी पुरानी भूमि में रबी 1977-78 में फसल नहीं बोई बल्कि नई भूमि में तीसी आदि फसल बोई। वन विभाग की भूमि वर्ष 1976-77 में प्राप्त नहीं हुई थी बल्कि इसका सीमांकन उनके दिनाँक 15 अक्तूबर, 1977 तक किया गया।

श्री ऊदल—

क्या इस तरह के आदेश दे दिए गए हैं कि जो जमीन विस्थापितों को दी गई है उसका रेवेन्यु रिकार्ड तैयार कर दिया जाय और खसरा खतौनी तैयार कर उनके नाम चढ़ा दिया जाय ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, जो बदले में वन विभाग की भूमि दी गई है, वह उनके नाम अंकित कर दी गई है।

श्री ऊदल—

मान्यवर, जो जमीन मिली है, अभी मैं जल्दी ही वहाँ से आया हूं उसका खसरा खतौनी रेवेन्यु रिकार्ड तैयार नहीं किया गया है। बल्कि जमीन विस्थापितों को दे दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस तरह के आदेश माल विभाग के अधिकारियों को दे दिए गए हैं कि उन विस्थापितों के नाम खसरा खतौनी बना कर उस गांव में चढ़ा दी जाय ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, यह सूचना मुझे नहीं है। लेकिन अगर नहीं की गई है, तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी।

प्रोबेशन ऐक्ट में परिवर्तन की मांग

*8—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि सरकार प्रोबेशन ऐक्ट में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो वे परिवर्तन क्या हैं ?

हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

जी नहीं।

पडरौना तहसील के कतिपय ग्रामों में अग्नि काण्ड

*9—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि दिसम्बर, 1977 तथा जनवरी, फरवरी,

मार्च, 1978 में पड़रौना तहसील के अन्तर्गत ग्राम बेतवा, बाबूराम, खजुरिया (पोखरहा टोला) मिश्रौली, मनिकौरा, खरसाल, कोठिलवा विशुनपुरा, राम धाम आदि गाँवों में भयंकर अग्निकांड में गरीब ग्रामीणों का सर्वस्व स्वाहा हो गया तथा अग्नि पीड़ित दाने-दाने को मोहताज हैं जिनमें नब्बे प्रतिशत हरिजन व पिछड़ी जाति के हैं ? यदि हाँ, तो तत्काल आपात सहायता कोष से विशेष अनुदान दिलाया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

तहसील पड़रौना के किसी गाँव में दिसम्बर, 1977 में कोई अग्निकांड की घटना नहीं हुई। माह जनवरी, फरवरी व मार्च में अग्निकांड की घटनायें अवश्य हुई? अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को नियमानुसार तत्काल अहेतुक सहायता दी गई। कोई भी परिवार दाने-दाने का मोहताज नहीं है। प्रभावित परिवारों में हरिजन तथा पिछड़ी जाति के लोगों की संख्या 90 प्रतिशत नहीं है। किसी भी प्रभावित परिवार की स्थिति विशेष अनुदान देने योग्य नहीं पाई गयी है।

*10—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[28-4-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 39 द्वारा उत्तरित।]

*11—श्री जगन्नाथ सिंह—

[6-4-78 को वक्तव्य हो जाने के फलस्वरूप निरस्त।]

कार्यालय, सब-रजिस्ट्रार, बबेरू, बांदा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*12—श्री देवकुमार (जिला बाँदा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताएगी कि कार्यालय, सब-रजिस्ट्रार, बबेरू, जिला बांदा में अभिलेखों की रजिस्ट्री कराने में रजिस्ट्री की निर्धारित फीस के बराबर ही रिश्वत लिए जाने और न देने वाले को तंग किए जाने के सम्बन्ध में गुजैनी निवासी रामकृपाल के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 18 फरवरी, 1978 से 2 मार्च, 1978 के बीच शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

जी हाँ। उक्त कार्यालय में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराने के आदेश निरीक्षक, झांसी को दे दिए गए हैं। जिन्होंने जांच की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है।

बस्ती जिले के रतनसेन इण्टर कालेज को भूमि का आवंटन

*13—श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की तहसील बांसी तप्पा कोड़री के अन्तर्गत ग्राम गोनहाताल में कितनी भूमि जो सीलिंग द्वारा अतिरिक्त भूमि घोषित थी, रतनसेन डिग्री कालेज और रतनसेन इन्टर कालेज के नाम पट्टे पर आवंटित है ? क्या यह सत्य है कि उक्त आवंटित भूमि पर कालेजों का वास्तविक कब्जा नहीं है, बल्कि उस पर उक्त ग्राम के किसानों का काफी दिनों से कब्जा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी छान-बीन करा कर आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ग्राम गोहनाताल, तहसील बाँसी, जिला बस्ती में रतनसेन इण्टर कालेज, बाँसी को सीलिंग द्वारा अतिरिक्त घोषित दिनांक 10-4-17 विस्वाँसी भूमि आवंठित है। रतनसेन डिग्री कालेज को भूमि आवंटन नहीं किया गया।

आवंटित भूमि पर रतनसेन इन्टर कालेज का वास्तविक कब्जा है। अतः प्रश्न का क्षेप भाग नहीं उठता।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

मान्यवर, मैंने अपने प्रश्न में कहा था कि कालेज का कब्जा नहीं है बल्कि गाँव वालों का कब्जा है। यदि यह सही है, तो इसकी छानबीन कराने की कृपा करेंगे? क्या मन्त्री जी से मैं जान सकता हूं कि इसकी छानबीन किस अधिकारी ने की है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

भूमि पर कब्जा इन्टर कालेज को दिला दिया गया है। अगर उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो इन्टर कालेज उसकी चाराजोई करेगा?

श्री विश्वनाथ पाण्डेय—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैंने अपने प्रश्न से साफ लिखा था कि उस भूमि पर कालज का कब्जा नहीं है उस गाँव के लोगों का कब्जा है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी छानबीन करेगी? वही मैं पूछ रहा हूं कि यदि इसकी छानबीन हुई प्रश्न करने पर, तो किस अधिकारी ने छानबीन की जिसके आधार पर माननीय राजस्व मन्त्री कह रहे हैं कब्जा कालेज का है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

प्रश्न के उत्तर में कहा है कि इन्टर कालेज का कब्जा है। जिला अधिकारी की रिपोर्ट इस सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष—

आपका कहना यह है कि कालज का कब्जा नहीं है कुछ व्यक्तियों का है, कोई जाँच आप करायेंगे? यह जो सूचना आपने दी है, माननीय सदस्य का कहना है, यह सही नहीं है।

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय सदस्य की सूचना के आधार पर फिर इसकी जांच करा ली जायगी।

बांदा जिले के ग्राम नेढुवा में काटे गए महुआ के हरे पेड़

*14—श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बाँदा)—

क्या सरकार यह बताएगी कि बाँदा जिले के तहसील नरैनी के ग्राम नेढुवा में स्थानीय व्यक्ति श्री चन्द्रपाल पाँडे आदि द्वारा फरवरी, 1978 में हरे महुवे के पेड़ काटे गए हैं जिसकी शिकायत नेढुवा ग्राम प्रधान व प्रश्नकर्ता ने जिलाधिकारी, बाँदा व विकास खन्ड अधिकारी, नरैनी को फरवरी, 1978 व मार्च, 1978 में की थी? यदि हाँ, तो कितने हरे महुवे के पेड़ किस अधिकारी के आदेश से काटे गए तथा क्यों?

श्री शारदा भक्त सिंह—

श्री चन्द्र पाल पाण्डे आदि द्वारा फरवरी, 1978 में 13 महुवे के वृक्ष, जिसमें

2 वृक्ष सूखे, 5 अर्द्ध सूखे तथा 6 वृक्ष हरे थे किन्तु फल नहीं दे रहे थे, काटे गए जिसकी अनुमति उन्हें दिनांक 30 जनवरी, 1978 को उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 की धारा 5 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी (खन्ड विकास अधिकारी, गरैनी) द्वारा दी गयी। इस सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा ने खन्ड विकास अधिकारी, गरैनी से मौखिक रूप से शिकायत की थी तथा कोई लिखित शिकायत नहीं की थी।

एक शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रधान, ग्राम सभा नेढुवा द्वारा जिलाधिकारी, बांदा को इस सम्बन्ध में दिया गया था जिसकी जाँच की जा रही है।

श्री सुरेन्द्र पाल—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 की धारा 5 के अनुसार एक वृक्ष काटने पर दो वृक्ष लगाए जाने चाहिए, तो यह 13 वृक्ष काटने पर कितने पेड़ लगाए गए ? यदि नहीं लगाए गए, तो क्यों ?

श्री सारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, यह सूचना नहीं है कि वृक्ष लगाए गए कि नहीं क्योंकि यह नहीं पूछा था।

बस्ती जिले के कतिपय ग्रामों को फैजाबाद जिले में सम्मिलित करने का प्रस्ताव

*16—श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले के घाघरा नदी के कटान वाले गांवों को फैजाबाद जिले की सीमा में शामिल करने के लिए शासन में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उनका आधार क्या है और कौन-कौन से गांव बस्ती जिले की सीमा से फैजाबाद जिले की सीमा में शामिल होने को हैं ? क्या शासन के इस सम्बन्ध में 18 जून, 1966 में किसी प्रपत्र द्वारा कोई फार्मूला दिया था ? यदि हां, तो वह प्रपत्र क्या था ?

श्री सारदा भक्त सिंह—

जी हां।

नदियों की धाराओं के बदलने से जिलों की परिवर्तनशील सीमाओं को नदी के प्रभाव से दूर रखने, दण्ड और राजस्व न्यायालयों की अधिकारिता को स्थायी तौर से निश्चित करने तथा दक्ष प्रशासन एवं लोकहित सुनिश्चित करने हेतु बस्ती जिले के 44 ग्रामों (सूची संलग्न है) को फैजाबाद में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 4-9(1)/70(216), दिनांक 30 मार्च, 1978 द्वारा जो, उसी दिन के असाधारण गजट में प्रकाशित हुई एक माह के अन्दर आपत्तियां एवं सुझाव आमन्त्रित किए गए थे ?

दिनांक 18 जून, 1966 को शासनादेश संख्या 3841/आई0सी0-576-सी-1964 निर्गत किया गया था। इसमें नदी की धारा में परिवर्तन से भूमि निकलने और बढ़ने से जिलों व ग्रामों की सीमाओं तथा खातों के रकबों पर पड़ने वाले प्रभावों

से सम्बन्धित विधिक स्थिति स्पष्ट की गयी थी। इसमें उन जिलों जिनमें नदी की गहरी धारा सीमा बनाती है, के फौजदारी व अन्य अधिकार क्षेत्रों से सम्बन्धित वैधानिक स्थिति रेवेन्यू मैनुअल के पैरा 1631 व 1632 के आधार पर स्पष्ट की गयी थी कि गंगा अथवा घाघरा के दोनों ओर के जिलों में से यदि एक जिला आगरा प्रान्त का है और दूसरा अवध प्रान्त का तो फौजदारी अधिकार क्षेत्र की भांति अन्य मामलों में भी सम्बन्धित नदी की गहरी धारा ही दोनों जनपदों की सीमा बनायेगी। रेवेन्यू मैनुअल के पैरा 1631 में (प्रति संलग्न) उल्लिखित अन्य जनपदों में (उपरोक्त प्रकार के जनपदों को छोड़कर) फौजदारी मामलों का अधिकार क्षेत्र तो नदी की गहरी धारा के अनुसार परिवर्तनशील रहेगा परन्तु दीवानी व माल के अधिकार क्षेत्र नदी की धारा में परिवर्तन पर परिवर्तित नहीं होंगे जब तक इस सम्बन्ध में कोई शासकीय विज्ञप्ति न जारी की जावे।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 565–567 पर।)

*16—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

[दिनांक 14-4-78 को अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत उत्तरित]

तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर का निरीक्षण एवं पाई गई अनियमितताएं

*17—श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर) तथा डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15/16 सितम्बर, 1976 में राजस्व मन्त्री द्वारा तहसील घाटमपुर, जनपद कानपुर का निरीक्षण किया गया था? यदि हां, तो इस निरीक्षण में क्या अनियमितायें पायीं गयीं और किस-किस क्षेत्र के लेखपाल निलम्बित किए गए थे?

श्री शारदा भक्त सिंह—

दिनांक 15-16 सितम्बर, 1976 को भूतपूर्व राजस्व मन्त्री ने जनपद कानपुर की तहसील घाटमपुर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के समय निम्नलिखित अनियमितायें पायीं गयी थी—

1—ग्राम सभा भूमि का कुछ बड़े लोगों/सरकारी कर्मचारियों द्वारा अनुचित लाभ उठाकर दुरुपयोग किया जाना।

2—कुछ लोगों को अवैधानिक तरीके से ग्राम समाज की भूमि का पट्टा किया जाना।

3—आवंटित भूमि पर बड़े लोगों का कब्जा रहना व उनको बेदखल किया जाना।

4—अनाधिकार कब्जे वाल मामलों में तहसीलदार द्वारा गलत तरीके से कार्यवाही तथा बेदखली सम्बन्धी आदेशों का अमलदरामद न किया जाना।

5—दोषी पाए गए कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करना।

6—हरिजनों एवं भूमिहीनों को पट्टे न करके भूमि-धारकों को पट्टे किया जाना।

7—एस0 डी0 ओ0 मीतर गांव द्वारा भूमि आवंटन के समय समुचित जांच न कराना।

8—काफी पुरानी मिसलों का दाखिला न किया जाना।

9—लेखपाल श्री महावीर द्वारा किसी आधार के बगैर अपनी लड़की के तथा सेवा-आश्रम के नाम ग्राम समाज की भूमि पर नाम दर्ज करना।

10—तहसीलदार के न्यायालय में काफी संख्या में वाद निस्तारण के लिए शेष रहना।

11—लेखपाल द्वारा ग्राम मकरन्दपुर के खाता संख्या 38 में एकवा तथा नम्बर बढ़ा देना।

हाजीपुर कदीम, मकरन्दपुर, बरईगढ़, शाहपुर, समूही तथा लहुरीमऊ क्षेत्र के छः लेखपाल निलम्बित किए गए।

इसमें 15-16 सितम्बर लिखा है। दिनांक 14 सितम्बर, 1970 है।

श्री राम आसरे अग्निहोत्री—

मैं जानना चाहता हूं कि परगना अधिकारी, घाटमपुर ने मीतर गांव में पट्टों के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की और मकरन्दपुर में जो भूमि गलत इन्द्राज किए गए, उस सम्बध में क्या इन लेखपालों और परगना अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी जिससे दोष सिद्ध होता ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय, पूरी छानबीन की जा रही है और दोषी अधिकारियों को दण्ड दिया जायगा।

श्री राम आसरे अग्निहोत्री—

मैं जानना चाहता हूं कि यह कार्यवाही कब तक होगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

शीघ्र से शीघ्र इसको समाप्त किया जायगा।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या माननीय राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अनियमितताएं जो जांच के समय पायी गयीं, आपने सूची प्रस्तुत की है, मैं जानना चाहता हूं कि उन अनियमितताओं को दूर कर दिया गया या नहीं, कार्यवाही हुई या नहीं और अगर नहीं हुई है, तो माननीय मंत्री उस पर कब कार्यवाही करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय, जो भी निरीक्षण के समय अनियमितताएं सामने आई हैं उनको और विस्तृत तरीके से देखने के लिए राजस्व परिषद् के एक अधिकारी को भेजा गया था उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और कार्यवाही की जायगी।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस सबकी जांच कौन कर रहा है ? जिलाधिकारी कर रहे हैं या ए०डी० एम० कर रहे हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जिलाधिकारी द्वारा जांच हो रही है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो उच्च अधिकारियों ने कार्य नहीं किया तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी, छोटे कर्मचारियों को भी निलम्बित कर दिया ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

राजस्व परिषद् के अधिकारी ने जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट दे दी है जो भी दोषी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

सहायक बिक्रीकर अधिकारियों की बिक्री-कर अधिकारियों के पद पर प्रोन्नति एवं पिछड़ी जाति का आरक्षण

*18—श्री धर्मराज सिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि बिक्री-कर विभाग में बिक्री-कर अधिकारियों के 55 पदों पर प्रोन्नतियां इसी विभाग में कार्य कर रहे सहायक बिक्री-कर अधिकारियों के संवर्ग से की जा रही है ? यदि हां, तो क्या इसमें पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को उनके निर्धारित कोटे के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

59 सहायक बिक्रीकर अधिकारियों की बिक्री-कर अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति की गयी है । पदोन्नतियों पर विचार करते समय पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश का ध्यान रखा गया । पिछड़े वर्ग के सदस्य होने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्रों को प्राप्त किया जा रहा है जिनके आधार पर शेष रिक्त पदों पर तदर्थ पदोन्नतियां की जायंगी ।

आगरा मण्डल के संग्रह अमीनों को नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति एवं पिछड़ी जाति का आरक्षण

*19—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासकीय पत्र संख्या 15097(2) संग्रह-49/62 राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 15 दिसम्बर, 1978 (अमीनों को नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए) के अन्तर्गत आगरा जिन के किस-किस अभ्यर्थी की पत्रावली परिषद् के विचाराधीन है ? इनमें कितने और कौन-कौन पिछड़ी जाति के हैं ? इनकी नियुक्ति नायब तहसीलदार के पद पर पिछड़ी जाति के आरक्षण हेतु राजाज्ञा संख्या 3003/40/रा०एकी०-6-11-77, दिनांक 20 अगस्त, 1977 के आधार पर अब तक न करने के क्या-क्या कारण हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

राजस्व परिषद् के पत्र संख्या 15097/2/संग्रह-49/62, दिनांक 15 दिसम्बर,

1978 के अन्तर्गत निर्धारित योग्यता रखने वाले संग्रह अमीनों के नाम मांगे गए हैं। आगरा मण्डल से जो सूची राजस्व परिषद् को प्राप्त हुई उसमें से परिषद् के आदेशों के अन्तर्गत 10 जनवरी, 1978 तक 13 अमीनों को नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नत किया गया। प्रोन्नति में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 13 जनवरी, 1978 को जारी किया गया था। इसलिए उक्त प्रोन्नतियों के सम्बन्ध में पिछड़ी जाति को आरक्षण दिए जाने का कोई प्रश्न नहीं था। शासनादेश संख्या 3003/4/रा0एकी0 6-11-77 दिनांक 20 अगस्त, 1977 सीधी भर्ती से सम्बन्धित है। अतः ये आदेश प्रश्नगत मामले पर लागू नहीं होते।

नैनीताल के तराई भाभर क्षेत्र में मालगुजारी बन्दोबस्त की मांग

*20—श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के तराई भाभर क्षेत्र में पिछला भूमि बन्दोबस्त (लैण्ड सेटिलमेण्ट) किस सन् में हुआ था और भविष्य में बन्दोबस्त कब किया जायेगा तथा इस कार्य में विलम्ब होने का क्या कारण है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

प्रश्नगत क्षेत्र में पिछला बन्दोबस्त वर्ष 1920-21 में हुआ था। इस क्षेत्र में जमींदारी विनाश अधिनियम का प्रसार 1969 में हुआ है और इस अधिनियम में किए गए प्राविधान के अनुसार 20 वर्ष से पूर्व मालगुजारी बन्दोबस्त नहीं किया जा सकता।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री रियासत हुसैन—

प्रश्न 20 पर कोई प्रश्न ही नहीं पूछा गया और आप आये बड़ पर।

श्री अध्यक्ष—

आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए।

श्री रियासत हुसैन—

क्या यह देखते हुए कि नैनीताल जिले में आखिरी सेटिलमेण्ट 1920-21 में हुआ था और अब वहां की भूमि का नक्शा बिलकुल बदल गया है, तो क्या इसको देखते हुए आप कोई सेटिलमेण्ट करायेंगे जिससे लगान और कब्जे की दुरुस्ती हो सके।

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय, इस जिले के सम्बन्ध में सारी समस्याओं का समाधान हो जाये इसीलिए एक विशेष अधिकारी को भेजा जा रहा है। सारी परिस्थितियों को देखने के बाद जो आवश्यक कदम होंगे, उठाए जायेंगे।

श्री देव बहादुर सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि भाभर क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से लगान की वसूली इसलिए बन्द कर दी गयी है कि वहां पर सेटिलमेण्ट होने वाला है और इसलिए लोग डर रहे हैं कि कहीं उनसे सारा लगान इकट्ठा न वसूल किया जाय, तो क्या माननीय मन्त्री जी शीघ्र बन्दोबस्त करके लगान सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे?

श्री शारदा भक्त सिंह—

विशेष अधिकारी के जाने के बाद यदि आवश्यकता होगी, तो रिकार्ड आपसेबद करा लिया जायेगा।

नैनीताल के तराई भामर क्षेत्र में चकबन्दी

*21—श्री रामदत्त जोशी—

क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के तराई भामर क्षेत्र में चकबन्दी किए जाने के आदेश सरकार द्वारा जारी कर दिए जाने के बाद और किस कारण से स्थगित कर दिए गए ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जनपद नैनीताल के तराई भामर क्षेत्र की तहसील रामनगर के 84 ग्रामों में तथा तहसील बाजपुर के 127 ग्रामों में जनवरी, 1972 में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्रख्यापन कराकर चकबन्दी क्रियाएं प्रारम्भ की गयी थीं।

इन ग्रामों में खातों के बाहर वाली रिक्त भूमि पर बहुत बड़ी संख्या में अनधिकृत कब्जे होने के कारण तथा इनकी रिक्त भूमि उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 के अन्तर्गत ग्राम समाओं में निहित न होने के कारण दिसम्बर, 1972 में इन ग्रामों को जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करके चकबन्दी क्रियाओं से बाहर कर दिया गया।

*22—श्री शम्भू नाथ चौधरी तथा श्री अनवार अहमद चौधरी—

[8वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला निबन्धक, हमीरपुर के विरुद्ध साम्प्रदायिकता सम्बन्धी-शिकायती पत्र

*23—श्री देव कुमार—

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला प्रबन्धक, हमीरपुर के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र सहित श्री इकबाल अहमद, वरिष्ठ अनुमोदित अभ्यर्थी सिविल लाइन्स, बांदा ने फिरका-परस्ती और भ्रष्टाचार सम्बन्धी लिखित आरोप दिनांक 8 सितम्बर, 1977 ई0 व 12 अक्तूबर, 1977 को शासन को भेजे हैं ? यदि हां, तो आरोपों का विवरण क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केदारी नाथ त्रिपाठी—

प्रश्नकर्ता महोदय के पत्र दिनांक 8 सितम्बर, 1977 व 12 अक्तूबर, 1977 के साथ श्री इकबाल अहमद के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें जिला प्रबन्धक, हमीरपुर के विरुद्ध साम्प्रदायिकता एवं पक्षपात के कारण निबन्धन लिपिक के पद पर प्रार्थी की नियुक्ति न करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में जांच कराई गयी। जिला निबन्धक ने यह सूचित किया है कि जिले में चकबन्दी होने के कारण काम कम हो गया है और मौजूदा स्टाफ के अतिरिक्त अन्य लिपिक की आवश्यकता नहीं है। इस तरह कोई रिक्ति न होने के कारण श्री इकबाल अहमद को नियुक्त नहीं किया जा सका। फिर भी साम्प्रदायिकता के आरोप के सम्बन्ध में निबन्धन महानिरीक्षक से छानबीन करके जांच रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

नोट—तारांकित प्रश्न 21 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

आजमगढ़ जिले के ग्राम लखनौर के सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध शिकायतीपत्र

*24—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़, तहसील घोसी, ग्राम लखनौर के सहायक चकबन्दी अधिकारी नम्बर 12 मर्यादपुर के भ्रष्टाचार, अनियमितताओं के विरुद्ध दिनांक 23 मार्च, 1978 को वहां की लगभग 200 जनता के हस्ताक्षर से चकबन्दी आयुक्त, लखनऊ जिलाधीश, आजमगढ़, उप संचालक, चकबन्दी, आजमगढ़, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी घोसी, आजमगढ़ को आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर किन-किन अधिकारियों ने जांच किया, क्या-क्या अनियमितताएं पायी गयीं और सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां। क्षेत्रीय उप संचालक ने इस प्रार्थना-पत्र की जाँच सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, आजमगढ़ (घोसी) को सुपुर्द की थी। पर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ने अभी तक जांच नहीं की है। अब उप संचालक चकबन्दी, आजमगढ़ को स्वयं 15 दिन के अन्दर जांच करने के आदेश चकबन्दी आयुक्त ने दे दिए हैं।

सम्बन्धित सहायक चकबन्दी अधिकारी का स्थानान्तरण आजमगढ़ के अन्तिम अभिलेख कार्यालय को कर दिया गया है।

मैनपुरी के गांव खेरिया शिकमी गोहाना की भूमि प्रबन्ध समिति का भूमि आवंटन सम्बन्धी प्रस्ताव

*25—श्री जसवीर सिंह (जिला एटा)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के तहसील जसराना के गांव खेरिया शिकमी गोहाना में भूमि प्रबन्धक समिति ने दिनांक 26 जून, 1970 को सीरदारी पट्टे आवंटन हेतु प्रस्ताव पास किये और दिनांक 5 अक्तूबर, 1970 को परगनाधिकारी, जसराना के द्वारा स्वीकृति उक्त पट्टों की, की गयी और आदेश दिनांक 13 अप्रैल, 1973 के बावजूद भी अब तक पट्टे आवंटित नहीं किए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों और इसमें विलम्ब करने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां, लखनऊ के स्टेनोग्राफर श्री कृपाशंकर पाण्डे की ट्रेन से कटकर मृत्यु एवं दी गयी सहायता

*26—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश लखनऊ के स्टेनोग्राफर की काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन से लालकुआं (नैनीताल) के समीप 7 मार्च, 1978 को ट्रेन से कट कर मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो मृतक के परिवार को तत्काल क्या सहायता दी गयी ?

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

जी हां।

स्वर्गीय श्रीकृपा शंकर पाण्डे, स्टेनोग्राफर के परिवार को तत्काल सहायता के रूप में रु0 500 के अनुमन्य अग्रिम को दिए जाने का प्रस्ताव किया गया परन्तु उनके परिवार के सदस्य उसको लेने के इच्छुक नहीं हैं। अतः यह सुविधा नहीं प्रदान की गयी।

इसके अतिरिक्त उनके परिवार को निम्न प्रकार की आर्थिक सहायता दिए जाने की कार्यवाही की जा चुकी थे :—

(1) ग्रुप इंश्योरेन्स स्कीम की रु0 12,000 की धनराशि के भुगतान हेतु जीवन बीमा निगम, लखनऊ को लिखा जा चुका है।

(2) फेमिली पेंशन सम्बन्धी पत्रादि पूर्ण करा कर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेज दिया गया है।

श्री बन्सी लाल लिपिक, कलेक्ट्रेट मुरादाबाद के निलम्बन काल का वेतन और उनका पुनः निलम्बन

*27—श्री कबूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री बंशी लाल, लिपिक, कलेक्ट्रेट, मुरादाबाद की रिट याचिका 1969/1972 के अनुसार जिलाधिकारी ने अपने आदेशानुसार 3 मई, 1975 को सेवा में पुनः बहाल कर दिया था जिसके अन्तर्गत इन्हें निलम्बन तिथि से बहाली तिथि तक नियमानुसार वेतन का पूरा भुगतान कर दिया गया है। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

श्री बंशी लाल, लिपिक, कलेक्ट्रेट, मुरादाबाद को 3 मई, 1975 से सेवा में पुनः स्थापित कर दिया गया। निलम्बन की तिथि से बहाली की तिथि तक के वेतन के भुगतान का प्रश्न विचाराधीन है।

*28—श्री कबूल सिंह—

क्या सरकार यह भी कृपया बताएगी कि उक्त लिपिक की बहाली के बाद रूल 49-ए(4)सी0सी0ए0 के तहत दोबारा निलम्बित किया गया ? यदि हां, तो क्यों और कैसे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां। उच्च न्यायालय द्वारा श्री बंशी लाल की रिट याचिका स्वीकार किए जाने का मुख्य कारण यह था कि अपचारी कर्मचारी को दण्ड के बारे में जाँच अधिकारी की संस्तुति नहीं दी गयी थी। उच्च न्यायालय के आदेश में श्री बंशी लाल के विरुद्ध आरोपों के गुण-दोष गुण के विषय में कोई निर्णय नहीं था। क्योंकि उनके विरुद्ध गम्भीर आरोप थे, जिसके सिद्ध हो जाने पर उनको सेवा से पदच्युत, सेवा से पृथक अथवा पदावनत किया जा सकता था, इसलिए उन्हें जिलाधिकारी द्वारा सी0सी0ए0 रूल के नियम 49-ए(4) के अधीन निलम्बित किया गया ताकि उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही विधिवत् पूरी की जा सके।

संग्रह अमीनों का यात्रा भत्ता एवं लेखन सामग्री भत्ता

*29—श्री धर्मगज सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रदेश के राजस्व विभाग के कार्यरत संग्रह अमीनों को नियत भत्ता 40 प्रतिशत प्रवर श्रेणी (सेलेक्शन ग्रेड) तथा लेखन सामग्री का भत्ता बहुधा नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो सरकार इसको दूर करने के लिए कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

वर्तमान शासनादेशों के अन्तर्गत केवल उन संग्रह अमीनों को जिन्हें अपने हल्के में रेल से यात्रा करना पड़ता है नियत यात्रा भत्ता मिलता है । स्थाई अमीनों में से 10% को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया है । सभी अमीनों को लेखन सामग्री भत्ता अनुमन्य है । प्रश्न के शेष भाग का उत्तर देने का प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद जिले की तहसील करछना के अन्तर्गत लगान वसूली के सम्बन्ध में बन्द किए गए किसान एवं कुर्की वारन्ट

*30—श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि तहसील करछना, जिला इलाहाबाद में फरवरी–मार्च, 1978 के महीने में लगान वसूली में कितने काश्तकार बन्द हुए और कितनों का कुर्की वारन्ट हुआ ? क्या यह सही है कि छोटे काश्तकार भी बन्द किए गए और बड़े काश्तकार न तो बन्द किए गए न उनका उत्पीड़न हुआ ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

तहसील करछना, जिला इलाहाबाद में फरवरी–मार्च, 1978 के महीने में लगान की वसूली के सम्बन्ध में 37 काश्तकार बन्द किए गए तथा 2 काश्तकारों के विरुद्ध कुर्की वारन्ट जारी हुआ । यह सही नहीं है कि लगान की वसूली के सिलसिले में छोटे काश्तकार ही बन्द किए गये और बड़े काश्तकार न तो बन्द किए गए और न वसूली में उनका उत्पीड़न ही हुआ ।

बलिया जिले में बिहार से संक्रमित ग्रामों का भूमि सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं का कार्य

*31—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि वर्ष 1977–78 तथा इसके पूर्व बलिया जनपद में बिहार राज्य से आए हुए राजस्व गांवों में भूमि सर्वेक्षण का कार्य मूल राजस्व अभिलेखों के अभाव में भी किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और अभिलेखों के अभाव में किसानों को स्वत्व और अधिकार देने के लिए ऐसे गांवों में कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

बलिया जिले में बिहार से संक्रमित ग्रामों के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें यथाविधि मान्यता देते हुए उक्त ग्रामों में भूमि सर्वेक्षण का कार्य वर्ष 1977–78 तथा इसके पूर्व से किया जा रहा है । जिन ग्रामों के अभिलेख बिहार सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं वहां

भू-मापन एवं अभिलेख क्रियाओं के कार्य को शिथिल कर देने के आदेश भेजे गए हैं। स्वत्व और अधिकार देने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाय, इस पर न्याय विभाग से परामर्श किया गया है।

*32—श्री मन्नू राम—

[दिनांक 28 अप्रैल, 1978 को तारांकित प्रश्न संख्या 11 द्वारा उत्तरित।]

लखनऊ कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*33—श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि शासन द्वारा समय-समय पर ऐसे आदेश प्रसारित किए जाते रहे हैं कि तीन वर्ष से अधिक समय से चले आ रहे अस्थायी पदों को स्थायी किया जाय? अतः मन्त्री जी कृपया बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ कलेक्ट्रेट में ऐसे कौन-कौन से कर्मचारी हैं जो तीन वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत हैं और उनका स्थायीकरण नहीं किया गया है? यदि नहीं किया गया है, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और शासन उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां। लखनऊ कलेक्ट्रेट के ऐसे कर्मचारियों की सूची जो तीन वर्ष की अधिक अवधि से कार्यरत हैं परन्तु अब भी अस्थायी हैं, संलग्न है। वे स्थायी इसलिए नहीं किए जा सके कि इन कर्मचारियों में 63 तदर्थ आधार पर नियुक्त थे। उनकी नियुक्तियां नियमित करने की कार्यवाही की जा रही है। जिन पदों पर वह काम कर रहे हैं उन्हें भी स्थायी करने की कार्यवाही की जा रही है। जब पद स्थायी हो जायेंगे और उन पर काम करने वालों की तदर्थ नियुक्ति नियमित हो जायगी तब कर्मचारियों के स्थायीकरण पर विचार किया जायगा। तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय अभी पिछले माह में ही शासन द्वारा लिया गया है और जब तक नियुक्ति नियमित न हो जाय स्थायी करना नियमानुकूल नहीं है। इसलिए इसमें किसी कर्मचारी का दोष नहीं है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 568–569 पर।)

*34—श्री पूरन चन्द्र तथा श्री शिवानन्द नौटियाल—

[8वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

इलाहाबाद जिले के रामपुर (रूदापुर) को आबादी दर्ज किए जाने की मांग

*35—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद) श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी) तथा श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के ग्राम रामपुर उर्फ रूदापुर, तहसील फूलपुर, परगना झूसी में आराजी नं0 40 मौके पर आबादी है परन्तु सरकारी कागजात में आबादी दर्ज नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार मौके की स्थिति को देखते हुए बताने की कृपा करेगी कि इस नम्बर का कुल रकबा कितना है और इसमें कुल कितने घर आबाद हैं तथा आबादी दर्ज कराने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जनपद इलाहाबाद के ग्राम रामपुर उर्फ रूदापुर, परगना झूंसी, तहसील फूलपुर में आराजी नम्बर 40 में मौके पर आबादी है। इस आराजी का क्षेत्रफल आठ बीघा ग्यारह बिस्वा है और इस पर 27 घर आबाद हैं। इस पर कुछ पेड़ भी हैं। खसरा के स्तम्भ 18 व 19 में आबादी/बाग अंकित हैं। खतौनी में यह आराजी श्री रुद्र प्रताप सिंह आदि खातेदारान के नाम भूमिधरी अंकित है। जिसमें से आधा क्षेत्रफल सीलिंग की कार्यवाही में अतिरिक्त भूमि घोषित कर दी गयी है। इसको आबादी दर्ज कराने के लिए श्री राम अधार आदि ने एक वाद परगनाधिकारी, फूलपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। पहले यह ग्राम चकबन्दी क्रियाओं के अधीन था जिसमें गलत इन्द्राज की दुरुस्ती हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

*36--श्री कल्पनाथ सिंह--

[10वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 71 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बहराइच जिले के ग्राम जिले के अवैधानिक पट्टों के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में चकबन्दी अधिकारी इकौना की रिपोर्ट

*37--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या शासन को यह जानकारी है कि अतिरिक्त कलेक्टर, बहराइच ने मार्च, 1978 में वाद संख्या 13/302/81/10 व वाद संख्या 604 अन्तर्गत धारा 198 जिला विकास अधिकारी के अधीन अवैधानिक पट्टों को निरस्तीकरण के लिए चकबन्दी अधिकारी, इकौना की रिपोर्ट के आधार पर मंडलीय आयुक्त को सन्दर्भित करने का आदेश किया है? यदि हां, तो चकबन्दी अधिकारी की रिपोर्ट क्या है और मण्डलीय आयुक्त को कब सन्दर्भित किया गया ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

चकबन्दी अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश जमींन्दारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 के अन्तर्गत कार्यवाही से सम्बन्धित वाद संख्या 13/302/81/10 व वाद संख्या 604 अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा आयुक्त, फैजाबाद को सन्दर्भित किया गया है। चकबन्दी अधिकारी की रिपोर्ट संलग्न है। यह वाद मण्डलीय आयुक्त को 28 अप्रैल, 1978 को सन्दर्भित किया गया।

(देखिए परिशिष्ट 'घ' आगे पृष्ठ 570-573 पर।)

गोण्डा और बहराइच जिलों के ए०सी०ओ० का निलम्बन एवं निलम्बन भत्ता

*38---श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा और बहराइच जिलों में कितने ए0सी0ओ0 1 जनवरी, 1977 से मार्च, 1978 तक निलम्बित किए गए? उनमें से कितने निलम्बित कर्मचारियों को निलम्बन जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है, कितनों को नहीं और क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

1 जनवरी, 1977 से मार्च, 1978 तक की अवधि में जनपद गोण्डा और बहराइच के कुल चार ए0सी0ओ0 को निलम्बित किया गया था, इन सभी निलम्बित कर्मचारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है ।

आगरा के मोटर कार एवं मोटर साइकिल के व्यापारी मेसर्स राम चन्द्र बृजनाथ लाल के ऊपर बकाया बिक्री-कर

*39--श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)--

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरे की गैस, मोटर कार एवं मोटर साइकिल के प्रमुख व्यवसायी, मेसर्स रामचन्द्र बृजनाथ लाल के ऊपर कितने वर्षों का बिक्री-कर एवं कितनी धनराशि के रूप में बकाया है ? यदि हां, तो उसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? नहीं, तो क्यों ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

उल्लिखित व्यवसायी के ऊपर पांच वर्षों का रुपया छः लाख पचहत्तर हजार दो सौ तिरान्नबे (6,75,293 रु0) बिक्री-कर बकाया है जिसकी वसूली अतिरिक्त न्यायाधीश (पुनरीक्षण) बिक्री-कर, आगरा के आदेशों द्वारा स्थगित है ।

गोपालपुर फार्म, जिला मिर्जापुर पर सीलिंग की कार्यवाही

*40--श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि गोपालपुर फार्म, जिला मिर्जापुर में साढ़े चार हजार एकड़ से अधिक भूमि निहित है जिसके सौ से भी अधिक खातेदार हैं ? क्या यह सही है कि अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम 1974 के लागू होने पर उक्त गोपालपुर फार्म की जोत भूमि के परीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि यह कुल भूमि केवल दो खातेदार की है तथा शेष खातेदार बेनामी हैं ? यदि हाँ, तो इन दो वास्तविक खातेदारों के विरुद्ध धोखाधड़ी तथा अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत 28 फरवरी, 1978 तक क्या-क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मिर्जापुर जिले के ग्राम बैदोली तथा गोपालपुर में क्रमशः 1080 बीघा 6 बिस्वा तथा 6174 बीघा 2 बिस्वा और 15 धुर योग 7254 बीघा 8 बिस्वा 15 धुर अर्थात् 4534 एकड़ (लगभग) भूमि 107 खातेदारों के नाम संयुक्त रूप में वर्तमान खतौनी में अंकित है । इन खातों में अंकित जोत ही गोपालपुर फर्म के नाम से विख्यात है । उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 के लागू होने पर गोपाल पुर फार्म की जोत-भूमि के परीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि यह कुल भूमि केवल दो खातेदारों--सर्वश्री करुणा पति त्रिपाठी व लोक पति त्रिपाठी, निवासी मुहल्ला औरंगाबाद, शहर वाराणसी की है, जिन पर सीलिंग अधिनियम की धारा 10(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी । शेष खातेदार बेनामी हैं । वादों में नियत प्राधिकारी के न्यायालय में वाद बिन्दु श्री ए गए जिसका निर्णय 28 जून, 1977 को कर दिया गया । दिनाँक 30 जुलाई, 1977

विपक्षीगण को सबूत प्रस्तुत करने के लिए नियत की गयी किन्तु प्रारम्भिक वाद बिन्दु के निर्णय के बाद खातेदारों द्वारा न्यायालय में अपील दायर कर दी गयी जिसके परिणामस्वरूप नियत प्राधिकारी/परगनाधिकारी के न्यायालय में चल रहे दोनों वादों की कार्यवाही ज़िला जज के आदेश दिनाँक 27 जुलाई, 1977 से स्थगित हो गयी थी जिसका निर्णय 28 फरवरी, 1978 तक नहीं हुआ किन्तु जिला जज के आदेश दिनाँक 27 अप्रैल, 1978 द्वारा दोनो वाद रिमाण्ड कर दिए गए हैं।

मैनपुरी कोषागार के लिपिक के स्थायीकरण के विरुद्ध प्रत्यावेदन

*41—श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग के शासनादेश सं0 एस-5050/दस-289/1949, दिनाँक 5 जनवरी, 1963 में दिए गए निदेशों के विपरीत राजस्व परिषद् के आदेश सं0 13958/12-319-ए-72, दिनाँक 23 मई, 1975 के द्वारा कोषागार कार्यालय, मैनपुरी में लिपिक के पद पर एक कर्मचारी को दिनाँक 1 अप्रैल, 1964 से स्थायी कर दिया गया ? यदि हाँ, तो क्या राजस्व परिषद् के उपरोक्त आदेश के विरुद्ध कोई प्रत्यावेदन अप्रैल, मई, 1976 में राजस्व परिषद् तथा शासन को दिया गया है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मधुकर दिघे—

राजस्व परिषद् के आदेश दिनाँक 23 मई, 1975 के द्वारा मैनपुरी कोषागार में एक कर्मचारी को लिपिक के पद पर दिनाँक 1 अप्रैल, 1964 से स्थायी कर दिया गया है। इस आदेश के विरुद्ध कोषागार निदेशालय के कुछ लिपिकों ने अप्रैल/मई, 1976 में प्रत्यावेदन दिए हैं जिन पर निर्णय ले लिया गया है कि सम्बन्धित लिपिक स्थायीकरण की उक्त तिथि के आधार पर वरिष्ठ नहीं माने जायेंगे।

*42—श्री राम दत्त जोशी—

[6ठे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*43—श्री लाल दास तथा श्री कौशल किशोर—

[8वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्रीमती गोमती की भूमि का जिला बरेली के ग्राम चन्दुआ चमरौआ तथा रिछौला ताराचन्द के भूमिहीनों को आवंटन

*44—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

दिनाँक 7 अप्रैल, 1978 के प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती गोमती की भूमि को एक ग्राम (रिछौला ताराचन्द) में भूमि हीनों में बाँट दिया गया और उसी अधिकारी द्वारा दूसरे ग्राम (चन्दुआ चमरौआ) में श्रीमती गोमती का वारिस बनाकर श्री हरिद्वारी लाल गंगवार को दे दिया गया है तो यह एक ही व्यक्ति की जायदाद के बारे में दो प्रकार के आदेश होने का आधार क्या है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

दिनाँक 7 अप्रैल, 1978 के प्रश्नकर्ता के ताराँकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के सन्दर्भ में यह स्पष्ट करना है कि ग्राम चन्दुआ चमरौआ तथा रिछौला ताराचन्द दोनों ग्रामों में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत श्रीमती गोमती मृतक को लावारिस मानकर उनके खाते की भूमि को ग्राम सभा के नाम दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। ग्राम चन्दुआ चमरौआ का आदेश वाद संख्या 1/392 फैसला दिनाँक 23 फरवरी, 1976 तथा रिछौला ताराचन्द के आदेश वाद संख्या-2/390 फैसला 19 अप्रैल, 1976 में पारित किया गया था। दोनों ग्रामों की भूमि के बारे में परगनाधिकारी द्वारा समान आदेश दिए गए थे। बाद में ग्राम चन्दुआ चमरौआ की भूमि के बारे में डा0 हरिद्वारी लाल गंगवार ने ग्राम सभा के विरुद्ध धारा 229 बी में घोषणात्मक वाद संख्या 3 दायर कर दिया जिसमें परगनाधिकारी के आदेश दिनाँक 31 जनवरी, 1978 द्वारा डा0 हरिद्वारी लाल गंगवार को भूमिधर घोषित किया गया। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि ग्राम सभा के नाम दर्ज होने के बाद न्यायिक कार्यवाही द्वारा डा0 हरिद्वारी लाल की भूमिधरी घोषित हुई है।

इलाहाबाद जिले के ग्राम शाहपुर, मुबारकपुर व भवनसुरी में सीलिंग की कार्यवाही

*45—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर, के ग्राम शाहपुर, मुबारकपुर, भवनसुरी में हदबन्दी से कितनी भूमि बची है? क्या उक्त बची भूमि पर लोगों ने कब्जा कर लिया है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है तथा कब्जा हटाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? क्या उक्त प्रकार की रपट जिला अधिकारी, इलाहाबाद के माध्यम से 13, 14 फरवरी, 1978 को नियुक्ति विभाग एवं राजस्व विभाग में आ गई है?

श्री शारदा भक्त सिंह--

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत अभी कोई अतिरिक्त भूमि प्रश्नगत ग्रामों में उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसी अतिरिक्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा अनाधिकार कब्जा करने या सरकार द्वारा कब्जा हटाने का प्रश्न नहीं उठता है।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, इलाहाबाद को कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन पर जाँच की गयी। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जिलाधिकारी, इलाहाबाद की दिनाँक 12 फरवरी, 1978 की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट के आधार पर खातेदार प्रद्युम्न नारायण सिंह उनके पुत्रगण सर्वश्री भुपेन्द्र सिंह, रूपेन्द्र सिंह एवं सतेन्द्र सिंह तथा उनके नौकर श्री बाबू लाल के विरुद्ध सीलिंग की कार्यवाही न करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध जाँच करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेखपाल/पर्यवेक्षक कानूनगो के विरुद्ध जिलास्तर पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। सभी खातेदारों के विरुद्ध सीलिंग की कार्यवाही आरम्भ हो गयी है।

*46--श्री राम दत्त जोशी--

[छठे शुक्रवार में ताराँकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

उतरौला, जिला गोण्डा में तहसील भवन का निर्माण

*47—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोण्डा)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उतरौला, जिला गोण्डा में तहसील भवन निर्माण के लिए कितना धन स्वीकृत हुआ तथा अभी तक भवन निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ तथा विलम्ब के कारण सरकार को निर्माण कार्य में कितनी अधिक धनराशि वहन करना पड़ी ? इसके लिए कौन-कौन उत्तरदायी हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

प्रश्नगत तहसील के एक मंजिला नए भवन के निर्माण के लिए नवम्बर, 1973 में 9,99,000 रु0 की धनराशि स्वीकृत की गयी किन्तु प्रदेश की विषम आर्थिक स्थिति के कारण वर्ष 1974 में शासकीय निर्णय के अनुसार नान-फंक्शनल भवनों के निर्माण कार्य रोक दिए गए। वर्ष 1976–77 में इस पर कार्य आरम्भ हुआ और 1977–78 के अन्त तक 1.794 लाख रु0 व्यय किए जा चुके हैं। 1976 में शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सभी कार्यालय भवन तीन मंजिल बनाने के आदेश किए गए किन्तु प्रश्नगत तहसील कार्यालय भवन एक मंजिला अधिक सुविधाजनक होने के कारण अब एक मंजिला भवन बनाने के आदेश जनवरी, 1978 में दे दिए गए हैं।

इस प्रकार निर्माण कार्य में विलम्ब के लिए कोई दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति हेतु शासन को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*48—श्री मित्रसेन—

[8वें मंगलवार में ताराँकित प्रश्न संख्या 64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*49—श्री इन्द्रमणी बड़ौनी—

[दिनाँक 6 अप्रैल, 1978 को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त।]

टिहरी गढ़वाल जिले मे भूस्खलन से कतिपय ग्रामों को क्षति एवं पुनर्वासन की व्यवस्था

*50—श्री इन्द्रमणी बड़ौनी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि टिहरी गढ़वाल में ऐसे अनेकों ग्राम हैं जो पहाड़ों के टूटने, धंसने तथा अति वर्षा के कारण प्रायः नष्ट हो गए हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उन ग्रामों के लोगों की अन्य कहीं बसाने के लिए कोई उपाय कर रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

टिहरी गढ़वाल जिले में ऐसे कोई गाँव नहीं हैं जो पहाड़ों के टूटने, धंसने तथा अति वर्षा के कारण प्रायः नष्ट हो गए हों। एक गाँव घिगुड़ में भूस्खलन से तीन मकानों के क्षति-ग्रस्त होने तथा 250 एकड़ भूमि के प्रभावित होने की सूचना है। अन्य 6 गाँव सिरवाड़ी, चमन्धी, उखोला, सुमार्थ, बडियारकुड़ा तथा ग्राम इन्द्रौला भी ऐसे हैं जहाँ वर्षा काल में भूस्खलन से खतरे की आशंका रहती है अतः इन गाँवों के लोगों के पुनर्वासन के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सरकारी कर्मचारियों के जी०पी०एफ० की पासबुक प्रणाली एवं पासबुक का वितरण

*51—श्री राव मुश्ताक अहमद खां (जिला सहारनपुर)—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों द्वारा जमा की गयी जी0 पी0 एफ0 की धनराशि का विवरण तैयार करके उसको पास-बुकों में इन्दराज करके सम्बन्धित कर्मचारियों को पास-बुक देने का निर्णय सितम्बर, 1975 में लिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मधुकर दिघे—

सितम्बर, 1975 में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था। नवम्बर, 1975 में केवल चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में भविष्य निर्वाह निधि में जमा की गयी धनराशि के रखरखाव के लिए पास-बुक प्रणाली लागू किए जाने का निर्णय लिया गया था और इस विषय में आवश्यक आदेश 16 दिसम्बर, 1975 को जारी किए गए थे। अब दिनांक 1 अप्रैल, 1978 से ऐसे सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में जिनके वेतनमान का उच्चतम रु0 1,200 से अधिक नहीं है तथा सचिवालय सेवा के समस्त अधिकारियों के सम्बन्ध में भी पास-बुक प्रणाली वर्तमान सरकार द्वारा लागू कर दी गयी है और इस विषय में आवश्यक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर, 1977 को निर्गत कर दिए गए हैं।

*52—श्री राव मुश्ताक अहमद खां—

क्या सरकार बताएगी कि क्या पास-बुक कर्मचारियों को वितरित कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो इस देरी के लिए कौन अधिकारी या कर्मचारी जिम्मेदार हैं ?

श्री मधुकर दिघे—

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि के रख-रखाव के सम्बन्ध में लगभग 3 लाख पास-बुकें छपवा कर वितरण हेतु विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को भेजी जा चुकी हैं। अन्य सरकारी सेवकों के भविष्य निर्वाह-निधि के रख-रखाव के सम्बन्ध में महालेखाकार के परामर्श से नई प्रकार की पासबुकें छपाई जा रही हैं जो शीघ्र ही वितरित की जायेंगी।

विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता।

*53—श्री भगवान दीन कुशवाहा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

गोरखपुर में बाढ़ एवं तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में गेहूं का आवंटन

*54—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के समस्त तहसीलों के बाढ़, सूखा, ओलाग्रस्त क्षेत्र के गरीबों को मुफ्त गेहूं बांटने हेतु तहसीलदार द्वारा की गयी मांग पर माह मार्च, 1978 में पांच हजार क्विंटल गेहूं एलाट किया गया था ? क्या यह सत्य है कि उक्त एलाटमेंट निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो निरस्त करने का क्या कारण था ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जनपद गोरखपुर को मार्च, 1978 में बाढ़/तूफान से प्रभावित व्यक्तियों को अहेतुक सहायता के रूप में निःशुल्क वितरण हेतु 1050 मीट्रिक टन गेहूं आवंटित किया गया था। उक्त आवंटन आदेश निरस्त नहीं किया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

*55—श्री देव कुमार —

[6ठें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

कोषागार, ललितपुर के कोषाधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*56—श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कोषागार, ललितपुर के कर्मचारियों ने कोषाधिकारी, श्री गजोधर प्रसाद को पक्षपातपूर्ण नीति, कर्मचारियों के शोषण, तानाशाही एवं दुर्व्यवहार की लिखित शिकायत दिनांक 26 सितम्बर, 1977 जिलाधिकारी और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् उत्तर प्रदेश, जनपद शाखा ललितपुर ने दिनांक 11 अक्तूबर, 1977 को वित्त मन्त्री को भेजी है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री मधुकर दिघे—

जी हां।

पत्र में उल्लेख की गयी शिकायतों पर जिला अधिकारी, ललितपुर से जांच कराई गई है और उस पर विचार करके आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

बचत योजना को प्रोत्साहन देने हेतु कथित पुरस्कार योजना

*57—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया), श्री हरिकेवल प्रसाद तथा श्री राम नरेश पाण्डेय—

क्या वित्त मन्त्री बतायेंगे कि बचत योजना को प्रोत्साहन देने के लिए शासन ने वर्ष 1974–75 में कोई पुरस्कार योजना आरम्भ की थी जिसमें जिलाधिकारी से लेकर सरकारी व गैर-सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाना था? यदि हाँ, तो क्या उक्त योजना इस समय तक चालू है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मधुकर दिघे—

जी नहीं।

1974–75 में कोई नई योजना चालू नहीं की गयी। पुरानी चल रही योजनाओं में दिसम्बर, 1975 में केवल कुछ परिवर्तन किए गए थे।

दिसम्बर, 1975 वाली परिवर्तित योजना ही अभी चल रही है।

बाबा राम अमृतदास इण्टर कालेज, जोगिया पाली जिला गोरखपुर में हरिजन छात्रों की छात्रावृत्ति सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*58—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाबा राम अमृतदास इण्टर कालेज, जोगिया पाली, जिला गोरखपुर में हरिजन छात्र की छात्रवृत्ति 1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 के न देने की शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक तथा हरिजन समाज कल्याण

अधिकारी को अक्तूबर, 1975 तथा अक्तूबर, 1976 में प्राप्त हुई ? यदि हाँ, तो अब तक प्रधानाचार्य तथा प्रबन्धक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती चन्द्रावती--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम बैरी महिपालपुर, जिला कानपुर के हरिजनों के मकान निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

*59--श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, 1972 में विमुक्त जाति पुनर्वास योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा ग्राम बैरी महिपालपुर, जिला कानपुर के 19 हरिजन परिवारों के मकान बनाने हेतु 95 हजार रुपया स्वीकृत किया था ? यदि हाँ, तो क्या मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में 10 मार्च, 1978 को उपर्युक्त ग्राम के 21 हरिजनों ने मुख्य मन्त्री से भेंट करके कोई ज्ञापन दिया है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती चन्द्रावती--

जी हाँ। ग्राम बैरी महिपालपुर, जिला कानपुर के 19 हरिजन परिवारों के मकान बनाने हेतु 38,000 रु0 मार्च, 1973 में स्वीकृत किया गया था।

मकानों का निर्माण अभी नहीं हो पाया है क्योंकि इस हेतु 2,000 रु0 प्रति मकान की दर से जो धनराशि स्वीकृत की गयी थी वह मकान बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। शासन द्वारा अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी को श्री राम चरन गिहार तथा अन्य 21 व्यक्तियों का एक आवेदन-पत्र दिनाँक 10 मार्च, 1978 को प्राप्त हुआ था। इस पर विचार किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न

फैजाबाद जिले के विकास खण्ड खण्डासा व अमानीगंज के सूखाग्रस्त गांवों को दी गयी सहायता

1--श्री मित्रसेन--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र खंडासा, अमानीगंज, जनपद फैजाबाद के वर्ष 1977 में कितने गाँव सूखा-ग्रस्त माने गये और क्या उन्हीं गाँव में कोई राहत कार्य, खाद्य-बीज का वितरण किया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

वर्ष 1977 में फैजाबाद जिले के विकास खण्ड खण्डासा, अमानीगंज में कुल 109 गाँव सूखे से प्रभावित हुए थे। इनमें से केवल 41 ग्राम ऐसे थे जहाँ फसल को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची थी। शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति फसल को हुई थी वहाँ एक एकड़ तक की जोत वाले किसानों को नि:शुल्क गेहूं का बीज और खाद वितरण किया गया था। इसके अलावा फैजाबाद जिले के सभी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य के लिए शासन ने 67,000 रुपए अहेतुक सहायता, 7,000 रु0 विशेष सहायता तथा 20,000 रुपए गृह निर्माण अनुदान की मद में आवंटित हुए थे।

2—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

वेतन असंगत समिति की संस्तुति सम्बन्धी मन्त्रि परिषद की उप समिति की रिपोर्ट

3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय वेतन कमेटी रिपोर्ट की विसंगतियों पर विचार करने के लिए गठित मन्त्रि मण्डलीय उप समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित संस्तुतियों में से वह संस्तुतियां कौन-कौन हैं जिनके कार्यान्वयन के लिए अभी तक राजाज्ञाएं नहीं जारी की गयीं तथा राजाज्ञाएं न जारी कर पाने का कारण क्या है ?

श्री मधुकर दिघे—

मन्त्रि परिषद् की उप समिति की जिन संस्तुतियों के सम्बन्ध में अभी तक राजाज्ञाएं जारी नहीं की गयी हैं उनकी सूची† संलग्न है। राजाज्ञाएं न जारी हो पाने का मुख्य कारण यह है कि समिति ने उच्च वेतनमान, सेलेक्शन ग्रेड आदि की स्वीकृति हेतु अनेक प्रतिबन्ध लगाए हैं, जिनका परीक्षण आदेश जारी करने के पूर्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के कार्यालय में, शासन के प्रशासनिक अनुभाग तथा वित्त विभाग में करना आवश्यक है। समिति की कुछ संस्तुतियों के बारे में परीक्षण अभी होना है अतः अभी राजाज्ञाएं जारी नहीं की जा सकी हैं।

मुरादाबाद जिले की ग्राम सभा दलपतपुर व सरकड़ा के बाजार की नीलामी एवं धनराशि की वसूली

4—श्री रियासत हुसैन—

क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तहसील व जिला मुरादाबाद के दलपतपुर तथा सरकड़ा के बाजार 1977–78 के लिए कितने-कितने रुपयों में नीलाम किए गए थे और अब तक कितने रुपए ठेकेदारों द्वारा जमा किए जा चुके हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ग्राम सभा दलपतपुर तथा सरकड़ा, तहसील मुरादाबाद के बाजारों का नीलाम वर्ष 1977–78 के लिए क्रमशः 7,000.00 रु0 एवं 15,800.00 रु0 के लिए हुआ था। दलपतपुर के ठेकेदार ने 31 मार्च, 1977 को रु0 5,250.00 ग्राम सभा के पास जमा किया था, शेष धनराशि रु0 1,750.00 वसूल होने को अवशेष है।

ग्राम सभा सरकड़ा के ठेकेदार से कुल धनराशि 15,800.00 रु0 दिनांक 10 अप्रैल, 1977, 5 जुलाई, 1977, 4 सितम्बर, 1977 एवं 5 जनवरी, 1978 को वसूल हो चुकी है।

5—श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही है कि ठेकेदार लोग उपर्युक्त बाजारों की किस्तों का रुपया जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करेगी कि वह रुपया जल्द से जल्द वसूल कराया जाय ?

---

†छापी नहीं गयीं ।

श्री शारदा भक्त सिंह—

यह सही है कि दलपतपुर का ठेकेदार रु0 1,750.00 की शेष धनराशि गाँव सभा को अदा करने में आनाकानी कर रहा है। प्रधान, गाँव सभा ने ठेकेदार को रुपया अदा करने की बाबत नोटिस दे दिया है। यदि ठेकेदार नोटिस के उपरान्त भी शेष धनराशि का भुगतान नहीं करता है तो इसे वसूल करने की अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

तहसील मोहनलालगंज के संग्रह अमीनों में अनुसूचित जाति का आरक्षण

6—श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ में कलेक्शन अमीन के कितने पद हैं और क्या इसमें अनुसूचित जाति का आरक्षण पूर्ण है? यदि नहीं, तो क्या आरक्षण पूरा करने के लिए सरकार शीघ्र व्यवस्था करेगी?

श्री शारदा भक्त सिंह—

तहसील मोहनलाल गंज, जिला लखनऊ में कुल 32 अमीन कार्यरत हैं जिनमें से अनुसूचित जाति का एक अमीन तथा पिछड़ी जाति के 14 अमीन हैं। अनुसूचित जाति के उपयुक्त अभ्यर्थी, जैसे-जैसे मिलते जा रहे हैं, आरक्षण पूरा किया जा रहा है?

7—डाक्टर जवाहर लाल—

[8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

तहसील वाराणसी के सेवानिवृत्त लेखपालों के जी०पी०एफ०, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि का भुगतान

8—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1976 में कितने लेखपाल वाराणसी तहसील, जिला वाराणसी के रिटायर हुए उनको ग्रेच्युटी, पेंशन, जी0 पी0 एफ0, ग्रुप इंश्योरेंस, उच्चतम खाते में कटौती का धन, यात्रा व्यय, सेवा मुक्ति आदि के बारे में भुगतान एवं आदेश कर दिए गए हैं? क्या यह सत्य है कि हरिहर प्रसाद लेखपाल, क्षेत्र बावतपुर, परगना कटहर, तहसील वाराणसी ने उपरोक्त पदों के बारे में आदेश करने हेतु परगनाधीश, उत्तरी वाराणसी, जिलाधीश तथा कमिश्नर, वाराणसी को 23 दिसम्बर, 1977 को और श्रीमान् मुख्य सचिव एवं माननीय राजस्व मन्त्री को 26 दिसम्बर, 1977 को प्रार्थना-पत्र दिया है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी?

श्री शारदा भक्त सिंह—

प्रश्नगत अवधि में तहसील वाराणसी में पाँच लेखपाल सेवा निवृत्त हुए तथा एक लेखपाल की सेवा काल में मृत्यु हुई। प्रश्न में उल्लिखित इनके अवशेष देयों के भुगतान की स्थिति निम्न है :—

(1) श्री भगौती लाल
(2) श्री शिव मूरत लाल,
(3) श्री चतुर्गुन लाल,

इन सेवानिवृत्त लेखपालोंको पी0 पी0 ओ0, जी0 पी0 ओ0 तथा भविष्य निधि के भुगतान के अधिकार-पत्र, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हो गए हैं।

(4) श्री बद्री प्रसाद—इस सेवानिवृत्त लेखपाल को पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के अधिकार-पत्र महालेखाकार से प्राप्त हो चुके हैं। सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि के भुगतान हेतु इनका कोई प्रार्थना-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(5) हरिहर प्रसाद–इस सेवानिवृत्त लेखपाल का सामान्य भविष्य निधि के भुगतान का अधिकार-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हो गया है। स्थाई न होने के कारण इनका पेन्शन का मामला लम्बित रहा। दिनाँक 27 फरवरी, 1978 के आदेश द्वारा इनको स्थाई कर इनके पेन्शन सम्बन्धी कागजात महालेखाकार, उत्तर प्रदेश की स्वीकृति हेतु भेज दिए गए हैं। प्रश्न में उल्लिखित इनके प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे जिन पर आवश्यक कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है।

(6) श्री लाल बहादुर सिंह—इस लेखपाल की मृत्यु सेवा काल में ही दिनाँक 4 सितम्बर, 1976 को हुई थी। इनके उत्तराधिकारियों ने दिनाँक 25 जनवरी, 1978 को पेन्शन पत्र प्रेषित किये जो पूर्ण कर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश की स्वीकृति हेतु भेज दिए गए हैं। सामान्य भविष्य निधि के भुगतान हेतु अभी तक प्रार्थना-पत्र उन्होंने प्रेषित नहीं किए। ग्रुप इन्श्योरेंस में जमा धनराशि के भुगतान हेतु दिनाँक 22 मार्च, 1978 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर भुगतान की कार्यवाही जिला स्तर पर की जा रही है।

उचन्त खाते में कटौती की धनराशि के भुगतान की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर जिला स्तर पर की जा रही है।

ग्रुप इन्श्योरेंस के भुगतान हेतु उपरोक्त पाँच सेवा निवृत लेखपालों में से किसी ने अभी तक प्रार्थना-पत्र प्रेषित नहीं किया। श्री हरिहर प्रसाद के यात्रा भत्ता का भुगतान का एक बिल धनाभाव के कारण भुगतान नहीं किया गया था, उक्त बिल का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष (1978-79) में किया जायेगा। शेष किसी भी लेखपाल का यात्रा भत्ता के भुगतान का मामला अवशेष नहीं है।

वाराणसी जिले के लेखपाल, श्री लाल बहादुर सिंह की पेंशन व ग्रेच्युटी सम्बन्धी प्रार्थनापत्र

9—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हल्का लेखपाल खरावन, तहसील वाराणसी, जिला वाराणसी के लेखपाल लाल बहादुर सिंह की मृत्यु सर्प काटने से पिछले वर्ष ही हो गयी थी? यदि हां, तो उनकी विधवा जो गांव व पोस्ट कुवार तहसील व जिला वाराणसी की रहने वाली है उसे ढाई वर्ष की बकाया तनख्वाह तथा पेन्शन स्वीकृति और दूसरे मदों का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया? क्या यह सही है कि उसने परगना हाकिम उत्तरी, जिलाधीश, वाराणसी को पिछले वर्ष में कई प्रार्थना-पत्र दिए हैं और प्रश्नकर्ता ने भी उसके एक प्रार्थना-पत्र को अपने पत्र के साथ तारीख 12 जनवरी, 1978 को माननीय मुख्य मन्त्री को दिया है? यदि हां, तो पेन्शन स्वीकृत करने एवं बकाया तनख्वाह तथा दूसरे मदों का भुगतान न करने का कारण क्या है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

श्री लाल बहादुर सिंह की मृत्यु सेवा काल में 4 सितम्बर, 1976 को हुई थी। इनकी पेन्शन व ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के प्रश्न 8 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। इनका नवम्बर, 1972 से सितम्बर, 1973 तथा मई, 1975 से

मार्च, 1976 तक का अवशेष वेतन के भुगतान का मामला लम्बित है। इनका 16 फरवरी, 1973 से 31 मार्च, 1973 तक तथा 21 अगस्त, 1973 से 20 सितम्बर, 1973 तक का अवकाश प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। मृतक लेखपाल के उत्तराधिकारियों से वांछित प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने तथा उसके उपरान्त अवकाश स्वीकृत करने की कार्यवाही जिला स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। अवशेषों के भुगतान सम्बन्धी प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी तथा शासन को भी प्राप्त हुए हैं जिन पर जिलाधिकारी के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

10—श्री कृष्णा राय—

[11वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बस्ती जिला व विकास क्षेत्र गौर के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खाद तथा गेहूं का वितरण

11—श्री ओम प्रकाश—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले में सूखा-ग्रस्त होने के कारण कुल कितने रुपए की खाद तथा गेहूं के बीज का वितरण हुआ है और यह वितरण कार्य किस महीने के किस तारीख से प्रारम्भ होकर किस तारीख तक हुआ है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

बस्ती जिले में कुल 88,68,717 रुपए 40 पैसे मूल्य की खाद तथा 44,73,322 रुपए 61 पैसे मूल्य के गेहूं के बीज का निःशुल्क वितरण किया गया है। यह कार्य 15 नवम्बर, 1977 से प्रारम्भ किया गया और 27 जनवरी, 1978 तक चला।

12—श्री ओम प्रकाश—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले के विकास क्षेत्र गौर में कुल कितने और किन-किन गांवों में खाद बीज का वितरण हुआ है ? क्या मन्त्री जी गांव वार किसानों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

बस्ती जिले के विकास क्षेत्र गौर में कुल 149 गांव में निःशुल्क खाद और बीज का वितरण किया गया। गांव और कृषकों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ संख्या 574–578 पर)

आजमगढ़ जिले के संग्रह एवं कलेक्ट्रेट का मरजर एवं लिपिक श्री लालसा राम का स्थायीकरण और संग्रह अधिष्ठान के लिपिकों की सूची

13—श्री ईशदत्त यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि आजमगढ़ जनपद के संग्रह और कलेक्ट्रेट का मरजर होने के बाद कितने संग्रह लिपिकों को स्थायी किया गया है ? यदि किया गया है, तो किस आधार पर ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

संग्रह और कलेक्ट्रेट के मरजर के बाद केवल एक संग्रह लिपिक को स्थाई किया गया ? श्री लालता राम, सहायक वासिल बाकी नवीस के त्याग-पत्र के कारण हुई स्थाई रिक्ति में श्री शंकर राम को वरिष्ठता के आधार पर स्थाई किया गया ।

14—श्री ईशदत्त यादव—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि आजमगढ़ जनपद में संग्रह और कलेक्ट्रेट विभाग के लिपिकों का मरजर आदेश होने के उपरान्त संग्रह अधिष्ठान के जिन लिपिकों की सेवाएं अगस्त, 1961 में 3 वर्ष की नहीं हुई थीं तो उनकी कलेक्ट्रेट में कोई सूची क्यों नहीं बनाई गई ? यदि संग्रह विभाग में सूची बनाई गई है तो उसे मान्यता क्यों नहीं दी गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

शासकीय आदेश संख्या बी0 2876/एक-ख-149-बी-59, दिनांक 16 अगस्त, 1961 में कलेक्ट्रेट एवं संग्रह विभाग के तीन वर्ष से कम अवधि के कर्मचारियों की सूची बनाने का कोई प्राविधान नहीं था ?

अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम मे लघु उद्योग हेतु ऋण देने का प्राविधान

15—श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लघु उद्योग चलाने हेतु ऋण देने का कोई अधिकार रखते हैं ? यदि हाँ, तो किस प्रकार और किस सीमा तक ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जी हां।

परन्तु अभी तक इस मद में शासन द्वारा प्रविधान न किए जाने के कारण निगम द्वारा कोई नियम नहीं निर्धारित किए गये हैं। इस समय ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

समाचार पत्र 'जनमोर्चा', फैजाबाद को दिया गया लाटरी के परिणाम का प्रकाशन

16—श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लाटरी के विज्ञापन वर्ष 1977-78 में किन समाचार पत्रों को दिए गए ? क्या इस सम्बन्ध में फैजाबाद से प्रकाशित होने वाले दैनिक "जनमोर्चा" को लाटरी का विज्ञापन देने के बारे में कोई पत्र प्रश्नकर्ता का सितम्बर माह सन् 1977 में वित्त मन्त्री को मिला है ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मधुकर दिघे—

वर्ष 1977-8 में जिन समाचार-पत्रों को विज्ञापन दिये गये थे उनकी सूची संलग्न है ?

जनमोर्चा को लाटरी का विज्ञापन देने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 30 अगस्त, 1977 की प्राप्ति के उपरान्त निर्धारित की गई नीति के अनुसार फैजाबाद में सम्पन्न हुए ड्रा का परिणाम प्रकाशनार्थ 'जनमोर्चा', फैजाबाद को दिया गया था ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 579–580 पर।)

वाराणसी जिले के गांव डूंही-सूंही के हरिजनों का आबादी भूमि हेतु प्रार्थना-पत्र और सतही वन में भूमि दिए जाने सम्बन्धी रिपोर्ट

17—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाँव डूंही-सूंही, परगना के रामगरौर, तहसील चकिया, जिला वाराणसी के 90 घर भूमिहीन हरिजनों ने एक प्रार्थना-पत्र आबादी की जमीन के लिए सन् 1973 में जिलाधीश, वाराणसी को दिया था, जिसकी जाँच वाराणसी के जिलाधीश ने परगनाधीश, चकिया को दी थी ? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि परगनाधीश, चकिया ने तहसीलदार, चकिया को जाँच कर रिपोर्ट देने को कहा था ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हाँ।

18—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार, चकिया ने जाँच कराकर तारीख 24 दिसम्बर, 1973 को परगना हाकिम, चकिया को मय नक्शा के रिपोर्ट दिया कि जंगल सतही व लोनाधन में उन्नाम हरिजन परिवारों को तीन बीघा (दो एकड़) जमीन आबादी एवं विकास हेतु दिया जाय ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हाँ। जाँच से यह विदित हुआ कि सम्बन्धित भूमि राजस्व विभाग की नहीं है बल्कि वन विभाग की है जिसे राजस्व विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु आरण्यपाल, दक्षिणी वृत्त, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से पत्राचार हुआ। जिलाधिकारी के अनुसार वन विभाग की संस्तुति इस मामले में अभी जाननी है। हस्तान्तरण के बाद यथाशीघ्र सम्बन्धित व्यक्तियों को आवादी एवं विकास हेतु भूमि उपलब्ध करा दी जावेगी ।

ग्राम सभा रौसर, जिला शाहजहांपुर में सीलिंग भूमि का आवंटन

19—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहाँपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि ग्राम सभा रौसर, तहसील सदर, जिला शाहजहाँपुर में इस समय सीलिंग की कितनी जमीन है और उस जमीन का पिछड़े वर्ग को अब तक एलाट न किए जाने के लिए उत्तरदायी कौन हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ग्राम सभा रौसर, तहसील सदर, जिला शाहजहाँपुर में सीलिंग अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत 4.85 एकड़ तथा, संशोधित अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत 60.18 एकड़

भूमि अतिरिक्त घोषित हुई थी, जिसमें से 43.14 एकड़ भूमि नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को पहले ही आवंटित कर दी गई थी। 21.89 एकड़ भूमि 5 एकड़ से बड़े चकों में होने के कारण सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आरक्षित थी। इसमें से 4 एकड़ भूमि गन्ना विकास परिषद् के लिए प्रस्तावित की गई है, 1.70 एकड़ बाग भूमि है तथा शेष 16.19 एकड़ भूमि भूमिहीनों में वितरित की जा चुकी है। भूमिहीनों में आवंटन हेतु अब कोई भूमि अवशेष नहीं है।

गांव सभा बहेड़ी, जिला बांदा में गांव सभा भूमि का आवंटन

20—श्री ऊदल—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाँव सभा बहेड़ी, परगना तथा तहसील नरैनी, जिला बांदा में करीब 150 बीघा गाँव समाज की भूमि है? यदि हाँ, तो उक्त भूमि का पट्टा कितने गरीब भूमिहीन हरिजनों में अब तक किया गया है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

गाँव सभा बहेड़ी, परगना तथा तहसील नरैनी, जिला बाँदा में कुल 148-15-0 भूमि उपलब्ध है जिसमें से 25-11-76 व 9-11-75 को कुल 18-10-0 भूमि के पट्टे 19 व्यक्तियों को दिये जा चुके हैं। अवशेष 130-5-0 भूमि सार्वजनिक प्रयोग की है। अब आवंटन हेतु सार्वजनिक भूमि के अलावा कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। उक्त ग्राम में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त होने वाली हैं उसमें यदि बचत की भूमि उपलब्ध होगी तो उसके पट्टे किए जा सकते हैं।

गाँव बहेड़ी, जिला बांदा के श्री लालमन की भूमि सम्बन्धी सीलिंग का मुकदमा और जांच किए जाने की मांग

21—श्री ऊदल—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाँव बहेड़ी, परगना व तहसील नरैनी, जिला बांदा के चार बड़े किसानों के ऊपर सीलिंग में जमीन निकाली गयी थी? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि उक्त चार बड़े काश्तकारों में श्री लालमन की 125 बीघे के करीब जमीन निकलने वाली थी तो उनके लड़के रामनरेश व रामनिवास ने अदालत में श्री लालमन को मरा दिखाया जिसे अदालत ने मान लिया है और सीलिंग का मुकदमा खत्म कर दिया?

श्री शारदा भक्त सिंह—

गाँव बहेड़ी, परगना व तहसील नरैनी, जिला बाँदा के चार बड़े खातेदार को सीलिंग की नोटिस दी गई थी जिसमें श्री लल्लू उर्फ लालमन की 46 बीघा 11 विस्वा 9 बिस्वान्सी भूमि जो अतिरिक्त प्रस्तावित थी। यह सही नहीं है कि उनकी 125 बीघा के करीब जमीन निकलने वाली थी तथा उनके पुत्रों ने श्री लालमन को मृतक दिखाकर सीलिंग वाद समाप्त करा दिया। वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 22 सितम्बर, 1970 के पारिवारिक समझौते को मान्यता देते हुए अतिरिक्त जिलाधिकारी, सीलिंग के आदेश दिनांक 28 सितम्बर, 1976 द्वारा श्री लालमन की जोत में उनके पुत्रो का भी हिस्सा मान लिया गया है फलस्वरूप श्री लालमन की जोत सीलिंग सीमा से कम पायी गयी एवं उन्हें सीलिंग अवधारण की कार्यवाही से मुक्त कर दिया गया।

22--श्री ऊदल--

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लालमन की जमीन को उनके उपरोक्त दोनों लड़कों तथा दो पोतों के नाम अदालत ने कर दिया है ? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि श्री लालमन आज भी जिन्दा हैं ? क्या सरकार मेरी सूचना को सही मानकर जाँच कराएगी और सीलिंग से जो जमीन निकलने वाली है उसे निकालेगी और गलत बयानी करने वालों तथा अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

यह सत्य है कि श्री लल्लू उर्फ लालमन जीवित हैं। अतिरिक्त जिलाधिकारी, सीलिंग के न्यायालय के आदेश दिनाँक 28 सितम्बर, 1976 द्वारा पारिवारिक समझौता व न्यायालय के बंटवारे के वाद के अनुसार खातेदार श्री लालमन की भूमि में केवल उनके पुत्रों का हिस्सा माना गया है। चूंकि मामले में न्यायिक कार्यवाही के अधीन श्री लालमन की जोत सीलिंग से मुक्त कर दी गई है। अत : अन्य किसी जाँच की आवश्यकता नहीं है।

फैजाबाद जिले के ग्राम अंकारीपुर की खतौनी में दोषपूर्ण इन्दराज के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

23--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद की गोसाईंगंज टाउन एरिया और अंकारीपुर गाँव सभा के कृषकों का प्रार्थना-पत्र खतौनी के दोषपूर्ण इंदराजों के बारे में प्रश्नकर्ता के दिनाँक 1 फरवरी, 1978 के पत्र के साथ मिला है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और इंदराजात कब तक दुरुस्त करा दिए जायेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

प्रश्नगत शिकायत मिली। मूल प्रार्थना-पत्र में यह शिकायत की गई है कि ग्राम अंकारीपुर (जिसमें टाउन एरिया) गोसाईंगंज सम्मिलित है) में चकबन्दी के बाहर वाले क्षेत्र में ऐसे लोगों का कब्जा है जिनका नाम कागजात में दर्ज नहीं है। इसे दुरुस्त कर दिया जायगा। अभिलेखों की छानबीन से यह पाया गया कि 87 व्यक्तियों के कब्जे वर्ग-9 में 1378 फ0 में दर्ज चले आ रहे हैं। मूल खातेदारों के नाम न्यायालय के आदेशों से ही काटे जा सकते हैं दुरुस्ती कागजात का मामला नहीं बनता।

24--श्री सुरेन्द्र पाल--

[8वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बांदा जिले के ए०डी०एम० (सीलिंग) की अदालत द्वारा खारिज हरिजनों की भूमि का पट्टा

25--श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बांदा जिले में ए0डी0एम0 (सीलिंग) की अदालत से 1976 और 1977 में भूमिहीन हरिजनों के जमीन के पट्टे बड़ी संख्या में खारिज किए गए हैं जिससे उनमें बहुत असन्तोष व्याप्त है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराकर कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

इस जनपद में भूमिहीन हरिजनों को ग्राम सभा भूमि के 27,244 पट्टे किए गए थे। इनमें से केवल 399 पट्टे वर्ष 1976 और 1977 में सार्वजनिक जमीन

के तथा अनियमित होने के कारण खारिज किए गए हैं ? इन पट्टों के खारिज किए जाने से कोई असन्तोष व्याप्त नहीं है। जिनके पट्टे खारिज कर दिए गए हैं उन्हें सम्बन्धित ग्राम में चकबन्दी क्रियाओं के समाप्त होने के बाद यदि आवंटन योग्य कोई ग्राम सभा की भूमि उपलब्ध होगी अथवा सीलिंग की भूमि उपलब्ध होगी तो उनको पुनः पट्टे देने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ?

इलाहाबाद जिले के ग्राम मदनुवा में औद्योगिक विकास हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

26—श्री अठई राम—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के तहसील करछना, परगना अरैल, ग्राम मदनुआ अरहार की भूमि नं0 172 सरकारी विकास उद्योग हेतु ली गयी है ? यदि हाँ, तो इसका रकबा कुल कितना है तथा इसका मुआवजा कितना किन-किन व्यक्तियों को दिया गया। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

इलाहाबाद जनपद की तहसील करछना, परगना अरैल, ग्राम मदनुआ में वृहद औद्योगिक विकास हेतु भू-खण्ड संख्या 172 अध्याप्त किया गया है जिसका कुल रकबा 0-9-0 विस्वा है। उक्त भू-खण्ड के सर्वश्री तुलसीदास, राजनाथ, जल्ली तथा दीनानाथ पुत्रगण श्री अलगू निवासी ग्राम मवैया भूमिधर थे। नियमानुसार प्रतिकर का एवार्ड दिनाँक 29 मार्च, 1967 को घोषित किया गया जिसमें 599·85 रुपए प्रतिकर निर्धारित किया गया तथा इस पर 29·99 रुपए ब्याज लगा कर कुल 629.84 रुपए का भुगतान दिनाँक 6 अप्रैल, 1967 को कर दिया गया। चूंकि उक्त सभी व्यक्ति एक ही परिवार के हैं अतः सबको एकजाई भुगतान किया गया है।

फैजाबाद जिले की तहसील बीकापुर में सूखा एवं दी गयी सहायता

27—श्री श्रीराम द्विवेदी—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1977-78 में फैजाबाद जनपद में बीकापुर तहसील में कितने गाँव सूखे से प्रभावित हुए हैं ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में शासन की तरफ से क्या-क्या राहत कार्य प्रारम्भ किए गए हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

वित्तीय वर्ष 1977-78 में फैजाबाद जनपद में तहसील बीकापुर के 631 ग्राम सूखे से प्रभावित हुए थे। इनमें से 551 ग्राम ऐसे थे जहाँ पर फसल को 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति पहुंची थी। वहाँ राहत स्वरूप कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई तथा एक एकड़ से कम जोत वाले उन कृषकों को जिनकी फसल को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची थी, निःशुल्क बीज और उर्वरक वितरित किया गया। लाभान्वित कृषकों की संख्या 30,365 है। इसके अतिरिक्त आपदा तकावी भी वितरित की गई। बिजली तथा सिंचाई की व्यवस्था लगातार चालू रखने के आदेश दिए गए।

अल्प संख्यकों के लिए गठित श्री नसरुल्ला बेग कमीशन की रिपोर्ट

28—श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1975-76 के अल्प संख्यकों को राजकीय सेवाएं एवं अन्य सुविधाएं हेतु नसरुल्ला बेग कमीशन ने शासन को जो रिपोर्ट दी थी क्या वह सरकार को प्राप्त हो गयी ? यदि हाँ, तो उस कमीशन की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा सरकार उनको कब तक लागू करने जा रही है ।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

जी हाँ ।

मुख्य-मुख्य सिफारिशों की सूची† संलग्न है। इन सिफारिशों का परीक्षण किया जा रहा है और सम्बन्धित विभागों से परामर्श करके इन पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाएगा ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । पहली मई, 1978 को बाराबंकी जनपद में राम सोही घाट तहपील का रिकार्ड रूम जल गया....

श्री अध्यक्ष—

इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहाँ है ?

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, 1 मई, 1978 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिकार्ड जल गया। मैंने 3 मई को एक अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न इस सम्बन्ध में किया था और श्री राम सागर जी ने 8 मई, 1978 को किया था। उनका प्रश्न तो आज की कार्य सूची में आ गया लेकिन मेरा नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

यह शासन पर है कि वे किस अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर देते हैं। अगर नहीं देते हैं तो वह तारांकित हो जाता है ; इसलिए अधिक उचित होगा यदि आप मेरे कक्ष में आकर देख लें तब मैं बता सकता हूं कि ऐसा क्यों हुआ है ।

यमुना नदी के कटाव से कालपी नगर, किला घाट तथा उसके ऊपर बने हुए विशाल ऐतिहासिक दुर्ग तथा गुम्बद को भारी खतरे के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा कालपी नगर में यमुना नदी के कटाव से उत्पन्न खतरे की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कालपी नगर मे किलेघाट

---

†नोट—छापी नहीं गयी ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यमुना नदी के कटाव से कालपी नगर, किला घाट तथा उसके ऊपर बने हुए विशाल ऐतिहासिक दुर्ग तथा गुम्बद को भारी खतरे के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

के सामने ही यमुना नदी मोड़ लेती है। इस कारण नदी का सीधा दबाव किलेघाट तथा उसके ऊपर बने हुए विशाल ऐतिहासिक गुम्बद के ऊपर रहता है जो कि चन्देलों के दुर्ग का भग्नावशेष है। यह दुर्ग यमुना के किनारे 120 फुट सीधी कगार पर स्थित है। मराठों के काल में यह राज्यपाल का कोषागार था। सन् 1857 में प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के समय इस भवन में झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, पटना के राजा कुंवर सिंह, बिठूर के नाना साहब और तात्याटोपे ने मन्त्रणा की थी और वहीं से अंग्रेजी सेनाओं का वीरतापूर्वक सामना किया था। इसी से इस भवन को सभी श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। पिछले कई वर्षों से वह भवन वन विभाग का विश्राम गृह था जिसमें सभी वी0 आई0 पी0 ठहरते रहे हैं। पिछले वर्षों में यमुना का कटाव इतना बढ़ गया है कि कगार कट कर इस भवन के किनारे तक आ गयी है और धंस गयी है, जिससे इस वर्ष पूरा गुम्बद फट गया है। अब इस विशाल भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है तथा वन विभाग ने भी विश्राम गृह बन्द कर दिया है। इसको हमारे कई मन्त्रीगण देख चुके हैं, अधिकारियों का भी ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है परन्तु अभी तक इस को बचाने की कोई कोशिश नहीं की गयी है।

यदि शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो अगली बरसात में ही यह विशाल सुन्दर तथा ऐतिहासिक भवन यमुना में गिर जायगा और इसके साथ ही बुन्देलखण्ड के प्रवेश द्वार कालपी तथा इस भवन का स्वर्ण इतिहास सदैव के लिए डूब जायगा। कालपी नगर तथा क्षेत्र के लोगों में इस संकट से भारी निराशा व असन्तोष व्याप्त है। मेरा शासन से अनुरोध है कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर अविलम्ब ध्यान दें और कालपी नगर किलाघाट तथा चन्देलों के दुर्ग को बचाने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाय तथा इसके लिए आवश्यक धनराशि भी स्वीकृत की जाय।

देवरिया जनपद में भयंकर तूफान एवं आंधी से क्षति एवं मृत्युएं के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, देवरिया जनपद में दिनांक 9 मई, 1978 को भयंकर तूफान एवं आँधी की विभीषिका से लगभग 20 लोगों की अकाल मृत्यु हो गयी जिसमें अनेक बच्चे भी शामिल हैं तथा सैकड़ों लोग भयंकर रूप से घायल हैं। दो विकास खण्ड विसुनपुरा तथा सेवरही इस भयंकर तूफान से प्रभावित हुए हैं। हजारों की संख्या में मकान पूर्णतया क्षति ग्रस्त हो गए हैं। सारी फसलें नष्ट हो गयी है। देवरिया जनपद के लिए यह अपूर्णीय क्षति है। सबसे दुःखद घटना तो यह है कि एक ही परिवार के पन्द्रह लोग काल कवलित हो गए हैं। इस दैवी विपदा से जनपद में शोक का वातावरण व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि तूफान की चपेट में आकर मृत व्यक्तियों को तत्काल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी]

आर्थिक सहायता दी जाय, जो कुछ अंश तक पर्याप्त हो तथा साथ साथ चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था कराई जाय एवं तूफान से पीड़ित गाँवों में क्षतिपूर्ति तथा मालगुजारी आदि माफ करने की व्यवस्था की जाय। मौसम विज्ञान विभाग को यह निर्देश दिए जायं कि इस प्रकार के तूफान तथा आँधी की पूर्व सूचना लोगों को वह देने की व्यवस्था करें।

लखनऊ शहर में कुछ मार्गों पर बसें चलना बन्द हो जाने से कठिनाई के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करते हुए सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि विगत एक माह से अधिक हो गया है, लखनऊ शहर में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें जो रूट नं0 9, 17, 18, 19 पर चलती थीं, बन्द हो गयी हैं। यही नहीं, फतेहपुर, बाराबंकी आदि स्थानों को जाने वाली बसें भी निर्धारित रूट से न होकर दूसरे रूटों से जा रही हैं। जिससे यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। इसका एहसास मैंने स्वयं किया है।

उक्त रूट नम्बर, 9, 17, 18 तथा 19 की परिवहन विभाग की बसें अलीगंज से अमीनाबाद, रैदास मन्दिर से हजरतगंज, चारबाग होते हुए सिंगारनगर तक जाती थीं। अलीगंज, एरिया में अलीगंज हाउसिंग स्कीम एवं आवास विकास परिषद् की कालोनी है, जिसमें राज्य सरकार ने स्वयं अपने अधिकारियों के लिए आवास आवंटित किए हैं जो वहाँ निवास कर रहे हैं उन्हें समय पर कार्यालयों को पहुंचना होता है। सचिवालय के कर्मचारी भी उक्त कालोनियों में अधिकांशतः निवास करते हैं जो सचिवालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर, स्थित हैं, गर्मी के मौसम में यातायात की बड़ी असुविधा है, महान कष्ट उठाना पड़ रहा है। रैदास मन्दिर पर जब टैम्पो जाते हैं, तो लोग उनमें बैठने के लिए बाज की तरह झपटते हैं। रिक्शों एवं टेम्पों में लोगो को काफी किराया देना पड़ता है। अल्प वेतन-भोगी कर्मचारियों के लिए बड़ी ही जटिल समस्या है जिनको प्रतिदिन किराया ही 3-4 रुपए के लगभग देना पड़ रहा है। इस समय केवल 3-4 बसें उक्त रूटों पर चलाई जा रही है जिसमें लोग ठूंसठूंस कर भरे जातें है जहाँ हर 10 मिनट पर बसें उपलब्ध रहती थीं वहाँ 2-3 घंटे तक बसें उपलब्ध नहीं होती हैं। महिलाओं को भीड़ के कारण और भी अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। श्रीमन्, विश्वविद्यालय बन्द कर दिया गया है इसलिए किसी अप्रिय घटना की सम्भावना नहीं है। यह प्रश्न लोक महत्व एवं जनहित का है। राजधानी में नागरिकों एवं कर्मचारियों के आवागमन की कठिनाई को देखते हुए रूट नं0 9, 17, 18 एवं 19 की बसें पूर्व की भांति चलवाई जायं जिससे कमचारियों को समय से पहुंचना सुगम एवं कम खर्चीला हो सके और इस चिलचिलाती धूप में लोग राहत की साँस ले सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिर्जापुर के दुद्धी एवं राबर्ट्सगंज तहसील में पेयजल संकट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

महोदय, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान एक लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना है कि मिर्जापुर के दक्षिणांचल दुद्धी और राबर्ट्सगंज तहसील में भीषण पेय जल का संकट उत्पन्न हो गया है। इस क्षेत्र में 80 प्रतिशत आदिवासी बनवासी, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। अपने निवास स्थान से 7-7 किलोमीटर की दूरी तक जाकर इस चिलचिलाती धूप में कई घंटे प्रयास के बाद एक घड़ा गन्दा जल प्राप्त करते हैं। गंदे पेयजल के कारण प्राय: वे मलेरिया, कालाजार, चर्मरोग, दखिनिहवाँ, फोड़ा आदि रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। पूरे क्षेत्र में त्राहि-त्राहि मचा हुआ है। ग्रामवासी इस पेयजल संकट से ऊबकर प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में शहरों की तरफ चले जाते हैं और भिक्षावृत्ति के माध्यम से येन-केन प्रकारेण अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। पेयजल के अभाव में सैकड़ों पालतू पशुओं की भी मृत्यु हो जाती है।

अत: मान्यवर, आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अपेक्षा करूंगा कि तत्काल वहाँ पेयजल की व्यवस्था कराई जाय एवं सरकार इस सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य दें।

गोरखपुर जनपद के बांसगांव व सदर तहसील के ग्रामों में कटाव होने से भूमि विवाद उत्पन्न होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, गोरखपुर जिले की बाँसगाँव व सदर तहसील के कई दर्जन गाँवों में कई सौ एकड़ नदी के कटाव की जमीन के वास्तविक कब्जे के विषय में किसानों में गम्भीर विवाद पैदा हो गया है। कटाव से जमीन के विषय में पहले जो नियम था अब वह कई वर्षों से परिवर्तित हो गया है। पहले नियम के अनुसार जहाँ जमीन कटकर जा रही है, वहाँ के लोग कब्जा करना चाहते हैं। परिवर्तित नियम के अनुसार जिनकी वास्तविक जमीन है तथा जिनका वैधानिक हक भी है, वे कब्जा चाहते हैं। ऐसी सूरत में किसानों में फौजदारी बलवे की स्थिति है। यह गर्मी का महीना है, जमीन खाली है। पैमाइश करके अधिकृत लोगों को कब्जा दिलाया जा सकता है। राजस्व विभाग व जिला प्रशासन स्थिति की गम्भीरता की उपेक्षा कर रहे हैं।

अनुरोध है कि कोई अप्रिय घटना घटने के पूर्व ही इस भूमि विवाद को समाप्त करने का प्रभावी प्रयास किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतर्रा, जिला बांदा स्थित बुन्देल खण्ड साल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन एण्ड सन्स राइस मिल के मजदूरों द्वारा अनशन के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बाँदा)—

बाँदा जिले में धान की प्रमुख मण्डी अतर्रा में स्थित बुन्देलखड साल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन एण्ड सन्स राइस मिल कई महीनों से बन्द कर दी गयी है। मिल के सैकड़ों मजदूरों ने मिल खोले जाने एवं मजदूरों को काम पर लेने आदि की माँगों को लेकर दिनाँक 9 मई, 1978 से मिल गेट पर अनशन प्रारम्भ कर दिया है। सैकड़ों बेकार मजदूर लम्बे समय तक प्रतीक्षा करने के बाद काम से निकाले जा रहे हैं। उन्हें नोटिसें दी जा रही हैं। इससे मुखमरी के कगार पर खड़े मिल मजदूरों में रोष एवं असन्तोष पैदा हो गया है। मजदूर मिल बन्दी के विरोध में आन्दोलन पर उतर आए हैं। मजदूरों ने 1 मई, 1978 को मई दिवस मनाया और अपनी माँग पूरी न होने पर धरना तथा अनशन का ऐलान किया था। उनकी एक माँग यह भी है कि यदि प्रबन्धक मिल नहीं चलाते हैं तो सरकार उसे अपने हाथमें लेकर तुरन्त चालू करे। सेवा समाप्ति की नोटिसें तुरन्त वापिस ली जायें तथा निर्धारित वेतन-मान दिए जायें। मजदूरों ने फैक्टरी बन्द होने का कारण भी पूछा है। मजदूरों ने काली पट्टी बाँधकर अपनी माँगों को उजागर करने के लिए विरोध दिवस भी मनाया है। निकाले गए मजदूरों द्वारा अनशन एवं विरोध दिवस मनाने तथा आन्दोलन करने पर जिला प्रशासन ने मिल में पुलिस तैनात कर दी है और मजदूरों पर दमनचक्र चालू करने का सिलसिला शुरू कर दिया है जिससे तनाव बढ़ गया है और स्थति बिगड़ गयी है। मजदूरों को गिरफ्तारी की धमकी दी जा रही है। मिल मालिक ने मजदूरों की नौकरी से सम्बन्धित तथा मिल से सम्बन्धित सारे कागजात गायब कर दिए तथा मजदूरों के बार-बार चेतावनी के बावजूद जिला प्रशासन ने मालिकों के विरुद्ध एहतिहाती या प्रारम्भिक कार्यवाही नहीं की। इससे स्पष्ट होता है कि जिला प्रशासन मिल मालिकों से मिला है और मिल मजदूरों के दमन पर उतारू है। मजदूरों की समस्या की ओर कोई ध्यान न देने के कारण यह मजदूर आन्दोलन नगर के बीसों राइस मिलों में फैलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सर्वप्रमुख धान की मन्डी अतर्रा में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी है एवं अन्य मिलों के सभी मालिक फैक्टरी ऐक्ट का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हैं। इसलिए सभी मिल मालिक शंकित हैं कि यदि उक्त मिल के मजदूर फैक्टरी ऐक्ट को लागू कराने के आन्दोलन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो उन सभी की मिलों में फैक्टरी ऐक्ट लागू होने से कोई रोक नहीं सकता है। इससे उन सभी मिल मालिकों ने संगठित होकर मजदूरों को आतंकित करना और सताना शुरू कर दिया है और पूरे नगर में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गयी।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करता हूं और तुरन्त कार्यवाही की माँग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फैजाबाद जनपद के कतिपय ग्रामों में अग्निकाण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, फैजाबाद जनपद में कई स्थानों पर भीषण अग्निकान्डों से लाखों की सम्पत्ति जल जाने तथा कई व्यक्तियों व जानवरों की जीवन लीला समाप्त होने की तरफ मैं इस माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

अभी तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इस जनपद में अग्निकाँडों से सर्वाधिक क्षति बीकापुर तहसील में हुई है। हैदरगंज पूरब पट्टी में गाँव का तीन-चौथाई भाग जल कर नष्ट हो गया है। भोला का पुरवा गाँव में एक अबोध बालक तथा एक बैल की जीवन लीला आग की लपेट में समाप्त हो गयी है। धुरी टीकर गाँव में अग्निकाँड में दो व्यक्ति काल कवलित हो चुके हैं। पिछौरा, दुर्गा दासपुर, नन्दरौली व अन्य कई गाँवों में भीषण अग्निकाँड के समाचार मिले हैं। इसी क्षेत्र में चन्द्र शेखर विद्यालय तमसा बाजार जल कर राख हो गया है।

फैजाबाद जनपद के पूर्वांचल में जलालपुर क्षेत्र में चौदह प्रास कोरवा गाँव में 8 अप्रैल को सात हरिजनों का घर जल कर राख हो गया है। इन अग्नि पीड़ितों को अभी तक कोई राजकीय सहायता नहीं दी गयी है। इस सदन के संज्ञान में फैजाबाद जनपद में भीषण अग्निकाँडों से उत्पन्न गम्भीर स्थिति को लाकर मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूं कि फैजाबाद जनपद में अग्निपीड़ितों को समुचित सहायता दिए जाने की व्यवस्था की जाय।

प्रदेश में खोया बनाने पर पाबन्दी लगाने से उत्पन्न समस्या के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में लाखों आदमियों का कुटीर उद्योग दूध से खोया बनाने का है। परन्तु इस समय सरकार ने खोया बनाने के ऊपर पाबन्दी लगा दी है जिसके कारण प्रदेश के लाखों आदमी, जिनका खोया बनाना ही जीवन का आधार था बेकार हो गए हैं। चूंकि उनका कोई अन्य जीवन का साधन नहीं है, इसलिए वे भूखों मरने की स्थिति में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के द्वारा एक नोटीफिकेशन संख्या 1975/12-ई-4-13/77, दिनाँक 22 अप्रैल, 1977 (संलग्नक)† जारी हुआ जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि दूध की कमी को देखते हुए दूध से बनने वाली चीजों के ऊपर पाबन्दी लगानी जरूरी है। परन्तु पाबन्दी में स्पष्ट रूप से खोया बनाने को छोड़ दिया गया है। नहीं कहा जा सकता कि उस नोटीफिकेशन के होते हुए भी इस समय सरकार ने ऐसा आदेश क्यों जारी किया है जिसके परिणामस्वरूप खोया बनाने वाले लाखों लोगों का जीवन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

[श्री रियासत हुसैन]

अस्त-व्यस्त हो गया है। इसके कारण आम जनता में खोये से बनने वाली मिठाइयां न मिलने के कारण व्यापक रूप से एवं विशेष तौर पर उन लोगों में जिनके जीवन का साधन एक मात्र खोया बनाना है, घोर असन्तोष एवं अविश्वास व्याप्त ह।

अत: लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर माननीय सदन द्वारा माननीय पशुधन मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बांगरमऊ, जिला उन्नाव में जल संकट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से उन्नाव जनपद की नगर पालिका बाँगरमऊ में घनघोर जल संकट के कारण नागरिकों में असन्तोष एवं रोष का वातावरण उत्पन्न हो जाने सम्बन्धी अति लोक महत्व की निम्नलिखित सूचना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

उन्नाव जनपद की प्रमुख औद्योगिक बस्ती नगरपालिका, बाँगरमऊ के निवासियों को भीषण गर्मी के इन दिनों में पानी न मिलने से नागरिकों के समक्ष विषम समस्या उत्पन्न हो गयी है। एक-एक बाल्टी पानी के लिए लोगों को चार-चार, छः-छः घंटों तक लाइन में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। नलों में पानी आता ही नहीं। जो लोग ऊपरी मंजिलों में निवास करते हैं उन्हें तो पानी मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पानी के अभाव में अनेक लोग हफ्ते तक बिना नहाए ही रह जाते हैं। कभी-कभी तो पानी के अभाव में भोजन बनने तक की नौबत नहीं आती। मोहल्ला किला शाई, चौधड़ा, टेढ़ी बाजार, नदी टोला, बजरिया, चौधराना आदि मोहल्लों में तो हफ्तों तक किन्हीं-किन्हीं नलों में पानी नहीं आता। जनपद की इस प्रमुख नगरपालिका में पीने के पानी के लिए एक छोटी सी पानी की टंकी है जो पूरी बस्ती की पानी की पूर्ति नहीं कर पाती, केवल सड़क के किनारे लगे हुए नलों से ही पानी मिलता है। जानकारी तो यह भी मिली है कि इन गर्मी के दिनों में उक्त कस्बे में एक-एक, डेढ़-डेढ़ रुपया बाल्टी पानी मोल बिकता है। जल संकट की घोर दुरव्यवस्था के फलस्वरूप नागरिकों में गहरा असन्तोष एव रोष उत्पन्न हो गया। समय रहते यदि इस समस्या पर शासन की ओर से अविलम्ब ध्यान न दिया गया तो कभी भी स्थिति भयावह हो सकती है। यही हाल उन्नाव नगरपालिका का भी है। लोग सुबह से शाम तक घंटों लाइन लगाए खड़े रहते हैं, पर पानी मिलता ही नहीं। अति लोक महत्वपूर्ण उपरोक्त सूचना के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर अपेक्षा करता हूं कि वह नगरपालिका बाँगरमऊ, उन्नाव के निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाएगी ताकि जनता के समक्ष उत्पन्न घनघोर जल संकट समाप्त हो सके। और लोगों को पीने का पानी सुलभ हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नगीना, जिला बिजनौर की हरिजन बस्ती सराय खुर्रम अली में अग्निकाण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री मंगल राम प्रेमी (जिला बिजनौर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के एक हरिजन बस्ती खुर्रम अली सराय में 21 अप्रैल, 1978 की सायंकाल 4 बजे बहुत ही गम्भीर अग्निकाण्ड हुआ है जिस समय सभी हरिजन महिला व पुरुष जंगल में थे चन्द बच्चे ही मोहल्ले में थे जो शहर के आदमियों ने भाग कर बचाए। ईश्वर की कृपा हुई कि कोई अप्रिय घटना जन जीवन की नहीं हुई। 30 घर मय सम्पत्ति सहित जल कर भस्म हो गए जिसमें 30 हरिजन परिवार बेसहारा हो गए। न कुछ खाने को बचा, न पहनने को कपड़ा। बेचारों द्वारा काटी गयी रबी की फसल तथा इकट्ठा किया हुआ अनाज भी इनके घर पर ही रक्खा था वह भी जल कर राख हो गया और वह दिन भर कड़कती धूप से बचने के लिए अपने-अपने बच्चों को लेकर सड़क पर या बागों में जाकर पेड़ों का सहारा ले रहे हैं। वे दिन भर में केवल सायंकाल का एक समय का भोजन किसी तरह से शहर से माँग कर अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से माननीय अध्यक्ष व सरकार का ध्यान इस ओर दिलाते हुए यह माँग करता हूं कि जो 30 हरिजन परिवारों का लगभग एक लाख 13 हजार का नुकसान हुआ है उस नुकसान को पूरा करने के लिए सरकार के मुख्य मन्त्री कोष से या किसी अन्य स्रोत से उनकी मदद की जाय और मेरी हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री महोदया जी से प्रार्थना है कि इन 30 हरिजन परिवार के घर जल कर नष्ट हुए हैं उनके लिए 30 घरों की एक कालोनी बनाने की हरिजन सहायता प्रदान की जाय। साथ ही उनकी झोपड़ी बनवाने के लिए वन मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वह बल्ली बाँस व पूला अपने वन विभाग से देकर उनके घर तक सरकार के खर्चे पर पहुंचाया जाय। ताकि वह अपनी झोपड़ियों को बनवा कर अपने बच्चों को लेकर छाया में बैठ सकें और अपनी झोपड़ियों में भोजन बना कर बच्चों को खिला सकें। मुझे इस सूचना को सदन में पेश करने के लिए अध्यक्ष जी ने जो समय दिया मैं उनका बार-बार आभार प्रकट करता हूं।

डी० ए० वी० कालेज, कानपुर के गिरफ्तार छात्रों को छोड़ने की मांग

***श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय गृह मन्त्री जी का ध्यान एक विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, 10 मई को कानपुर डी0 ए0 वी0 कालेज के कुछ छात्र अपनी फरियाद लेकर मुख्य मन्त्री के पास आ रहे थे, उनकी बस आलमबाग थाने में रोक ली गयी और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। वे कानपुर डी0ए0वी0 कालेज में पिछले 30 वर्षों से जो अनियमितताएं, लाखों रुपए का गोलमाल का मामला है, उस सम्बन्ध में अपनी फरियाद मुख्य मन्त्री को देना चाहते थे, इसी बात को लेकर वे डा0 वीरेन्द्र स्वरूप से भी मिलना चाहते थे, उनके बंगले पर उस समय कानपुर की पुलिस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबू राम शुक्ला]

ने, उन पर लाठी चार्ज किया और गिरफ्तार किया। आज भी उन छात्रों पर मुकदमा चल रहा है। उन छात्रों का केवल इतना ही दोष था कि वे मुख्य मन्त्री को अपनी फरियाद देना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष—

अब आप इसे समाप्त कीजिए, कृपया।

श्री बाबू राम शुक्ल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि उन छात्रों को अब तीन दिन की सजा मिल चुकी है, उन्हें माननीय गृह मन्त्री जी छोड़ने की कृपा करें।

कतिपय विषय

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही में नहीं लिया जायगा।

श्री रेवती रमण रस्तोगी—

[* * * *]

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी अनुमति आपको नहीं देता हूं। आप बैठें। आप बैठ जायं।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। मैंने कहा जो मेरी बिना अनुमति के बोलेंगे वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (नवां संशोधन) नियमावली, 1977†

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 25/2 1-(1)-77-यू0पी0ए0-1-51-नियम-52 ए0एम0(9)-77, दिनांक 27 अक्तूबर, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (नवां संशोधन) नियमावली, 1977 को उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 344 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट—[****] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (दसवां संशोधन) नियमावली, 1978†

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना सं0 240-1-1(29)/77-यू0पी0ए0-1-51-नियम-52-ए0एम0(10)-78, दिनांक 8 मार्च, 1978 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (दसवां संशोधन) नियमावली, 1978 को उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 344 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखे 1976-77, भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1976-77 (सिविल) (राजस्व प्राप्तियां) एवं भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, 1976-77 (वाणिज्यिक)††

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखे 1976-77, भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1976-77 (सिविल), (राजस्व प्राप्तियाँ) एवं भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 1976-77 (वाणिज्यिक) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल इम्प्लायमेन्ट (स्टैंडिंग आर्डर्स) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1978†

श्रम तथा आबकारी मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्रम अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 5795(वि)/36-3-57(एस0ओ0)(6)-77, दिनांक 10 फरवरी, 1978 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल इम्प्लायमेन्ट (स्टैंडिंग आर्डर्स) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1978 को, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

दैनिक अंग्रेजी समाचारपत्र 'पायनियर' के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री आरिफ मोहम्मद खां, सदस्य, विधान सभा ने दैनिक अंग्रेजी पत्र 'पायनियर' के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि दैनिक अंग्रेजी पत्र 'पायनियर' ने 6 मई, 1978 को "मालविया तंत्रिकाइज्ड" के नाम से समाचार प्रकाशित करके नेता सदन का अवमान कर सदन का अवमान किया है।

---

†छापा नहीं गया।
††छापी नहीं गयी।

[श्रीं अध्यक्ष]

मैंने इस सम्बन्ध में 'पायनियर' के सम्पादक एवं सम्बन्धित सम्वाददाता से स्पष्टीकरण के लिए कहा था। श्री एच0एस0 सिन्हा, सहायक सम्पादक, पायनियर, लखनऊ ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि यह समाचार विधान सभा की कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं है। अन्य पत्रों की भांति पायनियर में भी यह छपा है। ऐसे समाचार जिनका सदन की कार्यवाही से सम्बन्ध नहीं है उनके प्रकाशन से सदन के विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न नहीं उठता।

मैं पायनियर के सहायक सम्पादक द्वारा भेजे गए स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट हूं। मन्त्रियों की नियुक्ति करना और उन्हें पदच्युत करने का सम्बन्ध इस सदन की कार्यवाही से नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में कोई विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान का प्रश्न नहीं उठता है अतः मैं श्री आरिफ मोहम्मद खां द्वारा उठाए गए सदन के अवमान के प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

तांत्रिक से नहीं पूछा गया कि सत्य क्या है . . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

तांत्रिक से इण्टरव्यू लिया या नहीं . . . .

श्री अध्यक्ष—

तिवारी जी आप जानते हैं बहुत सी चीजें हैं जिनसे सदन का कोई ताल्लुक नहीं है . . .

श्री देव बहादुर सिंह—

श्रीमन्, तांत्रिक से पूछा ? जा करके मिले होते तो बात साफ हो जाती . . .

श्री अध्यक्ष—

आप मिल लीजिए। शिष्य बन जाइए।

सहकारिता मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री राम आसरे वर्मा सदस्य, विधान सभा ने माननीय सहकारिता मन्त्री के विरुद्ध इस आधार पर विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी कि उन्होंने 1 मई, 1978 की कार्यसूची की नत्थी (घ) के तारांकित प्रश्न संख्या 27 का जानबूझ कर सदन में गलत उत्तर देकर सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की है। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय सहकारिता मन्त्री से जानकारी प्राप्त की। उनका कहना है कि लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन, लि0, लखनऊ के अधिकारियों के विरुद्ध 1976 में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था बल्कि जैसा कि विशेषाधिकार की सूचना में कहा गया है यह मुकदमा 20 अक्तूबर, 1975 को थाना हजरतगंज में श्री राम गोपालन, महा मन्त्री, लखनऊ प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्क यूनियन कर्मचारी संघ द्वारा दर्ज कराया गया था। अतः प्रश्न का जो उत्तर दिया गया था वह प्रश्न में माँगी गयी सूचना के अनुसार ठीक था। उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में जानबूझ कर कोई भी तथ्य छिपाने का प्रयास नहीं किया गया और न ही कोई गलत सूचना दी गयी।

माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न और उसके उत्तर को देखने से यह प्रतीत होता है कि माननीय सहकारिता मन्त्री ने कोई गलत बयानी सदन में नहीं की। अतः मैं इस विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

सर्वश्री गुलाब सेहरा, ऊदल, रियासत हुसैन, श्यामधर मिश्र, देव बहादुर सिंह ने माननीय मुख्य मन्त्री के विरुद्ध 9 मई, 1978 को विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी। उक्त माननीय सदस्यों का कहना है कि 2 मई, 1978 को माननीय मुख्य मन्त्री ने काम-रोको प्रस्ताव की चर्चा के दौरान जो वक्तव्य दिया था वह तथ्यों के विपरीत था और सदन को गुमराह करने वाला था। इसी आशय की एक दूसरी सूचना 10 मई, 1978 को सर्वश्री आरिफ मोहम्मद खां, गौरी शंकर, हबीब अहमद, रेवती शरण मौर्य, रवीन्द्र सिंह, मोती राम, मान सिंह आजाद, कौशल किशोर तथा कुछ अन्य विधायकगण के हस्ताक्षर से प्राप्त हुई थी।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री से वस्तु-स्थिति की जानकारी माँगी और माननीय मुख्य मन्त्री ने दिनांक 10 मई, 1978 को मुझे वस्तु-स्थिति की जानकारी देते हुए यह कहा है कि जो सूचना सदन को उपलब्ध की गयी थी वह जिले से प्राप्त सूचना के आधार पर थी और कोई तथ्य न तो छिपाए गए थे और न उसके विपरीत थे और न ही उनका इरादा किसी प्रकार सदन को गुमराह करने का था। मैंने माननीय सदस्यों की सूचनाओं एवं माननीय मुख्य मन्त्री से प्राप्त जानकारी को देख लिया है। सूचना देने वाले माननीय सदस्यों ने कोई ऐसे तथ्य प्रस्तुत नहीं किए हैं जिससे यह निष्कर्ष निकलता हो कि माननीय मुख्य मन्त्री ने जानबूझ कर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया हो।

अतः मैं उक्त दोनों सूचनाओं को विशेषाधिकार की . . .

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

अध्यक्ष जी. . . .

श्री अध्यक्ष—

अवहेलना के प्रश्न के रूप में अग्राह्य करता हूं।

श्री गुलाब सेहरा—

अध्यक्ष जी, सुन तो लेते पहले। मैंने उस दिन उद्धरण भी लगाए थे. . .

श्री अध्यक्ष—

सेहरा जी, आप जानते हैं कि विशेषाधिकार की सूचना में यह आवश्यक नहीं है. . . .

श्री गुलाब सेहरा—

आप सुन तो लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप नियमों को जानते हैं। मैंने देख कर के निर्णय किया है।

श्री गुलाब सेहरा—

आपने उस दिन कहा था कि आपको सुन लिया जायगा उसके बाद निर्णय दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा उसको देखने के बाद . . . .

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, आपने कहा था। श्रीमन्, बिल्कुल तथ्यों के विपरीत दिया है। मैंने अपनी सूचना में कहा है। आप मुझे सुन लेते और तब निर्णय देते तो अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष—

इसमें लिखा है कि मन्त्रिगण जो सूचना यहाँ देते हैं वह स्वत: नहीं देते, वह जिलाधिकारी की सूचना के आधार पर देते हैं। आपकी बात मैं भेज दूंगा। अगर कोई गल्ती है तो उनके खिलाफ वह ऐक्शन लेंगे। मैं इसको समाप्त करता हूं।

श्री गुलाब सेहरा—

उस दिन आपने निर्णय दिया था। आप इस सदन के अध्यक्ष हैं। हम अपनी सुरक्षा आपके माध्यम से चाहते हैं। उस दिन आपने निर्णय दिया था कि उनका जवाब आ जायगा उस वक्त आपको सुन लूंगा। आप कार्यवाही निकलवा कर देख लें। अगर आप उस पर पुनर्विचार कर लेते तो मुझे पाँच या दस मिनट का समय अवश्य देते।

श्री अध्यक्ष—

जब मैंने कहा कि स्पष्टीकरण देखने के बाद अवसर दूंगा तो मैंने स्पष्टीकरण को देखा और मैंने आवश्यक नहीं समझा। आज ही तीन विशेषाधिकार की सूचनाएं पढ़ीं। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि माननीय सदस्य ऐसे प्रश्न न देते हों। उनको भी देखना चाहिए कि कहाँ तक उनका औचित्य है। सूचना आप देते हैं, मुझे निर्णय लेना पड़ता है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

व्यवस्था का प्रश्न है। जो सूचना माननीय मन्त्री देते हैं वह जिलों से आई सूचना के आधार पर होती है। संविधान के अनुच्छेद 164(2) में स्पष्ट लिखा है कि मन्त्रियों की जिम्मेदारी इस सदन के प्रति है। आपकी बात सही मान कर चलें तो माननीय मन्त्री जी भी कह देंगे चाहे सही हो या गलत तो वह 164(2) के विपरीत हो जायगा। जिले के अधिकारियों के खिलाफ यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। वह तो मन्त्री ही करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप पुराने सदस्य हैं। आज तक यहाँ के इतिहास में ऐसी प्रथा नहीं है। आखिर माननीय मन्त्रियों की सूचना के आधार उनके अधिकारी हैं। अगर वह सूचना गलत सिद्ध हो जाती है तो मैंने व्यवस्था दी थी बनारस की सूचना पर जो तत्कालीन मन्त्री के विरुद्ध थी, अगर सूचना गलत आती है तो मुख्य मन्त्री जाँच करके कार्यवाही करेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

आपकी बात सही है। लेकिन अगर ऐसी गलत सूचना आ जाती है तो मुख्य मन्त्री की जिम्मेदारी हो जाती है कि इस सदन में कहें कि सूचना गलत मिली है और हम उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और फिर जो भी कार्यवाही हो उसको माननीय सदन में रखें।

श्री अध्यक्ष—

जब अवसर होगा, तो अवश्य देंगे। इस वक्त तो मेरे सामने कोई प्रश्न नहीं है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 66 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अनुसार यह है कि इसमें परन्तुक में लिखा है—किन्तु यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो अपना निर्णय देने के पूर्व सम्बन्धित सदस्य तथा अन्य सदस्यों को सुन सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन आपने तो खुद ही. . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, इसमें बात यह है कि प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना है कि नहीं। यह अध्यक्ष को निर्णय करना पड़ता है। इसके दो तरीके हैं जो आज कल चल रहे हैं। एक तो यह कि बिना किसी का स्पष्टीकरण माँगे आपने निर्णय दे दिया कि प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं है। दूसरे में है कि दोनों पक्षों को सुनें, एक पक्ष को सुने और दूसरे को न सुने—यह नहीं है। इसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय दें। यह नहीं कि एक पक्ष को सुना और दूसरे को नहीं सुना। इसमें स्वर्गीय गेन्दा सिंह जी के बारे में डेढ़ घंटे यहां चर्चा हुई थी—आपको याद होगा एक मन्त्री महोदय की जान बूझकर गलत बयानी के ऊपर। माननीय गेन्दा सिंह सदस्य विधान सभा थे। उन्होंने जान बूझकर गलतबयानी का आरोप लगाया। तो इसमें पुराने रिकार्ड हैं, जिनको श्रीमन्, देखें। अफसरों ने कितना बयान भेजा। सवाल है कि क्या तथ्य थे कि जान बूझकर यह गलतबयानी हुई मुख्य मन्त्री के द्वारा। तो उसमें एक तो पुरानी परम्परा है इस सदन की। मैं हाउस आफ कामन्स में नहीं जाना चाहता, कहीं बाहर नहीं जाना चाहता। इसी सदन में गलतबयानी को विशेषाधिकार की अवहेलना माना गया है। तो प्रश्न यह है कि क्या जो रिकर्ड माननीय मुख्य मन्त्री जी के सामने थे, उस रिकार्ड को देखते हुए भी यह अधूरा बयान दिया गया? श्रीमन्, यह भी होता है कि तथ्यों को छिपाकर अधूरा तथ्य सामने रख दिया। तो यह यकीनन जानबूझकर गलतबयानी है। तो इसकी कसौटी एक है। जब एक पक्ष का स्पष्टीकरण ले लिया, तो नियम 66 को देखते हुए दूसरे पक्ष को भी सुनना लाजिमी है। यह नहीं कि एक पक्ष का स्पष्टीकरण ले लिया और दूसरे पक्ष को न सुनें।

दूसरा निवेदन है कि जानबूझकर गलत-बयानी विशेषाधिकार की अवहेलना रही है और इसी सदन में भी इसको मान्यता मिल चुकी है। पहले भी ब्रीच-आफ-प्रिवलेज के सम्बन्ध में कमेटी का मत रहा है कि यह इस सदन का अवमान है। यह रिकार्ड में है। तो जानबूझकर गलतबयानी इस मामले में हुई है क्योंकि जो जिलाधिकारी ने कुछ बयान दिया है तथ्यों के बारे और जोकि बुनियादी तथ्य थे, तो दुबारा स्पष्टीकरण मांग लें। तो मान्यवर, उसको बिल्कुल मांग लेना चाहिए। नियमों के अनुसार एक की बात आई है और दूसरे पक्ष की बात नहीं आई। अतः श्रीमन्, मैं आग्रह करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, आप इसमें देखें—2/3 अंग हैं। एक तो वह जो हम लोगों ने निवेदन किया कि विशेषाधिकार की अवहेलना यों बनती है। उसके पहले मुख्य मन्त्री जी का बयान। उसके बाद दूसरी बात यह कि मुख्य मन्त्री जी ने आपको उत्तर दिया—वह, श्रीमन्, आपको मालूम है, हम लोगों को मालूम नहीं। मुख्य मन्त्री जी ने जो आपसे कहा, उस पर आप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामधर मिश्र]

इस नतीजे पर गए। लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने आपसे क्या कहा हमें मालूम नहीं। तो इसमें, श्रीमन्, मैं आपके सामने व्यवस्था का यह प्रश्न उठाना चाहता हूं कि जब हमें मालूम नहीं कि उन्होंने क्या कहा तो हम कैसे बतायें कि जो हमारी बात है उसमें किन बातों पर उनकी बात आधारित है। मैं तो कहना चाहता हूं कि हमारी जो बात है, वह आधार पर खड़ी है—वह सदन की जायदाद बनकर खड़ी है। माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर से लिखकर दे दिया है। लेकिन मुख्य मन्त्री जी ने क्या कहा, वह हमें नहीं मालूम। तो हमें कैसे मालूम हो कि क्या स्थिति है? वह जानबूझकर है या भूल से है। तो एक तो यह है।

दूसरी बात—मेज पालियामेंट्री प्रैक्टिस में जरूरी नहीं कि बार-बार जानबूझकर हो। श्रीमन्, बड़ा जोर और बहुत सुरक्षा मांगी जा रही है जानबूझ शब्द पर। जानबूझकर न हो, यह हमारे यहां है। लेकिन भूल हो गयी है और भूल बराबर इस तरह से हो रही है। तब भी माननीय मुख्य मन्त्री इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब मैं बतला न सकूं क्या उनकी गलती और भूल है तो कैसे उसकी जांच करेंगे? हम कुछ कहने न पायें और बात एकांगी चली जाय तो कैसे विशेषाधिकार का प्रश्न हो सकेगा? इसलिए आपको सुन लेना चाहिए गुलाब जी तथा औरों को, तब आप निर्णय दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपका ध्यान नियम 65 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 65(ग) में लिखा है "परन्तु यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष, अपनी सम्मति तथा ग्राह्यता सम्बन्धी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को सम्बद्ध लेखों, यदि कोई हों, के निरीक्षण का अवसर दे कर सुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्ता को भी सुन सकेंगे।" तो मैंने आपके तथ्यों को भी देखा और मुख्य मन्त्री के तथ्यों को भी देखा। उसके बाद मैंने यह आवश्यक नहीं समझा कि शिकायतकर्ता को मैं पुन. अवसर दूं और यह निर्णय मैंने लिया था। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि कोई सदस्य अगर कुछ लिख कर देता है वह अध्यक्ष की संतुष्टि के लिए होता है। उसमें कहीं न कहीं तो कोई निर्णय होगा और निर्णय देने का अधिकार आपने अध्यक्ष पर छोड़ा है। तथ्यों के बारे में यहां एक नहीं अनेक रूलिंग्स हैं जो इस प्रकार की हैं कि माननीय मन्त्री ने असत्य कहा तो उसका प्रमाण होना चाहिए। माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं उसे भी असत्य नहीं कह सकता। माननीय मुख्य मन्त्री जी यह कहते हैं कि जो सूचना उन्होंने दी है अपनी निजी जानकारी पर नहीं दी है, वह उन्होंने प्राप्त सूचना के आधार पर दी है। मैंने सब बातों को देखने के बाद इसे अस्वीकृत किया है। यदि तथ्यों के बारे में कोई बात करनी है तो मेरे कक्ष में आप कर सकते हैं। अगर कोई असंगति होगी तो मैं पुन. उनसे सूचना मांगूगा। इसलिए मैंने इस प्रश्न को अस्वीकार किया और अब इस पर विवाद नहीं होगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

इससे सम्बन्धित एक मौलिक प्रश्न की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस पर आप भी विचार करें और हम भी विचार करें। जो कुछ सूचना दी जाती है वह अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर दी जाती है। एक साल से हम इस बात को देख रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। अब प्राप्त सूचना के अनुसार आपने मन्त्रियों को यह छूट दे दी जिससे प्रिविलेज के मोशन से वह बच जाते हैं। वह कह देते हैं कि जो बयान

उन्होंने दिया वह निजी जानकारी के आधार पर नहीं बल्कि प्राप्त सूचना के अनुसार दिया। दूसरी बात यह है जिसपर आप गौर करें और हम भी सोचेंगे और कहीं कोई रूलिंग मिलेगी तो ले आऊंगा। वह यह कि इस माननीय सदन के प्रति मन्त्रिमण्डल या मन्त्रिमण्डल के जो सदस्य हैं वे जिम्मेदार हैं या प्राप्त सूचना देने वाला जिम्मेदार है। यह बड़ा मौलिक प्रश्न है। इसके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है वर्ना सरकार और सरकार के मन्त्री जो भी गलत सूचना देंगे माननीय सदन को देंगे उसमें वे कभी भी किसी भी विशेषाधिकार की परिधि में नहीं आयेंगे। फिर कोई लिमिट नहीं होगी और उसकी कहीं कोई जांच नहीं होगी, इसलिए खुद आप इस पर विचार करें इस मौलिक प्रश्न पर और हम भी विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय ऊदल जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है मौलिक प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। यहाँ एक्स-वाई लोग जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं वे सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। मन्त्रि-परिषद् उत्तरदायी है और मन्त्रि परिषद् अपनी पूरी जिम्मेदारी मानता है। लेकिन ऐसा मैं समझता हूं और जैसा आपने भी कहा कि कोई तरीका बतलाया जाय तो ये मन्त्रिगण सर्वव्यापक हों या उन्हें सिद्धि प्राप्त हो कि वे यहाँ पर बैठें और जैसे संजय को दिव्य दृष्टि मिल गयी थी, वे महाभारत को देख सकते थे, वैसे ही संजय-दृष्टि उनको मिल जायगी जिससे वे देख सकें, वर्ना जो भी सूचना होंगी वह अधिकारियों के आधार पर होंगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अब यह मामला सदन तय नहीं कर सकता है एक न्यायालय के रूप में। यदि किसी ने गलत सूचना दी है वह कोई भी सदस्य हो मेरे कक्ष में आकर मुझे बतलावे। मैं देखूंगा कि मुख्य मन्त्री जी का क्या वक्तव्य है। अगर वह सूचना गलत है तो अवश्य मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि उन अधिकारियों को दण्डित किया जाय। अब यह समाप्त हुआ।

दैनिक जागरण, कानपुर के सम्पादक एवं प्रेस ट्रस्ट के लखनऊ स्थित सम्वाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने हिन्दी दैनिक जागरण कानपुर के सम्पादक एवं प्रेस ट्रस्ट के लखनऊ स्थित संवाददाता के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि दैनिक जागरण के 12 मई, 1978 के अंक में पृष्ठ 8 के कालम 8 पर "बलबीर सिंह के विरुद्ध मर्यादा उल्लंघन का नोटिस रद्द" के शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार में कहा गया है कि "मर्यादा उल्लंघन का नोटिस कम्युनिस्ट सदस्य, श्री राम आसरे वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया था।" यह समाचार प्रेस ट्रस्ट के माध्यम से भेजा गया था। माननीय श्री वर्मा का कहना है कि विधान सभा में निर्दलीय सदस्य के रूप में वे जीत कर आए हैं और उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बताकर मर्यादा का उल्लंघन किया गया है।

माननीय सदस्य को अपनी सूचना के साथ समाचार-पत्र की पूरी प्रतिलिपि संलग्न करके देनी चाहिए थी। उन्होंने केवल एक कतरन संलग्न करके भेजी है। सूचना नियमानुसार ग्राह्य नहीं है। लेकिन मैं दैनिक जागरण के सम्वाददाता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो उन्होंने भूल से माननीय सदस्य के निर्दलीय के बजाय कम्युनिस्ट लिख दिया है, इसका वे स्पष्टीकरण कर दें और इस भ्रम का निवारण करदें। साथ ही मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे जो मसले आते हैं उनको नोटिस में नहीं लेना चाहिए।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा ने माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के विरुद्ध सदन के अवमान के प्रश्न की सूचना दी है। उनका कहना है कि मैंने 7 सितम्बर, 1977 को माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को यह आदेश दिये थे कि फैजाबाद सर्किट हाउस में बिजली से एक व्यक्ति की मृत्यु के विषय में जाँच करके इस सदन को यथाशीघ्र सूचित करने का कष्ट करें, किन्तु उन्होंने 8 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक इस सम्बन्ध में सदन को कोई सूचना नहीं दी।

मैं इस सम्बन्ध में निर्णय देने से पहले सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से वस्तुस्थिति की जानकारी चाहता हूं। उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरान्त ही मैं इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दूंगा। लेकिन मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रोज ही उभय पक्ष के लोग एक प्रश्न उपस्थित करते हैं। 8 महीने पहले नियम 301 में एक सूचना स्वीकार की गयी थी और इस अवधि के दौरान उनको कोई उत्तर दे देना चाहिए था। यह उचित नहीं लगता। कल संसदीय कार्य मन्त्री ने आश्वस्त भी किया था कि ये सब सूचनाएं शीघ्र आयेंगी। मैं आपके पास भेज रहा हूं। इसका स्पष्टीकरण करें और साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जो माननीय सदस्यों की सूचनाएं हैं उन पर सरकार को शीघ्र ही उत्तर देना चाहिए।

राज्य सम्पत्ति अधिकारी व जूनियर इन्जीनियर, रायल होटल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय मोहन सिंह जी उठे। उन्होंने एक सूचना विशेषाधिकार की दी है। मैं मानता हूं कि सूचना वास्तविक है। मैं इसे पढ़कर सुना देता हूं। हालाँकि वह अग्राह्य है। श्री मोहन सिंह, सदस्य, विधान सभा ने राज्य सम्पत्ति अधिकारी और जूनियर इन्जीनियर, रायल होटल के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि गत दो दिनों से विधायक निवास नं0 4 में पानी उपलब्ध नहीं है और बिजली रात में चली जाती है। इससे विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है किन्तु मैं.....

(व्यवधान)

सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप लोग शान्त रहें। श्यामधर जी, आप व्याकुल होते चले जा रहे हैं। यह विषय मुख्य मन्त्री जी से सम्बन्धित है राज्य सम्पत्ति विभाग उनके पास है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सदस्यों की सुविधाओं को ध्यान रखने में प्राथमिकता देनी चाहिए।

(व्यवधान)

आप लोग शान्त रहिए। बात मत कीजिए। आज मुझे सुबह भी कई सदस्यों ने फोन किया कि उनको नहाने तक का पानी उपलब्ध नहीं है और बिजली न होने की वजह से वह लिख पढ़ भी नहीं सके। यह अत्यन्त शोचनीय स्थिति है। सरकार को सदस्यों की सुविधाओं की ओर ध्यान देना चाहिए। कम से कम पानी और बिजली तो उनको मिलनी चाहिए। इसको मैंने अग्राह्य किया है।

विद्युत् मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री देव बहादुर सिंह का भी इसी प्रकार का है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, हमने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न माननीय विद्युत् मन्त्री के खिलाफ दिया है। उनकी वजह से बिजली रात में गायब हुई और सुबह पानी भी नहीं मिला। इसलिए विधायी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है। हम विधायी कार्य नहीं कर सके, इसका दायित्व विद्युत् मन्त्री जी पर है। इसके पहले आपने देखा सदन में उनका बजट प्रस्तुत हुआ, कितनी दफा बिजली चली गयी। इसमें कितना पैसा सरकार का बरबाद हुआ। विद्युत् मन्त्री जी की लापरवाही के कारण विधायी कार्य में बाधा हुई इसलिए विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न मैं प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

वह ठीक है। मैंने देख लिया है आपकी तकलीफ वास्तविक है लेकिन इस सदन को कोई बिजली देने की जिम्मेदारी नहीं है। आपका एक नागरिक की हैसियत से बिजली से ताल्लुक है। आपके कर्तव्य पालन से इसका ताल्लुक हो इसमें कोई मेल नहीं खाता है। लेकिन मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया है। माननीय मन्त्रियों की तरफ से किसी को आश्वासन तो देना चाहिए। माननीय त्रिपाठी जी, आप बतलायें।

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मैं यही सोच रहा था कि जिनको जो कुछ कहना है, कह लें, उसके बाद मैं उत्तर दूंगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी से मैं बात करके देख लूंगा और उसकी व्यवस्था हो जायगी।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा सदन के समय के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी आज दिनांक 12 मई, 1978 की बैठक में निम्नलिखित संस्तुतियां की—

1—"दिनांक 13 मई, 1978 को सदन का उपवेशन 11 बजे के स्थान पर साढ़े ग्यारह (11.30) बजे पूर्वान्ह से प्रारम्भ होगा।

2—उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के उपरान्त सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान अपराह्न साढ़े तीन (3.30) बजे तक,

3—ग्राम्य विकास मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान साढ़े चार (4.30) बजे अपराह्न तक लिए जायें और उक्त अनुदानों तथा वित्त मन्त्री से सम्बन्धित अनुदानों पर मतदान के उपरान्त विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार तथा उसका पारण।"

4—दिनांक 15 और 16 मई, 1978 को सदन की बैठक नहीं होगी।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला ननीताल)—

मान्यवर, दो अनुदान एक दिन में रखे हैं। यह जो कार्य मन्त्रणा समिति ने तय किया है हम लोग भी इसमें अपनी राय दे सकते हैं। सदन 15, 16 को नहीं होगा.....

श्री अध्यक्ष—

आपके प्रतिनिधि वहाँ पर बैठे थे। अब मैं इस पर अनुमति नहीं दूंगा।

खाद्य मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन, कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना अभी अध्यक्ष द्वारा दी गयी, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं जो इस समय कार्यवाहक नेता सदन हैं, उनसे जानना चाहता हूं कि कल विनियोग विधेयक पास हो जाने के बाद सदन चलेगा या नहीं, क्योंकि यह अफवाहें फैली हैं कि सदन कल से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जायगा। मैं निश्चित जानकारी चाहता हूं कि सदन का कार्य चलेगा या नहीं या अनिश्चित काल के लिए कल उठ जायगा, क्योंकि जो आश्वासन दिया गया था असरकारी दिवस और सरकारी कार्य के बारे में, उस सम्बन्ध में मैं निश्चित जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष —

मैं अभी आपको सूचना देना चाहता हूं कि हम लोगों ने पहले कार्य-मन्त्रणा समिति में और इस सदन में 18 तक का कार्यक्रम निश्चित किया है और केवल हमने 15–16 की छुट्टी माननीय श्यामधर मिश्र और उनके दल के अनुरोध पर की है। उसकी वजह से 13 का कार्यक्रम संशोधित किया है। जब तक कोई संशोधन न हो, सदन वैसे 18 तक चलेगा।

श्रम तथा आबकारी मन्त्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, आपने स्वयं स्पष्ट कर दिया, जैसा कार्यक्रम है, वैसा कार्यक्रम है। अगर संशोधन कर दिया गया तो बात अलग है। अब तक जो कार्यक्रम है, 18 तक सदन चलने वाला है। 15–16 की छुट्टी हो गयी है। अभी तक ऐसा कार्यक्रम है। अगर सदन और निश्चय कर देगा, तो बात और है।

श्री अध्यक्ष—

तिवारी जी, आप जानते हैं। बड़ों की बात बड़े ही समझते हैं।

विभिन्न स्थानीय निकायों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्यागिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड; नरेन्द्र देव कृषि एंव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा, आगरा विश्वविद्यालय की सभा, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्, कानपुर विश्वविद्यालय की सभा, काशी विद्यापीठ की सभा, गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा; उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी, रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर जिला नैनीताल के प्रबन्ध बोर्ड, राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की

सभा; रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय की सभा; कुमायूं विश्वविद्यालय की सभा तथा अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा के निर्वाचनार्थ दिनाँक 11 मई, 1978 को नामों की वापसी के लिए नियत समय के भीतर उक्त निकायों में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से जो नाम अतिरिक्त थे उनके वापस न लिए जाने के कारण मतदान अब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनाँक 16 मई, 1978 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक कमरा न0 48 में होगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, 16 को बन्द हो गया तो स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

16 के बजाय यह 17 को होगा।

दीवानी न्यायालय, इलाहाबाद के रिकार्ड रूम में अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में वक्तव्य

*न्याय एवं कारागार मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मान्यवर, इलाहाबाद स्थित दीवानी न्यायलयों के अभिलेखागार में दिनांक 1 मई, 1978 को लगभग 4.30 बजे शाम को आग लग गयी। तुरन्त फायर-ब्रिगेड को सूचना दी गयी। जिला जज, जिलाधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी फौरन मौके पर पहुंच गये आग की लपटें समीपस्थ न्यायालयों के भवनों में भी फैल गईं। अतः सेना तथा एयर फोर्स के अधिकारियों तथा नैनी और घूमनगंज स्थित पी0ए0सी0 के सेना नायकों से भी फायर ब्रिगेड भेजने को कहा गया। सभी विभागों की गाड़ियां तत्परता से भेजी गयीं और रात 10.00 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया।

2—जिस इमारत में आग लगी थी वह सन् 1885 की बताई जाती है। उक्त इमारत में अभिलेखागार के अतिरिक्त 12 न्यायालय भवन, कतिपय कार्यालय भवन, पुस्तकालय तथा नकल कार्यालय भी स्थित था। उक्त सभी न्यायालय तथा कार्यालय आदि के कमरे उनमें रखे फर्नीचर, पत्रावलियां, पुस्तकें आदि के जल जाने की खबर मिली है। कुल कितने रुपयों की क्षति हुई इसका पूर्ण विवरण अभी ज्ञात नहीं हो सका है, किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस अग्निकाण्ड के फलस्वरूप डेढ़-दो लाख पत्रावलियां आग की लपेट म आकर नष्ट हो गयी और सम्पत्ति की बड़ी हानि हुई।

3—अग्निकाण्ड के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। मामले की विस्तृत छानबीन कराने के उद्देश्य से दिनांक 10 मई, 1978 को सी0आई0डी0 द्वारा जांच का आदेश शासन द्वारा दे दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने भी विभागीय रूप से उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के लिए श्री न्यायमूर्ति यशोदानन्दन को यह कार्य सौंप दिया है।

4—अग्निकाण्ड के बाद से उक्त न्यायालय, जिनके कक्ष जल गए, कार्य नहीं कर पा रहे हैं यद्यपि इसके लिए अस्थायी व्यवस्था की जा रही है।

5—उच्च न्यायालय ने पुरानी जली इमारत के स्थान पर नए काम चलाऊ न्यायालय कक्षों के निर्माण का अनुरोध किया है क्योंकि स्थायी रूप से भवन निर्माण में समय लगेगा। इन न्यायालय कक्षों के निर्माण हेतु वित्त विभाग से परामर्श किया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मैं एक जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

तिवारी जी, आप जानते हैं कि इस तरह के वक्तव्यों पर कोई प्रश्न नहीं किए जाते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुझे मालूम हुआ है कि वहां पर औरंगजेब के जमाने के डाकूमेन्ट्स थे और बहुत से बहुमूल्य दस्तावेज थे, वे जल गए। तो क्या जो इस तरह के बहुमूल्य दस्तावेज हैं उनको स्टेट आरकाइब्ज में रखने की व्यवस्था की जायगी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, इस सुझाव पर गौर कर लें।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा हिण्डालको को बिजली देने के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय से उत्पन्न विषय परिस्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

*संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, विगत वर्ष 1977 में राज्यपाल शासन काल की अवधि म राज्यपाल की परामर्शदात्री परिषद् द्वारा दिनांक 2 जून, 1977 को निम्नलिखित निर्णय लिया गया था।

"जन समुदाय की प्राथमिक आवश्यकताओं विशेषकर खाद्य तथा औद्योगिक उत्पादन को बनाए रखने के लिए अपेक्षित है कि ऐसी इकाइयों की सप्लाई में जो विद्युत् ऊर्जा के भारी उपभोगी हैं, अतिरिक्त बिजली की कटौती की जाय। आर्क फर्नेस/इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल्स को जो बिजली दी जाती है उससे 9000 पम्प सेटों को विद्युत् दी जा सकती है। हिण्डालको को दी जाने वाली 42.5 मेगावाट बिजली से 8,500 पम्प सेट चलाए जा सकते हैं। हिण्डालको रेनू सागर पावर स्टेशन द्वारा पर्याप्त मात्रा में विद्युत् उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए यदि उनको दी जाने वाली बिजली की आपूर्ति न की जाय तो उन्हें उनकी आवश्यकता के 50 प्रतिशत से अधिक की पूर्ति उनके अपने साधनों द्वारा उत्पादित विद्युत् से हो जायगी।

उक्त निर्णय के बाद हिन्डालको द्वारा अपनी कठिनाइयों के रखने के पश्चात शासन ने हिण्डालको को दिनांक 4 जून, 1977 से 6 दिन का नोटिस दिया कि वे राज्य विद्युत परिषद् द्वारा दी जाने वाली 42.5 मेगावाट बिजली की सप्लाई को शून्य कर दें परन्तु 9 जून, 1977 को हिण्डालको ने अपनी टेक्निकल कठिनाइयों को बताते हुए 14 जून, 1977 तक के समय की मांग की और इसी बीच हिन्डालको ने सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली में विद्युत् कटौती न किए जाने के सम्बध में अपील की। इस अपील पर विचार विमर्श करके सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस मामले को आपस में तय कर लिया जाय और 14 जून, 1977 तक हिण्डालको की बिजली की सप्लाई न काटी जाय। हिण्डालको ने राज्य विद्युत् परिषद से मिलने वाली 42.5 मेगावाट बिजली में कटौती करके उसे दिनांक 14 जून, 1977 को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

27 मेगावाट कर ली थी, परन्तु वास्तविक स्थिति यह थी कि हिण्डालको 27 से 35 मेगावाट बिजली राज्य विद्युत् परिषद् से लेते थे। 14 जून, 1977 को हिन्डालको ने पुनः अपनी टेक्निकल कठिनाइयों को बताते हुए पुनः मांग की कि उनकी सप्लाई न काटी जाय। तत्कालीन राज्यपाल के सलाहकार ने तत्कालीन अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् से परामर्श के बाद दिनांक 14 जून, 1977 को आदेश दिए कि हिण्डालको को 30 मेगावाट बिजली की सप्लाई राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा की जाय।

जनता सरकार के गठन के बाद 23 जून, 1977 को मन्त्री परिषद् की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्यपाल की परामर्शदात्री परिषद के दिनांक 2 जून, 1977 के उपरोक्त निर्णय के अनुसार हिण्डालको को राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा दी जाने वाली विद्युत् आपूर्ति शून्य कर दी जाय। इस प्रकार 30 जून, 1977 को हिन्डालको को बिजली शून्य कर दी गयी। 30 जून, 1977 से हिन्डालको को केवल 10 मेगावाट की सप्लाई स्टैण्डवार्ड एमरजेंसी के अन्तर्गत दी गयी जिसे अगस्त, 1977 में शून्य कर दिया गया।

इस कटौती के विरुद्ध हिन्डालको ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका दायर की जिसका निर्णय 27 अप्रैल, 1978 को हुआ। निर्णय में शासकीय आदेश संख्या 5009-पी0-3-78-23, दिनांक 19 सितम्बर, 1977 के नीचे लिखे प्राविजनो 6(क)(एक) को अवैध घोषित किया गया है।

परन्तु जहां किसी ऐसे औद्योगिक उपभोक्ता के पास विद्युत् ऊर्जा उत्पादन का अपना निजी साधन है जिससे उसे कुल उपभोग का 50 प्रतिशत या इससे अधिक विद्युत् ऊर्जा प्राप्त हो सके, वहां उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा सम्भारित ऊर्जा में 100 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली में अपील दायर कर दी है तथा सर्वोच्च न्यायालय के अन्तरिम निर्णय के अनुसार हिन्डालको को 20 मेगावाट बिजली की आपूर्ति राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा की जा रही है।

मेरठ में हिन्दू महासभा के प्रादेशिक अधिवेशन में नाथूराम गोडसे के भाई श्री गोपाल गोडसे के अभिनन्दन आदि के सम्बन्ध में वक्तव्य

*नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

माननीय, दिनांक 11 व 12 मार्च, 1978 को मेरठ में हिन्दू महासभा का प्रादेशिक सम्मेलन हुआ था। 11 मार्च, 1978 को गोपनीय अधिवेशन हुआ जिसमें लगभग 50-55 व्यक्तियों ने भाग लिया। उनमें श्री गोपाल गोडसे भी थे। 12 मार्च, 1978 को आम सभा आयोजित की गयी जिसके लिए प्रशासन ने अनुमति दी थी। सभा के प्रचार हेतु एक पर्चा भी वितरित हुआ जिसमें श्री गोपाल गोडसे को 'अमर शहीद नाथूराम गोडसे का भाई' कहकर उनका परिचय दिया गया। इस आम सभा में लगभग 50-55 व्यक्ति श्रोता कक्ष में और 150–200 व्यक्ति सड़क पर इकट्ठे हुए थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मण सिंह]

इस आम सभा में संविधान की धारा 370 के समाप्त करने की मांग, अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित सरकारी नीति की आलोचना, मुसलमानों के पाकिस्तान बनने के बाद नागरिकता के अधिकार को समाप्त करने इत्यादि के विषय में भाषण दिए गए। श्री गोपाल गोडसे भी इस सभा में बोले।

यह सम्मेलन स्थानीय जनता के लिए प्रभावहीन रहा।

हिन्दू महासभा निषिद्ध संस्था नहीं है तथापि इस विषय का विधिक परीक्षण कराया जा रहा है कि क्या उपरोक्त सभा में भाषण देने अथवा भाग लेने वालों के विरुद्ध कोई दण्डनीय अपराध बनता है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज जो कार्य स्थगन के प्रस्ताव मिले हैं, उनमें एक श्री ऊदल का है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 11 मई, 1978 को पुलिस द्वारा छात्र संघ उत्तर प्रदेश के 27 छात्रों को विधान भवन के सामने धरना देने के कारण गिरफ्तार किए जाने से छात्रों में असन्तोष बताया गया है। यह एक प्रशासनिक मामला है। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसको गिरफ्तार किया जायगा। इसलिए यह काम रोको-प्रस्ताव नहीं बन सकता है। इसलिए यह अग्राह्य है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

आप इसे कुछ जांच पड़ताल के लिए सरकार के पास भिजवा दीजिए। छात्रों के साथ ज्यादती हुई है, उनको आप छुड़वा दीजिए । आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है लेकिन इसको आप सरकार के पास भिजवा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

वह तो सरकार को भेज दी है और सरकार का ध्यान आपने भी आकर्षित कर दिया। मैंने पढ़ भी दिया है ।

दूसरा श्री श्यामधर मिश्र जी का है जिसमें उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के कुलपति डाक्टर डी0पी0सिंह के पुनः अपने पद पर वापस आने की आशंका से वहां की जनता में गम्भीर रोष है। तो यह तो काल्पनिक है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, आधार क्या है ? कल एक प्रतिनिधि मण्डल वहां का इस विषय में माननीय मुख्य मन्त्री से मिला। उनका यह कहना है कि अगर इस पर व्यवस्था नहीं करते हैं तो वहां पर उपद्रव की आशंका है ।

श्री अध्यक्ष--

आप जानते हैं कि नियम 56 में जो सूचनाएं देते हैं वे अविलम्बनीय लोक महत्व की होती हैं। कोई घटना है, कल कोई भूचाल आ जाएगा या परसों को . . . .

श्री श्यामधर मिश्र—

यानी लोग मर जायं तब हो। आप तो ऐसा न कहें।

श्री अध्यक्ष—

अभी से आप क्यों सुझाव दे रहे हैं कि वहाँ पर कोई घटना होगी ?

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

एक निवेदन कर दें कि सदन को हमेशा समय से हमने सचेत किया है कि क्या-क्या गड़बड़ी कहाँ-कहाँ होने वाली है। पन्तनगर के बारे में भी हमने सूचना दी थी और वह दुर्घटना बचायी जा सकती थी, तो इसलिए उन्होंने ध्यान आकर्षित करते हुए सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने ग्राह्य नहीं किया, लेकिन सरकार के पास भेजा है और मैं समझता हूं कि सरकार अवश्य ही सजग होगी और पहले पन्तनगर में ...

श्री देव बहादुर सिंह—

आप अगर कहेंगे तो होगा। ये तो कान में तेल डाले और आँख बन्द किए बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं पुन : भेज दूंगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

सजग के बजाय कोई और वर्ड लिख दीजिएगा।

1978–79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी तथा अनुदान संख्या 38—श्रम एवं सेवायोजन

श्रम तथा आबकारी मन्त्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए ,आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 90,27,400 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38—श्रम एवं सेवायोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,08,33,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, इससे पहले कि मैं आबकारी विभाग के बारे में कुछ बातें माननीय सदन के समक्ष रखूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि आबकारी विभाग का काम अब एक बहुत जदरदस्त काम हो गया है—मद्यनिषेध का। और उस मद्य-निषेध के जिसके लिए हमारे महान नेता माननीय गाँधी ने बहुत कोशिश की और संयोग देखिए कि उन्हीं माननीय

[श्री रमाशंकर कौशिक]

गाँधी के तथाकथित, अनुयायियों ने उनकी इस बात को न मानते हुए और भी शराब पीने की आदत को बढ़ावा दिया और वह बराबर बढ़ाते चले गये। तो श्रीमन्, आबकारी विभाग का काम मद्यनिषेध का भी काम हो गया है और इसीलिए अब इस विभाग के द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि वह अधिकारियों और कर्मचारियों को साथ-साथ मद्य-निषेध कर्मचारी भी कहा जाय।

श्रीमन्, हम जानते हैं कि आबकारी विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके जरिए से, हमको राजस्व की प्राप्ति होती है और हमारे उत्तर प्रदेश में शायद 45 विभागों मे दूसरा नम्बर राजस्व की प्राप्ति में आबकारी विभाग का ही आता है। लेकिन चूंकि हम अपनी नीतियों पर चलने का वादा किए हैं और हम अपने वादों को निभाना चाहते हैं इसलिए निश्चित रूप से तमाम पैसों का नुकसान उठा कर भी हम अपनी इस नीति को सफल करना चाहते हैं और लागू करना चाहते हैं और इस दृष्टि से इस वक्त प्रदेश में 12 जिलों में शराब-बन्दी है। मैं मानता हूं कि जहां तक शराब बन्दी का सवाल है, लोगों को बहुत शिकायतें होंगी और कुछ कठिनाइयाँ ऐसी हो सकती हैं जो पिछले बहुत सालों से लोगों को पड़ी हुई हैं और जो सामाजिक बुराई हमारे समाज में बढ़ी हुई है जिसके बढ़ाने में काँग्रेस की सरकार ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उस बुराई को एकदम दूर करना सिर्फ कानून से ही सम्भव हो पाएगा। हम सभी लोग इस नीति में विश्वास करते हैं, विरोधी-दल के भी कुछ लोग इसमें विश्वास करते हैं पर जहाँ तक जनता पार्टी का सवाल है, वह तो बिल्कुल ही इसमें विश्वास करती है। इसमें हमें आप सबका सहयोग लेना पड़ेगा तभी यह सामाजिक बुराई दूर हो सकेगी। कानून बनाकर डन्डे के बल पर हम इसे बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते इसके लिए हमको जनमानस को जगाना पड़ेगा, जगह-जगह लोगों को समझाना पड़ेगा तभी यह बुराई दूर हो सकेगी। हमारा यह आबकारी विभाग अब मद्य-निषेध विभाग भी हो गया है। सूबे के स्तर पर और जिले के स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी लोगों की समितियाँ बनाकर हमें इसके लिए जनमानस को बनाना पड़ेगा और सब लोगों का सहयोग भी प्राप्त करना होगा।

आबकारी विभाग में राजस्व की वसूली का भी काम होता है। राजस्व की चोरियाँ भी होती हैं, इसमें सन्देह नहीं। इसको भी दूर करने के लिए हमें प्रयास करना होगा। इसकी रोकथाम के लिए हमने कुछ व्यवस्थायें की भी हैं। जैसे अब तक आबकारी विभाग के नीचे के कर्मचारी डिप्टी कलेक्टर के अन्डर में रहकर काम करते थे, डिप्टी कलेक्टर के पास बहुत सारे काम रहते थे, अतः अब इनको एक पृथक अधिकारी के अन्डर में कर दिया है। यह अधिकारी इन कर्मचारियों के काम को भी देखेगा और करों की चोरियों को भी देखेगा।

अब मैं ताड़ी के सम्बन्ध में भी कुछ बताना चाहता हूं। ताड़ी हमारे पूरे सूबे में बन्द कर दी गयी है। यह सही है कि ताड़ी को खत्म करने से हमारे सूबे के लगभग 9,000 लोग बेरोजगार हो जायेंगे। इन नौ हजार लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा। हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि इन लोगों को और कोई उचित काम में लगाया जाये। यह लोग पेड़ों से पहले नीरा एकत्र करते हैं फिर उनसे ताड़ी बनाते हैं। कुछ लोग इसकी ठेकेदारी का भी काम करते हैं। हमारा खादी कमीशन और खादी बोर्ड ताड़ी से गुड़ बनाने का भी प्रशिक्षण देता है। हम प्रयास करेंगे कि इन लोगों को इसका गुड़ बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाय।

श्री अध्यक्ष––

मैं चाहूंगा कि आप संक्षेप में ही इस समय अपना भाषण दें, क्योंकि इसको साढ़े चार बजे तक अवश्य खत्म कर देना है। बाद में भी आपको उत्तर देने का अवसर मिलेगा। उस समय आप माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। इस समय कम-से-कम समय लें तो अच्छा है।

श्री रमाशंकर कौशिक––

श्रीमन्, अगर माननीय सदस्यों की राय हो तो ऐसे ही पास कर दें।

श्री अध्यक्ष––

यह शायद आप रियासत साहब से काम की बात कर रहे हैं। अब आप 10 मिनट में समाप्त कर दें।

श्री रमाशंकर कौशिक––

मान्यवर, इसी के साथ-साथ जो प्रचार और जनचेतना जागृत करने के लिए मैंने उपाय बताया इसके साथ-साथ हमने कोशिश यह भी की है कि लोगों की धीरे-धीरे आदतों में कमी लाए। तो उसके लिए जो शक्ति होती है शराब की उस शक्ति को कम कर दिया गया है, जैसे जो शराब बनती थी, उसकी शक्ति 38.8 की होती थी, उसको घटा कर 30 कर दिया गया है। जो नशा नसों में भर गई है, उसको कम करने के लिए देशी शराब की भी जो शक्ति थी, उसको घटा दिया गया है। इसी के साथ-साथ कुछ ऐसी चीजें जैसे दवाइयों के तौर पर होती थीं, टिंचर आदि, उसमें से 11 टिंचरों को उसी श्रेणी में रोकवा लिया है और उनकी भी बिक्री पाबन्दी के साथ होंगी।

अब मैं श्रम विभाग की ओर आता हूं। जब आबकारी की बात बाद में आएगी, तब उस पर कहूंगा। श्रमिकों के हितों में जितने कानून बने हैं उन कानूनों का अनुपालन हो। श्रमिकों को अधिक से अधिक सुविधायें मिल सकें, श्रमिकों की सुविधा की अधिक से अधिक रक्षा हो सके। श्रमिकों के प्रति सेवायोजन के द्वारा रक्षा हो सके, वह हो, यह प्रमुख कर्तव्य है। अगर हम प्रमुख कर्त्तव्यों की पूर्ति नहीं कर पाते, तो निश्चित रूप से हम श्रमिकों के प्रति अन्याय करेंगे और उनके प्रति न्याय नहीं कर पायेंगे। श्रीमन्, जो श्रमिकों के कानून बने हैं उन कानूनों के मुताबिक श्रमिकों को सेवा सुविधायें और उनको हक मिल सके। उत्तर प्रदेश में अभी तक जो लेबर कोर्ट्स थे, अब उनको 12 कर दिया गया है। बहुत से ऐसे केज जो सेवायोजकों और मजदूरों के बीच में होते हैं, लम्बित पड़े रहते हैं और उसकी बहुत कमी महसूस की जा रही है और हमें उम्मीद है कि 9 के स्थान पर 12 हो जाने से उस कमी को दूर कर पायेंगे और जो लम्बित हैं, उनका फैसला जल्द से जल्द हो जायगा। अब तक जो विवाद सेवायोजकों और व्यक्तिगत मजदूरों के बीच में हुआ करते थे, उनमें यह व्यवस्था थी कि एक विशिष्ट प्रकार के लेबर कोर्ट में ही उनको सुना जा सकता है, जिसमें एक न्यायाधीश की नियुक्ति हो, अगर किसी लेबर कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं है, तो उनको सुना ही नहीं जा सकता था, अब यह व्यवस्था की जा रही है कि किसी व्यक्तिगत मजदूर का भी जो मुकदमा या विवाद होगा, वह किसी भी कोर्ट में लिया जा सकता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानान्तरित भी किया जा सकता है।

[श्री रमा शंकर कौशिक]

श्रीमन्, आमतौर से यह देखा गया कि जो लेबर कोर्ट से फैसले होते हैं उन लेबर कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सेवायोजक जो ये पैसे वाले लोग हैं, पैसा उनके पास ह, रिट करते हैं हाई कोर्ट में और नतीजा यह होता है कि मजदूर या मजदूरों के संगठन पैसे के अभाव के कारण उस मुकदमें को अच्छी तरह से नहीं लड़ पाते। श्रीमन्, मैं इस माननीय सदन को बता देना चाहता हूं कि यह निश्चित कर दिया गया है कि अब कोई फैसला, जिसमें मजदूर जीतेगा लेबर कोर्ट से, उसकी रिट वगैरह सेवायोजक अगर करेगा, तो उसका मुकदमा सरकार अपनी तरफ से लड़ेगी, उसको कोशिश नही करना है, पैसा नही खर्च करना है, सारा काम उसका शासन करेगा। श्रीमन, ऐसा देखा गया है कि जितने ऐसे मुकदमें लेबर कोर्ट से फैसला होते आए और उनमें रिट की गयी तो उसमें बहुत से ऐसे मामले जिसमें मजदूर जीत सकते थे, वे नहीं लड़ सके।

श्रीमन्, इसी के साथ-साथ एक बहुत जबरदस्त मांग जनता की ओर से और जनता पार्टी की और से बराबर कही जाती रही है कि प्रतिष्ठानों में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिस व्यवस्था से मजदूर कर्मचारी संतुष्ट हो सकें, जिस व्यवस्था में मजदूर अपना योगदान दे सकें और मिल मालिक अपनी मनमानी न कर सकें, तो अब ऐसी व्यवस्था की जा रही है। समिति का गठन किया जायगा जिसमें औद्योगिक प्रतिनिधि भी रहेंगे जो औद्योगिक विवाद होते, जिसमें कई सवाल जुड़ जाते हैं हमारी तरक्की हमारे मजदूरों की तरक्की, उपलब्धियां हमारी पैदावार आदि, तो उससे इनमें काफी सुधार हो पाएगा। श्रीमन्, दूकान और वाणिज्य जो प्रतिष्ठान थे वह अभी तक सिर्फ नगरपालिकाओं तक सीमित थे, हमारा विभाग और हम लोग नहीं देख पाते थे, दूसरी जगहों पर जो दूकाने चलती हैं या और जो वाणिज्य प्रतिष्ठान हैं कि कैसे मजदूरी दी जा रही है और किस व्यक्ति से कितने घंटे काम लिया जा रहा है। यह व्यवस्था अब कर दी गयी है कि टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया यह सब भी उसी तरह से अपनी दूकान को पंजीकृत करायेंगे और उस पर काम करने वाले कर्मचारियों को उसी हिसाब से वेतन मिलेगा, जिस हिसाब से वेतन तया किया गया है।

श्रीमन्, बन्धक मजदूरों वाली समस्या हमारे प्रदेश में भी पाई गयी और 19 हजार लोगों को अभी भी, जो उपलब्ध आंकड़े हैं, यह समझा गया कि वह बन्धक के रूप में मजदूरी करते हैं, उनमें से 1600 परिवारों को उनका सत्यापन करके उनको रोजगार जुटाने का प्रयास किया गया है और कुछ को रोजगार मिले, वह कहां हैं, लखीमपुर खीरी, बांदा आदि स्थानों में बन्धुआ मजदूर हैं, इसका शीघ्र सत्यापन हो जायगा, आया यह गलत है या सही है और उसके पश्चात सही पाया गया, तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जायगी।

श्रीमन् श्रम विभाग ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान में 20 से लेकर 25 तक मंगाई भत्ता कर दिया गया ह और ब्रिवरीज में 25 से 30 कर दिया गया है। इसी ढंग के दूसरे मामले जो हमारा श्रम आयोग बना हुआ है, जिसका पुनर्गठन हुआ है, उस आयोग के समक्ष रखे जायेंगे कि ऐसी कौन सी व्यवस्था हो सकती जिससे श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सके। जितने जो हमारे मामले हैं, उनका अनुपालन ठीक ढंग से हो सके और जो विवाद अदालतों में चलते हैं और लम्बित रहते हैं उनका शीघ्र निस्तारण हो सके। जैसे कृषि के क्षेत्र में जो मजदूर हैं उन मजदूरों को ठीक से वेतन

और मजदूरी मिले उनकी स्थिति में सुधार किया जा सके यह कुछ सवाल आयोग के समक्ष रखे जाने वाले हैं जो हमको अपनी संस्तुति देगा और हम उन संस्तुतियों का पालन करेंगे।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में बीड़ी उधोग भी एक बड़ा उद्योग ह। कई जिलों में इस उधोग में कर्मचारी लगे हुए हैं। इसमें भी हमारे जो श्रम कानून हैं वह लागू होते हैं लेकिन यह बात देखी गयी है कि प्राय: लोग बीड़ी बनाने का कार्य घर में करना पसन्द करते हैं। इसमें जो अवकाश होता है उनको ठीक से नहीं मिल पाता है। इसकी ठीक से जांच भी नहीं हो सकती कि उसको हफ्ते में एक दिन का अवकाश मिल पाता है या नहीं। तो अब ऐसी व्यवस्था की गयी है कि बीड़ी मजदूर को हर हफ्ते में प्रतिदिन 1/6 वेतन के हिसाब से एक हजार बीडी बनाने वाले का वेतन पांच रुपए रखा गया है। इसमें 1/6 के हिसाब से हर हफ्ते अलग वेतन दिया जायगा जिनको अवकाश नहीं मिलता है।

श्रीमन्, आपातकालीन स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों के साथ भी वैसा अन्याय किया जैसा कि और लोगों के साथ किया है। 3313 लोगों को निकाला गया था। इन चीजों को देखते हुए कि इनको काम पर रखना है उनमें से 216 को रखवा पाए हैं। शेष मामले विचाराधीन हैं और कुछ अभिनिर्णय के लिए भेज दिए गए हैं। बीड़ी प्रतिष्ठानों में जहां मजदूर काम करत हैं उसमें गुरसहायगंज में, उस इलाके में बहुत मजदूर इस काम में लगे हैं। इस वर्ष गुरसहायगंज में एक श्रम हितकारी केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गयी है। इस समय 77 केन्द्र चलते हैं। यह सही है कि कल्याण केन्द्रों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि होनी चाहिए। हालांकि व्यवस्था वहां अस्पताल की है व्यवस्था वहां पर खेलने-कूदने की है। लेकिन मैं इस व्यवस्था को पर्याप्त नहीं, मानता हूं। मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था हम करें जिससे इन श्रम कल्याण केन्द्रों में श्रमिकों का सामाजिक, नैतिक और शारीरिक विकास हो, इस दृष्टि से जो काम सम्भव होंगे, वह किए जायेंगे। श्रीमन्, मैं यहीं खत्म करता हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि बड़े अच्छे-अच्छे कदम उठाने का फैसला हमने किया है इस अनुदान को आप स्वीकृत कीजिए।

(श्री ऊदल का नाम पुकारे जान तथा उनके खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

इससे पहले मैं जरा बतला दूं। इस पर मतदान साढ़े 4 बजे करना है। आप कृपया इस पर 25 मिनट का समय लें और अन्य सदस्यों के लिए 7-7 मिनट का समय मैं निर्धारित करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10-राज्य आबकारी में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

[श्री ऊदल]

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38--श्रम एवं सेवायोजन में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, मन्त्री जी का भाषण मैं बड़े गौर से सुन रहा था। मंत्री जी ने जो भाषण शुरू किया तो श्रम को तो पीछे कर दिया और पहले आबकारी से शुरू किया। इन्होंने चुनाव अच्छा किया और आज से नाम भी बदल दिया और अब आबकारी और मद्य निषेध विभाग रखा है। मान्यवर, एक तरफ तो पिलाने की नीति और दूसरी तरफ उसको रोकने की नीति, तो यह दोहरी नीति चलने वाली नहीं है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, लोगों को गलत तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा और भट्ठियां खुलेंगी। इसलिए जब तक पूरे प्रदेश में मद्य-निषेध का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता तब तक यह नीति सफल होने वाली नहीं है। मान्यवर, आज भी लखनऊ में अंग्रेजी शराब बिक रही है। 2-3 अड्डे मुझे मालूम हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज के जो प्रधान मन्त्री, श्री मोरार जी देसाई हैं जब बम्बई में मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने वहां भी मद्य-निषेध लागू किया था। मैं कौशिक जी को याद दिलाना चाहता हूं कि वहां बड़े पैमाने पर गलत तरीके से मटके का रूप धारण कर लिया। इसलिए जो सरकार की नीति है इसके पहले भी इस तरह की नीति कांग्रेस सरकार ने अख्तियार किया था जिसको बाद में तोड़ना पड़ा। इसलिए सचमुच जैसा कौशिक जी ने कहा यदि मद्य-निषेध सरकार पूरा करना चाहती है तो एक साथ मद्य-निषेध पूरे प्रदेश में लागू करना होगा।

(इस समय 1 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए।)

मान्यवर, दूसरे कुछ अधिकारियों की नियुक्तियों की बात मन्त्री जी ने किया कि पुलिस वाले नाजायज काम करते हैं। आबकारी विभाग को सताते हैं, नाजायज भट्ठियां चलवाते हैं और नाजायज शराब बिकवाते हैं। तो इसको कैसे रोका जाय? इसको देखें तो आबकारी विभाग में स्टाफ कम है। यदि धीरे-धीरे मद्य निषेध कम करना चाहते हैं तो उसके लिए सुझाव है कि इस विभाग को मजबूत बनाने की जरूरत है। मान्यवर, पता चला है कि पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आबकारी विभाग में पुलिस सुपरिन्टेंडेंट, आबकारी के पदों का चुनाव हुआ लेकिन उनकी आज तक जगहें खाली पड़ी हैं। नियुक्तियां नहीं हुयीं।

मान्यवर, मन्त्री जी ने श्रम के बारे में 3-4 बातें बतायी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे देश में आज भी श्रम की महत्ता नहीं है। यह श्रम की महत्ता को कौशिक जी या इनकी सरकार प्रतिष्ठित कर दे इस देश में, तो मैं समझता हूं कि श्रमिकों का बहुत भला हो सकता है। श्रमिकों में चाहे बीड़ी श्रमिक हों, काटन मिल का श्रमिक हों, चाहे कोई और श्रमिक हों, खेतो मजदूर हो, बन्धुआ मजदूर हों, उनको आज भी लोग हेय

दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उनको छोटा और नीचा समझते हैं जब कि श्रम में कोई छोटा-बड़ा नहीं है। दुनिया में श्रम की महत्ता है। जब तक हम श्रम की महत्ता को नहीं समझेंगे, लोगों के दिल और दिमाग को नहीं बदलेंगे, मैं समझता हूं कि हमारा देश आगे को तरक्की नहीं कर सकता। तो मेरा कहना यह है कि श्रमिकों के बारे में जो सारी ऊंच––नीच, भेद-भाव है और शोषण होता है उसे दूर करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। मैं समझता हूं कि श्रम विभाग की इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। श्रम विभाग को इसे करना चाहिए।

जहाँ तक संयुक्त प्रबन्ध समितियों का सवाल है जिसकी बात माननीय कौशिक जी ने की, वह बहुत अच्छी बात है कि इसके लिए उनको बधाई देता हूं। बहुत दिनों से मजदूरों की तरफ से इसकी माँग थी, बहुत से राजनीतिक दलों की तरफ से भी माँग थी, जनता पार्टी की भी माँग थी। इस काम को आपने किया मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

एक बात और आप ने कही कि व्यक्तिगत मजदूर मुकदमा नहीं लड़ पाते जब तक उस अदालत में जज की हैसियत का व्यक्ति पीठासीन न हो और दूसरी बात आप ने यह कही कि लेबर कोर्ट के फैसले के बाद मालिकान हाई कोर्ट में रिट ले कर जाते हैं जिसको मजदूर नहीं लड़ पाता, अब मजदूर को नहीं लड़ना होगा। अब सरकार लड़ेगी और इसकी व्यवस्था होगी। मजदूरों के मुकदमे यूनियनों को लड़ने पड़ते हैं, पाँच-छ: यूनियन हमारे देश में काम कर रही हैं। तो मजदूर का जिक्र तो आप ने किया वहीं पर यूनियन का भी जिक्र कर देते तो मैं समझता हूं कि अच्छा होता। ये दो तीन कदम बहुत अच्छे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं।

श्रीमन्, मैं कुछ ऐसी चीजों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि बहुत ही आवश्यक हैं। श्रीमन्, कठिनाई इस बात की है कि आज भी हमारे प्रदेश में श्रम अदालतों में हजारों मुकदमें पड़े रहते हैं। आपने जिक्र किया कि 9 अदालतें थीं उनको बढ़ा कर के आपने 12 कर दिया। इन 12 अदालतों के द्वारा भी जितने मुकदमें हैं, उनके निपटारे करने की सम्भावना नहीं है क्योंकि मुकदमें बहुत ज्यादा हैं। तो 12 अदालतों से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस मसले पर विचार करे कि बड़े-बड़े औद्योगिक नगर जैसे कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हरिद्वार, वाराणसी मिर्जापुर, वहाँ बहुत ज्यादा अदालतों की जरूरत है और श्रीमन्, तीसरी व्यवस्था जो करनी है वह यह है कि बहुत सी अदालतें ऐसी हैं जहाँ पीठासीन अधिकारी ही नहीं हैं। इलाहाबाद का नाम लेता हूं। वहाँ 6 महीने से कोई पीठासीन अधिकारी नहीं है। अब अदालतें कायम हो जायं और पीठासीन अधिकारी न रहे और मजदूर मारा-मारा घूमें मैं समझता हूं कि मुनासिब बात नहीं है। इस पहलू के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इसी तरह से बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें वर्षों लग जाते हैं मजदूर और मालिकों के बीच में, जाँच पड़ताल करने में और उस के बाद लेबर कोर्ट में मामला जाता है लेबर कोर्ट में भी मालिक जल्दी नहीं आते। और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि बार-बार नोटिस देने के बाद भी मालिक नहीं आता है। उसमें मालिकों के साथ

[श्री ऊदल]

नरमी बरती जाती है। जिस तरह से माल के मामलों में दीवानी की अदालतों को अधिकार है कि एक बार [जाँच-पड़ताल करने के बाद तुरन्त स्टे दे देते हैं तो उसी प्रकार स्टे का अधिकार लेबर कोर्ट्स को भी होना चाहिए ताकि जो मालिक गलत तरीके से मजदूरों को निकाल देते हैं, वह न निकाल सकें। यह महत्वपूर्ण है और सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

दूसरी बात देखें। मालिक के यहां लेबर आफिसर और परसनल आफिसर को अपने साथ रखता है और मजदूर को जो लड़ने का अधिकार है, यूनियन के प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से लड़ सकता है। लेबर आफिसर, परसनल आफिसर के पास मालिकों के वकील आते हैं और वह मुकदमें को लम्बा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसको रोकने के लिए अगर लेबर ऐक्ट में संशोधन करने की आवश्यता हो तो वह भी आप करें। बहुत से औद्योगिक घराने यह करते हैं कि मजदूर 239 दिन ही काम कर पाए क्योंकि इसके आगे अगर वह कार्य करता रहा तो उसको स्थायी करना पड़ेगा इसलिए उनका प्रयास रहता है कि 239 दिन के पहले ही उसकी छंटनी कर दे। इस पर भी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

आज हालत यह है कि अकेले गाजियाबाद में 70 के करीब छोटे इंजीनियरिंग कारखाने बन्द हैं। कानपुर की भी स्थिति आपसे छिपी नहीं है जहाँ कारखाने बन्द हैं। हजारों मजदूर छंटनी, तालाबन्दी के शिकार हैं। आप दोषारोपण कर रहे थे कांग्रेस की सरकार पर और हम भी करते थे। लेकिन आज भी इस विभाग में कोई सुधार नहीं है। जो बड़े-बड़े सेवायोजक हैं वह श्रम विभाग की परवाह ही नहीं करते। जैसे हिंडालको को ले लें। कानपुर के बड़े-बड़े मिल मालिक जयपुरिया, राम रतन गुप्ता को ले लें। वह श्रम विभाग को घास भी नहीं डालते। मार्टिन बर्न कम्पनी हमारे यहाँ भी है। उसके मैनेजर किसी की परवाह नहीं करते। कमिश्नर और कलेक्टर की परवाह नहीं करते। एक बार मैंने श्रम मन्त्री और श्रम सचिव भी थे, उनसे निवेदन किया वह लोग कहते रहे कि कैसे हम उनको बुलायें। हिंडालको में सन् 1974 से लेकर 150 से ऊपर मजदूर या तो निकाल दिए गए या सस्पेंड कर दिए गए हैं। आपका श्रम विभाग क्या कर रहा है सिवाय बिड़ला के सामने घुटने टेकने के अलावा? हमारे लेबर सेक्रेटरी की यह हैसियत नहीं बन पाई। सरकार को अगर अधिकार की जरूरत है तो उसको इस माननीय सदन से लेना चाहिए। लेबर ऐक्ट में अगर संशोधन करने की जरूरत है तो उसको करें। आपको अपने अधिकारियों को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा पूंजीपति क्यों न हो, अगर वह कानून की गिरफ्त में आता है, अगर वह श्रमिकों का शोषण करता है और अगर वह श्रम विभाग के कानून तोड़ता है, तो वे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें।

अब मैं भविष्य निधि के बारे में कहना चाहता हूं। मजदूरों को भविष्य निधि का पैसा मजदूरों से ही ले लेते हैं। कितने सेवायोजक हैं जिन्होंने उस पैसे को जमा नहीं किया। इसके अलावा बीमा का पैसा है। कितने मालिकान हैं जिन्होंने बीमा का पैसा जमा नहीं किया अपने हिस्से का। यह ऐसा सवाल है जो कि मजदूरों से सीधा सम्बन्ध रखता है। मजदूरों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका शोषण न हों, मजदूरो की रक्षा हो,

यह लक्ष्य के मुताबिक काम हो तो ठीक है वरना मैं कहना चाहता हूं कि काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों की भविष्य निधि के बारे में जांच करें।

इसी तरह से बीमा योजना है उसमें कितने सेवायोजकों ने पैसा नहीं दिया अपने हिस्से का। सरकार का जो विद्युत् परिषद् है, बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है। उसमें उसको छूट दे दिया कि भविष्य निधि के पैसे को जमा न करें। मैं कहना चाहता हूं कि उसमें मजदूरों के प्रतिनिधियों से बात क्यों नहीं की गयी? कैसे उनको छूट दे दी गयी कि वह अपने हिस्से का पैसा न जमा करें? यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ है श्रमिकों के साथ। मैं तो इस पर चर्चा करना चाहता हूं कि आपके श्रम विभाग ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। इस बीच में बड़े पैमाने पर बैठकें हुयीं, जितनी तालाबन्दी हुयी, वह क्यों हुयी? मजदूर अपनी कमाई का पैसा माँगता है तो मालिक दमन करता है। उदाहरण के लिए मैं स्वदेशी मिल कानपुर का जिक्र करना चाहता हूं। उन्होंने सिर्फ अपनी पिछली कमाई का पैसा माँगा था। लेकिन वहाँ 13 मजदूरों की हत्या की गयी और आज भी 3/4 लोग नहीं मिल पाए---गायब हैं। सरकार को इसके बारे में पता लगाना चाहिए। आप देखें तो बाराबंकी, रायबरेली और मऊनाथ भंजन सभी कताई मिलों में तालाबन्दी और बैठकी हो रही है? लोगों को निकाला जा रहा है।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रम विभाग का काम श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, उनको शोषण से बचाना, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना और सेवायोजन किसी तरह की गड़बड़ी पैदा न कर सके इसको देखना तथा श्रम कानूनों को ठीक ढंग से लागू कराना है लेकिन इन सिद्धान्तों को कसौटी पर हम जब कसते हैं तो हम इस विभाग को फेल पाते हैं और इसने अपने उत्तरदायित्व को आज तक पूरा नहीं किया। कानपुर में बीमा के अन्तर्गत चेस्ट अस्पताल है, टी0बी0 का अस्पताल है वहां डाक्टरों का व्यवहार बहुत खराब है। जुग्गी लाल मजदूर अस्पताल के मुख्य द्वार पर अनियमितताओं के खिलाफ आमरण अनशन कर रहा है। मैंने जब एक प्रश्न विधान सभा में उठाया तो उसी दिन शाम को पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। वहां पर दवाइयां नहीं हैं, डाक्टर नहीं हैं, पैसा खा लिया जाता है। इस विभाग को इस बात का इन्तजाम करना चाहिए कि वहां अच्छे डाक्टर हों तथा अच्छी दवाइयां मिलें। तभी उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। कौशिक जी प्रथम बार इस विभाग के मन्त्री हुए हैं। तो तीन घोषणायें उन्होंने अच्छी की हैं। मैं आशा करता हूं कि वह श्रमिकों को शोषण से बचायेंगे और पूंजीपति जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके दबाव में नहीं आयेंगे, उन पर बन्दिश लगाने में वह कामयाब होंगे। वह समाजवादी विचार के हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर वह विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव को रख रहा हूं।

श्री मंजूर अली खाँ (जिला रामपुर)—

कोरम नहीं है। यह हाउस बिना कोरम के चल रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि कोरम को बनाए रखे।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

डाक्टर बंगाली सिंह (जिला अलीगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय श्रम एवं आबकारी मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सरकार ने इस नशा बन्दी को प्रदेश और देश में चालू करके हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। शराब हमारे देश के लिए एक कोढ़ थी। इस कोढ़ को मिटाने के लिए जनता सरकार का यह पहला कदम है। सरकार ने पूर्ण नशाबन्दी करने के लिए जो धीरे-धीरे कदम उठाया है उसके सम्बन्ध में मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसे एकदम पूर प्रदेश में लागू किया जाय। जिन लोगों की पड़ोसी जिलों में शराब पीने की जो लत पड़ी हुई है वह तोड़ी जा सके। उन जिलों से लोग शराब लाकर अपने लोगों को पिलाते हैं ऐसा देखने में आया है। जिन जिलों में नशाबन्दी हो गई है उनमें सबसे बड़ा असर जो पड़ा है वह रिक्शेवालों पर पड़ा है. वे जिस पैसे को बड़ी मेहनत से कमाते थे और शराब पीने में खर्च कर देते थे, अब वे उस पैसे से अपने बच्चों का पालन-पोषण भलीभांति कर रहे हैं। मैं सरकार के इस कदम की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। दूसरी बात यह है कि जो बड़े-बड़े अफसरों को पार्टियों में शराब की दावतें दी जाती हैं उससे उनको छुटकारा मिलेगा इसलिए सरकार पूरे प्रदेश में एकदम नशाबन्दी कर दे।

आजकल श्रमिकों और मालिकों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा है और वह है लेबर इन्स्पेक्टर और लेबर अधिकारी का। मैं माननीय मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वे लेबर अफसरों को सख्त से सख्त आदेश दें कि वे मिल मालिकों से मिलकर श्रमिकों का गला न काटें जो कि खून पसीने की कमाई से अपना जीवन-यापन करते हैं। हमारे यहां एक श्यामलाल फैक्ट्री सांसनी में है जिसमें 7-8 सौ मजदूर काम करते हैं। 20 दिन से वह फैक्ट्री बन्द पड़ी है। अगर वह फैक्ट्री नहीं चलाई जाएगी तो श्रमिकों का बड़ा अहित हो जाएगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि उस फैक्ट्री को जल्द से जल्द खोलने की कोशिश करें ताकि जो आज मजदूर भूखे पेट पड़े हुए हैं, परेशान घूम रहे हैं। न उन्होंने कोई हड़ताल की और न कोई मांग की। उन्होंने सिर्फ कहा कि हमारा पिछला बोनस 1975-76 का दे दिया जाय। उसी आधार पर फैक्ट्री को बन्द कर दिया और 6, 7 सौ मजदूर बेकार घूम रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे मिल मालिकों की तुरन्त बिजली काट दी जाय और तुरन्त उनका कोयला बन्द कर दिया जाय। ऐसे लोग जो श्रमिकों के हित में बात नहीं सोचते हैं और अकारण फैक्ट्री बन्द कर देते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

इ0एस0आई0 डिसपेंसरीज श्रमिकों के लिए बनाई गई हैं। उनमें डाक्टर किसी श्रमिक को अच्छी दवाई नहीं देते हैं और उनको बाजार से लेनी पड़ती हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उनको अच्छी से अच्छी दवा मिलनी चाहिए जो रात दिन काम करते हैं। उन लोगों के लिए इनडोर हास्पिटल भी खोले जायं, जहां पर 5, 6 फैक्ट्रियां हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि आपने समय कम दिया है इसलिए कुछ

व्यावहारिक बातें मन्त्री जी के समक्ष रखूंगा। आबकारी के सम्बन्ध में मेरे दो सुझाव हैं।

आप एक ही इंस्पेक्टर से दो काम करवाते हैं। एक तो यह कि पिछली साल शराब की कितनी बिक्री हुई उससे ज्यादा बिक्री होनी चाहिए उसके लिए वह प्रचार करें। दूसरी तरफ वहीं प्रचार करते हैं कि शराब कम बेची जाय। उसमें वह प्रधानों की झूठी बैठक बुला कर प्रस्ताव पास करवा देते हैं। तो यह जो कांग्रेस हुकूमत ने जो काम किया था शराब बन्दी के बारे में, वह आप न करें। जो आदमी शराब बन्दी कराये वही उसका प्रचार करे।

दूसरा निवेदन यह है कि जिन नगरों में शराब की बिक्री होती है वहां पर अनेक ऐसी दुकानें चलती हैं जिनका ठेका नहीं होता है और वह आपके निरीक्षकों के संरक्षण में चलती हैं, जिसमें कमिश्नर तक का पैसा बंधा हुआ है। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

आपने कानपुर में कह दिया कि शराब नहीं बिकेगी लेकिन कानपुर के बराबर चले जाइये, मैं कल ही वहां से लौटा हूं, वहां से थोड़ा हट कर चले जाइये, तो तमाम शराब के ठेके खुले हुये मिलेंगे जहां पर शराब धड़ल्ले से बेच रहे हैं।

इसके बाद मैं मान्यवर, श्रमिकों के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी आबादी का 30.94 प्रतिशत श्रमिक हैं। उनके बिवाद के कई मसले हैं। उसके सम्बन्ध में मैं दो सुझाव देता हूं। किसी भी दशा में किसी भी श्रमिक के मुकदमें में नीचे की अदालत से लेकर श्रमिक कोर्ट तक निर्णय करने में तीन महीने से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए यदि सही माने में हम उनको सुविधा देना चाहते हैं। जो आपके ए0 आर0 सी0 ओ0 दफ्तर हैं वह लोग आपस में समझौता कराते हैं। इसके लिए निश्चित हो जाय कि जिस दिन वह दरख्वास्त देते हैं उसके एक महीने के अन्दर कार्यवाही पूरी हो जाय। अगर समझौता नहीं होता है तो वह निश्चित रूप से रैफर कर दिया जाय श्रम विभाग को जो अपने लखनऊ में है। जो श्रम विभाग लखनऊ में है वह 6 महीने तक उनको दबाए रखता है। उसके लिए यह हो जाय कि किसी भी दशा में 15 दिन से अधिक उसमें निर्णय लेने में नहीं लगेगा। यदि आप सही माने में श्रमिक की सेवा करना चाहते हैं।

मैं अब रिट के सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूं जिससे आप बहुत बड़ा लाभ उनका करेंगे। रिट के मामले में जैसा श्री ऊदल जी ने कहा मुझे भी शंका है जब सरकारी वकील उस मामले को करेगा तो हमारे जो प्रतिष्ठान के मालिक हैं वह पैसा देकर उसे तोड़ लेते हैं। मेरा निवेदन है कि उसमें वादी यूनियन के प्रतिनिधि रहने चाहिए और उसमें श्रमिक भी उपस्थित रहें। इससे आप प्रभावशाली कदम उठा सकेंगे।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसी कि जनता पार्टी की नीति है शोषण मुक्त समाज की स्थापना करने की। मान्यवर, उस चुनाव घोषणा-पत्र की ओर, और जनता पार्टी की नीति की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि कारखानों में रोजाना जो ओवर टाइम चलता है जिससे श्रमशक्ति का ह्रास होता जा

[श्री रघुवर दयाल वर्मा]

रहा है उसको रोकने के लिए आप कौन सा प्रभावकारी कदम उठाने जा रहे हैं, यह अपने भाषण में नहीं बताया। श्रम शक्ति के ह्रास को रोकने के लिए यह आवश्यक है जैसे फिरोजाबाद के कारखाने कभी आठ घंटे नहीं चलते और औद्योगिक अधिनियम में संशोधन करें कि आठ घन्टे से अधिक चलने वाले कारखानों में प्रति घंटा जब ओवर टाईम चले तो ढाई गुना मजदूरी दें। तो निश्चित रूप से श्रमिकों का बहुत बड़ा लाभ कर सकता हैं।

इसके बाद वृद्धावस्था पेन्शन का मामला है। अब ओवरटाइम चल रहा है तो किसी भी सूरत में, जो आम पेन्शन की व्यवस्था है आप उसको घटा कर 55 साल पर ले आइए और 40 के बजाय 50 रुपया कर दीजिए।

इसके बाद जो छोटे-छोटे बच्चे गरम कारखानों में काम करते हैं, फिरोजाबाद में कांच और चूड़ी का काम होता है, इन बच्चों की जिन्दगी को बचाने के लिए 16-17 से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम न करने दें। इसका सख्ती से प्रबन्ध करना होगा। इसके लिए लेबर इंस्पेक्टर और फैक्टरी इंस्पेक्टर पर संयुक्त जिम्मेदारी डालनी होगी और ऐसा उड़न दस्ता बनाएं जो ऐसे कारखानों का निरीक्षण करे। उसमें ऐसे अधिकारी हों जो कारखानों का अच्छी संख्या में चालान करें। इस प्रकार का एक पैनल बनाया जाय तो निश्चित रूप से आप भी भलाई कर सकते हैं।

श्रम विवादों का बहुत महत्वपूर्ण मसला है। रोजाना झगड़े होते हैं तालाबन्दी होती है। इसको सही माने में सुलझाने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप एक प्रकार की ऐसी मशीनरी गठित कीजिए जो हर कारखाने में जाकर कारखाने और श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करें जिससे रोजाना का संघर्ष दूर हो सके। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि आप के समक्ष मैंने जो सुझाव रखे हैं उनपर अमल करने की कोशिश करेंगे।

*श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं श्रम मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मन्त्री जी ने मजदूरों के सम्बन्ध में कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा यहां की है। हमारा विश्वास है कि मन्त्री जी के मन्त्रित्व काल में मजदूरों का भला होगा। इसीलिए मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान उन मजदूरों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिनकी पिछले तीस साल से लगातार उपेक्षा रही है। मेरा तात्पर्य टेनरी और चमड़ा मजदूरों से है। कानपुर में जाजमऊ में चमड़ा उद्योग उत्तर भारत में सबसे बड़ा काम्प्लेक्स है। लेकिन टेनरी के मजदूरों की दशा इतनी खराब है जिसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनको ठीक वेतन नहीं मिलता। डी0 एफ0 ए0 पुरानी नहीं मिलता। बोनस नहीं मिलता। उनके लेबर क्वार्टर्स नहीं हैं। उनके लिए पेय जल की व्यवस्था नही हैं। मजदूरों के लिए चिकित्सा सुविधायें नहीं हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां टेनरी के मजदूरों के लिए एक वेतन आयोग गठित करें जो उनके वेतन-महंगाई भत्ते के बारे में ही नहीं, वरन् उनके कार्य की दशाओं पर भी विचार करे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कानपुर में चमड़े का एक बहुत बड़ा कारखाना है जिसको केन्द्रीय सरकार चलाती है। मेरा निवेदन है कि उन टेनरी के मजदूरों को वही वेतन और वही सुविधायें मिलनी चाहिए जो केन्द्रीय सरकार अपने मजदूरों को देती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यद्यपि यह बात कई बार कही जा चुकी है, कानपुर का जे0 के0 मिल जिसको कैलाश मिल के नाम से जाना जाता है, डेढ़ साल से बन्द है। मैं स्वयं और कानपुर के अन्य विधायक आपके पूर्व जो श्रम मन्त्री जी थे उनसे मिल चुके हैं। जार्ज साहब जो केन्द्रीय उद्योग मन्त्री है, उनसे भी मिला, लेकिन आज तक उसमें सफलता नहीं मिली। मैं चाहता हूं कि कैलाश मिल को अधिग्रहीत कर लिया जाए। हम लोग सोचते थे कि स्वदेशी मिल के साथ ही साथ कैलाश मिल का भी अधिग्रहण होगा, लेकिन नहीं हुआ। वहां के 4 हजार मजदूर भुखमरी की कगार पर बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप केन्द्रीय सरकार से बात करें और शीघ्रातिशीघ्र कैलाश मिल का अधिग्रहण कर लिया जाय जिससे वहां के मजदूरों को फिर काम मिल सके।

मान्यवर, एक जाजपुर जूट मिल कानपुर में स्थित है वह भी बन्द होने की कगार पर है। वहां पर भी कई पन्द्रहियों तक मजदूरों को पैसा नहीं मिलता है, किसी भी दिन वह मिल बन्द हो सकती है। यदि समय रहते कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो जिस प्रकार से कैलाश मिल के मजदूर घूम रहे हैं उसी तरह से इस जूट मिल के भी मजदूर घूमेंगे। मैं लेबर क्वार्टर्स की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज से लगभग 25 वर्ष पहले श्रमिकों के लिए सरकार ने क्वार्टर्स बनाए थे। 25 साल से श्रम विभाग किराया ले रहा है। इन क्वार्टरों में जितनी लागत लगी थी वह सब सरकार को मिल गयी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनको हायर परचेज पर उठा दें और उनको मालिक बना दिया जाए। क्वार्टर्स के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं कि कानपुर में बहुत दिनों से नये क्वार्टर्स नहीं बने हैं। यहां पर 2 लाख मजदूर रहते हैं, लेकिन क्वार्टर्स की संख्या बहुत ही कम है। इसलिए नये क्वार्टर्स बनाए जायें।

अब मैं ई0 एस0 आई0 हास्पिटल की बात कहना चाहता हूं। यहां पर बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जब तक डाक्टर मजदूर से पैसा नहीं ले लेता है तब तक उसे वह प्रमाण-पत्र नहीं देता है। मजदूरों को अच्छी किस्म की दवायें नहीं दी जाती हैं। जिन दवाओं का समय समाप्त हो जाता है वे दवायें मजदूरों को दे दी जाती हैं जिससे लाभ होने के बजाय नुकसान होता है और इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय श्रम मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे स्वास्थ्य मन्त्री जी से परामर्श करके इन ई0 एस0 आई0 अस्पतालों में भ्रष्टाचार मिटाने और सब-स्टैन्डर्ड के स्थान पर स्टैन्डर्ड दवायें दिलाई जायं।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)--

जनाबे आला, आज जो शराब बन्दी और श्रम विभाग की मदों (डिमान्ड्स) के बारे में जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करती हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती कुदसिया बेगम]

पहले मैं श्रम विभाग के बारे में चन्द अल्फाज कहना चाहती हूं। जनाबे वजीर साहब को मालूम है कि बहुत से आई0टी0आईज के लिए कमेटीज बनीं थीं जिसको सरकार ने एबोलिश कर दिया है और अब वे सरकारी कर्मचारियों के हाथ में सौंप दिए गए हैं और उन्हीं के द्वारा बहुत सा काम हो रहा है। मैं समझती हूं कि यह बहुत अच्छा होगा अगर उन कमेटीज को रिवाइज कर दिया जाय। पब्लिक की जो डिमान्ड्स होती हैं, उनके बारे में जो नान-आफिशियल मेम्बर्स होते हैं वे ही ज्यादा सोच सकते हैं। मुझे इस बारे में यह भी अर्ज करनी है कि जो ट्रेनीज यहां के ट्रेनिंग करके निकलते हैं, उनके लिए या तो सरकार यह जिम्मेदारी ले कि उनको नौकरी दिलाएगी या उनको 500 रुपया या 1000 रुपया हर एक ट्रेनी को दिया जाय जिससे वे छोटे-छोटे उद्योगों को खोल सकें ताकि जो लोग बेकार घूमते-फिरते हैं उनको रोजगार मिल सके। इससे उन लोगों को अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए जरिया मुहइय्या हो सके।

अब मैं एम्प्लायमेंट एक्सचेन्जेज के बारे में एक बात अर्ज करना चाहती हूं। हमारे सूबे में एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज जो हैं वे रिश्वत और भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। मुझे जाती तजुर्बा है चूंकि शासन ने यह शर्त लगा दी है कि जिस नौकरी के लिए भी कोई दरख्वास्त देगा उसको अपना नाम पहले एम्प्लायमेंट में दर्ज कराना होगा और फिर उनके द्वारा स्पोन्सर कराना होगा। इसका नतीजा यह होता है कि जहां पर नाम भेजे जाते हैं, जिन लोगों से रुपया मिल जाता है उनके नाम भेज दिए जाते हैं। मुझे इस बात का जाती तजुर्बा इसलिए है कि हमारे हरदोई जिले में इन्डस्ट्रियल इस्टेट बनी हैं और स्पिनिंग मिल लगायी जा रही है। इस मिल में गरीब आदमी ट्रेनिंग में लिए जाते हैं। मैंने सैकड़ों दरख्वास्तों पर सिफारिश की लेकिन कुछ को रखा जाता है और कुछ को नहीं रखा जाता है। इसकी वजह यह है कि जो अपना नाम एम्प्लायमेंट में रजिस्टर कराते हैं, मैं कह सकती हूं कि उनके नाम नहीं जाते हैं बल्कि उन लोगों के नाम भेजे जाते हैं जो रुपया दे देते हैं। उन गरीब लोगों से 200-200 और 300-300 रुपया तक मांगा जाता है। तो मेरी गुजारिश है कि मन्त्री जी इस तरफ तवज्जह फरमायें ताकि जो वहाँ पर रिश्वत का दौर चलता है वह समाप्त हो और उनमें कुछ सुधार हो सके।

जो इंडस्ट्रियल इस्टेट संडीला में बनी है, वह महज इसलिए बनायी गयी है ताकि वहाँ के लोग, जो गरीब हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहइय्या हो सके, जो स्पिनिंग मिल लगाए जा रहे हैं उनके लिए मन्त्री ज से मेरी गुजारिश है कि एक सब-एम्पलायमेंट उस इन्डस्ट्रियल स्टेट के लिए खोली जाय ताकि वे लोग वहाँ पर अपना नाम रजिस्टर करायें और उनको नौकरी मिल सके। इसका मतलब यह नहीं है कि बाहर के लोग आकर, रुपया देकर अपना नाम भेजवा सकें। मुझे यकीन है कि सरकार इस पर जरूर गौर करेगी।

अब मैं नशाबन्दी के मुताल्लिक अर्ज करना चाहती हूं। मुझे बड़ी खुशी है और मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं है जो इसका स्वागत न करे कि हमारी सरकार ने हमारे सूबे में नशाबन्दी को लागू किया है। लेकिन सिर्फ 8 जिलों में लगाकर, बाकी जिलों को छोड़ देना--यह मेरी समझ में नहीं आया। इसका मतलब यह है कि जिस जिले में नहीं है

यहां से लोग दूसरे जिलों में जाकर खूब अच्छी तरह से शराब पीते हैं। एक जमाना था जब कानपुर में प्राहिबीशन था और लखनऊ मे नहीं था तो कानपुर से लोग आते थे और रात को यहां खूब पीकर जाते थे और इतने एक्सीडेन्ट होते थे कि इसकी बाबत सरकार को भी मालूम है, हमको भी। अभी तीन-चार महीने हुए अपने क्षेत्र में गयी थी तो मालूम हुआ कि संडीले में नशाबन्दी है और बालामऊ जो 10-11 मील के फासले पर है, वहां नहीं है। मैंने देखा कि रात को 11-12 बजे रोशनियां जगमगा रही थीं। मैंने पूछा कि रात को कौन जाग रहा है तो उन्होंने कहा कि शराब की दूकानें हैं और संडीले से और सब जगह से आकर शराब पीते हैं। तो इसका उपयोग क्या हुआ? या तो पूरे सूबे में लगाना चाहिए या करीब के जिलों में ऐसा इन्तजाम होना चाहिए कि बाहर के लोग न जा सकें। मैं अगर गलती पर नहीं हूं तो मैंने शायद अखबारों में पढ़ा था कि राजस्थान की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि हम उसी वक्त नशाबन्दी करेंगे जबकि केन्द्रीय सरकार जितना कि इसके ऊपर रुपया का हमारा नुक्सान होगा प्राहिबीशन लगाने में, उसको चालू करने में, जो ऊपर खर्च होगा वह दोनों रकमें हमें दे दें। मैं चाहती हूं कि हमारी सरकार भी इस तरह की एक डिमान्ड करे केन्द्र सरकार से कि इतनी बड़ी जो आमदनी खत्म हो जायगी तो उसका कुछ न कुछ हिस्सा तो जरूर दें।

(लाल बत्ती होने पर)

मुझे 2 मिनट और दे दीजिए तो मैं अर्ज करना चाहती हूं कि चेकिंग पोस्ट जो कायम किए हैं वह बिलकुल चुंगी की तरह से एक अड्डे बन गए हैं रिश्वत के और वहां जितने ठेले आते हैं तो शराब तो हर एक ठेले में होती ही है उनसे कुछ न कुछ रुपया ले लिया और उनको इजाजत दे दी, जाने की। तो इसका कोई न कोई इन्तजाम होना चाहिए। यह भ्रष्टाचार को फैलाने का इन्तजाम पैदा किया जा रहा है। इनकी बाबत सरकार को कुछ सोचना चाहिए।

अब इसमें एक बात और है कि शराब-बन्दी 8 जिलों में किया है लेकिन ताड़ी पूरे प्रदेश में बन्द कर दी है। जनाब को मालूम है कि पूर्वी जिलों में खास तौर से कई जातियां ऐसी हैं—पासी और भर जिनकी लाखों की तादाद है, जिनका गुजारा यही ताड़ी का बनाना और बेचने से ही होता है और उनका जरिया-माश यही है। वह खेतों में ताड़ लगा लेते हैं, उसी से वह छिलाकर ताड़ी तैयार करेंगे और ताड़ी उसी तरह से चलेगी। तो मैं अर्ज करना चाहती हूं कि इन लाखों आदमियों के फायदे को मद्देनजर रखते हुए यह आर्डर विदड्रा कर लिया जाय और ताड़ी इतनी खराब--मुझे मालूम नहीं, जाती तर्जुबा तो है नहीं—कहा जाता है कि ताड़ी इतनी खराब नहीं है जितनी कि शराब है। इसलिए जिन-जिन जिलों में शराब बन्दी लागू की है उनमें शुरू से बराबर गुड़ से शीरे से, महुए से, तरबूज से शराब बनायी जा रही है। तो मैं चाहती हूं कि अब सरकार इस बात पर गौर कर ले और जिन गरीब आदमियों की रोजी चल रही है उनको इजाजत दे दें तो अच्छा है वरना ताड़ी फिर भी वह बनायेंगे और ऐसे काम करेंगे जिससे लोगों की सेहतों पर खराब असर पड़ता है। लोगों को बेईमानी भी सिखाई जाती है।

इन चन्द अल्फाज के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

*डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)—

माननीय मान्यवर, श्रम और आबकारी मन्त्री जी ने अपना बजट सदन से पारित कराने के लिए प्रस्ताव पेश किया है जिसका कि मैं अनुमोदन करता हूं। बात यह भी सही है कि अभी इनको जुम्मा-जुम्मा दो ही दिन हुए हैं।

एक सदस्य—

आठ दिन हुए हैं।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

लिहाजा यह कहाँ से आमूल-चूल या क्रांतिकारी परिवर्तन कर देते, उसकी हमें कोई आशा थी नहीं। लेकिन इसके बावजूद चूंकि आपको श्रम और सुरा विभाग भी मिला है जिसको सुनियोजित करने की आपने कोशिश की है और कुछ कदम भी उठाए हैं। जो भी आपने कदम उठाये हैं उसके लिए निश्चित रूप से यह सदन आभारी है। आपसे हमें बड़ी आशाएं हैं और बड़ी आकांक्षाएं भी हैं और हम आशा करते हैं कि आप कुछ आमूल-चूल परिवर्तन भी करेंगे, क्योंकि श्रम विभाग एक बूढ़े सफेद हाथी की तरह है और श्रमिक वर्षों से भटक रहा है। आज इनको जो तकलीफें हैं उसकी कल्पना ही की जा सकती है। हमारे श्रम अधिकारी के पास ऐसे कोई अधिकार है ही नहीं जिससे वह उद्योग-पतियों के साथ सख्ती से पेश आ सकें। इसलिए मैं चाहूंगा कि उसके अधिकारों को आप बढ़ायें। 1774 ट्रेड यूनियंस आपके यहाँ ह आप एक उद्योग के लिए एक यूनियन की व्यवस्था करें। पाँच हजार कारखाने आपके यहाँ पंजीकृत हैं। हर उद्योग में एक यूनियन हो और जिसकी सदस्यता भी उसी तरह से कम्पलसरी हो जिस तरह से विश्वविद्यालयों में छात्रों की यूनियनों की सदस्यता छात्रों के लिए अनिवार्य है।

तीसरी बात मैं श्रमिक शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे देश में केवल पूना में ही एक ऐसा संस्थान है जिसकी शाखायें देश में जगह-जगह पर हैं। यदि सम्भव हो सके तो अपने यहाँ भी श्रमिक शिक्षा के लिए "श्रमिक शिक्षण विश्वविद्यालय" की स्थापना की जाय।

इस समय करीब 108 श्रमिक कानून बने हुए हैं और तमाम राजाज्ञायें हैं। किन्तु जब तक श्रमिकों के हित के लिए कोई अच्छा लेबर ला नहीं बनेगा, तब तक श्रमिकों का हित नहीं होगा। ग्रामीण श्रमिकों की ओर भी हमें ध्यान देना होगा। आज हमारे यहाँ करीब 30-35 प्रतिशत ग्रामीण श्रमिक हैं। 30 साल की आजादी के बाद भी इनकी भलाई के लिए हम अभी तक कुछ नहीं कर पाए। इनको संगठित करने की आवश्यकता है। अभी तक केवल दो-चार प्रतिशत ही श्रमिक संगठित हैं। बाकी सब अन-आर्गेनाइज्ड लेबर हैं। जब तक इनको संगठित नहीं किया जायगा इनका भला नहीं हो सकेगा। इन लोगों के लिए जिस प्रकार से बम्बई वगैरह में कानून हैं वैसे ही श्रमिक कानून यहाँ पर भी बनने चाहिए।

जहाँ तक इनके आरक्षण एवं संरक्षण का प्रश्न है, आपने चुनाव-घोषणा-पत्र में कई वायदे किए हैं। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि आप सबके लिए संरक्षण की व्यवस्था करें। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि आप सबके लिए जुडीशियल सिक्योरिटी जैसी कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्कीम लागू करें। यदि आप अपने प्रदेश में ऐसा नहीं कर सकेंगे, तो यह श्रमजीवी आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। जब तमाम विकास योजनाएं चल रही हैं और उनसे उत्पादन बढ़ रहा है, तो उनकी बढ़ती हुई पैदावार गरीबों के लिए श्रम बैंक में जमा किया जाना चाहिए, जिससे उनके भोजन, वस्त्र, मकान की व्यवस्था हो सकें।

आप विचार करें कि प्रत्येक गांव के मजदूरों के लिए झोपड़ी में रहने वाले खेत खलिहान में काम करने वाले जो बड़े लोग हैं, उनकी पैदावार बढ़ती जा रही है। जो बड़े लोग हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनके लिए श्रम बैंक में एक हिस्सा जमा किया जाना चाहिए जिससे कि उनके लिए भोजन, वस्त्र, मकान की व्यवस्था की जा सके। जो प्रदेश के 30 प्रतिशत लोग हैं, उनके पास दो प्रतिशत सम्पत्ति है और जो 30 प्रतिशत बड़े लोग हैं उनके पास 84 प्रतिशत सम्पत्ति है। आप कोशिश करते हैं कि गरीबों का भला हो लेकिन मैं खुले लफ्जों में कहना चाहता हूं कि बड़े-बड़े प्रतिष्ठान में कर्मचारी मारे-मारे फिरते हैं जो कि उद्योगपति की सम्पत्ति दुगुना चौगुना बढ़ रही है, यह काम आपके माध्यम से नहीं हो सकेगा, यह काम केन्द्र सरकार के माध्यम से हो सकेगा।

मान्यवर, आपने तमाम वेज बोर्ड बनाए हैं ,इतने वेज बोर्डों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्टेट वेज बोर्ड बनाइए जिसमें सबकी तनख्वाह 1-10 के अनुपात में निश्चित होनी चाहिए चाहे जो प्रतिष्ठान हो, चाहे वे सार्वजनिक हों या प्राइवेट हों। लेबर कमीशन की आपने चर्चा की, यह आयोग और समितियां ये सबकी सब झुठलाने की चीजें हैं। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि लेबर कमीशन की अनुसंशाओं का आप इन्तजार न करें। एक बात यह भी प्रतिबन्धित करें कि जहां पर अपने देश में एम0 एल0 एज0 व एम0 पीज0 जो हैं वे यूनियन के पदाधिकारी अध्यक्ष, मंत्री पद पर हो जाते हैं, मैं एम0 एल0 ए0 हूं अध्यापक हूं और कई यूनियनों का अध्यक्ष हूं, जो लोग इस प्रकार के हैं वे कृपा करके हर जगह हस्तक्षेप न करें। आपको वन परसन, वन प्रोफेशन की कोशिश करनी चाहिए। आपका श्रम विभाग इसको कर सकता है, कानून को कड़ाई से लागू करें जिससे कि कम से कम खेतिहर और शहर के मजदूर कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

मान्यवर, श्रम मन्त्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। समय कम है इसलिए मैं सिर्फ सुझाव मन्त्री जी को देना चाहता हूं और आपने जो घोषणा की है उससे मेरे कानपुर में मजदूरों में काफी खुशी है, और आप से आशा भी की जा रही है कि आप इस विभाग में कुछ क्रान्तिकारी कदम उठायेंगे। तो मैं आपको दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहले जो मजदूरों की घटनाएं हैं, उनकी दयनीय स्थिति है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, यह आबकारी बजट बिना कोरम के नशे में पास होगा क्या ?

(कोरम के लिए घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री बाबू बदरे—

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि श्रमिकों की जो कालोनियां हैं उनकी दशा अत्यन्त दयनीय है। वहां पीने को पानी भी नहीं मिलता। क्वार्टरों में जो पाइप हैं उनमें पानी नहीं पहुंचता है। जो पार्क के लिए जगह छोड़ी गयी है, मैं ईदगाह कालोनी की चर्चा कर रहा हूं, मन्त्री जी से तवज्जह चाहूंगा कि इतनी बड़ी कालोनी है लेकिन पानी के लिए आए दिन झगड़ा होता है। जो इंस्पेक्टर हैं उनसे अगर कोई शिकायत करता है तो वह उसकी परवाह नहीं करते हैं। इस तरफ आप जरूर ध्यान दें। मजदूरों के मुकदमों के सम्बन्ध में आपने घोषणा की कि अपील करने का हक सरकार देगी जिनके पास पैसा नहीं है इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन मालिक मजदूरों के जीते हुए मुकदमों के अपील करने पहुंच जाते हैं और मजदूरों के पास पैसा नहीं होता है कि वह वहां तक जायं और अगर जाने की कोशिश करते हैं तो यूनियनों के नेता उस मजदूर के घर के गहने तक बिकवा कर उससे इतना पैसा ले लेते हैं जितना वकील लेता है तो मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मिलों और फैक्टरियों में आपने वर्क्स कमेटी की बात की है। यह सन् 1947 में बनी थी और हमारे गंगासहाय जी अध्यक्ष थे। तो जो कैन्सीलेशन बोर्ड में मुकदमें जाते हैं उसके बजाय वर्क्स कमेटी बनायें जिससे कि मालिक और मजदूर स्वयं अपने मामले निपटा लें जसा कि 1947-48 तक रहा है। पहले कांग्रेस ने वर्क्स कमेटी बनायी थी लेकिन उसको इसलिए तोड़ा कि उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं चुन पाते थे। जब से आज तक सूती मिलों में किसी प्रकार की कमेटी नहीं बन पायी। यदि जनता पार्टी की सरकार यह करेगी तो मजदूरों के लिए यह अच्छा काम होगा और उनका भला होगा।

मान्यवर, जहां तक लेबर अधिकारियों का सवाल है तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सवाल पर उद्योगपतियों का इतना प्रभाव है, केन्द्रीय नेताओं पर भी और चाहे कांग्रेस का शासन हो या जनता पार्टी का शासन उस पर भी, लेकिन जनता पार्टी की सरकार पर वह अभी डोरे नहीं डाल पाए हैं किन्तु डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं। वह यह करते हैं कि कोई भी अधिकारी चाहे डिप्टी लेबर कमिश्नर हो या कमिश्नर या कोई इस विभाग का अन्य अधिकारी हो, यदि कानपुर में गया और नियमों का पालन करना शुरू किया तो वहां के उद्योगपति उनको धौंस देते हैं कि मैं तुमको हटवा दूंगा। इस डर के मार वह नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। यदि उनको मालूम हो जाय कि शासन उनका साथ देगा तो वह कभी उनसे नहीं दबेंगे। इसलिए शासन को उनको ऐसा आश्वासन देना चाहिए जिससे वह नियमों का पालन कर सकें।

मान्यवर, सरोजनीनगर, कानपुर में टी0 बी0 का अस्पताल देखें तो वहां की दशा ऐसी है कि पीने के पानी के लिए टूटा मग्घा है। वहां डाइट में सड़े हुए फल दिये जाते हैं। इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मान्यवर, जाजमऊ टैनरी जहां चमड़े के मजदूर काम करते हैं। उनके मालिकों को नगरपालिका ने बहुत जमीन और प्लाट दे दिए हैं मकान बनाने के लिए लेकिन मजदूरों की कोई कालोनी न सरकार ने बनायी और न मालिकों ने ही बनायी है। बड़े-गंदे मकानों में मजदूर रहते हैं। इसलिए मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि कोई श्रम विभाग

में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे तो आपकी जय-जयकार होगी। आपने दो घोषणायें की हैं जिससे मजदूरों में खुशी होगी और उससे उनको फायदा होगा। मान्यवर, कानपुर में बड़े-बड़े उद्योगपति हैं और जो पुराने अधिकारी वहाँ भेजे जाते हैं उनका और बड़े लेबर लीडरों का आपस में गठजोड़ है। इसलिए आपसे निवेदन है कि मंत्री जी टैनरी के मजदूरों को बचाने के लिए उनके नेताओं को बुलाकर उनकी बात को सुनेंगे तो इससे मजदूरों का बड़ा हित होगा। अन्त में मैं एक शेर कहना चाहता हूं :--

बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हमी सो गए दास्ताँ कहते-कहते।

*श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)--

मान्यवर, आबकारी मन्त्री महोदय ने 31 मार्च, 1978-79 को समाप्त होने वाले वर्ष में होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। माननीय मन्त्री महोदय हमारे नए हो सकते हैं परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत अनुदान विद्वतापूर्ण है। अनुभव कम हो सकता है परन्तु सूझ-बूझ अधिक है। साथ ही हमारे सभी मन्त्री जितने भी हैं उनकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं है।

पिछले 30 वर्ष के कांग्रेसी शासन काल में बराबर गांधीवादी नीतियों पर चलने की दुहाई दी जाती रही परन्तु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गांधी वादी नीति में सब से पहली जो चीज थी वह थी मद्य-निषेध। मद्य-निषेध की तरफ पिछली सरकार ने कोई कभी ध्यान नहीं दिया। 26 जनवरी, 1950 में जब भारतीय संविधान अपने अस्तित्व में आया उस में कुछ नीति निर्देशक सिद्धान्त भी थे लेकिन अनुच्छेद 47 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धान्त जो कि मद्य-निषेध से सम्बन्धित थे उन पर कभी 30 साल में कोई गौर नहीं किया गया और वह संविधान का अनुच्छेद बन्द का बन्द रहा गया।

जनता पार्टी की सरकार ने आते-आते ही जैसा कि उस ने गांधीवादी नीति पर चलने का संकल्प किया है उसी के अनुरूप और आर्टिकल 47 के अनुरूप मद्य-निषेध किया जिस के लिए पूरे प्रदेश की जनता सराहना कर रही है। पिछले तीस वर्षों में कथनी और करनी में जैसा मैंने पहले निवेदन किया कमी थी। मद्य-निषेध की प्रदर्शनी स्थान-स्थान पर प्रदेश के, लगायी गयी और जनता की गाढ़ी कमाई खर्च की गयी लेकिन कभी भी मद्य-निषेध के लिए ठोस कदम पिछली सरकार ने नहीं उठाए जैसे कि अब की बार उठाए गये। हमारे विद्यार्थी जो कि विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे शराब पी-पी कर अपने भविष्य को अन्धकारमय बनाते थे, मजदूर जिन की कमाई तीन रुपया चार रुपये प्रति दिन थी शराब पी कर सारी मजदूरी को नष्ट कर देता था और उसके बच्चे भूखों मरते थे।

श्रीमन्, जहां यह कल्याणकारी कदम उठाया गया है वहीं मैं अपने कुछ सुझाव भी रखना चाहूंगा।

यह निश्चित है कि 7 जिलों में पूर्ण मद्य-निषेध लागू किया गया है। 15 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान हुआ है। लेकिन जहां पर यह नुकसान हुआ है उसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरेश चन्द्र]

साथ ही ये आबकारी निरीक्षक जो इस विभाग में हैं इनमें एक-एक आबकारी निरीक्षक साल भर में 50-60 हजार रुपए का मालिक बन जाता है। जहां पर हमने पूर्ण मद्य-निषेध लागू किया है वहां पर आबकारी निरीक्षक का शासन है और उस पर हमें पूर्ण निगाह रखनी होगी नहीं तो पूर्ण नशाबन्दी कामयाब नहीं होगी।

मैं इस मद्यनिषेध के बारे में अपने जनपद खीरी की ओर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले सालों में कुछ ऐसा हुआ कि मुहल्ले-मुहल्ले में शराब की दुकानें खोली गयीं। भगवान दीन आर्य कन्या डिग्री कालेज के बिल्कुल निकट ही एक शराब की दुकान खुली। लोगों ने उसका विरोध किया, हमने विरोध किया लेकिन पिछले सालों में कुछ नहीं सुना गया और वह दुकान आज भी वहां पर कायम है। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि कम से कम आर्य कन्या डिग्री कालेज की वह दुकान तो हटा ली जाय। बाकी दुकानों को हटाने की भी व्यवस्था करें।

मान्यवर, श्रम विभाग के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, लाल फीताशाही को हमें कम करना होगा। जो मजदूरों की समस्याएं हैं उन को हल करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। मान्यवर, पिछले दिनों जो पन्त नगर की घटना हुई वह मजदूरों को ले कर ही हुई। वहां पर जुडिशियल इनक्वायरी के आदेश दे दिए गये हैं लेकिन मजदूरों की समस्या अभी भी वहां पर है। यदि श्रमिकों की समस्याओं के हल करने की ओर हमने ध्यान नहीं दिया तो शायद घटना की पुनरावृत्ति हो जाय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे जनपद खीरी में पलिया शुगर फैक्ट्री और गोला शुगर फैक्ट्री हैं जो बड़ी फैक्टरियां हैं। दोनों ही फैक्टरियों में श्रमिकों की समस्यायें हैं। पलियां शुगर फैक्ट्री की समस्याओं को ले कर नेक्सिलाइट श्रमिकों को भड़का रहे हैं। मेरा आप से निवेदन है कि पलिया शुगर फैक्ट्री के मजदूरों की जिन्हे नेक्सेलाइट गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करने देने के बजाय समस्या को सुलझाया जाय, इस का प्रयास किया जाय। इसी तरीके से गोला शुगर फैक्ट्री में भी श्रमिकों की समस्यायें हैं जिनको सुलझाने का प्रयास किया जाय।

मान्यवर, एक चीज और कहना चाहता हूं। जितने भी एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज हैं सब में भ्रष्टाचार है। जो अभ्यर्थी अपना नाम वहां लिखवा कर आता है उसको साल दो साल, तीन साल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन किए लेकिन उसका नाम नहीं आता जब तक पैसा खर्च न किया जाय। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओर भी ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्रीमन्, मैंने लाल फीताशाही की बात की थी। इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा। श्रम विभाग के बारे में एक पत्र मैंने भूतपूर्व मंत्री महोदय को दिया जो सेवा योजन अधिकारी के क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी के पद पर प्रमोशन के बारे में था लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे सेवा योजन अधिकारी क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी बना दिए गए जिनकी 15-20 वार्षिक प्रविष्टियां खराब थीं। इसी सरकार की कलम से उन को माफ कर दिया गया और उन को जिला सेवा योजन अधिकारी से क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी बनाया गया है। मैंने उस सेवा योजन अधिकारी के बारे

में पिछले मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट किया था कि वह परिश्रमी हैं, ईमानदार हैं, उनकी वार्षिक इन्ट्रीज ठीक हैं उनको क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी बनाया जाय लेकिन कुछ भी कदम नहीं उठाया गया। यदि इस तरीके से किया जायगा तो परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति हतोत्साहित हो जायेंगे और काम में कतई दिलचस्पी नहीं लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, आबकारी और श्रम विभाग पर जो अनुदान का प्रस्ताव आया है और उस पर भाननीय ऊदल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहूंगा।

मान्यवर, नशाबन्दी की बात जहां तक है, कांग्रेस के इतिहास में इसका जिक्र है। जब स्वतन्त्रता संग्राम कांग्रेस का इस देश में हो रहा था तो उस में एक अंग यह भी था कि नशाबन्दी हो। देश-विदेश में कांग्रेस के कार्य कर्त्ताओं द्वारा शराब और गांजे की दुकाने जला दी गयीं। आप कहते हैं कि यह हमारा कार्यक्रम है। मान्यवर नशाबन्दी का कार्यक्रम हमारा था, कांग्रेस का था, कांग्रेस के जमाने से था, पचास साल पूर्व से था और मान्यवर, इनका कहना है सात जिलों में नशाबन्दी की गयी लेकिन मान्यवर, आप देखें सन् 1946 में हरिद्वार, ऋषिकेश में मद्यनिषेध लागू किया गया, 1947 में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री जमनोत्री में मद्यनिषेध लागू किया गया, 1959 में चमोली, उत्तर काशी, पिथौरागढ़ में मद्यनिषेध लागू किया गया, 1970 में पौड़ी-गढ़वाल और टिहरी-गढ़वाल में मद्यनिषेध लागू किया गया। धीरे-धीरे तमाम मद्यनिषेध की नीति को कांग्रेस ने लागू किया। इस तरह से मद्यनिषेध की नीति को लागू करने का प्रयास होता रहा है। आपने कौनसा तीर मारा, किस लक्ष्य की प्राप्ति की है? आप जानते हैं मद्यनिषेध नहीं हो सकता। वह एक ही तरह हो सकता है कि आप सम्पूर्ण प्रदेश में इसको लागू कर दें। ऐसा विभाग आपने देखा मान्यवर, कि एक तरफ पिलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ रोकने की बात करते हैं। जिसमें विरोधाभास हो वह विभाग कैसे चल सकता है। इन्होंने सात जिलों में लागू किया। कितनी जगह हाई कोर्ट से स्थगन आदेश लोग ले आए। जो बड़े बड़े क्लब हैं चाहे नैनीताल का बोटहाउस क्लब हो या और कोई दूसरा क्लब हो वहां मनोरंजन के साथ-साथ और भी कुकर्म होते हैं वहां बड़े लोग स्थगन आदेश ले आकर आपके कानून को ताक पर रख देते हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि मद्यनिषेध हो तो पूरे प्रदेश में करें।

मान्यवर, नशाबन्दी में 20 करोड़ का घाटा इन्होंने आंका है। मैं कहता हूं कि इससे भी ज्यादा होगा क्योंकि नशाबन्दी लागू करने के लिए कितने अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी उसका इसमें कहीं जिक्र नहीं है। यह इस आशा में हैं कि 20 करोड़ का घाटा पूरा या कुछ अंश में केन्द्रीय सरकार से पूरा होगा लेकिन वह इस सम्बन्ध में मौन हैं। आप इस भ्रम में न रहें वह कुछ देने वाले नहीं हैं। आपने सात जिलों में नशाबन्दी की लेकिन दस किलो मीटर के बाद जो लाइन आपने बना रखी है वहां दुकानों पर शराब इस तरह से बिक रही है जैसे कि चाय। उस पर नियन्त्रण करें तो समझें कि आपने कुछ किया। इसी तरह के डिस्टिलरीज में शराब बनती है और उसकी जो फिगर्स इनको दी जाती हैं वह एक चौथाई होती है। उससे कहीं ज्यादा शराब वहां बनती है। आपने

[श्री देव बहादुर सिंह]

इसमें लिखा है कि अलकोहल की परसेन्टेज कम किया है। यह समझ रहें हैं बड़ी भारी उपलब्धि है। मान्यवर, वह तो पहले से ही कम परसेन्टेज की बनाते हैं। लेबुल बदल कर और तमाम तरह की धोखाधड़ी करते हैं। पीने वालों को जो चाहे पिला दो और पैसा ले लो उसको यह मालूम हो कि यह ह्विस्की है। उसका फायदा दुकानदार और कर्मचारी उठाते हैं और अब मालूम होता है आप भी उठाने वाले हैं।

अब श्रम के बारे में एक चीज कहना चाहता हूं। चाहे कृषि मजदूर हों या औद्योगिक मजदूर हो या दूसरा मजदूर हो। उनको कम से कम जीने का अधिकार तो दें। पन्तनगर में कृषि मजदूरों को गोली से उड़वा दिया। क्या आपके घोषणा-पत्र में यही लिखा था कि गद्दी पर आने के बाद सबसे पहला प्रहार मजदूरों पर होगा। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि पन्तनगर में मजदूरों को फिर गोली मारने की साजिश हो रही है। अगर आपका विभाग सतर्क रहेगा तो यह साजिश कामयाब नहीं होगी। मान्यवर, कांग्रेस के जमाने में यह नीति रही कि मजदूरों की साझेदारी हो। उनके प्रतिनिधि भी हैं। अब क्या व्यवस्था हो कि जो मालिकाना हक हैं उनमें भी मजदूर को अधिकार मिले। अगर आप यह कर दें तो मैं समझता हूं कि आप उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन कर सकेंगे।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आप मजदूरों को शोषण से रक्षा करें। अभी बदरे साहब संगठनों पर कब्जा करने की बात कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मिल वाले आज मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, उसी तरह से ये मजदूर नेता भी उनका शोषण कर रहे हैं। अतः मैं कहना चाहता हूं कि इन गरीब मजदूरों की सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहिए ताकि उनका शोषण न हो सके।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इसी के साथ यह भी कह देना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी अगर अपनी हैसियत को ध्यान में रखकर बात करें तो इन विभागों का कल्याण होगा।

श्री गौरी शंकर भैय्या (जिला बलिया)—

मान्यवर, यह जो श्रम और आबकारी बजट सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जो अच्छी बातें की गई हैं उनके लिए निश्चित रूप से मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं लेकिन जो भ्रष्टाचार इस विभाग में व्याप्त है, उसकी जिम्मेदारी भी, मेरी समझ में, माननीय मन्त्री जी को दी जानी चाहिए।

इसके पहले कि कुछ कहूं, हमारे माननीय मन्त्री जो नए मन्त्री हुए हैं, मैं उनको सदन में बधाई देना चाहता हूं। आशा करता हूं कि वह अपने विभाग का काम अच्छी तरह से सम्भालेंगे।

मान्यवर, मैं पहले श्रम विभाग को लेना चाहता हूं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिन मजदूरों की बड़ी-बड़ी आर्गेनाइजेशन्स हो गयी हैं, वे तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना जानते हैं—चाहे गोली चलवा दें, चाहे डण्डे चलवायें। वे अपनी माँगों के लिए लड़ना और मरना जानते हैं। लेकिन जब हमारी सरकार गाँव की ओर चलने की बात कहती है,

तो आज जो गाँवों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, गाँवों में खेत जोतने और खेत काटने वाले, हलवाहे और कटिया करने वाले लोगों की परिस्थितियों से माननीय महोदय वाकिफ होंगे। मैं स्पष्ट कर दूं—आलोचना के तौर पर नहीं—आज भी देहातों में जो मजदूर कटाई का काम करते हैं, उनकी पत्नियाँ और बेटियाँ थोड़े-थोड़े अनाज के लिए अपनी अस्मत और इज्जत का सौदा करती हैं और इस तरह से उनको साल भर के लिए अनाज की व्यवस्था करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसी तरह से गाँव में पानी भरने वाले मजदूर हैं, उनकी ओर भी माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो छोटे-छोटे होटल हैं जिनमें जो भोजन बनाने का काम करते हैं, उन बेयरा लोगों की ओर भी माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसी तरह से जो सैलून में बाल काटने का काम करते हैं और लाण्ड्री में धोबी का काम करते हैं, उनका भी शोषण आज हो रहा है। इसी तरह से दुकानों में जो 20 रुपए, 25 रुपए या 40 रुपए में मुनीम रखे जाते हैं, उनकी ओर भी माननीय मन्त्री जी को ध्यान देना चाहिए। यह परम्परा बहुत दिनों से चल रही है और आज भी लागू है। बीड़ी के मजदूरों की बात की। उनके बारे में कोई योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो अच्छा होगा। इसी तरह से खद्दर भण्डार में सूत कातने का काम गाँवों में औरतें करती हैं और रूई का काम करती हैं। मैं इसके बारे में सुझाव देना चाहता हूं और माँग करता हूं कि इनके बारे में ऐसी नीति अपनाएं कि खद्दर भण्डार को इससे जो प्राफिट होता है, उसमें उनको बोनस देने का काम किया जाय और उसको कानून के जरिए से किया जाना चाहिए। एक बात, जो नाचने का काम करते हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं। आप हंसे नहीं। रोज ढाई रुपए में काम करता है। उनका भी रजिस्ट्रेशन करा दीजिए ताकि उनकी जीविका का प्रबन्ध हो सके।

आबकारी के सिलसिले में 12 जिलों में शराबबन्दी की गयी है इस सरकार के द्वारा मन्त्री जी को इसके लिए बधाई देते हुए मैं यह माँग करता हूं कि श्रम और आबकारी विभाग दोनों को अलग कर दिया जाय। एक तरफ श्रमिक की बात कही जाती है और दूसरी ओर आबकारी की। श्रम तथा आबकारी विभाग एक साथ मिल जाने से नतीजा यही निकलता है कि दिन भर कमाइए और शाम को भट्ठी में अपनी पूरी कमाई डाल दीजिए। लिहाजा दोनों विभाग अलग किए जायें। शराबबन्दी करना आसान बात नहीं है। जब समुद्र मन्थन हुआ था तो उसमें रत्न निकले, उसमें शराब भी निकली। जो साधन सम्पन्न देवता थे उन्होंने रत्न के नाम पर ह्विस्की ली और जो राक्षस थे साधन विहीन उनको विष के नाम पर ठर्रा मिला। इस तरह की पद्धति अपनी संस्कृति में वर्षों से चलती आ रही है। आज आप उसे बन्द करने जा रहे हैं। लेकिन आप देखें कोई भी आपके मन्त्रालय से गुजर जाय तो उसको इतनी बदबू मिलेगी जिसका मन्त्री जी अन्दाजा नहीं लगा सकते। मन्त्री जी जरा इस ओर ध्यान दें कि उनके कार्यालय में न जाने कितने लोग पीकर काम करते हैं। इस विभाग में इन्स्पेक्टर से ले कर सिपाही तक सब पीकर ड्यूटी पर आते हैं। अभी कहा गया कि बलिया का एक इन्स्पेक्टर 60 हजार रुपया सालाना कमाता है। मेरा कहना है कि वह एक लाख रुपए सालाना से कम नहीं कमाता। अगर कोई आबकारी इंस्पेक्टर

[श्री गौरी शंकर भैय्या]

इससे कम कमाता है तो वह डरपोक है। गालिब के जमाने का एक शेर है—

'इसीलिए पीता हूं कि जल जाय जवानी,
वल्लाह कोई शौक से नहीं पीता।'

गांधी जी का जमाना आया तो उसको बन्द करने की बात की गयी। जब गालिब का जमाना गया तो फिल्मी जमाना आया और यह गाना सुनने को मिला—

"पंडित जी मेरे मरने के बाद इतना कष्ट उठा लेना,
मेरें मुंह में गंगा जल के बदले थोड़ी मदिरा टपका देना।"

पहले जवानी जल रही थी अब गंगा जल में शराब मिलाने की बात कही जाने लगी। अतः पूरे प्रदेश में एक साथ नशा बन्दी लागू की जाय। धन्यवाद।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, जो बजट रखा गया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह ऐसा बजट है जिससे श्रमिकों को हमारे प्रदेश में एक नई आशा की किरण दिखाई देती है। श्रमिकों की जो समस्याएं हैं उनको निबटाने के लिए अधिक न्यायालय खोलने की बात कही गयी है और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उनकी साझेदारी की बात स्वीकार की गयी है। इस तरह यह भी एक क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है कि उनको सरकारी तौर पर संरक्षण दिया जायगा। उन पर होने वाले अन्याय को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से संरक्षण दिया जायगा। मेरा यह सुझाव है कि हमारे सूबे में श्रमिकों के सम्बन्ध में एक-रूपता लानी चाहिए। तरह-तरह के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में तरह-तरह की मजदूरी और तरह-तरह के काम के घंटों में एक-रूपता न होने के कारण जो एक विशाल जन शक्ति और श्रम शक्ति है उसका नियोजन नहीं हो पा रहा है।

मान्यवर, एक बात की तरफ मैं और संकेत करना चाहता हूं। जनता पार्टी की सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि हम उद्योगों के जरिए, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के जरिए देश और प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम श्रम-शक्ति को बढ़ावा देना चाहते हैं। 30 साल के कांग्रेसी राज में इस देश में उद्योग को बढ़ाने की बात कही गयी थी जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारे देश के श्रमिकों का शोषण हो गया वे बेघर-बार और बेकार हो गए और जो हमने संकल्प लिया था कि हम गांधी का भारत बनायेंगे उनकी नीतियों और रास्तों पर चलेंगे, वही खतम हो गया। अब जनता सरकार के सामने यह दायित्व आ जाता है कि हम अपनी श्रम-शक्ति को किस प्रकार गांव-गांव में फैलाएं और उसको किस तरह से नियोजन करें। इसके लिए हमें श्रमिकों की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। जैसे बाबू बदरे जी ने कहा है कि कानपुर जैसे बड़े औद्योगिक नगर में श्रमिकों के आवास की व्यवस्था नहीं है उनके स्वास्थ्य का कोई ख्याल नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी भविष्य निधि और सेवा की शर्तों में एक-रूपता लाई जानी चाहिए। इसके लिए श्रमिकों में नया उत्साह भी पैदा करना होगा।

अब मैं आबकारी विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने कांग्रेस के इतिहास का उल्लेख किया। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकाल में बराबर शराब बन्दी की बात कही जाती थी लेकिन मान्यवर, उस समय की खपत आप देखें। सन् 1947 से लेकर सन् 1977 तक बराबर शराब की खपत बढ़ती चली गयी और पीने वालों की संख्या भी बढ़ती गयी और साथ ही डिस्टिलरीज की संख्या भी बढ़ती ही रही। गाँव-गाँव और कस्बे-कस्बे में कांग्रेस के जमाने में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ी। मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधान मन्त्री श्री मोरार जी देसाई ने इस बात का ऐलान किया है कि हम देश के अन्दर 5 साल के अन्दर नशा-बन्दी लागू कर देंगे चाहे हमारी सरकार चले या चली जाय। आबकारी मन्त्री महोदय के बजट भाषण में इस बात का ऐलान किया गया है कि हमारी सरकार इस बात के लिए वचन-बद्ध है कि हम चार साल के अन्दर जो शेष बचे हैं पूर्ण-रूपेण मद्य-निषेध लागू कर देंगे।

मैं एक गम्भीर बात की ओर मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे फैजाबाद जिले में अयोध्या एक धार्मिक स्थान है और वह निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। मैं आपकी नालिज में यह चीज लाना चाहता हूं कि वहां पर बड़े पैमाने में शराब की तस्करी हो रही है। जिन जिलों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है उन जिलों से भी इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। इसलिए इस विभाग के अन्दर जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है, अधिकारियों और कर्मचारियों को सक्षम बनाने की आवश्यकता है, उनकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि हमने जो व्रत लिया है उसे हासिल करने के लिए रास्ते में जो कठिनाइयां आ रही हैं उनको दूर किया जा सके। जो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वे राजनीतिक नेता ही क्यों न हों उनके विरुद्ध भी शासन को कार्यवाही करने में कमी नहीं करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों से मेरा एक अनुरोध है कि वे या तो चिट न भेजें या फिर अगर चिट भेजते हैं तो वे कृपया खड़े हों। वरना केवल चिट भेजने से और बैठे रहने पर उन्हें नहीं बुला सकता। मैंने उन लोगों को बुलाया है जिन्होंने चिट नहीं भेजी है।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की मांगों के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय श्रम मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है श्रमिकों के सम्बन्ध में जो उद्गार आपने प्रकट किए हैं वह सराहनीय है। लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मन्त्री जी का ध्यान मद्य निषेध के सम्बन्ध में ताड़ी रोजगार में लगे हुए लाखों परिवारों के आवास की तरफ नहीं गया है। मान्यवर, कहने का अर्थ यह नहीं है कि हम ताड़ी पिलाना चाहते हैं। हम मद्य निषेध के समर्थक हैं और अपने को सरकार की नीति से सम्बद्ध करते हैं महात्मा गांधी की नीति का अक्षरशः पालन करते हैं कि पूर्ण रूप से मद्य-निषेध लागू हो।

(इस समय 3 बजकर 26 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

आज जो एकाएक पहली अप्रैल से सारे प्रदेश में ताड़ी की दुकानें बन्द कर दी गयीं उससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं।

[श्री बाबू राम वर्मा]

मान्यवर, ताड़ी के पीछे एक इतिहास है। अंग्रेजों ने एक आन्दोलन चलाया आज से 50, 60 साल पहले कि ताड़ और खजूर के पेड़ लगाओ और उसके साथ-साथ जो एक जाति विशेष पासी नाम से जानी जाती है जो अनुसूचित जाति है, उसको यह पेशा सौंप दिया। इससे यह लोग अपनी जिन्दगी चला रहे हैं। पासी के अलावा और बहुत से लोग इस ताड़ी के रोजगार में लगे हुए हैं। यह 6 महीने तक ताड़ी उतारते हैं और बेचते हैं और जब काम नहीं रह जाता है तब भी बैठ कर किसी तरह से अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। मान्यवर, उनका पूरे का पूरा खानदान इस पेशे में लगा हुआ था। ताड़ी को बन्द कर देने से आज वह सब बेकार हो गए हैं और भूखों मर रहे हैं। मानवता की दृष्टि से माननीय मन्त्री जी को कोई ऐसी योजना चलानी चाहिए जिसके माध्यम से इस पेशे में लगे लोग रोजगार में लग सकें। आज लाखों लोग मौत के दिन गिन रहे हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, हमारे पड़ोसी बिहार सरकार ने निर्णय किया है कि हम ताड़ी को मद्यनिषेध के अन्तर्गत नहीं रखेंगे। आखिर उन्होंने यह क्यों किया? यह इसलिए किया कि सरकार ने महसूस किया कि जब तक इन लाखों लोगों को रोजगार में नहीं लगायेंगे तब तक यह रहेगी।

ताड़ी के लिए गांधी जी ने नीरा शब्द का प्रयोग किया था। नीरा जो है खून वर्धक है, स्वास्थ्य वर्धक है। क्या-क्या गुण इसके अन्दर हैं और आज भी इससे गुड़ और नीरा बनाने की बात चल रही है। हमारा अनुरोध है कि जब तक इस पेशे को करने वाले को दूसरा रोजगार न दिया जाय, उस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाय। हमारी सरकार के कुछ लोगों ने वाह-वाही लूटने के लिए एकाएक इसे बन्द कर दिया—बन्द करना अच्छा है लेकिन जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनके बारे में भी सोचें। हमने पूरा बजट देखा लेकिन कहीं भी इसका प्रविधान नहीं है कि ताड़ी को बन्द करने से उसके रोजगार में लगे लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की जायगी। हम आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि इसके बारे में आप सोचें। अगर नहीं सोचा तो इसका नतीजा क्या होगा कि जो अपराधशील जाति थी जिनको रोटी-रोजी इससे मिलती थी वह मजबूर हो जायेंगे फिर से उस रास्ते पर चलने के लिए। तो क्या इसे बन्द करने से हम पुनः वह रास्ता खोल देंगे? कदापि नहीं खोलेंगे।

इसके साथ-साथ मान्यवर, हम आपसे अनुरोध करेंगे मन्त्री जी से कि निश्चित तौर पर एक ऐसी योजना बनाएं जिसके अन्तर्गत ताड़ी में लगे हुए लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की जायगी। नहीं तो जब तक यह व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक उनके परिवारों के पालन-पोषण के लिए कुछ भत्ता की व्यवस्था करें। अगर यह नहीं कर सकते तो निश्चित तौर पर वह गरीब मासूम जो आज भूखों मर रहे हैं, ताड़ी के सीजन में नवम्बर, दिसम्बर तक का जमा हुआ पैसा भी वापस नहीं हुआ है, यह उनकी स्थिति है। धारा 52 में मैंने दिया था। बजट पर समय देने की बात की गयी थी इसलिए थोड़े समय में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। इस पर आप व्यवस्था दें। धारा 52 में 2 घंटे की चर्चा होती, अगर चर्चा उस विषय पर हो तो ठीक है एक मिनट भी हमें न दिया जाय। लेकिन चर्चा का

समय निश्चित नहीं हुआ। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने प्रस्ताव देकर यह समय टलवाया है। ताड़ी पर अलग से दो घंटे की चर्चा का समय हम लोगों को मिलना चाहिए। अन्त में मैं माननीय श्रम मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आबकारी बजट पर माननीय ऊदल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस के शासन काल में नशा पीने वाले लोग बढ़े। लेकिन हम यह देखें कि जिस समय से कांग्रेस ने सत्ता सम्भाली, उसके बाद आज देश की आबादी ढाई गुना बढ़ चुकी हैं। निश्चय ही जन संख्या के आधार पर हम मानते हैं कि नशा पीने वालों की संख्या बढ़ी होगी। इस सरकार ने जिस ढंग से सात जिलों में नशाबन्दी की घोषणा कर दी है, श्रद्धेय मोरार जी भाई अपनी शाबाशी और वाह-वाही की बात करते हैं। दूसरी तरफ नशाबन्दी होने के कारण लोग गलत ढंग से मद्य का पान कर रहे हैं। अगर खुली छूट होती है तो गन्दी एवं गलत शराब पर नियन्त्रण हो सकता था। ठीक है, नशाबन्दी होनी चाहिए। लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार की दृष्टि साफ होनी चाहिए। जो सरकार लाइ-सेन्स के आधार पर दूकानें चला रही थी उस समय गलत शराब बेचने एवं बनाने वालों को पकड़ ठीक ढंग से हो जाती थी। उनके पीछे मेरी निश्चित धारणा हैं, सात जिलों में जहां नशाबन्दी घोषित की गयी है, वहां हर पीने वाले के घर में भट्ठी मौजूद हो गयी हैं। हर पीने वाला दुगने दामों पर गलत चीजें मिली हुई मदिरा ले रहा है। अगर शासन ने पहल की है तो मेरा निवेदन है कि बड़ी ईमानदारी एवं संजीदगी के साथ देखें कि कही गलत ढंग से मदिरापान तो नहीं हो रहा है। अगर सरकार का दिल व दिमाग साफ है तो पूरे प्रदेश के पैमाने पर मद्य निषेध की बात सोचनी चाहिए वह इस ढंग से आधा तीतर आधा बटेर वाली कहानी का निर्वाह कर रही है।

माननीय मन्त्री ने जब से श्रम विभाग सम्भाला है श्रमिक क्षेत्र से आपका सीधा रिश्ता नहीं है। लेकिन शासन का अंग बन जाने के बाद आप के ऊपर यह जिम्मेदारी आ जाती है। मेरे तमाम साथियों ने इस बजट का पुरजोर समर्थन किया। लेकिन मैं कहना चहता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर कभी भी मजदूरों को गोली से नहीं मारा गया होगा। इस बात पर किसी भी व्यक्ति ने कोई झलक नहीं डाली। इतना बड़ा गुनाह मजदूरों के साथ किसी भी सरकार ने नहीं किया। पन्तनगर और गाजियाबाद तथा कानपुर में तमाम मजदूरों को गोली से उड़ा दिया गया। ऐसा व्यवहार किसी भी सरकार ने नहीं किया जैसा इस सरकार ने मजदूरों के साथ किया। अगर आप हिसाब लगावें या 30 साल के शासन को देखें तो यह स्पष्ट दिखेगा कि एक गोली काण्ड में कभी भी 200-250 मजदूर नहीं मारे गए। फिर भी जनता पार्टी के सदस्य कहते हैं कि यह सरकार मजदूरों की सरकार है। मैं तो कहता हूं कि यह सरकार मजदूरों की सरकार नहीं है, यह पूंजीपतियों की सरकार है, मिल-मालिकों की सरकार है। पूंजीवादी एवं प्रतिक्रियावादी सरकार हो, मान्यवर, जो गेट मीटिंग्स होती थीं वह बन्द कर दी गयी हैं, इससे सम्पूर्ण मजदूरों का शोषण हो रहा है। मजदूरों के हकों की रक्षा होनी चाहिए। आप निश्चित रूप से उन मजदूरों के प्रति कुछ

[श्री अरुण कुमार]

कीजिए जिनका शोषण हो रहा है। आपकी सरकार मे गांधी के भक्त हैं और [*****] इस प्रकार तमाम लोगों का तालमेल इस सरकार में है। जहां पूजीवादी हों वहीं समाजवादी भी हों जहां साम्यवादी हों वही प्रतिक्रिया वादी भी हों मेरा निश्चित मत है कि आप मजदूरों के लिए कुछ करें। वैसे तो यह सरकार मजदूर विरोधी है।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

अधिष्ठाता महोदय, इनसे यह पूछ लिया जाय कि गांधी के हत्यारे कौन है। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है—

श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

मान्यवर, गांधी के हत्यारे कौन हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं इसे देखूंगा अगर गलत होगा तो कार्यवाही से निकाल दिया जायगा—यह व्यवस्था का प्रश्न नही है।

श्री अरुण कुमार—

अब मैं मान्यवर, कुछ काले कानून की ओर भी कहना चाहता हूं। 1100 मजदूर पन्तनगर में गिरफ्तार हुए थे और उस सम्बन्ध में तमाम मजदूर इस काले कानून के अन्तर्गत प्रताड़ित किये जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार इस विषय पर सोचे और कोई हल निकाले तथा इस काले कानून एवं एसेन्शियल सर्विसेज के आधार पर लोगों को प्रताड़ित न किया जाय। इसे समाप्त कर तथा मजदूरों के बारे में ईमानदारी एवं सहृदयता से सोचें।

मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, यह कानून कृषि मजदूरों पर तो लागू ही नहीं होता है। यह तो स्थायी मजदूरों पर लागू होता है। लेकिन पता चला है कि कृषि मजदूरों पर भी इसी को लागू किया गया है। ताला बन्दी के बारे में शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। ताला बन्दी शासन की गलत नीतियों के कारण होती हैं इसके लिए मजदूर जिम्मेदार नहीं हैं। इसलिए जो आउट ले यों बैठकी होती है उसका पैसा मजदूरों को मिलना चाहिए। कारखानों को बिजली नही मिल पाती है और शिफ्ट नहीं चल पाती है जो बीच की शिफ्ट होती है वह बिजली की सप्लाई न होने के कारण नहीं चल पाती है, इसमें मजदूरों का कोई दोष नहीं होता है। इसलिए जो कमजोरी शासन की है इसके लिए मजदूर को नहीं सफर करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मजदूरों के बारे में ईमानदारी के साथ पहले करें जिससे मजदूरों एवं श्रमिकों का हित हो सके।

नोट—[* * *] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे श्रम के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। जनता सरकार ने जो शराब बन्दी की है उससे निश्चित रूप से लाखों लोगों को लाभ पहुंचा है। कितना अच्छा होता कि पूरे प्रदेश में नशाबन्दी की जाती जिससे ब्लैक-मार्केटिंग को बढ़ावा न मिलता और भ्रष्टाचार न बढ़ता। वैसे यह बड़ी प्रसन्नता की बात है और जनता सरकार का निश्चय है कि आगामी 3–4 वर्षों में प्रदेश में पूर्ण रूपेण नशाबन्दी हो जायगी।

सरकार ने एक दम से शराब के साथ ताड़ी बन्दी करके तीन लाख मजदूरों को बेकार कर दिया है। देखने में यह आया है कि इस व्यवसाय में पासी जाति के लोग अधिकतर लगे हुए थे। पासी जाति के साथ हमेशा-हमेशा अन्याय हुआ है। सन् 1857 में भी अंग्रेजों के जमाने में बिरजिस कादर ने घोषणा की थी पासी जाति के लोगों को, जिनका मुख्य धन्धा गाँव शहर की रक्षा करना था या सेना में भर्ती होकर देश और प्रदेश की रक्षा करना था, उनको हटाकर बेकार कर दिया था। इसी प्रकार से जनता सरकार ने भी एक दम से ताड़ी को बन्द करके पासी जाति के साथ अन्याय किया है। पासी जाति के लोगों के साथ अंग्रेजों ने अन्याय किया था तो 1857 में मेरठ में सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसके परिणामस्वरूप देश में अंग्रेजों की हालत खराब हुई थी। उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि अगर जनता सरकार ने उनके साथ लगातार अन्याय किया तो निश्चित रूप से इसी प्रकार से पासी जाति फिर विद्रोह करेगी। यह उनकी रोजी-रोटी का सवाल है। आज उनके पास कोई पुश्तैनी पैसा नहीं, जीविका का कोई साधन नहीं और अधिकतर लोग खेतिहर मजदूर हैं, खेतों में काम करने के अतिरिक्त उनके पास कोई रोजगार नही है। पहले यह सरकार उनके रोजगार की व्यवस्था करती, उसके बाद ताड़ी बन्दी का ऐलान करती। वैसे मैं निवेदन करूंगा कि ताड़ी कोई नशे की चीज नहीं है। गाँधी आश्रम के माध्यम से ताड़ी से गुड़ बनाया जाता है। तो ताड़ी को बन्द करने की आवश्यकता नहीं थी। अभी-अभी बिहार में कुछ दिन पूर्व वहाँ की सरकार ने यह निर्णय लिया कि ताड़ी बन्द नहीं की जायगी। मैं भी सरकार से अनुरोध करूंगा कि ताड़ी के उद्योग में जो अनेकानेक मजदूर लगे हुए थे वे बेकार हो ए हैं। या तो उनको कोई काम दिया जाय अन्यथा ताड़ी के उद्योग को फिर से चलवाएं।

मैं अपने क्षेत्र मोहन लाल गंज की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में आपातकाल में लगभग 1–1 1/2 लाख आबकारी के फर्जी मुकदमें चलाए गए थे, उनके यहां पर तलाशी नहीं ली गयी, उनके नाम भर कर उनको परेशान किया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप मेरे क्षेत्र के हरिजनों में व्यापक असन्तोष व्याप्त है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर विशेष ध्यान देकर जिन गाँवों में फर्जी मुकदमें इस प्रकार हरिजनों पर चलाए जा रहे हैं उनको समाप्त कराने का कष्ट करें।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ) ---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

आज जो शराब बन्दी का बजट सदन में आया है मुझे बड़ी खुशी है कि गांधी जी और हमारे जैसे लोग जो खुद शराब बन्दी के आन्दोलन में उन शराब की दुकानों पर जिस प्रकार से सत्याग्रह किया और जेलों में सीखचों के पीछे रह कर जो स्वप्न देखा, आज हमारा वह स्वप्न पूरा हो रहा है। पूज्य महात्मा गांधी जी ने इस देश और प्रदेश में जो आन्दोलन चलाया था, उसके बारे में जनता पार्टी ने यह कहा था कि जहां तक कि इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात है तो यह शराब बन्दी उसके लिए हमने प्रदेश में लागू किया, परन्तु मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश के अन्दर ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में शराब बन्दी होनी चाहिए क्योंकि यह बड़ी हानिकर है। मैं देखता हूं कि पूरी शराब बन्दी लखनऊ में नहीं है। मैं क्लास वन के अफसरों के बारे में कहना चाहूंगा कि वे बुरी तरह से अपने कमरों में बैठकर शराब पीते हैं। 1500 की उनकी आमदनी है और कमरों में ही नहीं क्लार्क अवध और क्पूर होटल में, अपने क्लबों में शराब पीते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी कभी नहीं की गयी।

(इस समय 3 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष जी, शराब बन्दी की जा रही है, एक सही आवाज थी और स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों ने इसके लिए सत्याग्रह किया था। यही नहीं, हमारे लोहिया जी और अमर शहीदों की यादगार में जो नशाबन्दी का बजट आया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो ताड़ी के बारे में कहा जाता है कि उससे गुड़ बनाया जायगा अच्छा होगा, लेकिन यह भी देखा जाय कि जो गुड़ बनाया जाय उसमें ऐसा न हो कि कहीं लोग नीरा-वीरा पीना न शुरू कर दें। यह देखा गया है कि लखनऊ में बाहर से लोग शराब पीकर आते हैं। क्लबों में बड़े-बड़े अफसर बैठकर शराब पीते हैं। अध्यक्ष जी, आप भी स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी हैं, देश में और प्रदेश में आपने सत्याग्रह किया है। इसलिए निवेदन करूंगा कि सारे प्रदेश में और भारत में ही शराब बन्दी होनी चाहिए। शराब ऐसा नशा है जो हमारा नाश करता है, हमारी सन्तान का नाश करता है। आज कुछ दिन पहले मिट्टी के तेल को फिल्टर करके स्पिरिट में मिला कर लोग शराब में पीते थे। इसी कारण देश और प्रदेश में उनके गरीबों को टी0 बी0 का रोग हो जाता था। आपने देखा होगा कि स्पिरिट की दूकानें काफी खोल रखी हैं। उनके पीने वालों को भी चेक करना चाहिए। मैं इस विभाग के लोगों से कहूंगा कि देश में और प्रदेश में आपको सेवा की भावना से काम करना चाहिए, जैसा कि हमने प्रतिज्ञा की है सेवा करने की और आपको सहयोग करना चाहिए ताकि यह देश उन्नति कर सके। दो तरफा हुकूमत नहीं चल सकती है। जब तक क्लास वन अफसरों की मनमानी चलेगी तो कुछ नहीं हो सकता। इनको इतनी अधिक तनख्वाह मिलती है इसको आप ध्यान में रखिए और इनके साधन को देखिए। मैं आपको दिखाऊं कि कितने इनके बंगले सजे हैं और कितनी कारें घूमती हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ था, समर्थन करता हूं।

*श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मैं श्रम और आबकारी विभाग का अनुदान जो सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत हैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन मुझे सरकार के समक्ष कुछ सुझाव देने हैं।

मान्यवर, यह मन्त्रालय अभी तक एक दूसरे व्यक्ति के पास था जो इस देश में श्रम आन्दोलन के बहुत बड़े नेताओं में से थे और मैंने स्वयं भी लेबर मूवमेंट में श्रम आन्दोलन के संगठन की उनसे शिक्षा ली। जो नए मन्त्री आए हैं उनके कन्धों पर बड़ा भार है। पिछले एक साल में बहुत लड़ाई-झगड़े के बाद कुछ प्रगति इस विभाग में हुई है। मैं मन्त्री जी का ध्यान दो–तीन बातों की ओर दिलाना चाहूंगा। श्रम और आबकारी मन्त्री का सम्बन्ध बड़े-बड़े उद्योगपति और मिल-मालिकों से होता है और समय-समय पर उनसे टक्कर लेनी होती है और इस प्रदेश में अगर कोई भी सबसे ज्यादा संगठित है तो वे यही लोग हैं और यही इस मन्त्रालय में सबसे अधिक आते-जाते हैं।

मान्यवर, गन्ना मिलों में सबसे ज्यादा चोरी सीरे की होती है। शीरे से स्प्रिट बनती है। सरकार शीरे को इन फैक्टरियों को देती है स्प्रिट बनाने के लिए। जिन दामों पर शीरा इन लोगों को दिया जाता है मार्केट में उस शीरे का भाव उससे कहीं ज्यादा अधिक होता है। यह मिल-मालिक तमाम शीरा वेस्टेज में दिखा देते है और उस शीरे को बेचकर काफी पैसा पैदा करते हैं। उस कमाई को बैलेन्स शीट में भी नहीं दिखाते। लखनऊ, मोदीनगर, बुलन्दशहर आदि 5–7 फैक्टरियों में ही लगभग 78,236 क्विंटल शीरा चुरा लिया गया और इसको बाजार में बेचा गया। इसका कहीं कोई हिसाब नहीं रखा और मिल मालिकों ने इसको वेस्टेज म दिखा दिया। इतने शीरे पर एक करोड़ तेरह लाख रुपया सरकार को केवल एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलता। अब मिल-मालिकों को इससे कितने करोड़ का फायदा होता, यह सहज ही लगाया जा सकता ह। एक करोड़ तेरह लाख का तो एक्साइज ड्यूटी में लास हुआ। जब यह मामला इस्टीमेट कमेटी में गया तो इस चोरी को रोकने के लिए समिति ने यह सुझाव दिया कि शीरे के टैंक स्थापित किए जायें। मिल-मालिकों ने कहा कि हम इसमें पैसा नहीं लगायेंगे। इस पर यह निश्चय हुआ कि शीरे का जो पैसा इन मिल मालिकों को प्राप्त होगा उसका एक प्रतिशत यह लोग जमा करेंगे और उस पैसे से शीरे के लिए टैंक बनाये जायेंगे। खतौली और मवाना, इन दो मिलों ने एक प्रतिशत के हिसाब से पैसा तो जमा किया किन्तु फैक्ट्री वालों ने शीरे का टैंक आज तक नहीं बनाया। मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में भी किसी भी फैक्ट्री ने शीरे के टैंक नहीं बनाए और जो रुपया एक लाख से चार लाख तक शीरे के टैंक के लिए जमा हुआ था, वह भी यह लोग खा गए। शीरा कन्ट्रोल आर्डर के सेक्शन 11 के मातहत इन मिल मालिकों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मुझे खेद है कि अभी तक इन लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया गया। आज तो यह मिल-मालिक यह कह रहे हैं कि अब जब आप मन्त्री बन गए है तो अब हमारे ऊपर मुकदमा चलेगा ही नहीं। उनका यह भी कहना है कि इस विभाग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर]

को आपको दिलवाने में भी उन्हीं लोगों का हाथ है। यह उनकी एक चुनौती है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि जब आपने इस विभाग को सम्भाला है तो कम से कम शीरा कन्ट्रोल आर्डर के सेक्शन 11 के अधीन आप इन मिल मालिकों के खिलाफ मुकदमा अवश्य चलाएं ताकि शीरे की जो चोरी आज हमारे मिल मालिक कर रहे हैं और करोड़ों रुपया इस तरह से पैदा कर रहे है, वह न कर पायें और इससे सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता है वह भी प्राप्त हो सके। और किसी को यह कहने का मौका न मिले कि नए मन्त्री महोदय ने आने के बाद कुछ नहीं किया।

शराब बन्दी और ताड़ी बन्दी के इकौनामिक पहलुओं की ओर भी मैं जाना चाहूंगा। मान्यवर, शराब के जितने ठेकेदार हैं, उनको 25 प्रतिशत रुपया उसी समय जमा करना होता है। कानून के अनुसार तीन महीने के बाद अगली किस्त जमा करनी होती है। मेरठ में 109 देशी शराब के ठेके हैं और 15 विलायती शराब की दूकानें हैं। 60 लाख रुपया रिकवरी का इन लोगों पर केवल मेरठ जिले में ही बकाया है। पहली किस्त देने के बाद किसी भी ठेकेदार ने एक नया पैसा भी नहीं दिया। साल्वेन्सी सार्टिफिकेट देने के बाद ही किसी भी व्यक्ति को शराब का ठेका दिया जाता है। इस तरह अगर किसी ठेकेदार पर कोई सरकारी रकम बकाया है तो वह उनसे एक मिनट में वसूल की जा सकती है। मान्यवर, एक गरीब किसान पर जब 30–40 रुपए ही बकाया होता है तो उसकी जमीन व बैल कुर्क कर लिए जाते हैं किन्तु इन ठेकेदारों पर जिन पर कि 60 लाख रुपया बकाया है यह सरकार वसूल नहीं कर पा रही है। इन लोगों की प्रापर्टी कुर्क क्यों नहीं की जाती। क्या कारण है कि मेरठ में रिकवरी सर्टीफिकेट जारी होने के बावजूद भी आज तक रुपया वसूल नहीं हो पा रहा है। आपके अधिकारी जाते हैं और उनसे पैसा खा लेते हैं और कोई कार्यवाही नहीं करते। आठ-आठ इन्सटालमेंट दे दिए जाते है जबकि किसान को एक भी इन्सटालमेंट नहीं दिया जाता। हम देखते है कि ये बड़-बड़े ठेकेदार इन्सटालमेंट पाने के लिए लखनऊ में डेरा डाले हुए है।

मान्यवर, मोहन मीकिन शराब का सबसे बड़ा ठेकेदार है। एक करोड़ उन्नीस लाख रुपया मोहन मीकिन पर बियर वेस्टेज का है। एक प्रतिशत का बियर वेस्टेज उनको दिया जाता है। उसके बाद जितना माल तैयार होता है उस पर टैक्स लगता है। इमरजेन्सी के जमाने में संजय गांधी की कृपा से मोहन मीकिन से टैक्स के इस बकाए रकम को वसूल नहीं किया गया। उस समय उनकी दोस्ती संजय गांधी से थी और सुना यह जाता है कि आज कल उनकी दोस्ती श्री राज नारायण से हो गयी है, किन्तु हमको जनता पार्टी और जनता पार्टी की सरकार के चेहरे को साफ करने के लिए मोहन मीकिन पर बकाए दो करोड़ तीस लाख रुपए रकम को शीघ्र वसूल करना चाहिए। अगर आप यह रकम उनसे वसूल नहीं करते तो आगे आने वाला जमाना आपको क्या कहेगा? फिर यह पूंजीपति लोग यही कहेंगे कि हमने इस विभाग के मन्त्री को इसीलिए बदलवाया ताकि हम लोगों से होने वाली रिकवरी वसूल न की जाय। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन लोगों पर जो पांच-सात करोड़ रुपए की रिकवरी के आदेश गए हैं, उन्हें शीघ्र वसूल किया जाये और किसी भी हालत में किसी को भी एक भी इन्सटालमेंट न दिया जाय। किसी की भी रिकवरी को स्थगित न किया जाय। अगर यह रिकवरी कर लेते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी।

श्री अध्यक्ष---

मैं निवेदन करूंगा कि पांच मिनट जब हो जायेंगे तब मैं लाल बत्ती जलाऊंगा। दो मिनट के बाद जब लाल बत्ती बुझ जाए तब आप लोग अपने आप कृपया बैठ जायं। लाल बत्ती बुझने के बाद माननीय सदस्य जो कुछ भी कहेंगे वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, मैं आबकारी एवं श्रम मंत्री जी के अनुदानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, आप इतने सख्त कैसे हो गए? माननीय सदस्य तो अपने आप बैठ जाते हैं।

बाबा राम अधार यादव---

मान्यवर, आज श्रम मन्त्री और शराब मन्त्री एक ही हैं।

श्री अध्यक्ष---

शराब निषेध मन्त्री कहें तो अच्छा होगा।

बाबा राम अधार यादव---

श्रीमन्, अभी तो शराब मन्त्री भी हैं और शराब निषेध मन्त्री भी हैं -

"गालिब शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर,
या वह जगह बता जहां पर खुदा न हो।"

मान्यवर, जब समुद्र का मन्थन हुआ तो एक तरफ अमृत निकला और दूसरी तरफ शराब निकली। हमारे देश में अमृत तो गया बड़े लोगों को यानी देवताओं के हाथ में और शराब आई बेचारे गरीब लोगों-राक्षसों के हाथ में।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि मुझे तो विश्वास नहीं है, एक बार इस देश के अन्दर मद्य निषेध हुआ था और बड़े जोर के साथ ढिंढोरा पीटा गया था कि मद्य निषेध होने जा रहा है। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि मद्य निषेध इस देश के अन्दर नहीं हो पायेगा। बल्कि मद्य निषेध के नाम पर पूंजीपति और बड़े पूंजीपति होंगे और लोगों को विष पिलायेंगे।

मान्यवर, मैं मद्य निषेध का विरोधी नहीं हूं लेकिन जिस तरह से मद्य निषेध का कार्यक्रम चल रहा है उसको देखते हुए मुझे आशा नहीं है कि मद्य निषेध हो जाएगा, और मद्य निषेध को करना है तो केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश के अन्दर एक साथ एक क्रान्तिकारी कदम उठाकर हमारी सरकार और केन्द्रीय सरकार इसको लागू करे। आप जानते हैं कि हमारे देश के अन्दर दो तरह के लोग हैं एक तो उच्च अधिकारी और दूसरे उच्च व्यापारी, दोनों मद्य निषेध के दुश्मन हैं। इन दोनों लोगों के कारण मद्य निषेध योजना लागू नहीं हो पाएगी। एक तरफ शराब बनाने वाले पूंजीपति हैं और दूसरी तरफ उच्च अधिकारी हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जो आबकारी विभाग है उसमें जो निरीक्षक है उनके घर की स्थिति देखें। जो इन्सपेक्टर है, निरीक्षक है उनके घर हमारे ऐसे लोगों के घरों से कई गुना अच्छे हैं। उनके घरों का फर्नीचर देखिए, उनके

[बाबा राम अधार यादव]

घरों का रहन-सहन देखिए, वह शराब को बन्द करेंगे वह कभी नहीं बन्द करेंगे, मुझे आशा नहीं है कि वह बन्द करेंगे ।

मैं इलाहाबाद की बात बतला रहा हूं । कानपुर में शराब बन्दी हुई । इलाहाबाद में संगम है । गंगा, जमुना की पवित्र पावन धारा वहां बहती है । वहां पर गोल जमुना के कछार में शराब बन रही है और धड़ल्ले से बिक रही है । मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर आबकारी विभागों की दुकानों की शराब कम बिकती है मगर जो अवैध शराब उतारी जाती है वह ज्यादा बिकती है । मैं कहना चाहूंगा कि इसमें दो लोग साझेदार हैं । एक तो हमारे यहां की पुलिस और दूसरा आबकारी विभाग के अधिकारी । मैं तो कहूंगा कि मन्त्री जो बिल्कुल नौजवान हैं और इत्तिफाक से डा० लोहिया के शागिर्द हैं । मैं उनको आगाह करना चाहता हूं कि वह सदन में कोई प्रस्ताव लाएं और देश के अन्दर सम्भव न हो तो प्रदेश के अन्दर एकदम शराब बन्दी करें । यह जो हो रहा है, देहात में एक मसल कही गयी है कि बकरी और बखरी दोनों नहीं ढकेंगी ।

मैं अब श्रम के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जो श्रम विभाग है इससे सम्बन्धित तीन तरह के लोग हैं । एक तो मालिक, दूसरे यूनियनों के नेता और तीसरे श्रम अधिकारी । यह तीनों मिलकर मजदूरों का शोषण करते हैं । इसमें दो राय नहीं है, चाहे गाजियाबाद हो, कानपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, मैं इलाहाबाद की बात कहना चाहता हूं । जीप फ्लैश लाइट और त्रिवेणी इन्जीनियरिंग में तालाबन्दी रही । आप देखें यह जो अधिकारी हमारे यहां बैठाए गए हैं ये लोग मिल मालिकों से सम्बन्धित होते हैं । जैसा ऊदल जी ने कहा कि अगर इसमें ध्यान नहीं दिया जायगा तो मजदूरों का हित नहीं होगा । मजदूरों के मुकदमों के बारे में कहा गया है, 3–4 महीने की बात कही गयी है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो अदालतों के अन्दर पड़े हैं । 7, 8 साल हो गए हैं उनके घर वाले भूखे मर रहे हैं लेकिन अदालतों से फैसला अभी तक नहीं हुआ है । इसलिए मैं कहूंगा कि कोई क्रान्तिकारी कदम उठाकर मजदूरों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसको दूर करें ।

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त कीजिए ।

बाबा राम अधार यादव—

मान्यवर, मैं एक मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि यहां सचिवालय में एक सी० पी० सक्सेना हैं उनको यहां पर एडवाइजर बना कर बैठाया गया है उनकी मन्त्री जी जांच करें और उनको यहां से हटाएं ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया और श्रम से सम्बन्धित मजदूरोंसे सम्बन्धित, बहुत से अच्छे-अच्छे सुझाव दिए जिनकी चर्चा मैंने भी किया लेकिन इससे भी ज्यादा माननीय सदस्यों ने किया । मान्यवर, बहुत सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ताड़ी के बारे में जो सरकार का आदेश है वह गलत

है। उसको वापस लेना चाहिए और मन्त्री जी का जो खादी ग्रामोद्योग है उसको गुड़ बनाने के लिए दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह योजना बनेगी तो कई वर्षों तक यह मामला लटक जायगा और 9 हजार जो बेरोजगार हैं उनकी जीवकोपार्जन की समस्या खड़ी हो जायगी। इसलिए इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए।

मान्यवर, जहां तक मद्य-निषेध का सवाल है, यदि यह हो जाय तो बहुत अच्छी बात है। यहां बेरोजगारी और अशिक्षा बहुत है। इसलिए प्राथमिकता बेरोजगारों को देना है। मैं इस राय का हूं कि मद्य निषेध जब तक पूरे देश में नहीं होगा तब तक सफल नहीं होगा। माननीय प्रधान मन्त्री जो दिल्ली में हैं, मैं पूछता हूं कि क्या दिल्ली में मद्य निषेध है, गुजरात में है? इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं कि अयोध्या में मद्य निषेध है और फैजाबाद में नहीं है। यह कौन सा तरीका माननीय मन्त्री जी समझाना चाहते हैं जबकि फैजाबाद और अयोध्या में दो किलोमीटर का फासला है। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि पीलू मोदी का और सुब्रामणियम स्वामी का, जो दोनों पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, बयान पढ़ले था कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट में कितने लोग प्रधान मन्त्री, श्री मोरार जी देसाई के नुस्खे के आदी हैं और कितने लोग शराब के आदी हैं। इसलिए मन्त्री जी से निवेदन है कि यह दोनों नीतियां एक साथ नहीं चलेंगी और मन्त्री जी भारत सरकार से आग्रह करें कि मद्य निषेध पूरे देश में लागू करें नहीं तो यह योजना सफल नहीं होगी।

मान्यवर मजदूरों के बारे में लम्बा भाषण नहीं दूंगा बल्कि 4-5 सुझाव ही दूंगा। लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट के जो फैसले हैं वह लागू नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको अधिकार नहीं है। इसलिए लेबर कोर्ट को, श्रम विभाग को और अधिकार मिलने चाहिए। श्रम विभाग में जो सरकारी विभाग हैं उन पर आपका नियन्त्रण नहीं है जैसे बिजली बोर्ड, ट्रान्सपोर्ट विभागों के अधिकारी, तगड़े आई0ए0एस0 हैं और सरकार का संरक्षण होता है और श्रम विभाग से वह नहीं डरते हैं। इसलिए जहां औद्योगिक विवाद लागू हैं उनका ट्रीटमेन्ट वैसे ही होना चाहिए जैसे प्राइवेट फैक्ट्रियों में होता है और श्रम विभाग की दखलन्दाजी उसमें होनी चाहिए। यदि नियमों में कोई कमी है तो उनको ठीक किया जाय। किसी मजदूर के निकालने पर जैसा मैंने कहा तीन जगह जांच होती है। मालिक के यहां लेबर आफिसर होता है। लेबर कोर्ट जाता है, वहां होता है और फिर जब मुकदमा शुरू होता है तब होता है। इस पर कोई बंदिश लगनी चाहिए कि तीन महीने में यह हो जाय। तीन-तीन, चार-चार वर्ष तक नहीं लटकते रहना चाहिए।

श्रीमन्, इसी तरह से मजदूरों की सेवा समाप्ति वाला मामला है। अगर नियमों में आप परिवर्तन करें तो उसमें भी तीन महीने से ज्यादा का समय न रखें और जो लेबर कोर्ट्स हैं उनको स्टे का भी अधिकार होना चाहिए। बहुत से मामले बोर्ड में जाते हैं जो सालों पड़े रहते हैं। विभाग उनको अस्वीकृत कर देता है। मैं चाहूंगा कि टरमिनेशन के मामले सीधे लेबर कोर्ट में जाने का अधिकार होना चाहिए। इसी के साथ लेबर कोर्ट्स में सेवायोजकों को वकील रखने का अधिकार न हो क्योंकि मजदूर के लिए तो यूनियन का ही प्रतिनिधि जाता है जबकि सेवा योजक बड़े-बड़े वकील रखकर मजदूर को परेशान करते हैं। जो यूनियन हैं उनका पक्षपात पूर्ण रजिस्ट्रेशन हो रहा है। दो-दो साल से मामले लटके हुए

[श्री ऊदल]

हैं। मन्त्री जी इसको देखें और जल्दी करा दें। साथ ही श्रमायुक्त को जहाँ मालूम हो कि अशान्ति होने का अन्देशा है छंटनी या बैठकी या तालाबन्दी का अन्देशा है तो वह दखल दे और मालिकों को ऐसा करने से रोके और जरूरत हो तो ऐक्ट में भी परिवर्तन किया जाय। आज हमारे यहाँ कितने ही कारखाने, मिलें छंटनी, बैठकी और तालाबन्दी के कारण बन्द हैं। क्या नैनी, क्या इलाहाबाद, क्या लखनऊ और दूसरी जगह सभी इसके शिकार हैं। इस तरफ मन्त्री जी को ध्यान देना चाहिए। काम करने के जो घंटे हैं सात-आठ इनसे अधिक दस बारह घन्टे तक काम लिया जाता है और कोई ओवरटाइम भी नहीं दिया जाता। अगर ओवरटाइम काम लेते हैं तो उनको उसका पैसा मिलना चाहिए। मजदूरों का जो मौलिक अधिकार है, संविधान में दिया हुआ है, हड़ताल, प्रदर्शन करने और माँग-पत्र देने का तो इस सरकार ने उस अधिकार को छीन लिया है। मेरठ और दूसरे रीजन्स में इस अधिकार से मजदूरों को कई महीने तक वंचित किया गया है। यह जनतन्त्र के ऊपर कुठाराघात है। तो उस अधिकार को बहाल कर दें।

एक बात और कहना चाहता हूं। मान्यवर, बहुत से फैसले होने के बाद भी सरकार उस फैसले को लागू नहीं कराती। मैं इलाहाबाद न्यायालय के फैसले को पढ़ना चाहता हूं जो 20 जनवरी, 1978 को हिन्दालको के एक कर्मचारी श्री मुरारी सिंह के मामले में निर्णय देते हुए उल्लेख किया। उसमें उन्होंने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों को लागू कराने के लिए श्रम विभाग को सक्षम एवं स्वतन्त्र होना चाहिए जिसके लिए उत्तर प्रदेश उद्योग विवाद अधिनियम में संशोधन किया जाय। फिर आगे लिखते हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें खामियों को देखते हुए जनता सरकार के लिए स्पष्ट निर्णय के बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन करना आसान एवं आवश्यक हो जाता है। राज्य सरकार को विधि विभाग की राय लेकर ऐसा करना चाहिए। मान्यवर, यह मुरारी सिंह का मामला है जो हिन्दालकों में मजदूर था। लेबर कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला दिया था और हाई कोर्ट ने भी फैसला उसके पक्ष में दिया लेकिन आज भी वह मजदूर मारा-मारा फिर रहा है। यही नहीं मैं कहना चाहता हूं कि हजारों हजार मजदूर श्रम अदालतों से तथा अदालतों से और हाई कोर्ट से फैसला अपने पक्ष में पा जाने के बाद भी उन फैसलों को तोड़ा जा रहा है। इसलिए निवेदन है कि इस सरकार को इस मसले पर गौर करना चाहिए।

अन्त में मैं फिर माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वह श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, उनके कमाए हुए धन से बोनस देने के लिए तत्पर रहें। आज क्या हो रहा है? आज जब वे अपने कमाई हुई चीजों को माँगते हैं, तो गाजियाबाद में गोली चली, पन्तनगर में गोली चली, स्वदेशी काटन मिल में गोली चली। इसके अलावा न जाने कितनी जगहों पर गोली चली और लाठी चार्ज हुआ और हजारों हजार मजदूर अपने कमाए हुए धन को माँगने में लाठी और गोली के शिकार हुए और सरकार ने साथ उद्योगपतियो का दिया। इसलिए निवेदन है कि सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करें। जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने चार चीजों के बारे में ऐलान किया है मजदूरो के हितों के लिए, मैं चाहता हूं कि उन पर कड़ाई से पालन किया

जाय; अमल में लाया जाय ताकि मजदूरों के हितों की रक्षा हो सके।

इन शब्दों के साथ में, मैं कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जिन सभी साथियों ने इस विचार विमर्श में हिस्सा लिया मैं उनको धन्यवाद देता हूं और खासतौर से ऊदल जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मेरे द्वारा की गयी घोषणाओं का स्वागत किया। मैं यह भी आशा करता हूं मान्यवर, जो 2-4 बातें मैं माननीय ऊदल जी को बताना चाहता हूं जो अभी हाल में श्रम विभाग के द्वारा की गयी हैं उन पर भी वह ध्यान देकर मजदूरों के हितों को देखते हुए उनका भी स्वागत करेंगे।

मान्यवर, एक व्यवस्था अभी जो हाल में की गयी है स्थायी आदेशों के सम्बन्ध में उसमें कुछ कानूनी पाबन्दियाँ हमारे ऊपर थीं और वह ये कि जिन प्रतिष्ठानों में 100 से अधिक कर्मचारी कार्यरत थे, उनमें स्थायी आदेश लागू होते थे, लेकिन उनसे कम कर्मचारियों के प्रतिष्ठानों में वे आदेश लागू नहीं होते थे। मान्यवर, अब यह व्यवस्था की गयी है कि जिन प्रतिष्ठानों में 20 कर्मचारी भी हैं, उनमें वे स्थायी आदेश लागू होंगे। श्रीमन्, मैं यह मानता हूं कि ज्यों-ज्यों परिस्थितियां बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, त्यों-त्यों इन स्थायी आदेशों में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर हम उन्हीं स्थायी आदेशों को ले कर चलते रहे तो आवश्यकताओं के अनुरूप जो आदेश होने चाहिए उनको हम नहीं दे पायेंगे इसके लिए हमने तय किया है कि जो श्रम आयोग पुनः गठित होगा उसके विचार के लिए और संस्तुतियों के लिए कैसे आदर्श स्थायी आदेश दिए जायं और उनमें क्या चीजें जोड़ी जायं जिससे हमारे प्रदेश के मजदूरों का शोषण न हो सके और जो उपलब्धियां आवश्यकताओं और नियमों के अनुसार उनको मिलनी चाहिए वे उनको मिल सकें।

एक बहुत बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि सभी जगह शोषण के सम्बन्ध में उभर कर सामने आया है, वह है समाचारों के सम्बन्ध में। मुझे खेद है किसी माननीय सदस्य ने उसकी ओर इशारा नहीं किया।

श्री ऊदल—

मैं खेद प्रकट करता हूं कि मैं भूल गया।

श्री रमा शंकर कौशिक—

उनकी आवश्यकताएं और काम का प्रारूप दूसरे प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों से बिल्कुल अलग है। शोषण के नए-नए रास्ते सेवायोजकों के द्वारा अपनाए जाते हैं जैसा मैंने पहले निवेदन किया रोज आवश्यकताओं में विकास होता है, हम भी विकासशील है, समस्यायें भी विकसित होती है इसलिए समग्र रूप से सारी समस्याओं के निदान हेतु त्रिदलीय समिति का निर्णय लिया है जो समाचार-पत्रों में गैर पत्रकार तथा पत्रकार दोनों तरह के कर्मचारियों के बारे में उनकी सारी समस्याओं पर विचार करके अपनी संस्तुति देगी। बहुत दिनों से सामूहिक बीमा योजना की बात मजदूरों के मामले में होती रही है। हमारे कार्य क्षेत्र में यह नहीं पड़ता और प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इसकी पूरी रपट भेजी है और मुझे आशा है कि शीघ्र ही हम इस काम को करा लेंगे कि

[श्री रमा शंकर कौशल]

सामूहिक बीमा के अन्तर्गत मजदूरों को तथा उनके परिवारों को बीमारी की हालत में या उनकी अकाल मृत्यु हो जाने में अथवा कोई दुर्घटना हो जाने से सुविधा तथा फायदा मिल सकेगा ताकि उनका जीवन यापन चल सके।

एक समस्या यह भी है श्रमिकों की कि जो सेवा योजक उनको काम नहीं दे पाता उस सम्बन्ध में यह तय किया है कि एक वर्ष में 45 दिन का वेतन, विनियोग भत्ता उनके वेतन का 25 प्रतिशत तक दिया जायगा अगर सेवायोजक उनको काम नहीं दे पाता है तो कुछ शिकायतें यह भी मिली हैं कि कुछ सेवायोजक श्रमिकों को पूरा वेतन नहीं देते हैं, कम वेतन देते हैं उसके लिए यह व्यवस्था हमने की है कि हमने 12 निरीक्षक रखे हैं, जिनको सक्षम अधिकारी कहा जायगा, जिनके जरिए से जो श्रमिकों का बकाया है उसको दिलाने के लिए वे आदेश दे सकेंगे और उनके यहां उस बकाए के लिए दावा दायर किया जा सकेगा। हमारे निरीक्षकों के जरिए उन प्रतिष्ठानों या सेवायोजकों के खिलाफ जो श्रमिकों को पूरा वेतन नहीं दे रहे हैं, कार्यवाही की जा रही है। अब तक यह व्यवस्था चली आ रही थी कि कारखाने वाले जो ऐप्रेन्टिस रखते थे उनको पैसा नहीं देते थे, उनको बिना पैसे के रखा जाता था। ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि बिना पैसे के कोई भी प्रतिष्ठान ऐप्रेन्टिस नहीं रख पायेगा। उसके लिए उन्हें वेतन देना पड़ेगा।

मकानों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया कि जो श्रम विभाग के मकानात हैं उनमें बहुत से मजदूर और मकान ऐसे हैं जिनका किराया ये मजदूर उतना दे चुके हैं, जिनके नाम आवंटित हैं, जिनकी लागत भी वसूल हो चुकी है। इस सम्बन्ध में मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि केन्द्रीय सरकार ने भी इस बात की स्वीकृति दे दी है कि जिन मकानों को आवंटित किया गया है उनको हायर परचेज के आधार पर मजदूरों को दे दिया जाय और उसके लिए बहुत जल्दी श्रम विभाग कार्यवाही करेगा। हायर परचेज के आधार पर वे मकान मजदूरों को दे दिए जायेंगे।

इसके अलावा माननीय ऊदल जी ने सर्विस ब्रेक की बात कही थी कि जो अस्थायी हैं, उनको स्थायी किया जाय। इस कमी को भी जल्दी ही दूर करने की कोशिश की जायेगी। अस्पतालों के बारे में भी बात कही गई। इसमें गलत-फहमी हो जाती है। जो ई0एस0आई0 के बीमा अस्पताल खुलते हैं, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। ये अस्पताल तो इम्प्लाईज स्टेट इन्श्योरेंश कारपोरेशन के अन्तर्गत आते हैं और उनकी देखरेख, डाक्टरों आदि की नियुक्ति, उनका काम-धाम व कारपोरेशन केन्द्रीय सरकार की तरफ से होता है। हमारा तो एक बोर्ड होता है जिसके हम पदेन अध्यक्ष हैं। चूंकि हमारी शक्ति नहीं है फिर भी जो भी शिकायतें आपने इस बारे में की हैं, मैं शीघ्र ही उस बोर्ड की बैठक बुलाऊंगा और उसमें उन शिकायतों को रखकर उन्हें दूर करने की कोशिश करवाऊंगा।

माननीय ऊदल जी ने इलाहाबाद से इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट की बात कही है। मैं मानता हूं कि आज श्रम न्यायालयों की जो स्थिति है उनमें जितने लम्बित दावे या विवाद पड़े हुए उनमें संतोषजनक कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया जहां पहले 9 श्रम न्यायालय थे वहां अब हमने 12 कर दिए हैं। उनमें 33 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। मेरा विश्वास है कि जो व्यवस्था हम करते जा

रहे हैं जिसके अन्दर हम व्यक्तिगत मजदूरों के मुकदमों को भी उसमें ला पायेंगे और जिससे स्थिति में संतोषजनक सुधार होगा। फिर भी जो कमी महसूस की गई है कि लोगों के विवाद शीघ्र नहीं निपटते तो उसके लिए हम और भी श्रम न्यायालय खोलने पर विचार करेंगे जिससे इसमें सुधार हो सकेगा।

एक सवाल बहुत दिनों से यह था कि जब सारा फैसला हो जाता है और इन सेवायोजकों या प्रतिष्ठानों से पैसा पाना होता है तो वे पैसा नहीं देते थे। इसके लिए व्यवस्था हो गई है कि जिस तरह से मालगुजारी वसूल की जाती है उसी तरह से यह आदेश निर्गत कर दिये गए हैं कि उसकी वसूली की जाय। इस विभाग ने ऐसे 14 सर्टिफिकेट रिकवरी के लिए दिए जिनकी वसूली मालगुजारी की तरह से की जाय। मैं यह मानता हूं कि जहां तक आबकारी का सम्बन्ध है, जहां तक मद्य-निषेध का सम्बन्ध है इसमें शंकायें हैं। लेकिन सवाल इस बात का पैदा होता है कि हम सिर्फ शंकाओं के आधार पर ही किन्हीं कामों को करने के लिए तैयार न हों। मद्य निषेध के लिए सभी ने कहा कि बहुत अच्छा काम है। सब लोग मानते हैं कि हिन्दुस्तान गरीब है और यहां का मौसम गर्म है जिसने थोड़ी भी पी ली वह पागल हो जाता है। हिन्दुस्तान की गरीबी शराब पीने से बढ़ती चली जा रही है और वह तब तक दूर नहीं हो सकती है जब तक शराब बन्दी न हो यह बातें मैं मानता हूं लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ शंका के आधार पर हम किसी काम को न करें यह बहुत अच्छी बात नहीं है। यह बहुत अच्छा होता यदि हम इसे एक साथ हर जिले में लागू करते। लेकिन बहुत सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं में एक यह भी है कि हमें सारे संसोधनों को जुटाना पड़ेगा जिसकी कमी शराब बन्दी के कारण होगी। हमें नए संसाधन खोजने पड़ेंगे जिनसे हमारे प्रदेश की आय बढ़े और इस रेवेन्यू के खाते की पूर्ति हम कर सकें।

दूसरी चीज यह भी है कि एक साथ इतना बड़ा काम करने के लिए हमको बहुत पैसे की जरूरत होगी। इसलिए सोचा गया कि धीरे-धीरे जिलेवार शराब बन्दी करें, शराब के ठेके कम दिए जायं, शराब की ताकत को घटाया जाय, शराब की बिक्री के घंटों में कमी की जाय ताकि शराब की आदत लोगों में कम हो।

मान्यवर, और भी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में मद्य-निषेध के सम्बन्ध में हमको सोचना चाहिए। कहा जाता है कि वैसे ही भट्ठियां खुल जाती हैं। एक बात को हमें मानना होगा कि नशे की आदत अगर आदमी को आसानी से हो जाती है तो इतनी बात मेरी भी माननी होगी कि शुरुआत में जो नशा होता है वह सुलभ उपलब्धि के कारण होता है। नया आदमी सुलभ न होने पर नहीं पी सकता है। इस शराब के नशें में हम नई पीढ़ी को गुजारते चले जा रहे हैं और बहुत तेजी से इसमें वह आज बढ़ते जा रहे हैं।

ताड़ी के सम्बन्ध में जो बात है उसके सम्बन्ध में मैंने पहले भी निवेदन किया कि 9 हजार लोगों की यह समस्या है। लेकिन हमारा संकल्प है कि जब हम इस संकल्प को लेकर चल रहे हैं तो जो मद्य-निषेध के कारण ताड़ी बनाने में जो लोग लगे थे और अब बेरोजगार हो रहे हैं उनके खाने का क्या होगा, उनको रहने का क्या प्रबन्ध

[श्री रमाशंकर कौशिक]

होगा, उसमें हमारा ध्यान है। खादी बोर्ड की जिस स्कीम का मैंने जिक्र किया वह पहले से ही है वह कोई नई स्कीम नहीं है। यह बहुत उपयोगी है। इसके अतिरिक्त मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि ताड़ के गुड़ के अलावा जैसे कोकाकोला बन्द हो गया उसकी जगह नीरा पेय बन सके। यह नया प्रयोग नहीं होगा लेकिन जो लोग इस ताड़ी के काम में लगे थे और उसके बन्द होने से बेरोजगार हुए हैं उनको दृष्टि में रख कर हम इस व्यवसाय को चलाने की सोच रहे हैं कि नीरा का प्रयोग इस प्रदेश मे बढ़ाया जाय और ताड़ से गुड़ बनाने में भी उनको काम मिलेगा।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

इससे काम नहीं चलेगा तीन लाख लोगों का मसला है। जैसा बिहार सरकार ने किया वैसा ही आप भी नहीं करना चाहेंगे?

श्री रमाशंकर कौशिक--

वह एक अलग बात है। नीरा की बात है उसमें नशा नहीं होता है वह रियासत साहब आपके मर्ज के लिए बहुत अच्छी चीज है। शायद आपने उसका सेवन नहीं किया ... (व्यवधान) नीरा का सेवन मैंने किया है ... (व्यवधान) आपको अगर ज्यादा चिन्ता है तो आपको सर्टिफिकेट जारी हो सकता है।

श्री ऊदल--

मन्त्री जी कहते हैं कि श्यामधर जी होश में न रहें।

श्री अध्यक्ष--

कौशिक जी, आप को जल्दी समाप्त भी करना है।

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, एक समस्या जिसकी ओर हम सब लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है वह यह है प्रदेश के असंगठित मजदूर का सवाल। जो प्रदेश में संगठित मजदूर हैं मैं नहीं मानता हूं कि उनका शोषण नहीं हो रहा है, उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है, उनको जो मिलना चाहिए वह मिल रहा है। यह सही है, लेकिन उसके कहने वाले लोग हैं। मजदूर यूनियनों के लोग भी हैं, राजनीतिक दल के लोग भी हैं। लेकिन सवाल उन लोगों का है जो लाखों की तादाद में असंगठित मजदूर हैं। जो प्रदेश में फैले हुए हैं। उसकी तरफ न मजदूर नेताओं और न राज नेताओं का ध्यान है। हमारे प्रदेश में साढ़े 4 लाख की तादाद असंगठित मजदूर की है। वहां पर हमारे प्रदेश में करीब एक करोड़ की तादाद में भी हो तो संदेह नहीं, 60 लाख कृषक मजदूर ही हैं। दूसरे छोटे-छोटे कामों में लगे हुए हैं, बनारस में ऊदल जी के यहां है, मुरादाबाद में बर्तन बनाते हैं, जो करघे का काम करते हैं, जो छोटे-छोटे काम करते हैं, जो संगठित नहीं हैं, उनके लिए न श्रम हितकारी केन्द्र हम बना पाए हैं न ऐसी व्यवस्था बना पाए हैं जिससे उनके शोषण का नाश हो सके। असंगठित मजदूरों के सम्बन्ध में श्रम आयोग के सामने अपनी संस्तुति देने के लिए रेफर कर रहे हैं।

इतना कहकर, मुझे बात तो बहुत कहनी थी, लेकिन इतनी बातों से आपको संतोष होगा। एक सेवायोजन का मामला था। इसमें थोड़ा सा मामला रह

गया आई0 टी0 आई0 का, लोगो ने कहा है कि कमेटियां नहीं बनीं हुई हैं। जब जुलाई में नया सत्र शुरू होगा तो आई0 टी0 आई0 में निश्चित रूप से गैर सरकारी कमेटियों का गठन कर दूंगा ताकि आई0 टी0 आई0 का काम ठीक से चल सके।

श्री ऊदल--

आई0 टी0 आई0 इंस्ट्रक्टर ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं उनके प्रोमोशन की ओर शुरू से आज तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

माननीय मन्त्री जी, आपके यहां ए0 आर0सी0 के यहां से जो रेफरेंस होते हैं वह महीनों पड़े रहते हैं। 15 दिन से अधिक टाइम न लगे। दूसरे वृद्धावस्था 65 के बजाय 50 कर रहे हैं या नहीं ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मै सेवा योजन के सम्बन्ध में कह रहा था। यह सही है कि एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के जो दफ्तर है उनमें से सूची जाती नहीं है। लेकिन उसका एक कारण है। यह मान कर चले कि भ्रष्टाचार के कारण सिर्फ ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं है। हो सकता है कि भ्रष्टाचार हो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूर्ण सख्ती से भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि इस समय पांच परसेंट लोगों को रोजगार मिल पाता है और इस हकीकत को मान कर जब हम चलेंगे तब इस मामले में हम ठीक ढंग से सोच भी सकते हैं और न्यायपूर्वक निर्णय भी ले सकते हैं। अब एक समस्या यह है कि जो लोग अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहां उसकी कोई व्यवस्था नही है। जो पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं और वह अपना काम करना चाहते हैं और उदर पूर्ति करना चाहते हैं, रोटी कमाना चाहते हैं, इसकी भी व्यवस्था की गयी है। सेवायोजन निदेशालय में एक कक्ष की स्थापना की जा रही है जिसमें लोगों को अपना निजी काम करने के बारे में जानकारी मिल सकेगी। यह सूचना जिले के दफ्तरों में भी भेजी जावेगी, वहां पर भी लोग इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

आई0 टी0 आई0 में जो ट्रेड चलते हैं उनके बारे में भी मैं कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। जो ट्रेड चल रहे है उनमें पुनरीक्षण की जरूरत है। यह आवश्यक है कि जो ट्रेड चले वह समाज की आवश्यकता की पूर्ति करें। इसीलिए हम यह कोशिश कर रहे है कि जहां पर जिस ट्रेड की मांग हो वहां पर उसको चलाया जाय और जहां पर जिस ट्रेड की आवश्यकता न हो या मांग न हो उसको वहां पर बन्द कर दिया जाय। मान्यवर, ऊदल जी ने मेरी बात को सुना और मेरी बातें उनको पसन्द भी आयी हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें। मान्यवर, एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने कहा कि एज पेन्शन पाने वालों की आयु 65 से घटाकर 55 कर दी जाय तो यह उचित नहीं लग रहा है, 65 साल की उम्र ठीक है और जो 15 रुपए पेन्शन दी जाती थी उसको बढ़ा कर 40 रुपया कर दिया गया है। हम कोशिश करेंगे कि वह अगले साल हो सके।

एक सदस्य—

मैं जानना चाहूंगा कि जो उद्योगों में यूनियनें होती है—तो एक उद्योग में एक ही यूनियन को मान्यता दी जाये, इसके बारे में माननीय मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो विस्तार का प्रश्न है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

बकाया तनख्वाहों की वसूलयाबी के लिए लैण्ड रेवेन्यू की शक्ल में वसूल करने के लिए कहा तो इसमें कई महीने लगने की आशंका है। इसलिए ऐसा प्राविजन किया जाय कि जब लेबर कमिश्नर के द्वारा जिलाधिकारी के पास सूचना चली जाय तो जिलाधिकारी उतनी रकम को सरकारी खजाने से निकाल कर मजदूरों को दे दे और जब वह उसको वसूल कर ले तो उसे सरकारी खजाने में जमा कर दें।

श्री रमाशंकर कौशिक—

ऐसा सम्भव नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी से जल्दी होगा, किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

(श्री ऊदल से) आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री ऊदल—

अभी तो मजदूरों के बारे में बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए मैं प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 90,27,400 रुपए से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38—श्रम एवं सेवायोजन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38—श्रम एवं सेवायोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक

।नराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,08,33,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुयी है, उनमें से मैंने श्री रणवीर सिंह की सूचना स्वीकृत की है। उनका कहना है कि ललितपुर जनपद के अन्तर्गत एस0 पी0 के लड़के एवं दरोगा, श्री गंगा सिंह के षड़यन्त्र से दिनांक 3 मई, 1978 को श्री अरुण कौशिक की मां की हत्या हुयी है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, हमने भी एक सूचना दी थी। आज दारुलशफा और रायल होटल में लोग बिना पानी के रह गए हैं।

श्री अध्यक्ष—

आज प्रात : माननीय त्रिपाठी जी ने आपको आश्वस्त तो किया था।

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, जैसे ही मालूम हुआ मैंने आवश्यक कार्यवाही कर दी। सचिवालय प्रशासन के सचिव ने इसकी व्यवस्था करा दी है। इस समय बिजली और पानी दोनों आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

ललितपुर जनपद के बारे में जो सूचना मैंने स्वीकृत की है उसके बारे में अब आप कब वक्तव्य देंगे ?

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, 17 मई को दे दूंगा।

मेडिकल कालेज, कानपुर के छात्रों द्वारा "दैनिक जागरण" कार्यालय, कानपुर में तोड़-फोड़ तथा आगजनी के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

*गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार कानपुर से निकलने वाले "दैनिक जागरण" में यह सूचना प्रकाशित हुई थी कि एल0 एल0 आर0 हास्पिटल, कानपुर के डाक्टरों तथा मेडिकल स्टाफ का व्यवहार महिला रोगियों तथा उनके परिवारों के साथ अशोभनीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सिंह]

रहा है और वे उनके साथ छेड़-छाड़ करते हैं। इस प्रकाशन से क्षुब्ध होकर डाक्टर चन्दानी के नेतृत्व में मेडिकल कालेज के कुछ छात्रों ने जागरण प्रेस के सामने 9 मई, 1978 को प्रदर्शन किया।

"दैनिक जागरण" के एक रिपोर्टर श्री प्रेम नाथ बाजपेयी ने 9 मई, 1978 को करीब 9.35 पर रात में थाना स्वरूप नगर में यह सूचना दी कि लगभग 200 लड़के "जागरण प्रेस" गए हैं और वहां कुछ अशान्ति होने की आशंका है। इस सूचना पर थाना स्वरूप नगर से तीन सब-इस्पेक्टर, एक प्लाटून कमान्डर, दो सेक्शन पी0 ए0 सी0 तथा 10 होमगार्ड्स, "जागरण प्रेस" के लिए चले। इस बीच इन लड़कों ने "दैनिक जागरण" के कार्यालय की खिड़कियों के शीशे, पी0 बी0 एक्स0 का बाक्स तथा टेलीफोन एक्सचेन्ज का बाक्स और रिसीवर तोड़ डाला। गेट के ऊपर लगी हुई, नियोन लाइट भी तोड़ी और दो कुर्सियों तथा ट्यूब लाइट को क्षतिग्रस्त किया। प्रेस के अन्दर से "दैनिक जागरण" की 25-50 प्रतियाँ लाकर बाहर सड़क पर रख कर उनको जला दिया। इस बीच गश्त करते हुए चौकी इन्चार्ज एक कान्स्टेबिल के साथ वहाँ पहुंचे। थोड़े ही अन्तर पर जबकि लगभग रात के 10 बजे होंगे, थाना स्वरूप नगर से भेजी हुई पुलिस फोर्स का पहला दल भी "जागरण प्रेस' पहुंचा और शेष फोर्स रात के 10.15 तथा 10.30 बजे तक पहुंच गया। फोर्स को आते हुए देखकर लड़के यह नारा लगाते हुए कि वे गाँधी प्रतिमा पर अनशन करेंगे, भाग गए।

यह कहना सही नहीं है कि फोर्स के जाने में विलम्ब हुआ। जो भी फोर्स थाने में उपलब्ध था उसे तत्काल भेजा गया और बाद में उसमें वृद्धि की गयी। 10 से 10.30 बजे रात के बीच आवश्यक फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गया था और जिलाधिकारी, ए0 डी0 एम0 (सिटी) तथा नगर पुलिस अधीक्षक भी करीब 11 बजे वहाँ उपस्थित थे। अग्निशामक दल भी मौके पर पहुंच चुका था किन्तु उस समय तक "दैनिक जागरण" की जो प्रतियाँ जलाई गई थी, जल चुकी थी, अतएव उसके उपयोग का प्रश्न नहीं उठता। यह कहना भी ठीक नहीं है कि फोर्स के साथ कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था क्योंकि चार सब इन्सपेक्टर और एक प्लाटून कमान्डर उपलब्ध थे। "दैनिक जागरण" की 25,000 प्रतियों के जलाने की बात के सम्बन्ध में छानबीन हो रही है किन्तु अब तक की विवेचना से इतनी प्रतियों का जलना ज्ञात नहीं हुआ है। इसके सम्बन्ध में एक मुकदमा केस क्राइम नं0 32 धारा 147/435/427 भारतीय दंड विधान राज्य बनाम डा0 चन्दानी तथा 200 छात्र, जिनका नाम पता अज्ञात है, के विरुद्ध थाना स्वरूप नगर में कायम किया गया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। विवेचना जारी है। इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आयी है।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने क्वतव्य में बताया है कि घटना घटने वाली है, इसकी सूचना 9.35 पर दी गयी थी और कहा गया था कि मेडिकल कालेज के कुछ छात्र "जागरण प्रेस" की ओर जा रहे हैं, वे वहाँ कोई घटना करेंगे इसकी आशंका है। वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि 9.35 पर हीं फोर्स चल दिया। मान्यवर, जागरण प्रेस और

स्वरूपनगर थाने के बीच का अन्तर इतना कम है कि जो फोर्स भेजा गया था उसको 5–10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था। तो क्या कारण बतायेंगे कि यह लोग जो 9.35 पर चले हैं वह सवा दस और साढ़े दस बजे पहुंचे तो किस चाल से गए हैं ? क्या पैदल गए थे या बीच में रास्ते में रुक गए ?

श्री राम सिंह—

मैंने अपने वक्तव्य में बताया कि इस सूचना पर थाना स्वरूपनगर से तीन सब-इन्सपेक्टर, एक प्लाटून कमान्डर, दो सेक्शन पी0 ए0 सी0 तथा 10 होम गार्ड्स "जागरण प्रेस" के लिए चले, तुरन्त चल दिए और उसमें 15–20 मिनट लगा तो इसमें कोई बहुत अन्तर तो है नहीं।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना है कि यह सूचना दी गयी 9·30 बजे और उनको पहुंचने में पौन घंटा लग गया तो क्या वह पैदल गए या सवारी से गए ?

श्री राम सिंह—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री बाबूराम शुक्ल—

कहा गया है कि "दैनिक जागरण" प्रेस में मेडिकल छात्रों ने तोड़फोड़ डा0 चन्दानी के नेतृत्व में की और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, मैं जानना चाहता हूं कि डा0 चन्दानी जो मेडिकल कालेज के कम्पाउण्ड में ही रहते हैं तो वह फरार हैं, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हुई या पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की ?

श्री राम सिंह—

हो सकता है कि वह गए हों और मिले न हों या किसी समय जब भी पुलिस कभी गयी हो तो न मिलने पर गिरफ्तारी नहीं हुई होगी।

नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय गृह मन्त्री जी बतायेंगे कि जो उन्होंने दूसरे पैराग्राफ में दिया है वक्तव्य कि "थोड़े ही अन्तर पर जबकि लगभग रात के 10 बजे होंगे थाना स्वरूपनगर से भेजे हुए पुलिस फोर्स का पहला दल भी "जागरण प्रेस" पहुंचा और शेष फोर्स रात के 10-15 तथा 10-30 बजे तक पहुंच गया"। तो पहले दल में कितने लोग थे और शेष फोर्स में कितने लोग रह गए ?

श्री राम सिंह—

इसमें अलग–अलग ब्रेक-अप तो नहीं बताया जा सकता ?

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि डा0 चन्दानी के नेतृत्व में यह सारा काँड हुआ, तो डा0 चन्दानी मेडिकल कालेज के किसी पद पर मालूम होते हैं और जब इनके विरुद्ध केस दर्ज है तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है या नहीं, या कोई कुर्की की कार्यवाही करने की व्यवस्था की गयी है ?

श्री राम सिंह—

कुर्की की कार्यवाही नहीं की गयी। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की जा रही है या नहीं ?

श्री राम सिंह—

विवेचना हो रही है। अगर आवश्यकता हुई तो कुर्की भी की जाएगी।

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदर्शन के लिए वहां पर लड़के कितने बजे पहुंचे और पुलिस वहां पर प्रदर्शन के कितनी देर बाद पहुंची ?

श्री राम सिंह—

यह तो मैं बता चुका हूं। 9.35 बजे थाने में रिपोर्ट लिखायी गयी।

श्री अध्यक्ष—

मगर प्रदर्शनकारी तो उसके पहले ही पहुंचे होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसी समय प्रदर्शनकारी पहुंचे हों और तभी रिपोर्ट लिखायी हो।

श्री राम सिंह—

पुलिस को तो जानकारी तभी होगी जब रिपोर्ट लिखायी जाएगी। रिपोर्ट लिखाने वाले ने यह नहीं कहा कि प्रदर्शनकारी कितने बजे पहुंचे। अब इसकी विवेचना हो रही है, उसके बाद ही यह पता चल सकेगा कि प्रदर्शनकारी कब पहुंचे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

डाक्टर चन्दानी के साथ जो दो-सौ छात्र हैं, क्या उनकी कोई लिस्ट तैयार हुई कि वे कौन-कौन हैं ?

श्री राम सिंह—

रिपोर्ट लिखाने वाले ने स्वयं यह कहा है कि वह छात्रों को पहचान सकते हैं। नाम नहीं जानते। अब छात्रों को अगर पकड़ ले और बाद को केस साबित न हो पाए तो एक बवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए जैसा कि मैंने बताया कि अभी विवेचना चल रही है।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि 25,000 प्रतियां जलाने की कोई सूचना नहीं है तो आखिर कितनी प्रतियां जलाए जाने की सूचना उनके पास है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर तो वे दे चुके कि विवेचना अभी चल रही है।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्या जिला प्रशासन ने कोई ऐसे आंकड़े एकत्र किए हैं जिससे यह ज्ञात हो सके कि जागरण प्रेस का कुल कितना नुकसान हुआ है ?

श्री राम सिंह—

अभी तक इस प्रकार की कोई सचना एकत्र नहीं की गयी है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

सन् 1970 में एक शासकीय आदेश ऐसा जारी हुआ था कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई फौजदारी का मुकदमा दर्ज होता है तो उसे तुरन्त ही निलम्बित कर दिया जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि डाक्टर चन्दानी को निलम्बित क्यों नहीं किया गया।

श्री राम सिंह—

ऐसा कोई शासकीय आदेश नहीं हो सकता कि केवल मुकदमा दर्ज होने पर ही किसी को निलम्बित कर दिया जाय। विवेचना हो रही है, चार्ज शीट आएगी और उस समय यदि आवश्यक हुआ तो निलम्बित भी किया जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

जागरण प्रेस के एक पत्रकार ने जब थाने पर टेलीफोन किया तो 20 मिनट तक घंटी बजती रही और किसी ने टेलीफोन नहीं उठाया। तब दैनिक "जागरण प्रेस" के जो मुख्य संम्पादक हैं, नरेन्द्र मोहन उन्होंने जिलाधिकारी से टेलीफोन से सम्पर्क किया और जिलाधिकारी ने पुलिस से सम्पर्क किया तब पुलिस गयी है। क्या इसकी जानकारी है ? अगर है, तो क्या पुलिस के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? अगर नहीं है, तो मेरी सूचना को सही मानकर, क्या सत्य की जानकारी करेंगे और इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम सिंह—

इस प्रकार की कोई जानकारी मेरे पास नहीं है और न ही इसकी जानकारी करने की आवश्यकता है। विवेचना हो रही है सारे तथ्य सामने आयेंगे।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस घटना से "दैनिक जागरण" के कार्यालय के कर्मचारियों में और संपादक मण्डल में काफी भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है। तो क्या इसको देखते हुए कि फिर कोई घटना हो सकती है इनकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए आप कोई आदेश देंगे ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में इस समय क्या कहूं कि कल को क्या घटना घटने वाली है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं ?

श्री राम सिंह—

अगर जागरण प्रेस यह मांग करेगा कि सुरक्षा की आवश्यकता है तो जरूर व्यवस्था की जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने कहा कि मैं जो जानकारी दे रहा हूं क्या उन तथ्यों की जांच करायेंगे तो मन्त्री जी ने कहा कि विवेचना हो रही है और इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

हो जायगी। तो मैंने जो जानकारी चाही थी, विवेचना हो रही है लड़कों द्वारा आग लगाने के बारे में या विवेचना मेरे प्रश्न की की जा रही है कि पुलिस समय पर पहुंची या नहीं, जब जिलाधिकारी ने सम्पर्क किया तब पहुंची? तो क्या मेरे इन आरोपों की विवेचना हो रही है?

श्री अध्यक्ष—

आपका कहना है कि आधे घंटे तक घंटी बजती रही, जिलाधिकारी से सम्पर्क किया तब पुलिस गयी। इसकी आप जांच करायेंगे कि इतनी असावधानी थानों मे क्यों होती है?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, यह तो सूचना माननीय सदस्य की है और माननीय सदस्य को किसी ने सूचना दी होगी। मेरे पास जो सरकारी अभिलेख है उसके अनुसार सूचना दे रहा हूं। अब रहा प्रश्न यह कि जो सूचना आप दे रहे हैं, तो मुझको दें मैं उनके पास भेज दूंगा कि वह देख लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

यह घटना घटी है और 'दैनिक जागरण' जो मुख्य समाचार-पत्र है उसके मुख पृष्ठ पर छपी है। नियमानुसार कटिंग भी विभाग के पास पहुंची होगी। तो सूचना तो पहुंची होगी?

श्री अध्यक्ष—

आप तो कहते है कि भेज देंगे। उनका गम्भीर आरोप है। अगर थाने की यह स्थति है, आधे घन्टे घन्टी बजती रही तो कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि मैं भेज दूंगा। आप यह आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है कि आप इसकी जांच करायेंगे। यह भी मैं कहना चाहता हूं कि यह फिर प्रेस की आजादी तो रही नहीं। अगर प्रेस कोई समाचार देता है और प्रेस पर हमला होता है तो प्रेस या लेखक की आजादी समाप्त हो जायगी। इसमें सरकार का उत्तरदायित्व है। इसमें आपको जांच करनी चाहिए, जो सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने दी है। यह तो आपके थाने की असावधानी है कि आधे घंटे तक घंटी बजती रहे। तो आपको जांच करके इसमें गम्भीर कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री राम सिंह—

टेलीफोन की घंटी बजती रही इसका कोई प्रमाण उपलब्ध होगा? जो सूचना माननीय सदस्य दे रहे है वह अपनी सूचना दे रहे हैं। मैं इस सूचना को सही मानकर इसको भेज दूंगा कि जांच के दौरान इसकी भी जांच करायें।

श्री अध्यक्ष—

इसकी जांच करावें। आपने कहा कि मैं भेज दूंगा।

अब इस पर विवाद नहीं होगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, केवल एक प्रश्न है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब पुलिस को सूचना दी गयी कि वहां लड़कों का जुलूस पहुंच रहा है, 'दैनिक जागरण' के कार्यालय के

सामने वहां पर कुछ पुलिस के कर्मचारी थे और उनके सामने तोड़-फोड़ की गयी। क्या इसकी जानकारी है कि पुलिस खड़े-खड़े तमाशा देखती रही? तो क्या उन पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जो नए तथ्य माननीय सदस्य ने दिए हैं उन सबको मैं भेज दूंगा और विवेचना के बाद जो दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

प्रदेश की सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए 15 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाने के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अब आरक्षण के प्रश्न पर दो घंटे की चर्चा होगी। चर्चा शुरू होने से पहले मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मत भिन्न हो सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रपूर्वक अपने मत प्रकट करने का अधिकार है। उसमें कोई आक्रोश या उत्तेजना नहीं होनी चाहिए और यह मानकर चलना चाहिए कि जो भी माननीय सदस्य अपने विचार पक्ष या विपक्ष में प्रकट करते हैं वह उनकी धारणा है। वह प्रदेश के हित में है। यदि विचार प्रकट करने में उत्तेजना होगी, आक्रोश होगा या घृणा होगी तो उससे बहस को लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह संयम और धैर्य से सुनें। 10 मिनट का इसमें प्रत्येक सदस्य को समय दिया जा रहा है।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

मान्यवर, आज मैं श्री शम्भू नाथ चौधरी द्वारा रखे गए प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस देश की बिडम्बना रही है कि इस देश के समाज के शोषण में तीन बिडम्बनाएं रही हैं जैसे ऊंची जाति, बड़ी पूंजी और अंग्रेजी भाषा। तीनों ने मिलकर इस देश को लूटने का काम किया है। जिन्होंने कहा कि सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय, राष्ट्रीयता, लोकतन्त्र और अंग्रेजी भाषा को एक साथ चलाना होगा। तो डा0 लोहिया की चर्चा करते हैं वह भूल जाते हैं कि किसी भी विचारक के सम्पूर्ण विचारों के एक पक्ष को लिया जाएगा तो उस विचार का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि वे लोग सामाजिक समानता के नाम पर आरक्षण की नीति का समर्थन करें। आर्थिक समानता साबित करने के लिए जो डा0 लोहिया ने कहा था कि एक और 10 की आमदनी को सीमा में बांधना होगा। खर्च के ऊपर सीमा बांधना होगा और संकल्प लेना होगा।

(इस समय 5 बजकर 3 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पुनः पीठासीन हुए।)

यह नहीं हो सकता है कि आरक्षण का समर्थन करने वाले मन्त्री 27-27 हजार रुपए अपने भत्ते में वसूले। यह आरक्षण का कोई अर्थ नहीं रखता, भारतीय संविधान की

---

†11 मई, 1978 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह]

धारा 340 में लिखा है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की दशा में सुधार के लिये और उनकी जो कठिनाइयाँ हैं उनके निवारण के लिये भारत सरकार एक कमीशन बनाये। इसके लिये भारत सरकार के प्रथम राष्ट्रपति डा0 राजेन्द्र प्रसाद ने 29 जनवरी, 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया था। उसने 30 मार्च, 1955 को अपनी रिपोर्ट दिया जिसमें बहुत सारे सुझाव पिछड़े वर्गों के लिये दिये थे। कल हमारे मित्र डा0 राकेश चतुर्वेदी ने उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स के बारे में कहा और कुछ आपत्तियाँ भी प्रकट कीं और कहा इसमें केवल कुछ वर्गों के पिछड़े वर्गों के बारे में कहा गया है। लेकिन वह कमीशन कुछ ही वर्गों का साफ-साफ माध्य अपनी संस्तुति में करता है। जिसको अधिष्ठाता महोदय, मैं पढ़ना चाहता हूं। काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट के 56वें अध्याय में पेज 14 पर लिखा है "हम लोगों से इस बात के लिए कहा गया था कि अनुसूचित जाति, आदिम जाति के अतिरिक्त जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ा वर्ग है उनके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के बारे में आप विचार करें।"

इसलिए मेरे बन्धुओं को इस बात का भ्रम है कि वह कमीशन केवल पिछड़े वर्ग के लिए था। कुछ लोग रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन सामान्य सहमति से कमीशन की जो संस्तुति है वह इसमें लिखी हुई है। वोल्यूम 1, पेज 140, पैरा 290 "हमलोग सामान्य सहमति से इस बात की स्वीकृति करते हैं कि सरकारी नौकरियों और स्थानीय निकायों की नौकरियों में क्लास फर्स्ट सर्विसेज के लिए 25 फीसदी, सेकेन्ड के लिए 33 फीसदी, थर्ड और फोर्थ क्लास सर्विसेज के लिए 40 फीसदी आरक्षण होना चाहिए और इसकी जाँच पड़ताल हर दसवें साल के बाद होनी चाहिए और जब वह जाति शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से ऊंची हो जाय तो उसको पिछड़ी जाति की सूची से अलहदा कर देना चाहिए।" यह उस कमीशन की संस्तुति है। लेकिन माननीय सदन में जो प्रश्न विचाराधीन है वह काका कालेलकर साहब की कमेटी और संस्तुति के आधार पर आरक्षण नहीं है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसी माननीय सदन में 1975 में माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा जो डा0 राकेश चतुर्वेदी के गुरू हैं उन्होंने 1975 में छेदी लाल साथी जी के नेतृत्व में एक बैकवर्ड कमीशन बनाया था। उस बैकवर्ड कमीशन ने मई, 1977 में अपनी संस्तुति दी। उस संस्तुति के आधार पर पिछड़े वर्ग के आरक्षण के सवाल पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने विचार विमर्ष किया और आरक्षण देने की बात कही लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि डा0 लोहिया ने इस सम्बन्ध में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि भारत में राजनैतिक जीवन साफ नहीं है। पक्षपातपूर्ण भाई भतीजावाद, फिरकापरस्ती चापलूसी, असत्य भाषण और शब्दों को किसी स्वार्थ के लिए अपने हक में तोड़ना मरोड़ना यथार्थ नेतृत्व का किसी को ज्ञान नहीं है और यह चीज हम को खास कर कल देखने को मिली। आज डा0 लोहिया और काका कालेलकर की रिपोर्ट को भी गलत पेश करने की कोशिश की गयी है। लेकिन मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति के उत्थान के लिए भारत सरकार ने कमीशन नियुक्त किया है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर बहस केवल सरकारी नौकरियों के आरक्षण के सम्बन्ध में ही हो रही है केवल सरकारी नौकरियों के आरक्षण से ही जो सामाजिक न्याय का हमारा रास्ता है वह सफल होने वाला नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, सेड्यूल्ड कास्ट और सेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमीशन भारत सरकार की ओर से बना हुआ है और हर साल उसकी रिपोर्ट आती है। 1972–73 की रिपोर्ट पर इस वर्ष लोक सभा में बहस हुई। उस रिपोर्ट में लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति और आदिम जन जाति को जो आरक्षण मिला हुआ है वह आरक्षण आज भी पूरा नहीं हुआ है। अधिष्ठाता महोदय, इस रिपोर्ट के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि 1973 की यह रिपोर्ट है क्लास वन जो भारत सरकार में है अनुसूचित जाति 2.50 परसेन्ट आरक्षण मिला, आदिम जाति 0.50 परसेन्ट मिला, क्लास 2 में 4.06 परसेन्ट मिला, अनुसूचित जनजाति 0·50 परसेन्ट। क्लास 3 में 9.94 परसेन्ट मिला। यानी जितना संविधान के तहत में आरक्षण मिला हुआ है वह भी जिस तरह की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है उसमें उस अनुपात में वह नहीं मिला। यदि इस तरह से होता रहा तो हमारी मंशा पूरी होने वाली नहीं है।

विधान सभा के अन्तर्गत परिगणित जातियों के लिए आरक्षण है लेकिन विधान परिषद् और राज्य सभा में ऐसा कोई आरक्षण नहीं है। मैं तो कहूंगा कि वहाँ परिगणित जातियों के लिए आरक्षण होना चाहिए और जितने गैर सरकारी धंधे हैं उनमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। अन्तिम बात डा० लोहिया जी ने जो कहा वह कह कर समाप्त करूंगा: "भारत की जनसंख्या में किसी भी हालत में द्विजों की संख्या 1/5 से अधिक नहीं है। लेकिन सभी दलों का राष्ट्रीय नेतृत्व मिलकर 4/5 है। जब देश का 4/5 नेतृत्व आबादी के केवल 1/5 में से लिया जायगा तो देश में मुर्दानगी आती है। आबादी का 4/5 हिस्सा उपेक्षित रहेगा ही। इससे देश बीमार रहेगा और मृत्यु के कगार पर पहुंच जायगा। देश में पुनर्जीवन लाने के लिए समाज के सभी क्षेत्र में पिछड़ों को आरक्षण जरूरी है।' इन शब्दों के साथ मैं आरक्षण की नीति का समर्थन करता हूं। जयहिन्द।

एक सदस्य—

जो नाम सूची में नहीं हैं उन पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—

यह मेरी दृष्टि का और आपकी दृष्टि का भी दोष हो सकता है।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

आज आरक्षण का सवाल उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश से लगे हुए प्रदेश बिहार में बड़ा उग्र रूप धारण किये हैं। बिहार में आन्दोलन हुआ, छात्रों और नौजवानों में रोष है इस प्रश्न को लेकर। बिहार के आन्दोलन में हिंसा भी आयी और उत्तर प्रदेश के अन्दर भी इसके पक्ष और विपक्ष में आक्रोश का वातावरण है। जब हम विधान सभा में इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं तो हमारे विचार करने का तारीका पक्ष और विपक्ष में बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों में, बिहार के विद्यार्थियों और छात्रों में जो रोष है, जो आक्रोश है और जो उग्र रूप धारण

[श्रीकृष्ण स्वरूप]

करता जा रहा है वह उससे ठंडा होना चाहिए,संयमित होना चाहिए। इस तरह विचार करना चाहिए कि इसमें हिंसा न आये और यह आंदोलन उग्र रूप धारण न करे। इसमें दो राय नहीं कि जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं और जो सदियों से सताए गए हैं और जिनको समानता का अवसर नहीं मिल पाया और जो समाज के अन्य लोगों के साथ बराबर दौड़ में नहीं चल सके उनको आज आवश्यकता है उठाने की। परन्तु यह कैसे वातावरण में हो, किस प्रकार से किया जाय उसके लिए भी समाज में एक अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए, कंसेसनेस पैदा करनी चाहिए, एक सहमति का वातावरण चाहिए।

जिस प्रकार से आरक्षण के सम्बन्ध में विचार रखे जा रहे हैं यह जो व्यक्ति आरक्षण के विपक्ष में अपनी बात रखता है या उसका सोचने का तरीका दूसरा है तो उसको जो इसके पक्ष में है वे अच्छी नजर से नहीं देखते। मैंने कल देखा और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में है और जो इसके विपक्ष में बोलता है उसको बड़े आक्रोश की दृष्टि से देखते हैं। जो विपक्ष में बोलता है उनको बड़ी आक्रोश की दृष्टि से देखते हैं। कल एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो लोग आरक्षण का विरोध करते है, उनके क्षेत्रों में पिछड़ी जाति के लोगों से कहकर उनके बारे में खबर लिवाई जाय कि वे चुनाव में जिनके बारे में वायदा करके आये थे, उनके बारे में विरोध कर रहे हैं। मान्यवर, मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हम जिम्मेदार लोग हैं। हमने लोकतन्त्र को अपनाया है अतः हमें विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता है। इसलिए आरक्षण के विरोध में अगर कोई बोलता है, तो उसको सुनने का संयम होना चाहिए। मैं यह नहीं कहता चाहता कि जो पिछड़े हैं, दबे हैं, उनको अवसर न दिया जाय। परन्तु वह अवसर, वे विशेष सुविधायें एक अनुकूल वातावरण बनाकर, उस सहमति के वातावरण में दी जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। लेकिन आज जिस तरीके से समाज के अन्दर इसको उकसाया जा रहा है, उससे जातिवाद की भावना बढ़ रही है। एक ओर मान्यवर, हम नारा देते हैं कि हमें जातिवाद को मिटाना है और दूसरी ओर जातियों के नाम पर लोगों को उकसाया और भड़काया जाय तो यह समाज और देश तथा लोकतन्त्र के लिए संकट की घड़ी भी हो सकती है।

मान्यवर, अगर जातिगत के आधार पर आरक्षण दिया जायेगा तो उसका कोई अन्त नहीं है। काका कालेलकर कमीशन ने बहुत सी जातियों के नाम दिये हैं इसलिए अगर जाति के नाम पर आरक्षण होता है तो कल सवाल उठता है कि जिन 50-60 जातियों को आरक्षण हुआ है उनमें से किसी एक विशेष जाति को आरक्षण में अधिक सुविधा मिले हैं इसलिए प्रत्येक जाति का अलग-अलग कोटा निर्धारित किया जाय। तो अगर आरक्षण जातिगत के आधार पर होता है तो 60 जातियां हैं उनमें किसी को विशेष सुविधा मिल गई किसी को नहीं मिली। जैसे धोबी हैं, माली है, तमोली हैं, तेली है वे कह सकते हैं कि आरक्षण मे कोई लाभ हमें नहीं हुआ, सारी सुविधाएं एक जाति विशेष ने ले ली है अतः आरक्षण में से ही हर जाति का अलग-अलग कोटा नियत किया जाय। इस तरह से समाज में एक समस्या उत्पन्न हो जायेगी। हम समाज का संगठन करना चाहते हैं। पिछड़ी जातियों को, दबे हुए लोगों को

उठाना चाहते हैं। लेकिन अगर यह चीज पैदा हो जाती है तो हम छोटे-छोटे वर्गों में बंट जायेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आरक्षण हो लेकिन आरक्षण पिछड़े और दबे हुए लोगों का हो।

इस सम्बन्ध में, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति सम्पन्न हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विशेष सुविधाएं प्राप्त कर चुके हैं, जिनके लड़के आई0 ए0 एस0, पी0सी0एस0 और डिप्टी कलेक्टर हो गये हैं, जो एम0एल0ए0 और एम0पी0 हैं, यदि उनको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं और जो बड़ी जातियां गिनी जाती हैं, उनके छोटे किसानों को, छोटे व्यापारियों को यदि वंचित किया जाता है तो यह उनके साथ अन्याय होगा। उनके हितों के हनन की बात हो जायेगी। इसलिए आज आवश्यकता है उन सभी लोगों को उठाने की है जो निर्धन हैं, गरीब हैं, पिछड़े लोग हैं—वे चाहे कोई जाति के हों गरीब तो सब समान हैं इनकी बिरादरी कहां है। बिरादरी तो बड़े और सम्पन्न लोगों की होती है। जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, दबे हैं, किसी जाति के नहीं हैं, वे समान हैं। उन सभी के हितों का संरक्षण मिलना चाहिए। क्या इन पिछड़ी जातियों में ही गरीब और दबे लोग हैं? क्या जो तथाकथित बड़ी जातियां है, क्या उनमें गरीब और दबे लोग नहीं हैं? क्या ब्राह्मण गरीब नहीं मिलेगा? क्या ठाकुर गरीब नहीं मिलेगा? मान्यवर, ब्राह्मण तो ऐसे मिलेंगे जिनके तन पर कपड़ा नहीं होगा, पैरों में जूता नहीं होगा। मान्यवर, ठाकुर भी ऐसे मिलेंगे जो मजदूरी करते मिलेंगे। तो समाज के हर वर्ग में पिछड़े और दबे हुए लोग मिलेंगे और आज आवश्यकता है उन सबको संरक्षण देने की, सहायता देने की और विशेष अवसरों की। ये सेवाएं जो हैं, ये जो नौकरियाँ हैं, ये केवल नौजवानों को नौकरी देने की बात नहीं है। ये तो समाज सेवा के लिए हैं। सवाल है कि उनमें कैसे कम्पीटेन्ट और सक्षम लोग आ सकें। कैसे योग्य लोग आ सकें ताकि समाज की अधिक से अधिक सेवा हो सके। कल को कहा जाय कि किसी वकील और डाक्टर के केसेज में आरक्षण कर दिया जाय, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए सबको समान अवसर मिले, यह अच्छी परम्परा होगी।

इस सवाल पर गम्भीरता और ठण्डे दिल से विचार किया जाय, इसको जातिगत सवाल न बनाया जाय। पिछले दिनों लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ और उसमें यह माँग की गयी कि सेवाओं में 90 प्रतिशत आरक्षण उनके लिए किया जाय और तथाकथित बड़ी जातियों के लिए 10 प्रतिशत नौकरियाँ दी जायं। लोगों को अपने विचार रखने का अधिकार है, कोई बाधा नहीं है लेकिन इस सवाल को देखने में यह आ रहा है कि राजनीति का अस्त्र बनाया जा रहा है और पढ़े-लिखे लोगों में इससे आक्रोश पैदा हो रहा है। समाज में बिरादरी वाद और हिंसा का वातावरण पैदा न हो। सहमति और समझदारी के द्वारा ही तय हो सकता है और चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों अथवा तथाकथित बड़ी जाति के लोग हों आरक्षण का मसला सदा के लिए नहीं हो सकता। कुछ समय निश्चित होना चाहिए जिनके लिए आरक्षण किया जाय। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं लेकिन यह सदैव के लिए न होकर कुछ समय के लिए हो और सहमति के द्वारा हो।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं चौधरी साहब द्वारा प्रस्तुत आरक्षण सम्बन्धी मामले का समर्थन करता हूं कई दिनों यह चर्चा चली कि यह आरक्षण गरीबी अथवा आर्थिक आधार पर हो। संविधान के अनुच्छेद 15 के सब क्लाज 4 में तथा अनुच्छेद 6 के सब क्लाज 4 दोनों के बारे में चौधरी साहब ने विवेचना प्रस्तुत कर दी है लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि सामाजिक आधार ही देश में ऐसा आधार है जिससे हीनता तथा श्रेष्ठता की भावना पैदा होती है। ऊंच और नीच की भावना जब आदमी के मस्तिष्क में पैदा हो जाती है तो वैश्य जी के सामने जब किसी पिछड़े का नाम आयेगा चाहे बराबर का एम0एल0ए0 हो या मन्त्री हो और वह अगर केवट, मल्लाह अथवा धोबी होगा तो वह नाक और मुंह दोनों सिकोड़ लेंगे और एक हीनता की भावना घर कर जायगी और उसकी योग्यता तथा काबलियत नगण्य हो जायगी। अगर हम आर्थिक आधार मान कर ही चलेंगे और देश में सामाजिक स्तर पर बराबरी नहीं आएगी तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता।

मैं आपसे निवेदन करूं कि इस देश में समाज में श्रेष्ठता और हीनता की भावना जातिगत आधार पर पैदा की गयी है और अगर समाज को आप बराबरी के स्तर पर लाना चाहते हैं तो जिनमें नीचता की भावना डाली गयी है उनको सामाजिक स्तर पर वरीयता देनी होगी। डाक्टर लोहिया तथा महात्मा गाँधी ने सामाजिक आधार के सिद्धान्त ही को अपनाया था और संविधान में भी इसीलिए सामाजिक आधार नहीं माना गया है और यही ऐसा आधार है जिससे सब लोग बराबरी के स्तर पर आ सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि सामाजिक और शिक्षा दो स्तर हैं जो देश में आज तक गरीबी के कारण हैं और जो सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर से उठा हुआ नहीं है वह किसी रूप में आर्थिक स्थिति में अच्छे नहीं हो सकते 1973–75 में जजेज की राय भी बनी है और उनका कहना है कि गरीबी का मूल आधार शिक्षा और सामाजिक स्तर भी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन भावनाओं के रहते हुए कभी भी इस देश में आरक्षण की बात आर्थिक स्थिति से नहीं जुड़ती।

जैसा मैंने निवेदन किया 1973–75 में 5 जजों की राय है कि यहाँ पर सामाजिक और शिक्षा के आधार पर आरक्षण का मामला आना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। यह 1973–75 में ए0आई0आर0 में आ चुकी है। जब तक देश में संवैधानिक व्यवस्था है उसमें आज की स्थिति में आर्थिक आधार पर इस आरक्षण के मसले को लायेंगे। तो निश्चित रूप से जो पिछड़े लोग है उनके हितों की रक्षा नहीं होगी। सन् 1975 में छेदी लाल की अध्यक्षता म कमीशन बिठाया गया था उसने जो संस्तुति की थी कि देश में ऐसी कितनी ही जातियां हैं जिनका कहीं पर भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस देश में सर्वाधिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को 15 प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए और उन्हीं का आरक्षण देने की बात होनी चाहिए। यह मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि छेदी लाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, काका कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट में संस्तुति की है कि हर 10 वर्ष के बाद इन पिछड़ी जातियों का संरक्षण होकर जिनका शिक्षा और सामाजिक स्तर उच्च वर्ग के बराबर आ चुका हो, उनका आरक्षण वापस लेना चाहिए।

आज भी ऐसी बहुत सी जातियाँ हैं, लोग हैं जो सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़ी हुई हैं। जिनके बारे में आयोग ने संस्तुति करके भेजा है कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति से नीचे के स्तर पर हैं जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है, यदि उनके आरक्षण की बात कही जाती है तो माननीय वैश्य जी और माननीय चतुर्वेदी जी के पेट में क्यों दर्द होता है ? क्यों डाक्टर लोहिया का नाम लेते हैं ? क्या आपने वह सिद्धान्त कहने के लिए बनाए हैं, भाषण देने के लिए बनाए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसे आप सही मायने में अगींकार करें। आपने आमदनी और खर्चे की सीमा बाँधने की बात कही है मैं कहना चाहता हूं कि आपके इन आयोगों की सिफारिशें कहाँ जायगी ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में आरक्षण का सिद्धान्त संवैधानिक दृष्टि से सामाजिक और शैक्षिक स्तर का होना चाहिए। मैं इस आधार के साथ कहना चाहता हूं कि आज इस 15 प्रतिशत में कुछ ऐसी जातियां भी हैं जो आरक्षण के बावजूद भी आगे आ चुकी है। उनके साथ भी उदारता बरतनी चाहिए जिसका एक भी आदमी किसी सरकारी क्षेत्र में नहीं है।

हमारे प्रदेश में मन्त्रि मण्डल बना सन् 1926 से लेकर आज तक मैं साफ कहना चाहता हूं कि सन् 1957 तक तो कोई भी पिछड़े वर्ग का आदमी न मन्त्री था न उप मन्त्री था और न कहीं कोई सेक्रेटरी था। सर्वथा पिछड़े लोगों में न तो कोई उच्च श्रेणी का, न द्वितीय श्रेणी का और न तृतीय श्रेणी का था। चतुर्थ श्रेणी में उनका प्रतिशत दो आता है। मैं कहता हूं कि क्या इन लोगों की आवश्यकतायें नहीं हैं, क्या वे महसूस नहीं करते ? इसलिए मैं चाहता हूं कि यह आरक्षण का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होना चाहिए।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है यह जो प्रस्ताव चौधरी साहब ने रखा है ...

श्री अधिष्ठाता--

चतुर्वेदी जी, आप बैठें, आप विद्वान हैं इस पर क्या व्यवस्था का प्रश्न आता है ?

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

माननीय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अपने दल की तरफ से खड़ा हुआ हूं। इस पर जिस तरह से चर्चा हो रही है उसमें एक अजीब सी बौखलाहट हो गयी है। इसलिए इस पर भाषण देने के बजाय वोटिंग हो जाय तो अच्छा होगा।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिए। समय बहुत कम है आप लोग इस तरह से उसे बरबाद न करें।

श्री भगवती प्रसाद सिंह --

आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं। हम इस नीति के विरोध में बहिर्गमन करते हैं।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह सदन त्याग कर चले गए।)

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला बाराणसी)--

श्रीमन्, मैं शम्भूनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को सदन में उपस्थित किया। यह देखा जाय तो केवल इस सदन में ही चर्चा का विषय नहीं है बल्कि यह देश और प्रदेशों में चर्चा का विषय बन गया है। यह किसी दल विशेष का भी प्रश्न नहीं है। दलों में भी आप देखिए चाहे मेरा दल हो या दूसरे दल हों उनमें भी विभाजन है

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक गंभीर विषय है और गम्भीरता से हम लोगों को सोचना चाहिए कि इस पर क्या होना चाहिए। श्रीमन्, इस देश की जो व्यवस्था है उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है इसमें खराबियाँ हैं, इसमें अच्छाइयां हैं। तो इतिहास इसके पीछे है। आज इसके पीछे आर्थिक खराबियां हैं, शैक्षणिक खराबियां हैं। इसके पीछे वर्ग-वाद का इतिहास है। जो वर्ण व्यवस्था रही है उसका भी एक इतिहास है इसलिए हम ऐसा कुछ जल्दबाजी में न करें कि हम अपने पितामहों की गलती से आने वाली पीढ़ी का, अपने लड़कों का भविष्य अन्धकारमय कर दें। इसको हमें सोचन होगा। आज आप देखते हैं कि जगह-जगह आन्दोलन हो रहे हैं। न केवल इस प्रदेश में बल्कि और प्रदेशों में भी हो रहे हैं। एक तरफ वह हैं जो चाहते है और एक तरफ वह हैं जो नहीं चाहते हैं। तो इस स्थिति में सरकार को स्वयं सोचना होगा कि क्या करना है, किस तरह से करना है कि समस्या का समाधान हो जाय। आरक्षण करना है या नहीं करना है या किस तरह करना है और अगर करना है तो उससे लोगों को फायदा हो, इस पर उन्हें सोचना है।

श्रीमन्, आप देखें कि हमारा विधान क्या कहता है। विधान हमारे सामने है उसमें आर्टिकिल 15 और 16 आप देखें। उसमें लिखा है कि 'राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

श्री अधिष्ठाता--

यह पढ़ कर सुनाया जा चुका है।

श्री श्यामधर मिश्र--

एक बात मैं कहना चाहता हूं और इसलिए कहना चाहता हूं कि जहां कुछ जातियों के सम्बन्ध में लिखा है वह साफ-साफ लिखा है। धारा 330 से 335 तक अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में है, वहां पर "कास्ट" शब्द का प्रयोग हुआ है। हरिजन नहीं लिखा है, कि बैकवर्ड है, बल्कि उनकी जाति लिखी है, लिखा है कि हरिजनों के सम्बन्ध में यह रिजर्वेशन होगा, यह नौकरियों में रिजर्वेशन होगा, लोक सभा और विधान सभाएं ऐसा कानून बना सकती हैं। 330 से 335 में प्राविधान है। लेकिन और धाराओं में श्रीमन्, हर जगह "बैकवर्ड क्लास" लिखा हुआ है। मैंने कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली की डिबेट देखने की कोशिश की है। मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से, आप कांस्टीट्युएंट असेम्बली का 1948-49 का डिबेट देखें। मैंने पढ़ा है। डाक्टर अम्बेदकर जी जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संविधान के जन्मदाता हैं, उनके भाषण को उसमें देखें। कृष्णमाचारी और मुन्शी जी थे। यह मामला सेलेक्ट कमेटी में गया था। उसी समय टी0 टी0 कृष्णमाचारी जी ने प्रश्न उठाया था कि आप परिभाषा कीजिए कि बैकवर्ड क्लास के मानी क्या हैं। डाक्टर अम्बेदकर ने कहा कि बैकवर्ड क्लास के कदापि मानी नहीं है कास्ट के। उन्होंने ही कहा कि कास्ट अगर मानी है तो केवल वह कास्ट है जिसे अनुसूचित जाति लिख रहे हैं। वीकर सेक्शन आफ दि सोसाइटी, उसको लिख रहे हैं। वीकर सेक्शन में बैकवर्ड क्लास भी आता है मैं यह नहीं कहता कि बैकवर्ड क्लास वीकर नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के ब्राह्मण और ठाकुर लोग दिल्ली और लखनऊ में बर्तन मांजने का काम कर रहे हैं, 30-40 रुपए महीने पर काम कर रहे हैं, क्या वे गरीब नहीं है? पूर्वी जिलों मे ठाकुर और ब्राह्मण गरीबी की हालत में हैं। सभी लोग कौशिक नहीं हैं। सभी लोग मिश्रा जी नहीं हैं। मैं तो यह कहता हूं कि ब्राह्मणों में सामाजिक व्यवस्था को देखा जाय, जिसकी परिभाषा अभी एक सज्जन ने दिया। ब्राह्मणों में तीन तेरह और सवा लाखी हैं। पूर्वी प्रदेश में, अभी की बात नहीं कह रहा हूं, दस वर्ष पहले की बात कहता हूं तीन वाला ब्राह्मण 13 में शादी नहीं करता था। 13 वाला सवा लाखी में शादी नहीं करता था। अब परिस्थिति बदल गयी है और परिस्थिति इसलिए बदली है कि जमाना 10-15 वर्ष में बदला है। यह कहना कि शैक्षणिक और सामाजिक बाते हैं, आर्थिक नहीं है मैं कहता हूं कि यह बातें आर्थिक है और अगर बैकवर्ड क्लास जिसको कहते हैं वीकर सेक्शन की आर्थिक दशा अगर सुधार दे, कैसे सुधारेंगे मैं उस पर आता हूं।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मिश्रा जी आरक्षण पर बोल रहे हैं या ब्रह्म समाज का इतिहास बता रहे है।

(इस समय 5 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री श्यामधर मिश्र—

जो आप समझें उस पर बोल रहा हूं। जो उनके दिमाग में आये वह मैं बोल रहा हूं। अगर आर्थिक स्थिति सुधर जाय हमारे देश के आम लोगों की तो आप देखेंगे कि स्थिति काफी सुधर जायगी लोगों की गरीबी की और आरक्षण के लिए मैं कहूंगा कि प्रोन्नति में कदापि आरक्षण नहीं होना चाहिए। प्रोन्नति में आरक्षण करने से बड़ी बुरी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हमने जोड़ा है कि अगर 90 वर्ष तक यह व्यवस्था रह जाती है तो नीचे के आदमी ऊपर और ऊपर के आदमी नीचे हो जावेंगे।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

माननीय मिश्र जी ने जो तर्क दिए उनसे मैं सहमत नहीं हूं और जो उन्होंने संविधान सभा और डाक्टर अम्बेदकर का हवाला दिया उससे भी मैं सहमत नहीं हूं। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके द्वारा माननीय मिश्रा जी को बता देना चाहता हूं कि डाक्टर अम्बेदकर ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था, उन्होंने जाति शब्द का प्रयोग किया था। अंग्रेजी में है लेकिन मैं हिन्दी में पढ़ रहा हूं। "कुछ जातियों के पक्ष में आरक्षण होना

[श्री बीरेन्द्र पति बादव]

ही है। उन जातियों के पक्ष में जिनकी झलक राजकीय सेवाओं में न के बराबर थी और जो कि दो एक उच्च जातियों के हाथ में थी। इस स्थिति को समाप्त ही करना है। संविधान परिषद् में पंडित ठाकुर दास ने जो कहा था उनको भी आपके समक्ष रख रहा हूं। उनके शब्द क्या थे ? उनके शब्द यह थे—"संविधान का 301 अनुच्छेद जो आज 340 है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यह संविधान की आत्मा है। यह पिछड़े वर्ग की आशातीत अधिकारों का एक ऐतिहासिक अभिलेख है। इसके द्वारा ही हम पुराने पापों से अपना प्रायश्चित कर सकते हैं।" शिब्बन लाल सक्सेना जो अभी जीवित हैं उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि बैकवर्ड क्लास कौन-कौन होंगे

"This Commission will Specially investigate the conditions of Backward classes all over the Country and will be able to tell us what is meant by the term "Backward Class."

महात्मा गांधी ने 39वें राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कहा था कि—"एक और रुकावट जो कि स्वराज्य के रास्ते में खड़ी है, अस्पृश्यता है और हिन्दू लोग तब तक स्वराज्य का कोई दावा नहीं रखते और न पा सकते हैं जब तक कि वे अपने दलित भाइयों को उनकी आजादी न दे दें। उनको दबाकर वे अपनी किश्ती खुद डुबा बैठे हैं। आर्य जाति के आक्रमणकारियों (हमलावार लोगों) ने हिन्दुस्तान के मूल निवासियों (कदीमी बाशिन्दों) से अगर ज्यादा बुरा नहीं तो कम से कम बिल्कुल वैसा सलूक किया जैसा कि हमारे अंग्रेज आक्रमणकारी हमारे साथ कर रहे हैं।"

महात्मा गांधी के विचार क्या थे ? जैसा मैंने कहा कि महात्मा गांधी के विचार यह थे—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी मिलकर हमारे यहां थोड़े हैं, बहुत बड़ी तादाद तो शूद्र और अछूतों तथा आरण्यकों की है। उनकी बड़ी तादाद पर क्या थोड़े से सवर्ण राज करेंगे ? ठीक है कि आज उनकी चलती है, पर अछूत, अरण्यक आदि को अलग करके सवर्ण लोग राज करेंगे तो जिन्ना साहब की बात ठीक ही साबित होगी कि 'थोड़े से ऊंचे हिन्दू बाकी सब को कुचल कर रखना चाहते हैं।' ये महात्मा गांधी के शब्द थे। श्री एस0 एन0 दुबे ने क्या व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि "महात्मा गांधी ने कहा था, देश में ऊंची जातियों का कोलोनियलिज्म उसी प्रकार समाप्त होना चाहिए जैसे देशवासी अंग्रेजों के साम्राज्य को समाप्त करना चाहते थे" ऐसे शब्द यदि मैं कह देता तो मैं साथियों की नाराजगी का शिकार बन सकता था। यह यादव है, यह वैश्य है, यह पंडित है मैं विश्वास नहीं करता हूं। मैं भारतीय शब्द में विश्वास करता हूं, ये ऐतिहासिक शब्द हैं, महात्मा गांधी ने कहे थे, इसलिए आपके सामने कहने पड़ रहे हैं।

पिछड़ेपन का आधार क्या है ? मैं आपके सामने संविधान की धारा 15 और 16 की बात नहीं करता हूं। मैं तो 340 की बात करता हूं। एक कमीशन, बैकवर्ड कमीशन बना क्योंकि राष्ट्रपति की मर्जी थी। लेकिन बनने के बाद उन लोगों के लिए अनिवार्य था क्योंकि सेक्शन (2) और (3) में शब्द "शैल" लिखा हुआ है और सेक्शन (1) मे "एप्वाइन्ट" शब्द का प्रयोग किया गया है। भिन्न-भिन्न अदालतों की रूलिंग्स में यही कहा गया है कि "क्लास" वर्ग का एक अंग होता है और अगर जातियां शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से

पिछड़ी हैं तो उनको बैकवर्ड में लाया जा सकता है। वह भी आधार बनेगा और बैकवर्ड क्लासेज की रिपोर्ट में शब्द क्लासेज और सेक्शन का प्रयोग किया गया है। लेकिन साथ-साथ कमीशन ने स्वयं कहा है बैकवर्ड क्लासेज के शब्दों में जातियां भी आ जाती हैं।

डाक्टर राकेश तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा काका कालेलकर ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मैं इसके खिलाफ हूं। मैं मानता हूं कि उन्होंने कहा था लेकिन यह उनकी व्यक्तिगत राय थी। 11 सदस्यों में से तीन एक ओर थे और 8 सदस्य एक ओर। तो बहुमत की राय में उन्होंने अपनी राय को निहित कर दिया।

कहा गया कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे मन्त्री जी गहराई में नहीं जाते हैं। उनको जो राय एल0 आर0 और सचिव दे देते हैं उसी की यहां घोषणा कर देते हैं। साधारणत: 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता; लेकिन मैं तो यह मानता हूं कि यह प्रतिशत अधिक भी हो सकता है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिर किया। आपने बैकवर्ड क्लासेज के लिए आरक्षण किया, बहुत अच्छा किया। मैं पोलिटिकल सफरर्स के लिए या अन्य लोगों के लिए जो आपने आरक्षण किया, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, अगर आप करते हैं तो अवश्य कीजिए, लेकिन यह जनरल कोटा में से जाना चाहिए, न कि आरक्षित कोटा में से। आपको जनरल कोटे में उनको डालना चाहिए। मैं बतलाना चाहता हूं कि एक केस ला में यह निश्चित कर दिया गया है कि जो पोलिटिकल सफरर्स का कारण है, अनुचित है। मेरा इससे कभी भी मतलब नहीं है कि उनको न दें, लेकिन उसको जनरल कोटे में से दीजिए और हमारे कोटे में से जो 15 परसेंट दिया राजनीतिक पीड़ितों, भूतपूर्व सेना के डिसएबिल परसन्स को दिया है वह बैकवर्ड के कोटा में मिलाकर फिलहाल 30 प्रतिशत कीजिएगा।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र पति यादव—

यह संविधान का सवाल है, यह कानून का सवाल है, इसके सामने हमको झुकना पड़ेगा। हमको संविधान की पवित्रता को कायम रखने के लिए सेक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमको संविधान में आस्था रखनी है, जैसा कि कल आपने कहा था। अगर हम उसके पीछे जाते हैं तो हम संविधान के प्रति वफादार नहीं होंगे।

*श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने अपनी इधर नजरे इनायत की और मुझे दो शब्द कहने का अवसर दिया। आरक्षण के प्रश्न हमारे सामने है। मैं एक बात पूछना चाहती हूं कि यह आरक्षण करने का उद्देश्य क्या है? क्या इसका केवल यही उद्देश्य है कि कुछ चन्द लोगों को नौकरियां मिल जायं? या हमारा उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से हम सामाजिक समानता को प्राप्त कर सकें। इस बात का विचार करना पड़ेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

अगर हम गहराई से देखें और दूरदृष्टि इस पर डालें और उसकी ओर एक व्यापक रूप में इस प्रश्न का हम विश्लेषण करें तो हमको मानना पड़ेगा कि हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हम समाज में, अपने देश में, सामाजिक समानता को प्राप्त कर सकें। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि जिस प्रकार की हमारी आर्थिक व्यवस्था है, जिस प्रकार की हमारी शिक्षा की व्यवस्था है, जिस प्रकार हमारी सामाजिक व्यवस्था है, क्या हम इसमें समानता ला सकते हैं ?

शिक्षा को ही देख लीजिए। हर प्रान्त की अपनी अलग-अलग शिक्षा की प्रणाली है। फिर प्राइमरी एजूकेशन को ले लीजिए। एक तरफ हमारे सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, मांटेसरी स्कूल हैं और फिर हमारे यूरोपियन स्कूल हैं। बड़े-बड़े लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वह यूरोपियन स्कूलों में अपने लड़कों को भेजते हैं और जो गरीब हैं वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में, मांटेसरी स्कूलों में भेजते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं कि इतनी जगह असमानता है शिक्षा के क्षेत्र में, हमारा देश क्यों नहीं तरक्की कर पाया 30 वर्ष की मेहनत के बाद भी। इसमें शक नहीं कि हमारे देश ने कड़ी मेहनत की है लेकिन सामाजिक असमानता को दूर नहीं कर पाये, हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाये, उसका कारण है कि हमारी शिक्षा की प्रणाली में असमानता है।

दूसरी बात यह है कि वर्ग की बात आती है। सम्मानित सदस्यों ने लम्बी-लम्बी लिस्टें दीं पिछड़ी जातियों की। आधुनिक युग में अगर हम पूरे विश्व के वातावरण की स्टडी करें और उसकी गहराई में जायं तो देखेंगे कि यह सब जो वर्गीकरण किया गया है पिछड़ी जातियों का, अनुसूचित जातियों का, यह बाह्य रूप है अनेक तरीके से अगर इसकी तह में जाइए तो देखेंगे कि आज भी वही बात है जो पिछले 5 हजार वर्ष पहले थी। पहले भी दो जातियां थीं दुनियां में, महाभारत के समय में भी और आज भी। और वह है—एक गरीब और दूसरा अमीर। एक पूंजीपति और दूसरा मजदूर, एक अफसर दूसरा चपरासी, एक स्वामी दूसरा सेवक। यानी एक शोषित और दूसरा शोषण करने वाला। केवल दो जातियां हैं। जब तक आर्थिक शोषण है तब तक चाहें आप 15 परसेंट का आरक्षण कर दें या 75 परसेन्ट का दें, जब तक पूंजीवादी व्यवस्था है तब तक कितना भी आरक्षण हो देश की गरीबी को नहीं हटाया जा सकता है। अगर गरीबी को नहीं हटाया गया तो इन पिछड़े वर्गों को जिसमें मैं इन सभी को शामिल करती हूं उनको आप ऊंचा नहीं उठा सकते है। सैकड़ों बेवा औरतें हैं, ब्राह्मणों की बेवा हों, चाहे कहारों की स्त्री हों, चमारों की स्त्री हों, घर में जाकर बरतन मांज कर 20-25 रुपये इकट्ठा करके किसी तरह अपने बच्चों का पालन करती है क्या इनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है ?

दूसरी बात यह है कि आरक्षण में जो वर्गीकरण किया गया है, जिन पिछड़ी जातियों का जिक्र किया गया है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि महिलायें पिछड़ी जाति में नहीं आती है ? पांच हजार वर्षों से लेकर इस जमाने में भी महिलायें पिछड़ी हैं। द्रौपदी के जमाने में जब पांडव बैठे थे और उनके सामने द्रौपदी का चीर हरण किया गया। तो महिलाओं का शोषण उस जमाने से लेकर आज तक हुआ। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इनको

आरक्षण की आवश्यकता नहीं है ? जब तक महिलाओं के आरक्षण की ओर आप ध्यान नहीं देंगे तब तक मैं इसका घोर विरोध करूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूं मैं कालेज में प्रिंसिपल हूं। वहां मैं ऐसी टीचरों को जानती हूं जिनके सर पर बाप का साया नहीं है। जो अपने 4, 5 छोटे भाई-बहनों को खिला-पिला रही है, पालन कर रही हैं। महिलायें जो घर का काम करती हैं और बाहर का काम करती हैं। 100–200 रुपए की टीचर हैं और घर का पालन करती हैं, क्या इनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है कि इनको सरकारी नौकरी मिले।

तीसरी बात यह है कि पिछड़ी जातियों की जो लिस्ट दी गयी है उससे बहुत खतरा है। इसमें 2, 3 जातियां ही आरक्षण का फायदा उठा रहीं हैं। मैं चाहती हूं, जितनी जातियां हैं, प्वाइंट टु प्वाइंट मैथमेटिकल कलकुलेशन करके उनको आरक्षण मिलना चाहिए तो कुछ बात बनती। इसमें स्त्रियों का हक होता तो बात बनती। कमजोर लोगों को जिनकी पीढ़ीदर पीढ़ी को एजूकेशन नहीं मिल पाती है उनको इसमें लिया जाता तो बात बनती। आरक्षण का प्रश्न जो उठाया गया है इसमें कुछ लूपहोल्स हैं। इसका मकसद साफ नहीं है। इसी से बिहार में आन्दोलन हुआ, उत्तर प्रदेश में आन्दोलन हुआ। तो सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि एजूकेशन के द्वारा, प्रचार के द्वारा, क्रियान्वयन के द्वारा हम देश में असमानता की भावना को दूर करें। सबसे पहले जो शिक्षा में असमानता है उसको दूर करें। मैं साफ कहती हूं कि इस प्रस्ताव से आप क्या गरीबी को दूर करेंगे। आपका मकसद क्या है ? यह प्रस्ताव शानदार तरीके से लाया गया है इसका मकसद क्या है ? केवल नौकरियां प्राप्त करें। मैं कहना चाहती हूं कि हमको व्यापक रूप से इस प्रश्न को देखना है और इसका सल्यूशन निकालना है। जब तक जातिवाद को जड़ से विनाश नहीं किया जायगा, जब तक आर्थिक असमानता है तब तकसुधार नहीं हो सकता है। आर्थिक असमानता को सामने रखकर हमको इस समस्या का समाधान करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

मान्यवर, आपका आभारी हूं जो आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझको कुछ कहने का मौका दिया। मान्यवर, सच बात तो यह है कि यदि नैतिकता से लिया जाय तो इस माननीय सदन के अन्दर बैठे हुए जितने माननीय सदस्य हैं किसी को इस आरक्षण के विरोध करने का नैतिक अधिकार नहीं है। जब मैं इस बात को कहता हूं तो इसकी पृष्ठभूमि में मैं याद दिलाना चाहता हूं, श्रीमन्, श्यामधर मिश्र जी और श्री नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के हैं। जब डिवाइडेड कांग्रेस नहीं थी तो मैं भी उसमें था। मैं उस दिन की याद दिलाना चाहता हूं जबकि कांग्रेस ने घोषणा की थी कि बैकवर्ड क्लासेज जितने हैं उनको आरक्षण दिया जाय। इसलिए यहां पार्टी के जो सिम्बल होते हैं उनके आधार पर यहां माननीय सदस्य चुनकर आते हैं, जाति के सिम्बल पर नहीं। इसलिए जब इस पर चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप में ध्यान रखना चाहिए कि जिस पार्टी के सिम्बल पर चुनकर आये हैं उसके मैनिफेस्टो में यह बात थी कि नहीं। इस दृष्टि से देखें तो किसी को भी इस आरक्षण का विरोध करने का नैतिक अधिकार नहीं है।

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट]—

निर्दलीय सदस्यों का तो एक अलग विचार हो सकता है और उनका अधिकार हो सकता है। लेकिन मैं इस अधिकार से किसी को वंचित नहीं करता किन्तु मैं उन पुरानी चीजों को इस सदन में इसलिए प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं कि समाज में कोई कटुता आए। लेकिन इसलिए उनका सन्दर्भ जरूर देना चाहता हूं कि ...

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हम लोग आरक्षण पर बहस कर रहे हैं। आज हम किसी ग्रन्थ से बंधे हैं तो वह भारतीय संविधान है। मेरा अनुरोध है कि जो पुराने धार्मिक ग्रन्थ हैं उनका अद्धरण देकर ऐसी स्थिति न पैदा की जाय जिससे हमारे और आपके बीच में कटुता पैदा हो। जो ग्रन्थ हैं जैसे मनु स्मृति ग्रन्थ, वेद इनसे जरूरी नहीं है कि सभी सहमत हों। इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार हम यहां बहस करें।

श्री अध्यक्ष—

श्री गौरी शंकर जी माननीय शुक्ल जी ने व्यवस्था का प्रश्न किया है यहां पर बाइबिल, कुरान, जैन धर्म, हिन्दू धर्म की मान्यताओं पर बहस करना उचित नहीं होगा। संविधान के अनुसार आपको जो मौलिक दलीलें आरक्षण के सम्बन्ध में देना है, वह दें। धार्मिक ग्रन्थों के वर्णन करने से धार्मिक लोगों को ठेस पहुंच सकती है इसलिए उसकी आवश्यकता नही है। हमारे संविधान में अस्पृश्यता को अवैध करार दिया गया है और संविधान में पिछड़े वर्ग के संरक्षण के लिए व्यवस्था की गयी है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

श्रीमन्, जो शुक्ल जी ने कहा मैंने उसका जिक्र नहीं किया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं उस व्यवस्था की जिसके कारण यह दोष रहा है। वैसे तो आरक्षण समाज के जो चार अंग हैं उनमें से जो कमजोर अंग हैं उनके लिए होना चाहिए। मैं उसी की पृष्ठभूमि को बताना चाहता हूं। मैं किसी धार्मिक व्यवस्था पर चोट नहीं करना चाहता। उनको इतना सेन्सेटिव नहीं होना चाहिए। हमारे भी धर्म शास्त्र हैं जिनकी उन्होंने पूजा की हैं, उनकी पूजा हमसे भी उन्होंने करवाई है। इसलिए उसमें कोई व्यवस्था और दिक्कत की बात नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि डारविन की थ्योरी है कि शरीर के जिस अंग का प्रयोग नही होगा वह अंग निष्क्रिय हो जाएगा। उदाहरण के लिए पहले आदमी के पूंछ होती थी लेकिन उसका प्रयोग नहीं किया। इसलिए वह धीरे-धीरे समाप्त होती गयी और आज पुच्छ अस्थि शेष है। मैं कहना चाहता हूं कि समाज में जिस अंग का प्रयोग नहीं होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह अंग समाप्त हो जाएगा। पहले एक समाज ऐसा था जिससे शारीरिक काम नहीं लिया गया। एक समाज ऐसा था जिसको बुद्धि से काम लेने और पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो आखिर यह ऐसा क्यों किया गया? बड़े-बड़े विद्वानों ने कहा है कि —

विद्वत्वंच नृपत्वंच नैव तुल्य कदाचन
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते।
अर्य निज : परोवेति गणना लघु चेतसाय, तथा
उदार चरितानातु, वषुधैव कुटुम्बकम ॥

मान्यवर, बड़ी ऊंची-ऊंची नीति की बातें करते हैं। लेकिन यह वही हिन्दुस्तान की धरती है जिसमें कि डा0 अम्बेदकर जैसे विद्वान जब विदेश से एम0ए0 एम0एस-सी0, डी0 एस-सी0, डी0 लिट0, एल-एल0डी0, बार ऐट ला जैसी 22 डिग्रियां ले कर बम्बई के प्लेटफार्म पर उतरे तो उस प्लेटफार्म को धोया गया। यह इस देश का दुर्भाग्य रहा है। मैं किसी पर चोट नहीं करना चाहता। श्रीमन्, एक दुखती हुई रग को छूता हूं किसी को इस पर अधिक संवेदनशील नहीं होना चाहिए। कान्सटिट्यूशन में अनुसूचित जाति को अलग कर दिया गया है लेकिन श्रीमन्, मैं समझता हूं कि पहले नियम यह था कि सभी शूद्र वर्ग के थे। लेकिन श्रीमन्, यह सच है कि आज भी हरिजनों के मकान जलाए जाते हैं। श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ऐशो आराम की जिन्दगी बिताई है, मस्ती मारी है, बुद्धि से काम लिया है वे जा कर हल चलायें, जिससे उनका शारीरिक विकास भी हो, उनके लिए आप आरक्षण कर दीजिये झाड़ू बुहारू के काम में। जो हरिजन हैं, पढ़े लिखे हैं उनका आरक्षण 50 प्रतिशत कर दीजिए उनको 250 रुपए प्रति महीने दिए जायं यदि वे झाड़ू बुहारू करें। ब्राह्मण वंश में पैदा होने वालों को उस काम के लिए एक हजार रुपए महीने दिया जाय। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में काफी है इससे इस समस्या का हल होगा।

श्री अध्यक्ष—

गौरी शंकर जी, जो चमड़े का काम था वह तो आपने छुड़वा लिया, अब इनका और छुड़वाना चाहते हैं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मैं यह कहना चाहता हूं कि वे लोग इस तरीके से ठीक हो सकेंगे, उनका शारीरिक अंग ठीक होगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो गरीब हैं उनकी शिक्षा सरकारी हो, शिक्षा के बाद में कम्पीटीशन में बैठें। लेकिन मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के प्रत्येक बेरोजगार को जमीन मिलनी चाहिए, नहीं तो इस देश प्रदेश में क्रान्ति की वह लहर पैदा होगी की सारी की सारी व्यवस्था चकनाचूर हो जाएगी।

मेरी सदा को दबाना तो गैर मुमकिन है,
मगर हयात की तलवार कौन रोकेगा।
फसीदे आतसो आहन बहुत बुलन्द सही,
बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा।
नए ख्याल के परवाज रोकने वाले,
नए आवाम की तलवार कौन रोकेगा।

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट]

इन चन्द शब्दों से साथ मैं समाप्त करता हूं—

वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है,
बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है।
चाहे कितनी ही बड़ी हो चाहे कितनी ही कठिन हो,
हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है।

श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा गम्भीर विषय है जिसे हमारे सम्मानित सदस्य छिछलेपन से ग्रहण कर रहे हैं। हमें इस आरक्षण के विषय पर चिन्तन करने के लिए इतिहास के विभिन्न मोड़ों पर विचार करना होगा। मानव जीवन के विकास का इतिहास जब तक हम अपने सामने नहीं रखते हैं, जितनी चिन्ता-धारायें देश में नहीं विश्व में समय-समय पर प्रस्फुटित हुई जब तक उनका चिन्तन नहीं करते हैं हम इस विषय पर सही रूप से विचार नहीं कर सकते हैं। वर्ग और जाति का प्रश्न है। कार्ल मार्क्स ने भी वर्ग और जाति की परिभाषा की है। वर्ग उस समूह विशेष को कहते हैं जो एक प्रकार की आजीविका अर्जित करता है लेकिन किसी एक जाति के समस्त प्राणी एक प्रकार की आजीविका अर्जित नहीं करते। तो हमको समझना होगा वर्ग और जाति में क्या फर्क है? काका कालेलकर की बातें प्रस्तुत की गयीं। उस कमीशन का क्या नाम था? उसका नाम पिछड़ा वर्ग कमीशन था, पिछड़ी जाति कमीशन नहीं था। पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ कहा है, जो धारणायें व्यक्त की हैं उनका मैंने अध्ययन किया है। उस कमीशन ने जहाँ पिछड़े वर्ग को उदार प्राथमिकता देने की बात कही है वहाँ पर दक्षता और क्षमता की बात भी रखी है। प्रशासनिक सेवाओं में अगर दक्षता और क्षमता नहीं है तो उनकी नियुक्तियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर नियुक्तियाँ होती हैं तो जो दुष्परिणाम आज हैं वह आगे भी होंगे। लोग बात तो वही करते हैं जो मैं कर रहा हूं लेकिन व्याख्या उलटी करते हैं। लोग कहते हैं कि देश की धरती पर ऊंच नीच का भेद भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आरक्षण से ऊंचनीच का भेद भाव बढ़ता है या घटता है? मैं कहना चाहता हूं कि बढ़ता है, घटता नहीं है। हमारे सामने उसके 31 वर्षों के उदाहरण हैं। अनुसूचित और अनुसूचित जन-जातियों का आरक्षण चला आ रहा है 31 वर्षों से निरन्तर लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उनके जीवन स्तर में कितना गुणात्मक परिवर्तन हुआ? मैं कहता हूं कि कोई गुणात्मक परिवर्तन आज तक नहीं हुआ।

(व्यवधान)

आज 55 प्रतिशत हिन्दुस्तान की जनता गरीबी की रेखा के नीचे है। क्या 55 प्रतिशत जनता एक जाति विशेष की है। या जितनी जातियाँ हिन्दुस्तान में हैं, उन सारी की है। 55 प्रतिशत जनता की जो गरीबी की रेखा से नीचे है वह सवर्णों में से है और गैर-सवर्णों से भी है। तो क्या कुछ गैर-सवर्ण जातियों को ले लिया जाएगा और बाकी जो 55 प्रतिशत गरीबी की रेखा से जो नीचे हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। यह एक तर्क की बात है। तर्क करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यदि आप तर्क को नहीं सोचते, इतिहास को सामने नहीं रखते और मात्र जातिवाद और कुनबा-परस्ती के आधार पर बातें करते हैं तो इतिहास और वास्तविक मानव जीवन का विकास और विश्लेषण नहीं हो सकता।

लोक नायक जय प्रकाश युग पुरुष कहे जाते हैं। आरक्षण के समर्थक भी उन्हें युग पुरुष कहते हैं। उनका कहना है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा है कि सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर आरक्षण होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि सामाजिक और शैक्षिक स्तर क्या है। सामाजिक और शैक्षिक स्तर का आधार अर्थ है। अर्थ का आधार सामाजिक और शैक्षिक स्तर नहीं है। किस एथार्टी को आप मानते हैं। कार्ल मार्क्स हिस्टरी के विख्याता रहे हैं उनका कहना है कि—सोशल कांशियशनेस इज डिटरमिन्ड बाई एकानौमिक स्टेट्स नाट इकनोमिक स्टेट्स बाई सोशल कांशियशनेस। इसका हिन्दी अनुवाद यह है कि सामाजिक चेतना का आधार आर्थिक स्तर है, आर्थिक स्तर का आधार सामाजिक चेतना नहीं है। आज सामाजिक और शैक्षणिक स्तर की बात अलग से कहीं जाती है, लेकिन मैं आज तक नही समझ सका। यह कठोर सत्य है और सभी जानते होंगे कि वर्ग संघर्षों का इतिहास पूरे विश्व का है और वर्ग संघर्षों का आधार धन और सम्पत्ति रहा है। तो यदि आधार अर्थ है, अथवा धन है तो आरक्षण आर्थिक आधार होना चाहिये और जो सामाजिक और शैक्षिक आधार की बात कही जाती है उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं स्पष्ट कह दूं कि आज जो आरक्षण की बात की जा रही है। यह समाज के लिए अभिशाप है। देश के लिए भयंकर रोग एवं सबसे बड़ी विडम्बना है, उच्चता एवं हीनता की भावना। मैं कहना चाहता हूं कि आरक्षण के संबंध से हुए आई0 ए0 एस0 और आरक्षण के फलस्वरूप ऊंचे पदों पर गए हुए अन्य लोग आज किस दृष्टि से देखे जाते हैं। उनमें सदैव हीनता की भावना बनी रहती है। हिन्दुस्तान में ही नहीं, दुनिया के किसी कोने में चले जायं सभी चाहते हैं कि हमारा एक समस्त एवं समृद्ध समाज हो और उसकी कल्पना समाजवादी करते हैं और वही समाजवाद है। डाक्टर लोहिया ने वर्ग का नाम लिया तथा जाति का नहीं। उनकी शिष्य परम्परा में मैं रहा हूं। उन्होंने जाति और वर्ग का अन्तर स्पष्ट रूप से नहीं किया है। 60 प्रतिशत आरक्षण की बात उन्होंने अवश्य कही है। उसमें प्रत्येक जाति की स्त्री को भी उन्होंने लिया है। तो डाक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम लेने वाले बन्धु भूल जाते हैं कि महिलायें भी उसमें आनी चाहिए। (लाल बत्ती होने पर) 5 मिनट का समय और दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

नहीं दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री रामदेव दुबे—

वह लोग नारी जाति को भूल जाते हैं यदि पिछड़े वर्ग के साथ नारी जाति को भी ले लिया जाय तो केवल 10 प्रतिशत बच जाता है जो कि गैर-सवर्णों के लिए शायद था। अभिप्राय यह कि उनकी कुछ बातें तो ले ली जाती हैं और कुछ बातें छोड़ दी जाती हैं जो किसी भी दशा में ठीक नहीं है। डाक्टर साहब की समूची आरक्षण की नीति का विवेचन होनी चाहिए।

अब मैं स्व0 महात्मा गांधी की बात कहूंगा। स्व0 गांधी ने वर्गविहीन राज्य की कल्पना की थी। उनका सपना था कि वर्गविहीन राज्य स्थापित हो और जब वर्गविहीन राज्य सही माने में स्थापित होगा तभी समाज पनपेगा। लेकिन आज वह कल्पना उनकी साकार होने को नहीं है। आज निरन्तर

[श्री राम देव दुबे]

वर्ग संघर्ष चल रहा है। यहां तक अब तो जाति संघर्ष चल रहा है मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, बातें तो बहुत हैं, लेकिन समय नहीं है। अब अन्त में यह कहता हूं कि यह आरक्षण की स्थिति जो है इसका मैं विरोधी हूं और विरोधी इसलिए हूं कि उससे ऊंच-नीच की भावना को बल मिलता है। जो इस ऊंच-नीच की भावना से सहमत नहीं है उनको इसका विरोध करना चाहिए। मानवता और समाजवाद के हित में आरक्षण किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए चाहे वह कोई सरकार हो चाहे वह रहे या न रहे। यदि आरक्षण जाति के आधार पर जबरदस्ती थोपा ही जाता है तो समाज उसे किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं करेगा।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)---

मान्यवर, विषय बहुत गम्भीर है इसलिए दो घंटे का समय बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष---

अभी तो कोई ऐसा प्रस्ताव आया नहीं है।

श्री श्याम नारायन तिवारी (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने की इजाजत दी है। इस विषय पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं और बाहर भी इस पर चर्चा है कि आरक्षण का आधार जातिगत हो या आर्थिक हो। इस सदन में इस विषय पर चर्चा करते हुए माननीय लोहिया के विचारों पर भी चर्चा हुई और इतिहास के आर्थिक विख्याता मार्क्स का भी नाम लिया गया। लेकिन यह सब कहने के लिए यहां वक्त नहीं है कि विस्तार में उस पर चर्चा हो। लेकिन इतिहास की एक ठोस एवं गम्भीर समझ है कि जातियों के उदय और विकास के मूल में आर्थिक तत्व प्रमुख रहा है। सुदूर अतीत में सामाजिक विकास के उस पड़ाव में जाति प्रथा साधारण श्रम विभाजन थी और इसने सामाजिक विकास को अग्रगति प्रदान की थी। लेकिन समय के साथ जातिप्रथा पुरानी पड़ गई और भारतीय समाज में कुछ विशेष कारणों के इसने पुश्तैनी रूप अख्तियार कर लिया था और इस पुरानी प्रथा को प्रतिक्रियावादी शोषक वर्गों ने अपने स्वार्थ में इस्तेमाल किया और आज भी श्रीमन्, जिस विषय पर हम विचार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जो मेहनत करने वाले हैं चाहे वह शारीरिक श्रम कर रहे हों या मानसिक उसमें विभाजन किया जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि इस किस्म के लोग एक हो कर आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सामाजिक प्रगति के लिए जद्दोजहद करते और रास्ते में आने वाले अवरोधक तत्वों को हटा देते। लेकिन यह नहीं हो रहा है।

आज आरक्षण के प्रश्न पर जिस तरह से प्रतिक्रियावादी शासक दलों ने इसको अपने हित में इस्तेमाल किया यह बात आज सामने है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा भारतीय समाज के इस जटिल विन्यास को देखते हुए जो गौर करने लायक बात है, यहां पर जातीय आधार पर आरक्षण हो या आर्थिक आधार पर। इसमें मौलिक भेद नहीं है। इसमें गुणात्मक फर्क नहीं है। फर्क संख्या का है। हमारा समाज जिस विकास के रास्ते पर चल रहा है उसका यह चरित्र है कि विकास विषम हो। कहीं काफी विकसित

क्षेत्र हैं कहीं पिछड़े हुए इलाके हैं। पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास को आगे ले चलने के लिए नियोजित योजना की जरूरत है, विकास को आगे चलाने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह इसी समाज में कुछ पिछड़ी हुई जातियां हैं ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक, आर्थिक तौर से पिछड़ी हुई हैं, तो उनको प्रोत्साहन देना होगा। उनको प्रोत्साहित करने के लिए आरक्षण देना होगा। सिर्फ यह कह कर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाय ठीक नहीं। भारतीय समाज की यह विशिष्टता रही है, इसमें जातियां हैं, आगे चल कर यह समाज के विकास के दौर में समाप्त होंगी। लेकिन आज इस स्थिति में प्रोत्साहित करना होगा पिछड़ी हुयी जातियों को। इस ऐतबार में इस प्रश्न पर आरक्षण का समर्थन करता हूं और यह कह कर मैं संतोष का अहसास कर रहा हूं। यही मुझे कहना है।

*श्री श्यामसुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा गम्भीर प्रश्न है जो सदन के समक्ष विचाराधीन है। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने बड़े प्रश्न पर जिसने समूचे देश में हलचल मचा दी, राजनीतिक आचार विचार किया जा रहा है। मान्यवर, यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को हमेशा राजनीतिक बना दिया जाता है। अगर आरक्षण वोट केचिंग डेवाइस बन गया, अगर आरक्षण के प्रश्न पर इस आधार पर सोचें कि कुछ लोग अनुसूचित जातियों को आरक्षण देकर मसीहा बन गए तो कुछ लोग पिछड़ी जातियों को आरक्षण दे कर उनके मसीहा बन जायं तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। यह संवेदनशील प्रश्न है। जब इस आरक्षण का समर्थन होता है तो भौंजें थपथपायी जाती हैं और जो जाति के आधार पर आरक्षण का विरोध करता है उसको आंखें दिखायी जाती हैं। अगर आप इस देश की प्रतिभा का पलायन करने जा रहे हैं तो क्या होगा। जब विश्वविद्यालय में आरक्षण करने जा रहे हैं प्रोफेसर्स की नौकरियों में आरक्षण करने जा रहे हैं, आज विश्वविद्यालय में जिसको गोल्ड मेडल मिलता है वह प्रोफेसर बनाया जाता है। योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर उनको विश्वविद्यालय में लिया जाता है। योग्यता के आधार पर डाक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर तथा अधिकारी बनते हैं। लेकिन अगर जाति को आधार बनाया गया तो देश का क्या होगा? 30 प्रतिशत अंक पाने वाला छात्र पी0 एम0 टी0 में ले लिया जाएगा और डाक्टर बन जाएगा और 70 प्रतिशत पाने वाले छात्र नहीं लिए जायेंगे। तो उन लोगों के मन में क्या भावना उत्पन्न होगी। क्या आपने इस पर भी विचार किया और जो इस का परिणाम होगा उस पर ध्यान देकर विचार किया?

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

इनको जानकारी नहीं है। पी0 एम0 टी0 में कोई रिजर्वेशन नहीं है। यह गलत फैक्ट्स क्यों रख रहे हैं? उनको तोड़-मरोड़ कर क्यों रख रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

क्या यह जरूरी है कि आप सबका स्पष्टीकरण दें?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

नौकरियों में आरक्षण की बात की जाती है। सम्भव है कि गौरी शंकर जी मेरी बात को समझ न पाए हों।

श्री अध्यक्ष--

आप और गौरी शंकर मिल कर शंका समाधान कर लें।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

डाक्टरों और इन्जीनियरों के लिए भी आरक्षण की बात उठेगी। अगर उठ गयी तो पेट चीरने के बाद डाक्टर कैंची छोड़ देगा, आप बुरा न माने।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

[* * * *]

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बिना अनुमति के न बोलें। यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा। गौरी शंकर जी, आप इतना क्यों व्याकुल होते हैं ?

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

आज प्रदेश को चुस्त और सक्षम प्रशासन चाहिए। अगर आरक्षण योग्यता के आधार पर दिया जाता है तो बात मानी जा सकती है। जाति के आधार पर आरक्षण होने के बाद प्रदेश का प्रशासन बिगड़ जाएगा। सारी दुनियां में योग्यता ही आधार होती है। आरक्षण में मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर आप यह समझते हैं कि कुछ विशेष जातियां जो अधिक पिछड़ी हैं उनके उत्थान के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए जितना आप खर्च करना चाहे, करें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिक्षा आप दें लेकिन जब चयन का प्रश्न आए तो योग्यता को ही आधार बनाया जाना चाहिए, जाति को आधार नहीं बनाना चाहिए। तभी देश का भला हो सकता है।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यहां पर काका कालेलकर और और डाक्टर राम मनोहर लोहिया की चर्चा की गयी। जाति को काका कालेलकर ने नहीं कहा था। गांधी जी की बात कही गयी। गांधी जी ने जाति की बात नहीं कही थी, उन्होंने दलित और पिछड़े हुए लोगों की बात कही थी। जो वर्ग दबाया जा रहा है उसके आरक्षण की बात कही थी और संविधान में दलित वर्ग के उत्थान के लिए 10 वर्ष तक का आरक्षण किया गया लेकिन आज 30 वर्ष हो गए हैं और उसे राजनैतिक आधार पर बढ़ाया जा रहा है। आरक्षण के समर्थकों के मस्तिष्क में क्या है, मैं नहीं समझ पाया हूं। एक प्रश्न के उत्तर में गृह मन्त्री जी ने, जब वे समाज कल्याण मन्त्री थे, बताया था कि हम 20 फीसदी वालों को 80 फीसदी वालों पर हावी नहीं होने देंगे। आप योग्यता बनाइए, उसको प्राथमिकता दीजिए, जातियों को प्राथमिकता न दीजिए। जातियों को प्राथमिकता देकर आप देश को उन्नत नहीं कर सकते हैं। एक ओर तो आप जाति तोड़ो आन्दोलन चलाते हैं और दूसरी ओर जातियों के आधार पर आप आरक्षण की बात करते हैं। यदि ऐसा किया गया तो देश में

नोट--(***) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जो सुलगती आग है, विद्यार्थियों में जो आन्दोलन व्याप्त है, उनमें कुन्ठा और निराशा व्याप्त है, उससे न देश का और न प्रदेश का भला होगा। इस प्रदेश के लिए सक्षम प्रशासन और योग्य सेवाओं की आवश्यकता है, जातियों की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। आप योग्यता को बढ़ावा दीजिए। योग्यता के आधार पर आरक्षण होना चाहिये इसको ध्यान में रख कर आपको इस महत्वपूर्ण विषय पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

(श्री राधे श्याम शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)---

मान्यवर, प्रस्तावकों में मेरा नाम भी है। लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया है। आपसे प्रार्थना है कि . . .

श्री अध्यक्ष---

यह आवश्यक नहीं है कि सबको बुलाया जाय।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)---

बहुत से माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि अधिष्ठाता महोदय आरक्षण किए बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष---

अधिष्ठाता को भी अवसर मिलना चाहिए।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)---

मान्यवर, आप पिछड़े वर्ग के लोगों को बोलने का मौका नहीं दे रहे है।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जायं। पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या जो बोले हैं आधे से कम नहीं है। आपके दल की ओर से भी बोले हैं। आप कृपया बैठ जाइए। आपका इस प्रकार बोलना अनुचित है।

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आरक्षण एक राष्ट्रीय और ज्वलन्त प्रश्न है इसलिए इस आदरणीय सदन में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, एक समाजवादी होने के नाते मैं आरक्षण के सवाल का कभी भी विरोधी नहीं हो सकता हूं। आरक्षण दबे हुए, पिसे हुए लोगों का, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए और सदियों से जो गुलामी की जन्जीरों में जकड़े हुए हैं और सताए हुए हैं, मैं समझता हूं, उनको अवश्य मिलना चाहिए, मैं जोरदारी के साथ कहता हूं कि मिलना चाहिए पर मान्यवर सारे प्रश्नों को पूरे पहलुओं के साथ जोड़ना पड़ेगा। यहां पर स्व0 डाक्टर राम मनोहर लोहिया को खींचा गया है। स्व0 डाक्टर लोहिया के साथ शायद सारे हिन्दुस्तान में 10-20 आदमियों में जिनकी गिनती रही होगी, मैं भी एक रहा हूं। भरतपुर में सब जगह हम डाक्टर लोहिया के साथ घूमे हैं भरतपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर स्व0 डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि "वर्तमान जाति प्रथा नाश की निशानी है। इसे हर हालत में मिटाना होगा। इसके लिए समाजवादी दल को 60 प्रतिशत पार्टी के संगठन में

[श्री राघे श्याम शर्मा

कमेटियों में और सरकार बनाने का अवसर मिले वहां भी देना होगा सदियों से पिटे हुए लोगों, हरिजनों, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों ईसाई और सारे देश की महिलाओं चाहे वे किसी वर्ण की हों, को विशेष अवसर मिलना चाहिए। इसका मतलब आप साफ समझ लीजिए। डाक्टर लोहिया को कोट करते समय मैं समझता हूं पूरी बुद्धिमानी के साथ सारी बातों को कहना चाहिए।

मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिहार में देखेंगे कि बनिया जो है वह आरक्षण में आ जाता है। बिड़ला और बिड़ला के पूरे परिवार के सम्बन्ध में डाक्टर लोहिया कहते थे कि जब तक आसमान टूटेगा नहीं अर्थात् बिड़ला की पूंजी का नाश नहीं होगा और जब तक बिड़ला है तब तक हरिजन, शूद्र और पिछड़े हुए लोगों का उद्धार नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी बेइन्साफी है इस कानून के अन्दर? एक तरफ तो बिड़ला परिवार में बिहार आरक्षण में आता है और उत्तर प्रदेश में उस बिड़ला का दरबान सौ रुपए का नौकर जो लाठी बल्लम लेकर उसके यहां खड़ा होता है, वह सवर्ण बिरादरी में पैदा हुआ है तो वह आरक्षण में नहीं आ सकता। कोई दलील है? मैं पूछता हूं, इस तरह के सवाल हैं। इसमें जो आपका कानून है, मैं समझता हूं कि उसमें कुछ स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए, इसको साफ करिए। इसमें तमाम मिनिस्टरों के लड़को को निकालिए, राज-पत्रित अधिकारी के लड़कों को निकालिए, एम0 एल0 एज0, एम0 पी0 के लड़कों को निकालिए और जो इनकम टैक्स देते हैं उनके लड़कों को निकालिये और मान्यवर, जिसके पास जमीन ज्यादा है' सौ-सौ एकड़ डेढ़-डेढ़ सौ एकड़ के मालिक हैं उनको भी निकालिए। जब तक इसको नही निकालेंगे तब तक मैं समझता हूं कि छोटी कौमों के जिन लोगों के लिए आप आरक्षण करना चाहते है, उन दब हुए, पिसे हुए लोगों को पूरा फायदा नहीं मिल सकता है। यह काम अधूरा है आरक्षण होना चाहिए, सही होना चाहिए पर उसका जो सही सिद्धान्त है, जिसको मिलना चाहिए अगर उसको नहीं मिल पाता है तो इस कानून का कोई जनहित से मतलब नहीं हो सकता है।

मान्यवर, एक बात मैं कह देना चाहता हूं। बड़ी दुहाई दी जा रही है, चारों तरफ से। लेकिन यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि आरक्षण का जो सवाल विधान सभा के भीतर है, यह विधान सभा के बाहर भी बड़ी तेजी के साथ उठाया जा रहा है। नौजवानों के दो पक्ष हो रहे हैं, गांव-गांव गली-गली में चर्चा हो रही है। जाने कौन-कौन बोल गया, सब जगह नौजवान दो दलों में बंट गए हैं। अगर इस तरह का कार्य होगा तो आप गृह युद्ध को निमन्त्रण दे रहे हैं और बड़ा गलत कार्य हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की धरती पर और बिहार प्रदेश में गृह युद्ध हो जाय तो मान्यवर, हम क्या सरकार चलायेंगे? कैसे सदन चलेगा? किस तरह राष्ट्रीय समस्या का समाधान होगा? इसलिए साफ साफ कह देना चाहता हूं कि बड़े धैर्य से आप सोचें। कानून आरक्षण का सही है, होना चाहिए, दबे हुए, पिसे हुए, शोषित, पीड़ित समाज के उन निर्बल वर्गों के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा आरक्षण करने की बात सम्भव हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, रत्ती भर भी, और न किसी को होना चाहिए। परन्तु उसकी आड़ में जहां पर धोबी, धीमर, कुम्हार और हर तरह के. छोटे-छोटे लोग जो सताए जाते हैं, गड़रिए, केवट जिनका आज कोई आई0 ए0 एस0

अफसर सारे उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं है। गड़रिया बिरदारी का एम0 एल0 ए0, जिनकी आबादी 50 लाख है उत्तर प्रदेश में उनका कोई एम0 एल0 ए0 नहीं, एम0 एल0 सी0 नहीं। कोई बताए? राज-पत्रित अधिकारी नहीं है और उन के सारे हकों को अगर एक बिरादरी के लोग आरक्षण के नाम पर खा जायेंगे और उसमें सारी बिरादरियों का सत्यानाश होगा तो यह आरक्षण नहीं होगा, यह सर्वस्व नाश की निशानी होगी। और सारी बिरादरियां जो दबी हुई, शोषित, मरी हुई हैं, डाक्टर लोहिया के शब्दों में सर्वहारा हैं जिनके उत्थान के लिए आप क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करते हैं उनका गला कट जायगा, वे डूब जायेंगे। इसलिए मैं साफ कह देना चाहता हूं कि कानून बनाओ तो साफ तरह से बनाओ, इस तरह के कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है और अगर बनेगा तो परिस्थिति और विकट हो जायगी।

अभी कुछ नहीं बिगड़ गया। यह राष्ट्रीय समस्या है। शान्ति भूषण की एक कमेटी बन गयी है। उत्तर प्रदेश की सरकार जब तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई निर्णय न हो जाय इसको लागू न करे। यह विधान सभा के भीतर की बात नहीं है कि राम सिंह जी ने कह दिया कि 20 प्रतिशत को 80 प्रतिशत के ऊपर हावी होने नहीं दिया जाएगा। हमारे सामने 20 प्रतिशत और 80 प्रतिशत का सवाल नहीं है। यह न्याय का सवाल है। आपको शासन चलाना है, मैं आरक्षण का पक्षपाती हूं पर इसमें न्याय होना चाहिए। कुछ एक कौम को ही फायदा नहीं मिलना चाहिए। कुम्हार, तेला, तम्बोली, सबको मिलाकर कुछ करना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं किया तो कितने लोग रह जाओगे, आपके साथ कोई नहीं रह जायगा। अध्यक्ष महोदय, जो सही बात थी उसको मैंने आपके सामने रखा है, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। समय बढ़ा दीजिए।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, नियम 110 को देखिए। बिना सूचना के प्रस्ताव। इसमें स्पष्ट है कि किसी उपवेशन की कालावधि बढ़ाने का प्रस्ताव बिना सूचना के लाया जा सकता है। जैसा माननीय मैनेजर सिंह जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो आपने कुछ बताया नहीं कि आप समय बढ़ा रहे हैं या कल के लिए रख रहे हैं?

श्री अध्यक्ष--

कोई नियमित प्रस्ताव नहीं आया। लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है इसलिए उचित होगा, चूंकि मैंने अभी प्रस्तावक महोदय को नहीं बुलाया और माननीय मन्त्री जी को अन्तिम उत्तर देने के लिए नहीं बुलाया, से बहुत लोग बोलना चाहते हैं इसलिए कल 5 बजे के बाद मी इस पर विवाद रखूंगा।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, बड़ा गम्भीर प्रश्न है और इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। श्रीमन्, थोड़ा सा अगर इस देश की आजादी की लड़ाई में जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गयी और अंग्रेज को इस देश से निकाला गया तो उस वक्त जो समाज की हालत थी उसको देखना होगा। उस वक्त हजारों साल पुराने जाति पाँति का समाज के ऊपर जो असर था और जो बड़े-बड़े लोग देश के ऊपर हुकूमत करते थे उन लोगों की जिम्मेदारी थी, जो बड़े-बड़े पूंजीपति थे, यह सब देखना है। श्रीमन्, जब अंग्रेज गया था तो आवाज यह लगी कि राजनीतिक क्रान्ति तो समाप्त हो गयी है और अब आगे सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति के लिए लड़ाई लड़नी है। सामाजिक तथा आर्थिक क्रान्ति को सामने रखा गया था।

एक सदस्य—

बहुत शोर हो रहा है। सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्ति बनाए रखिए। शोर हो रहा है।

श्री रियासत हुसैन—

संविधान के अन्दर चाहे आर्टिकिल 15 को देखा जाय चाहे 16 को देखा जाय या 340 या 341 को देखा जाय तो उन सबके अन्दर जो कुछ कहा गया है वह बैकवर्ड क्लासेज के लिए कहा गया है। यही एक चीज रखी गयी है कि 'हेव और हेवनाट'। गरीब और अमीर। अमीरों में चाहे वह किसी जाति के हों सबके रहन-सहन के तौर तरीके करीब-करीब एक ही तरह के हैं और गरीबों में चाहे किसी तबके के हों, सबके रहने के ढंग एक ही हैं। तो इन दो क्लासेज के अन्दर हमेशा से संघर्ष है। जो बड़े-बड़े विचारक हुए, महात्मा गांधी से लेकर आचार्य नरेन्द्रदेव, डा० लोहिया सबने यही कहा कि जो गिरे हुए हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। श्रीमन्, अगर कांस्टीट्यूशन बनाने वालों के दिमाग में इस बात की गुन्जाइश होती, अगर वह यह समझते कि बैकवर्ड क्लासेज और पिछड़े लोगों के लिए तो कास्ट का नाम बड़ी आसानी से 15, 16 और आर्टिकिल 340, 341 में रखा जा सकता था। कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन आर्टिकिल 341 में स्पष्ट इस बात को कहा गया है कि यदि सूबे की सरकार और गवर्नर यह समझते हैं कि कुछ कम्यूनिटीज को ऊपर उठाने के लिए शामिल किया जाना जरूरी है तो उनको शिड्यूल कास्ट के अन्दर शामिल किया जा सकता है। वहाँ भी उन्होंने यह बात कही। यदि उठाने के लिए विशेष तौर से कुछ छोटी कौमों को बढ़ाने के लिए स्पेशल कुछ देना है तो उनको शिड्यूल कास्ट में शामिल करने की बात हो सकती है, बैकवर्ड का नाम न आए।

आज जो इस प्रदेश के सामने मसला है उसमें मुझसे कोई कहने लगे कि रामपुर में श्री मुजीद कुरैशी को और मुरादाबाद में अली हसन हज्जाम को बैकवर्ड में शामिल करके सारी सुविधाएं मिलने की बात हो, जोकि काफी अमीर है और अली हसन हज्जाम को तो 2 हजार रुपए माहवारी मकानों से किराया आता है। तो यह कौन सी बात है। ऐसे लोग भी मिलेंगे कि मुरादाबाद में जो बरतनों के इक्सपोर्टर्स अन्सारीज भाई हैं जिनके दो-दो आदमी साल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भर विदेश में इक्सपोर्ट का काम देखने के लिए रहते हैं उनको भी इस बैकवर्ड में शामिल कर लें तो उन अंन्सारीज का क्या होगा जो रिक्शा चलाते हैं ? उस कुरेशी का क्या होगा जो हड्डी का काम करता है और उस हज्जाम का क्या होगा जो दूसरों के बाल बनाता है ? इसलिए सोशल रिजाल्यूशन की और आर्थिक क्रान्ति की जरूरत है। जब तक आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति नहीं आयेगी तब तक कुछ होने को नहीं है ।

मैं शुरू से समाजवादी आंदोलन में शामिल हुआ । गांधी जी का नारा लगाया कि 'राजा हो मजदूर किसान'। धन और धरती के बंटवारे का नारा लगाया। तो आज यदि धन और धरती का बंटवारा किया जायेगा, गांधी जी का अरमान पूरा किया जायेगा कि 'राजा मजदूर–किसान' होगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि गांधी जी का अरमान यह था। मान्यवर, पीलीभीत में कुर्मी बराबर कुंवर कहलाते हैं तो क्या उनको राजा बनाने की बात थी ? लोहार जो करोड़पति हैं उनको क्या राजा बनाने की बात थी ? गांधी जी की बात थी कि नहीं ऐसा नहीं होगा। गांधी जी का अरमान था कि जो इस देश में पीड़ित और शोषित 80 प्रतिशत जनता है वह इसमें से उठकर राजा बने। इसको सोचने के लिए जब कांस्टीट्यूशन की बहस हुई तो वहां लचक रखी गयी। डा0 अम्बेदकर ने कहा कि इसके बारे में कांस्टीट्यूशन को रिजिड न बनाया जाय। पं0 जवाहर लाल नेहरू ने कांस्टीटुएंट असेम्बली में प्रश्न करते हुए कहा कि कांस्टीट्यूशन को रिजिड बनाने की आवश्यकता नहीं है। कांस्टीट्यूशन को समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए।

इसलिए आरक्षण के सम्बन्ध में आज तक जो रखा गया उसमें मन्त्री जी हिम्मत से जवाब दें कि आरक्षण का आधार क्या है ? आधार सामाजिक होगा या एजूकेशनल तरीके से बैकवर्ड जो लोग हैं उनको सामने रखकर आरक्षण की बात रखी गयी है ? या जो पिछड़े हैं, आर्थिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से उनको ध्यान में रखकर आरक्षण किया गया ? लेकिन जाति के आधार पर कहीं नहीं लिखा है। यदि आरक्षण जाति के आधार पर होता है तो वह ठीक नहीं है। यदि जाति के आधार पर आरक्षण होता है तो उन आई0 ए0एस0 आफिसरों को चाहिए जो चार विशेष जातियों से ताल्लुक रखते हैं और जो एम0पी0 और एम0एल0ए0 हैं जिनका इन्वायरमेंट ऐसा है आरक्षण के सहारे उनके लड़के भी आरक्षण में आयेंगे। इसलिए इस तरीके से यह मसला हल नहीं होगा। जो खुर्पा लेकर घास खोदता है, हल चलाने वाले आदमी के लिए, मजदूरी करने वाले के लिए, भूमिहीन के लिए आरक्षण होना चाहिए। उस पंडित के लिए होना चाहिए जो इस समाज में मजबूर होकर के रिक्शा खींचता है। उस यादव के लिए होना चाहिए जिसके पास जमीन की एक बीघा भी नहीं है जो भूमि हीन है। चौधरी साहब के लिए आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण होना चाहिए हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई सब जातियों के लिए जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। किसी तरह अपना पेट काट कर, दो वक्त के बजाय एक वक्त खाकर अपने बच्चों को पालते हैं और इस लायक कर लेते हैं कि उसके बच्चे किसी नौकरी के लिए खड़े हो सकें, उनके लिए होना चाहिए। चौधरी साहब के लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए। श्रीमन्, इतना कह कर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं कल साढ़े ग्यारह बजे फिर बैठेंगे। साढ़े नौ बजे प्रतिभा सिनेमा हाल में हमारे देश के न्याय मन्त्री, श्री शान्ति भूषण संसदीय प्रणाली और जुडीशियरी में क्या सम्बन्ध हो इस पर व्याख्यान देंगे आप लोग कृपा कर के आयें। सदन कल साढ़े ग्यारह बजे से होगा।

(इसके बाद सदन 7 बजे अगले दिन 11-30 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
12 मई, 1978।

विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 431 पर)

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की 21 सूत्री मांग तथा कृत कार्यवाही का विवरण

मांग	कृत कार्यवाही का विवरण
1—परिवार नियोजन लक्ष्य की पूर्ति न करने पर दन्डित लेखपालों की बहाली।	.. 1—इस मांग के सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों को परिवार नियोजन के सम्बन्ध में दन्डित लेखपालों के मामलों का पुन: अवलोकन कर उन्हें बहाल करने के निर्देश दिनांक 24 नवम्बर, 1977 को जारी कर दिए गए है।
2—भूमि आबंटन, गेहूं वसूली आदि के कार्य में की गयी लेखपालों की हत्याओं के कारण उनके आश्रितों को मुआवजा देना व उनके अवशेष का भुगतान करना तथा उन्हें राजकीय सेवा में लिया जाना।	.. 2—ऐसे मामलों के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला अधिकारियों से जांचो परान्त ज्ञात हुआ है कि भूमि आवंटन तथा गेहूं वसूली आदि कार्य के कारण किसी लेखपाल की हत्या नहीं की गयी थी। सम्बन्धित लेखपालों की हत्यायें आपसी वैमनस्यता तथा अधिक शराब पीने के कारण हुई थीं। मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को राजकीय सेवा में लिए जाने की नियमावली बनाई गई है जिसके अनुसार कार्यवाही जिला-स्तर पर की जाती है। अवशेषों के भुगतान के सम्बन्ध में राजस्व परिषद् द्वारा आवश्यक निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं।
3—आपातकालीन स्थिति में सेवा मुक्त तथा अनिवार्य सेवा-निवृत्त लेखपालो की बहाली।	.. 3—लेखपाल संघ ने 58 ऐसे लेखपालों की सूची प्रस्तुत की थी। इनके मामलों में आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश भेज दिए गए है।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

मांग	कृत कार्यवाही का विवरण
4—लेखपालों के दैनिक भत्ते की दर में वृद्धि। ..	4—इस पर शासन द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है।
5—जिलाधिकारी के नियुक्ति अधिकारी बनाने की मांग। ..	5—लेखपाल सेवा नियमावली के अनुसार लेखपाल की नियुक्ति प्राधिकारी परगनाधिकारी है। इसमें तबदीली करना सम्भव नहीं है।
6—गेहूं वसूली, भू-राजस्व अभिनवीकरण योजना के मानदेय का भुगतान तथा चुनाव में बूथ निर्माण के व्यय का भुगतान। ..	6—जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार बलिया तथा सुल्तानपुर को छोड़कर समस्त जिलों में मानदेय का भुगतान किया जा चुका है। जनपद बलिया तथा सुल्तानपुर में भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि आवंटित करने की कार्यवाही खाद्य तथा रसद अनुभाग द्वारा की जा रही है। भू-राजस्व अभिनवीकरण योजना के मानदेय के सम्बन्ध में कोई तथ्य संघ द्वारा नहीं दिया गया है। चुनाव बूथ निर्माण सम्बन्धी व्यय के भुगतान हेतु आवश्यक निर्देश राजस्व परिषद् द्वारा जिलाधिकारियों को 29 अगस्त, 1977 को जारी कर दिए गए हैं।
7—अकारण तथा प्रतिशोध की भावना से निलम्बन कार्यवाही का रोका जाना। ..	7—संघ की इस मांग के सम्बन्ध में राजस्व परिषद् द्वारा दिनांक 21 मई, 1977 को समस्त जिलाधिकारियों को इस आशय के निर्देश जारी किए गए हैं कि जब लेखपाल के विरुद्ध जांच की जाने वाली हो और आरोप इतने गम्भीर हों कि उसे उन आरोपों पर सेवा से पदच्युत पृथक अथवा पदावनत का दण्ड दिया जाना आवश्यक हो गया हो तभी उसे निलम्बित किया जाए।

8—तहसील मुख्यालय पर उपस्थित होने पर देय यात्रा भत्ते की दर में वृद्धि।	..	8—संघ की इस मांग में वित्तीय भार निहित है। इस पर वित्त विभाग से विचार विमर्श किया जा रहा है।
9—देय स्टेशनरी भत्ते की दर में वृद्धि ।	..	9—1974 में लेखपालों को 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया प्रतिमाह प्रति लेखपाल की दर के स्टेशनरी भत्ता स्वीकृत किया गया था। इस भत्ते में और वृद्धि करने पर शासन विचार कर रहा है।
10—तहसील मुख्यालयों पर बैठने हेतु दरियों एवं भवन की व्यवस्था।	..	10—संघ की इस मांग पर राजस्व परिषद् को दरियों के क्रय हेतु आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।
11—शासनादेश तथा परिषदादेश के अनुरूप कार्यवाही जिला स्तर पर न किए जाने का आरोप।	..	11—संघ की इस मांग पर राजस्व परिषदें द्वारा संघ से आवश्यक विवरण मांगा गया है ताकि आवश्यक कार्यवाही की जाय।
12—लेखपालों के वेतन से नाजायज कटौती।	..	12—लेखपालों के वेतन से नाजायज कटौती को रोके जाने के सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों को शासनादेश दिनांक 24 नवम्बर, 1977 में निर्देश जारी कर दिए गए हैं ।
13—लेखपाल का वेतन-क्रम ग्राम सेवक के बराबर किया जाए।	..	13—वर्ष 1971-72 में गठित वेतन आयोग द्वारा लेखपालों का वेतन मान पुनरीक्षित किया जा चुका है किन्तु उसे ग्राम सेवक के वेतन-मान के बराबर नहीं किया गया, दोनों कर्मचारियों की कार्य व शैक्षिक योग्यता समान नहीं है।
14—अधिकारियों तथा मन्त्रियों के दौरे के समय अनाधिकृत धन की वसूली की प्रथा का रोका जाना।	..	14—इस प्रकार के व्यय की वसूली लेखपालों से न करने के सम्बन्ध में राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
15—मौलिक नियुक्ति के 3 साल बाद स्थायी करना ।	..	15—लेखपाल नियमावली के नियम 16 के अन्तर्गत केवल 2 वर्ष का परिवीक्षा काल निर्धारित है इसे आवश्यकतानुसार 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अत: मौलिक नियुक्ति के बाद निरन्तर 3 वर्ष से चले आ रहे कोई अभ्यर्थी के अस्थायी रहने का प्रश्न नहीं होता।

मांग	कृत कार्यवाही का विवरण
16—सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही भ्रष्टाचार के उन्मूलन के सम्बन्ध में कार्यवाही के समय मजिस्ट्रेट के उपस्थित रहने की मांग।	16—प्राप्त सूचना के अनुसार किसी लेखपाल को सतर्कता अधिष्ठान के दल द्वारा अनियमित रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है। गिरफ्तारी के समय मजिस्ट्रेट की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।
17—सही आंकड़े प्रस्तुत करने हेतु भू-लेख फार्मों का समय से उपलब्ध कराया जाना।	17—जिलों से फार्म की मांग प्राप्त होने पर परिषद् द्वारा जिलाधिकारियों को तत्काल ही सप्लाई की कार्यवाही की जाती है।
18—300 रुपए से कम मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा दिए जाने की मांग।	18—राजस्व परिषद् द्वारा समस्त जिला अधिकारियों को लेखपालों के बच्चों को शिक्षा शुल्क का भुगतान नियमानुसार करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
19—मकान किराया भत्ता देने की मांग	19—अन्य कर्मचारियों को जो सुविधा उपलब्ध है उसके अनुसार लेखपालों को भी भत्ता दिया जाता है। लेखपालों के लिए अलग से आदेश जारी करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह एक सामान्य प्रश्न है।
20—लेखपालों के सेलेक्शन ग्रेड का प्रतिशत बढ़ाए जाने की मांग	20—इस समय लेखपाल सम्वर्ग में 15 प्रतिशत पद सेलेक्शन ग्रेड के स्वीकृत हैं। इसे 20 प्रतिशत करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।
21—लेखपालों की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल तथा उनकी संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि की मांग।	21—लेखपालों की शैक्षिक योग्यता जूनियर हाई स्कूल से बढ़ाकर हाई स्कूल कर दी गई है तथा शासन द्वारा उनकी संख्या वर्षानुवर्ष क्रमिक रूप से ड्योढ़ी कर दिए जाने का भी निर्णय लिया जा चुका है।

परिशिष्ट "ख"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 438 पर)

जिला बस्ती की हरैया तहसील के 44 गांवों की सूची जिन्हें जिला फैजाबाद की फैजाबाद तहसील को अन्तरित करने का प्रस्ताव है —

तहसील	ग्राम	तहसील	ग्राम
हरैया ..	1—सीतारामपुर (आंशिक)	हरैया	15—मरथापुर गैरमस्तहकम (आंशिक)
	2—पीतपुर (आंशिक)		16—पूरे चेतन
	3—संग्रामपुर		17—वेताबा (आंशिक)
	4—चौरा		18—आराजी डूही पूरे चेतन
	5—अइलिया जुग्गाराय (आंशिक)		19—पिपरी संग्राम
	6—पूरे मोती		20—पूरे संग्राम
	7—जगरनापुर		21—पूरे सोन
	8—पिकौरा चौबे		22—पूरे केशवदास
	9—सुखरामपुर		23—मांझा मड़ना
	10—नैपुरा		24—चिरहगमा (आंशिक)
	1—सलेमपुर		25—शिवगढ़ (आंशिक)
	12—पूरेगंगाराम		26—मटपुरवा
	13—पूरे हसन नालबन्द		27—गोकुला
	14—काजीपुर		28—सहजोरा पूरे दुक्खी (आंशिक)

तहसील	ग्राम	तहसील	ग्राम
हरैया	29—कुड़िया	हरैया	37—मंझा बेगमगंज (आंशिक)
	30—जमुआर (सिद्दीक)		38—आराजी भगला
	31—कुकरहा (आंशिक)		39—पड़िया डीह
	32—मरघटिया		40—हुमायूं पुर (आंशिक)
	33—माझाकिता अव्वल (आंशिक)		41—पूरे प्रह्लाद दास (आंशिक)
	34—मांझा जरही		42—पूरे पलई
	35—मांझा दलपतपुर (आंशिक)		43—आराजी डूही पूरे पलई नं 0—1
	36—मांझा आखनपुर (आंशिक)		44—आराजी डूही पूरे पलई नं 0—2

प्रेस परिषद विधान सभा

EXTRACTS FROM REVENUE MANUAL

1631. The deep-stream of the following rivers is for purposes of criminal jurisdiction the boundary between the districts noted in columns 2 and 3 :

River	District	District	River	District	District
1	2	3	4	5	6
Ganges	Dehra Dun	Garhwal	Jamuna	Agra	Mathura
		Bijnor	Do.	Agra	Mainpuri
Do.	Saharanpur	Do.			Etawah
Do.	Muzaffarnagar	Do.	Do.	Jalaun	Do.
Do.	Meerut	Do.	Do.	Do.	Cawnpore
		Moradabad		Hamirpur	
Do.	Bulandshahr	Do.	Do.	Do.	Do.
		Budaun			Fatehpur
Do.	Aligarh	Do.	Do.	Banda	Do.
Do.	Etah	Do.			Allahabad
Do.	Farrukhabad	Do.	Ganges	Allahabad	Mirzapur
Do.	Do.	Shahjahanpur	Do.	Mirzapur	Banaras
Ganges and Ghagra	Districts in the province of Agra	Districts in Oudh	Do.	Banaras	Ghazipur
			Ghagra	Azamgarh	Gorakhpur
			Do.	Fyzabad	Gonda
			Do.	Bahraich	Kheri
			Do.	Ballia	Gorakhpur
			Do.	Gonda	Bara Banki
			Do.	Bahraich	Do.
			Do.	Do.	Sitapur

Note=Whatever may be the course of the deep-stream of the Ghagra, the following villages will, for the purposes of criminal jurisdiction, always be a part of the Azamgarh District :

Paharpur	Lachmen-Kund	Durgiapatti
Semari	Bargadhwa	Madarahi
Maghera	Jhola-Manjharia	Karanpur
Loharia	Pabhnapar	Pakna
Tahawarganj	Chandroha	Jajmang
Bhichuk-Manjhria	Tirmohani	Kharewapar
		Ballua

अत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 446 पर।)

लखनऊ कलेक्ट्रेट के तीन वर्ष की अवधि से अधिक कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों की सूची

क्रमांक	नाम कर्मचारी
1	श्री ओम प्रकाश सक्सेना
2	श्री जगदीश बख्श सिंह
3	श्री दयाशंकर श्रीवास्तव
4	श्री अवधेश सिंह
5	श्री रमेश प्रसाद श्रीवास्तव
6	श्री रमेश चन्द्र गुप्त
7	श्री राशिद अली
8	श्री जटाशंकर शुक्ला
9	श्री लक्ष्मी प्रसाद
10	श्री आफताब अली जाफरी
11	श्री शम्भूनाथ मेहरोत्रा
12	श्री राम आधार राय
13	श्री राम लाल राम
14	श्री अम्बिका सरन श्रीवास्तव
15	श्री भगवती प्रसाद पाण्डे
16	श्री सआदत अली
17	श्री सुशील कुमार निगम
18	श्री मुकुल कान्त मिश्रा
19	श्री अवध बिहारी शर्मा
20	श्री हजारी लाल यादव
21	श्री शिवनाथ प्रसाद चतुर्वेदी
22	श्री भवानी शंकर शुक्ल
23	श्री विजय पाल सिंह
24	श्री गयादीन सिंह
25	श्री राम औतार
26	श्री खलीकुलजमा
27	श्री बाबू लाल माली
28	श्री आगा मेहर
29	श्री हरी कृष्ण श्रीवास्तव
30	श्री रजा हसन
31	श्री मोहम्मद सईद
32	श्री अमृत लाल शुक्ला
33	श्री गोमती शंकर
34	श्री रमेश चन्द्र तिवारी
35	श्री राम शंकर
36	श्री मिर्जा मुहम्मद नसीर
37	श्री मथुरा प्रसाद निगम
38	श्री राम चन्द्र द्विवेदी
39	श्री जगदेव प्रसाद
40	श्री चन्द्र मोहन शुक्ल
41	श्री अबुल हसन आबदी
42	श्री राम लाल
43	श्री राम जीवन कुरील
44	श्री छोटे लाल सिंह
45	श्री राम गोपाल
46	श्री प्रेम शंकर शर्मा
47	श्री उमाकान्त बाजपेयी
48	श्री विश्व मित्र मिश्रा
49	श्री त्रिभुवन नाथ
50	श्री जगदीश प्रसाद
51	श्री आकार सरन श्रीवास्तव
52	श्री राम बाबू गुप्ता
53	श्री हरी शंकर वर्मा
54	श्री मोहम्मद तहसीन
55	श्री पुतान लाल यादव
56	श्री अब्दुल हफीज
57	श्री मोहम्मद नजीब
58	श्री श्याम लाल प्रजापति

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	क्रमांक	कर्मचारी का नाम
59	श्री राम औतार	71	श्री अमीर चन्द्र
60	श्री प्रताप सिंह यादव	72	श्री दीप सिंह
61	श्री सुन्दर लाल	73	श्री राम धरेश राठौर
62	श्री जीवानन्द उप्रेती	74	श्री मेवा लाल
63	श्री पुत्ती लाल	75	श्री गिरजा शंकर
64	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव	76	श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव
65	श्री श्याम लाल	77	श्री नागेन्द्र नाथ
66	श्री सुन्दर लाल	78	श्री कुलदीप सरन श्रीवास्तव
67	श्री तेज नारायण तिवारी	79	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव
68	श्री रमेश चन्द्र	80	श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा
69	श्री प्रमोद कुमार	81	श्री राकेश कुमार
70	श्री सुरेन्द्र नाथ पाण्डे	82	श्री राम फेरन ।

परिशिष्ट 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 447 पर)

अतिरिक्त जिलाधिकारी,

बहराइच।

आपके पत्र संख्या 120, दिनांकित 8 सितम्बर, 1977 के सन्दर्भ में निवेदन है कि श्री निजामुद्दीन खां, सदस्य, बीस सूत्रीय कार्यक्रम द्वारा प्रेषित निरीक्षण टिप्पणी दिनांकित 2 अप्रैल, 1977 के सम्बन्ध में कृपया उप संचालक, चकबन्दी, गोण्डा की संलग्न आख्या दिनांक 17 जनवरी, 1977 के अनुच्छेद 29 से 36 तक में ग्राम लक्ष्मनपुर गोड़पुरवा, परगना इकौना, तहसील बहराइच में अनियमित आवंटन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण अंकित है। संलग्न सदस्यों को जो पट्टे किए गए हैं, उपसंचालक चकबन्दी, गोण्डा की आख्या के आधार पर अनियमित पाए गए हैं? अतः संलग्न सूची में अंकित व्यक्तियों के नाम जो पट्टे अनियमित रूप से किए गए हैं, इन सभी को धारा 198 के तहत खारिज करने की कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक--उपरोक्तानुसार।

अशफाक अहमद खां,
चकबन्दी अधिकारी,
अन्तिम अभिलेख,
बहराइच।
9 सितम्बर, 1977।

क्रमांक डी0 डी0 सी0 की आख्या का पैरा नम्बर	नाम काश्तकार जिसके नाम भूमि आवंटित की गयी	गाटा सं0	क्षेत्रफल (एकड़ में)	लगान (रुपया)	विवरण
1	2	3	4	5	6
1/35	राम उग्गर पुत्र माने ग्रामवासी ..	181 मि/8	3.120	18.72	पिता का सही नाम बदल है। बदल के नाम पहले से भूमि है।
2/34	राम खेलावन पुत्र संगम, निवासी गनेशपुर ..	181 मि/8	0.18	..	पुलिस लाइन, बहराइच में सरकारी नौकर है। 150-00– मासिक वेतन पाता है तथा ग्राम में नहीं रहता है।
		1803 मि	0.020		
		1433 मि	0.057		
		183 मि	0.179		
		240 मि	0.144		
		264 मि	0.085		
		267 मि	0.128		
		274	0.529		
		289	0.430		
		300	0.170		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

		1432	0.300		
		1420/2079	0.060		
		1390/2144	1.000		
		13	3.120	38.76	
3/30	स्वामी दयाल पुत्र निगहू ग्रामवासी ..	181 मि/8	0.500	..	ग्राम गुगली, जिला गोण्डा का निवासी है। मजदूरी नहीं करता है। खेला ही करता है।
		240 मि	0.075		
		268 मि	0.058		
		1431 मि	0.367		
		4	1.000	11.80	
4/32	गिरधारी पुत्र लौटन ग्रामवासी ..	181/8 मि	0.500	..	जानवर पालता है हलवाही नहीं करता है।
		259 मि	0.238		
		260 मि	0.262		
		3	1.000	10.50	
5/35	अशोक पुत्र निवास ग्रामवासी ..	101/8 मि	0.500	..	पहले से ही भूमि है।
		261/2 मि	0.147		
		270 मि	0.120		
		1420 मि	0.060		
		1431/1 मि	0.173		
		5	1.000	12.96	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
6/35	रुद्र प्रसाद पुत्र गोवर्धन ग्रामवासी	.. 181/8 मि	0.082	..	पहले से ही भूमि है।
		188/1 मि	0.081		
		1433 मि	0.096		
		240 मि	0.566		
		1431 मि/1	0.175		
		5	1.000	10.76	
7/31	राम लगन पुत्र गंगा ग्रामवासी	.. 268 मि	0.189		ग्राम फगुइया, जिला गोण्डा का निवासी है। पहले से भूमि भी है।
		1366 मि	0.303		
		1373	0.508		
		3	1.000	11.18	

9 सितम्बर, 1977

चकबन्दी अधिकारी,
बहराइच।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 458 पर)

निःशुल्क बीज और खाद से लाभान्वित विकास क्षेत्र गौर (जिला बस्ती) के गांवों और किसानों की सूची

क्रम-सं0	गांव का नाम	किसानों की संख्या
1	2	3
1	सिद्धौर	45
2	सिरकोहर	20
3	ढुहवा	73
4	गौर	39
5	सरदहा शुक्ल	42
6	इरवहरा	71
7	वेलहिया	29
8	परास डीह	37
9	सुमही	61
10	घनोहरी	56
11	घेठेरी	19
12	योनी जत्पा	15
13	तेनुवा	164
14	वेलसड-चुडिहार	155
15	बुधियापुर	24
16	सिगही	203
17	सुजिया	14
18	मझोवा	51
19	भैंसा	29
20	एनपुर	118
21	पैकोलिया मु0	101
22	भखलिया	55
23	बाघाकाडर	44
24	वैदोलिया	52
25	हथिनास	38
26	सिकटा	63
27	दुबौला	37
28	सुकरौली	15

क्रम-सं0	गांव का नाम	किसानों की संख्या
1	2	3
29	डमरुआ जंगल	78
30	करमिया शुक्ल	96
31	देवरहना	27
32	रघुनाथपुर	108
33	तेनुइ चैतसिंह	40
34	हरदी	113
35	बरएड जगदीशपुर	110
36	सिधारी जोत	27
37	अम्बरपुर	55
38	तेनुई	50
39	केशाइ	125
40	मझौवा दूधनाथ	49
41	बैरी खाला	51
42	हरदिया	32
43	गयाजीतपुर	25
44	चकचई	30
45	कटास	41
46	जोगीया	15
47	वेलवाराजा	99
48	विशुनपुरा	36
49	अभयपुरा	23
50	सवसपुर	18
51	असनहरा	21
52	बसहा	29
53	परसागना	58
54	सेमरा	67
55	सेखुई	37
56	बरगदवा	78
57	सरइया	12
58	छपिया	24
59	कुनगाई वु0	65
60	टिकरिया	10

क्रम-सं0	गांव का नाम	किसानों की संख्या
1	2	3
61	कुनगाई खुर्द	38
62	इटवा राजा	21
63	गडहा	33
64	महुआ	28
65	पकड़ी जप्ती	202
66	भौखरी	73
67	इटवा इटहिया	46
68	पैकोनिया	239
69	महुआ डाबर	121
70	डेगरहा	86
71	मरवदिया	32
72	मेंहदिया	20
73	रामापुर	46
74	सोनवलिया	22
75	विशुनपुरा	25
76	पुरुषोत्तमपुर	16
77	बलूआ	16
78	कोटवा	47
79	शडहा दलमबन	48
80	संथुना	35
81	बढ़ोलीपुर	7
82	सेहरिया	26
83	सहवाजपुर	24
84	सोनहरी	17
85	चेतरा	33
86	मुण्डेर	7
87	पिथौरा	2
88	इसका	16
89	बठया	114
90	गिधनी	44
91	मरहा जंगल	97
92	मेहदिया खाव	12
93	अनिलिया	31

क्रम-सं0	गांव का नाम	किसानों की संख्या
1	2	3
94	सल्टौवा	22
95	करनपुर	28
96	पिरैला	29
97	परसा	19
98	मलहदीपुर	16
99	जैतापुर	88
100	अगया खुर्द	17
101	पूरा	42
102	जलालाबाद	70
103	सरनागी	104
104	कढौतिया सांवडीह	51
105	बेनीपुर	5
106	अमया बुजुर्ग	52
107	चांदा खुर्द	24
108	आमाखई पास	50
109	कपूरपुर	40
110	आभा भुड़का	31
111	चांदा बुजुर्ग	89
112	गडहा	19
113	पैकोलिया	27
114	भरवरिया	..
115	गोनहा	19
116	किशुनपुर	20
117	मलही	13
118	बलुआ चौबे	13
119	हलुवा	28
120	वे लवरिया जंगल	95
121	सावडीह	60
122	कंचनपुर	21
123	करया नौडीह	43
124	सरदहा हरसरन	33
125	बढ़नी	54
126	रानीपुर बाबू	25

क्रम सं0	गाँव का नाम	किसानों की संख्या
1	2	3
127	घघरिया	33
128	अइला कला	50
129	सिरसिया	20
130	उकरहा	38
131	टिटुहरा	9
132	माझामानपुर	36
133	मानघाता	50
134	कछिया	156
135	पडरी	13
136	शिवा	11
137	बढ़नी	3
138	करमा	14
139	गोमिया	13
140	पिपरा	18
141	खेरा पटखौली	3
142	घनघटा	1
143	भीरापुर	2
144	उमिचार	1
145	अतरपरी	2
146	कलिगडा	6
147	दुवौला	12
148	खेरा हरसरन	2
149	महावापुर	1

1—नि:शुल्क बीज तथा खाद वितरित गांव की संख्या—149

2—लाभान्वित कृषक—6803

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 460 पर)

समाचार-पत्रों की सूची जिन्हें वर्ष 1977–78 में विज्ञापन दिया गया

1—आज, वाराणसी
2—अमर उजाला, आगरा/बरेली
3—नार्दन इंडिया पत्रिका, इलाहाबाद/कलकत्ता
4—आनन्द बाजार पत्रिका, कलकत्ता
5—आन्ध्र प्रभा, विजयवाड़ा/बंगलौर
6—आर्यावर्त, पटना
7—आसाम ट्रिब्यून, गोहाटी
8—भारत, इलाहाबाद
9—दैनिक आसाम, गोहाटी
10—डैकन हेरेल्ड, बंगलौर
11—इनाडू, हैदराबाद/वि0
12—गोमान्तक, पनाजी
13—गुजरात मित्र, सूरत
14—हिन्द समाचार, पंजाब केसरी
15—हिन्दू, मद्रास
16—हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
17—हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
18—इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली
19—इंडियन एक्सप्रेस, मद्रास
20—जागरण, कानपुर/गोरखपुर
21—जागरण, झांसी
22—जनवार्ता, वाराणसी
23—जुगान्तर, कलकत्ता
24—खिदमत, श्रीनगर
25—मलायाला मनोरमा, कालीकट/कोचीन
26—मलाई मुरासू, मद्रास
27—मातृभूमि, कालीकट
28—नव भारत टाइम्स, नई दिल्ली
29—नव ज्योति, जयपुर/अजमेर
30—नव भारत, भोपाल/इन्दौर आदि
31—नेशनल हेराल्ड, लखनऊ/दिल्ली
32—नव जीवन, लखनऊ
33—पायनियर, लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

34—प्रजावाणी, बंगलौर
35—प्रजातन्त्र, कटक
36—प्रदीप, पटना
37—फूलछाब, राजकोट
38—स्वतन्त्र भारत, लखनऊ
39—स्टेट्समैन, दिल्ली/कलकत्ता
40—सर्चलाइट, पटना
41—सत्यजुग, कलकत्ता
42—सन्देश, अहमदाबाद
43—सियासत जदीद, कानपुर
44—श्रीनगर टाइम्स, श्रीनगर
45—थान्थी, मद्रास
46—ट्रिब्यून, चण्डीगढ़
47—उजाला, जम्मू
48—विश्वमित्र, कलकत्ता
49—दैनिक भास्कर, भोपाल आदि
50—गाण्डीव, वाराणसी
51—जनसत्ता/लोक सत्ता, अहमदाबाद/बड़ौदा
52—विश्वमित्र, कानपुर
53—आनन्द पत्रिका, विजयवाड़ा
54—डेकन क्रानिकल, सिकन्दराबाद
55—सरहदी, लखनऊ
56—लोकतन्त्र, काशीपुर
57—जनयुग, दिल्ली
58—समाज, कटक
59—संयुक्त कर्नाटक, हुबली/बंगलौर

यी0एस0यू0पी0—एल0 210 वि0 सभा (362)—1978—8351